शुक्रवार, 6 मार्च 1981

15 फाल्गुन 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पाँचवा सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 15, शुक्रवार, 6 मार्च, 1981/15 फाल्गुन, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 247 से 249, 251, 252, 254 और 258	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	23—170
तारांकित प्रश्न संख्या : 250, 253, 255 से 257, 259 और 261 से 267	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2401 से 2440, 2442 से 2472, 2474 से 2486 और 2488 से 2600	
विशेषाधिकार के प्रश्न आदि के बारे में	170—171
सभा पटल पर रखे गये पत्र	172—173
सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति कार्यवाही-सारांश	173
सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति चौथा प्रतिवेदन	173
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	173—187
विदेशी मुद्रा का घोटला	
श्री रामसिंह यादव	
श्री आर० वेंकटरामन	
श्री राजेश कुमार सिंह	
श्री रामावतार शास्त्री	
श्री ज्योतिर्मय बसु	
श्री पडुआर्डो फैलोरो	
सभा का कार्य	188 - 197
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1980-81	197—198
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1977-78	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1978-79	

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह* इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक 198—221
श्री इन्द्रजीत गुप्त
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 221
16वां प्रतिवेदन
विधेयक-पुरः स्थापित 222—223
(एक) संविधान संशोधन विधेयक
(अनुच्छेद 324, 325 आदि का संशोधन)
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 171 का संशोधन)
श्री ईरा अनबरासु
(तीन) नेत्रहीन व्यक्ति (रोजगार) विधेयक
श्री अटल बिहारी वाजपेयी
(चार) खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक
डा० बसन्त कुमार पंडित
(पांच) प्रारम्भिक शिक्षा का सर्व सामान्वीकरण विधेयक
डा० बसन्त कुमार पंडित
(छः) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक
प्रो० मधु दण्डवते
देशी मछुआ नाव संरक्षण विधेयक—वापस लिया गया 223—232
श्री चित्त बसु
श्री आर० वी० स्वामीनाथन
श्री पी० शिवशंकर
संविधान (संशोधन) विधेयक 232—249
(अनुच्छेद 15 का संशोधन आदि) अस्वीकृत
विचार करने का प्रस्ताव
श्री भोगेन्द्र झा
श्री मूलचन्द डागा
श्री पी० शिवशंकर
नेत्रहीन व्यक्ति (रोजगार) विधेयक 249—254
विचार करने का प्रस्ताव
प्रो० मधु दण्डवते
श्री मूलचन्द डागा
सदस्यों की गिरफ्तारी 254
(सर्व श्री मनीराम बागड़ी,
जयपाल सिंह कश्यप और चौधरी सुलतान सिंह)
मा के देर तक बैठने के बारे में 356—257

लोक सभा

शुक्रवार, 6 मार्च, 1981 15 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : आज पहले आप..... (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : कल की वन्दना सफल हुई...

राष्ट्रीय बैंकों द्वारा निर्धन वर्गों को ऋण

* 247. **विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंक निर्धन वर्गों को दी जाने वाली ऋण-राशि को बढ़ा कर अपने कुल अग्रिम का निर्धारित एक प्रतिशत करने में असफल रहे;

(ख) यदि हां तो निर्धन वर्ग को 1979-80 और 1980-81 में दिये गए ऋण की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) इसी अवधि में धनी वर्ग को दिए गए ऋण की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क), (ख) और (ग) : एक वितरण सभा पटल पर रखा जा रहा है ।

(क) से (ग) : सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन दिए जाने वाले ऋणों से है जो केवल ऐसे व्यक्तियों के लिए सीमित हैं जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 3,000 रुपये वार्षिक से अनधिक अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 वार्षिक से अनधिक हो तथा सिवाय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्ताओं, जिनकी जोत की सीमा सिंचित भूमि के मामले में एक एकड़ से अनधिक तथा

असिंचित भूमि के मामले में 2·5 एकड़ से अधिक न हो। इसी योजना के सम्बन्ध में, दिसम्बर, 1978 में बैंकों को सलाह दी गयी थी कि वे योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले ऋणों का इससे पहले के वर्ष के अन्त में अपने कुल बकाया अग्रिमों के आधा प्रतिशत से बढ़ा कर एक प्रतिशत कर दें।

दिसम्बर, 1979 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने योजना के अन्तर्गत इससे पहले के वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार अपने समग्र अग्रिमों के ·94 प्रतिशत अग्रिम दिये थे। दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति से सम्बन्धित आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन यह सम्भावना है कि योजना के अधीन ऋण का लक्ष्य, अर्थात एक प्रतिशत, प्राप्त हो जाएगा। सूचना एकत्र करने की वर्तमान प्रणाली समृद्ध वर्गों को दिए गए बैंक अग्रिमों के सम्बन्ध में आँकड़े एकत्र नहीं करती।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय आप मेरे सवाल को देखें तो इसके भाग (ख) और (ग) का कोई उत्तर नहीं आया है। मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है सूचना एकत्र करने की वर्तमान प्रणाली समृद्ध लोगों को दिए गए बैंक अग्रिमों के सम्बन्ध में आँकडे एकत्र नहीं करती।

अध्यक्ष महोदय : आखिरी हिस्से का जवाब नहीं दिया है, पहले दो हिस्सों का है।

श्री विजय कुमार यादव : न तो इनके पास यह आँकड़े हैं कि 1979-80 और 1980-81 में गरीबों को कितना परसेन्ट ऋण दिया गया और न ही इनके पास यह आँकड़े हैं कि अमीरों को जो दिया गया उसका क्या परसेन्टेज है। वहरहाल हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक दिसम्बर 31, 1979 तक 378 जो बड़े इन्डस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको इन्होंने 1158·48 करोड़ का कर्ज दिया है—डिटेल्स मेरे पास है लेकिन मैं डिटेल्स में आना नहीं चाहता—लेकिन इनके जवाब से यह स्पष्ट है कि ये जो मोनोपोलिस्ट कैप्टेलिस्ट्स को कर्जा दे रहे हैं उसको छिपाकर रख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम आज आपने 'स्पष्ट' शब्द का पूरा उपयोग किया है।

श्री विजय कुमार यादव : 'स्पष्ट' शब्द से आपको एलर्जी है इसलिए मैं 'साफ तौर पर' कह रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा कि आपने इस शब्द का सदुपयोग किया है। अध्यक्ष जी, इस सिलसिले में मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि सरकार की जो नीति बड़े उद्योग घरानों को कर्जे की बड़ी रकम देने की है, क्या सरकार इसे घटाकर, देश की गरीबी की अवस्था को देखते हुए, गरीबों को जो कर्ज देने का परसेन्टेज है, उसको बढ़ाना चाहती है और अभी तक अमीरों के कर्ज का जो परसेन्टेज नहीं निकला है, क्या उस सिस्टम को सरकार इन्ट्रोड्यूस करना चाहती है?

श्री आर० वेंकटरामन : वे तथाकथित उच्च वर्ग, औद्योगिक-वर्ग, जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, दो प्रकार के संस्थानों से अपना ऋण प्राप्त करते हैं एक तो भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आदि जैसे वित्तीय संस्थान हैं, जिनसे वे अपनी पूंजीगत, दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वे अपनी कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं को राष्ट्रीयकृत बैंकों से पूरा करते हैं।

जहां तक कमजोर वर्गों का सम्बन्ध है हम इस उत्तर में और इस सदन में भी पहले ही बता चुके हैं कि ये दो वर्ग हैं, एक तो प्राथमिकता क्षेत्र और दूसरे वर्ग में वे लोग हैं जिनकी हम 'ब्याज की विभेदी दर पर ऋण प्राप्त करने हकदार सर्वाधिक कमजोर वर्ग' के रूप में परिभाषा देते हैं।

यदि माननीय सदस्य को औद्योगिक-वर्ग को दिए जाने वाले कुल ऋण के आंकड़े चाहिए तो उन्हें अलग से प्रश्न पूछना चाहिए जिससे कि मैं राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य बैंकों से सूचना एकत्र कर सकूं। यह प्रश्न केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों से सम्बद्ध हैं, अतः इसका हम कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं।

जहां तक कमजोर वर्गों का सम्बन्ध हैं, एक परिपूर्ण उत्तर दिया गया है अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोग जिनकी वार्षिक आय 2000 रुपये से कम हो और नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले वे लोग जिनकी वार्षिक आय 3000 रुपये से कम है, उन्हें हम चार प्रतिशत की विभेदी दर पर ऋण दे रहे है जो कि निम्नतम दर है।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैं कहना चाहता हूं कि पूअर-सैक्शन्स को कर्ज देने का जो परसेन्टेज है, जो अभी सरकार ने निर्धारित किया है, उसको वह बढ़ाना चाहती है या नहीं ? इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है। इसका जवाब दिया जाए, तो दूसरा प्रश्न मैं पूछूं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह एक प्रतिशत है और हम 0·94 प्रतिशत प्राप्त कर चुके हैं। इसे बढ़ाया जाए या नहीं यह अन्य मामला है। अभी इसमें वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अमीरों के तो काफी बकाए रहते हैं और उसके बाद भी वह उद्योगपतियों को और देते हैं। क्योंकि इस सम्बन्ध मे आंकड़ा नहीं पूछा है और न दिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं गरीबों को जो कर्ज दिया जाता है, उसको कर्ज देने की जो शर्तें हैं, क्या उन शर्तों को सरकार सुविधाजनक बनाना चाहती है ? ताकि, जैसे गारन्टी देने और इस तरह की जो दूसरी शर्तें हैं, उसको हटा करके उसमें गरीब भी ज्याद से ज्यादा कर्ज ले सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें ?

श्री मगन भाई बारोट : इसके बारे में बहुत पहले ही मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए गए हैं। यह बड़ी अच्छी बात है कि 1000 रुपये तक की राशि के लिए एक प्रानोट काफी है। 1000 रुपये और 5000 रुपये के बीच···(व्यवधान) माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने के लिए कोई विशेष सुविधाएं प्रदान की गई है और उसी का मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। छूट तो दी जाती रही है : 5000 रुपये तक जो कुछ भी उधार लेने वाला क्रय करता है वह स्वयंमेव बन्धक बन जाता है : 5000 रुपये से ऊपर और 25000 रुपये से नीचे बन्धक और गिरवी रखना बैंक के विवेक पर निर्भर करता है।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : जब मैं ससदीय समिति के सदस्य के रूप में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में गया तो मुझे राष्ट्रीयकृत बैंकों की उधार देने की प्रक्रिया को देखने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिसमें विशेषकर गरीबों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विभेदी

ब्याज पर ऋण देना भी सम्मिलित था : कुल ऋण का 1 % इस विभेदी ब्याज दर योजना के लिए नियत है जिसमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम 40 % निर्धारित है। यहाँ पर यह बताया गया है कि यह उन लोगों तक ही सीमित है जिनके परिवार की आय सभी स्रोतों से शहरी या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 3,000 रुपये वार्षिक या ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं है किन्तु सिवाय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में ऋण लेने वाले व्यक्तियों के पास सिंचित भूमि 1 एकड़ और असिंचित भूमि के 2·5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मैं जानना चाहूंगा कि इस अधिकतम सीमा को वस्तुतः कब निर्धारित किया गया है। हमारी प्रधान मंत्री महोदय ने भी नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया कि छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक सरकार इन लोगों में से कम से कम 50 प्रतिशत लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना चाहती है। 40 प्रतिशत में से कुछ बैंकों ने इसका आधा भी नहीं दिया है।

इसलिए इस दृष्टि से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय न्यूनतम व्यवस्था को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 80 प्रतिशत करने तथा विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत कुल आवंटन को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत करने के किसी प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

श्री मगन भाई बारोट : जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री ने कहा है कि हम 0·94 प्रतिशत तक पहुंच चुके हैं और 1 प्रतिशत तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा मार्गदर्शी सिद्धान्त है और यही आज हमारा लक्ष्य है।

जहाँ तक इसका अधिकाधिक वर्गों के देने का सम्बन्ध है तो इस बात पर बल दिया जा सकता है कि यह व्यवस्था गरीबों में भी सबसे अधिक गरीब लोगों के लिए हैं और इसलिए हमने एक सीमा निर्धारित की है और यदि उस सीमा को बढ़ा दिया जाता है तो विस्तार कम हो जायेगा और अधिक आय वाला वर्ग लाभ उठायेगा और वे लोग लाभ नहीं उठायेंगे जिनके लिए वास्तव में यह योजना बनाई गई हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमान आप उत्तर में देखेंगे कि मंत्री ने कहा है :

"सूचना एकत्र करने की वर्तमान प्रणाली समृद्ध वर्गों को दिए गए बैंक अग्रिमों के सम्बन्ध में आँकड़े एकत्र नहीं करती।" मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय सूचना एकत्र करने में जो यह दोष है उसे ठीक करेंगे।

मैं उनसे यह जानना चाहूंगा। इस तथ्य को जानते हुए कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य अपेक्षाकृत गरीब हैं और इस तथ्य को जानते हुए कि ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक गरीब हैं, क्या यह सच नहीं हैं कि राष्ट्रीयकरण तथा सरकार द्वारा दिए गए सभी आश्वासनों के बावजूद भी गरीब राज्यों का ऋण-जमा अनुपात समृद्ध राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है और ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात शहरी क्षेत्र की अपेक्षा बहुत कम है और इसलिए वास्तव में संसाधनों का गरीब क्षेत्रों से समृद्ध क्षेत्रों को अन्तरण हुआ है। गरीब क्षेत्र समृद्ध क्षेत्रों को वित्त पोषित कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों को वित्त पोषित कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समृद्ध और गरीब राज्यों तथा शहरी और गरीब क्षेत्रों के लिए ऋण-जमा के बारे में सरकार के पास आंकड़े हैं और क्या इन तथ्यों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है।

श्री आर० वेंकटरामन : श्रीमान यह एक बहुत सामान्य प्रश्न है। यदि माननीय सदस्य एक विशिष्ट प्रश्न पूछें तो मैं हर राज्य के बारे में उत्तर दूंगा। परन्तु मैं मोटे तौर पर इस स्थिति का समर्थन करूंगा कि विभिन्न राज्यों में ऋण-जमा अनुपात उन राज्यों में योजनाओं की अर्थ-क्षमता तथा औद्योगिक विकास के अनुसार भिन्न-भिन्न है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यही सबसे बड़ा अपवंचन है।

छोटे किसानों तथा लघु उद्योगों को बिना जमानत ऋणों की अधिकतम सीमा

*248. **श्री अशोक गहलोत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों तथा छोटे उद्योगों को बिना किसी जमानत अथवा गारंटी के 5000 रुपये तक के ऋण वितरित करने का कोई प्रस्ताव तरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार का विचार छोटे किसानों तथा छोटे उद्योगों को बिना किसी जमानत अथवा गारंटी के ऋणों की सीमा को 25,000 रुपये तक बढ़ाने का है ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (घ) :–

एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श दिया है कि वे कृषि तथा तत्सम्बंधी कार्य कलापों के लिए पांच हजार रुपये तक के ऋणों के संबंध में जमानत संबंधी उदार मानदंड अपनाएं। इस प्रकार के ऋण, फसलों अथवा चल परिसम्पत्तियों, को, जहां ऐसी परिसम्पत्तियां ऋण राशि से निर्मित की गयीं हों, दृष्टिबंधन रख कर दिए जाते हैं। इस प्रकार के ऋणों के संबंध में कोई और जमानत अथवा गारंटी की आवश्यकता नही होती। एक हजार रुपये तक के छोटे ऋणों के मामलों में एक और रियायत यह दी जाती है कि ऋण मंजूर करने के लिए मांग वचन पत्र अथवा ऋण करार भी एक मात्र आधार माना जाता है। अपेक्षाकृत अधिक राशियों के ऋणों के संबंध मे यह सुविधा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जमानत संबंधी मानदण्डों में उपयुक्त उदार शर्तें कृषि क्षेत्र के कमजोर वर्गों की अपेक्षाकृत अधिक बैंक ऋण देने के उद्देश्य से निर्धारित की गयी थी।

बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कारीगरों तथा ग्राम-कुटीर उद्योगों को उपस्कर अथवा कार्यकारी पूंजी अथवा दोनों के लिये 25 हजार रूपये तक के मिश्रित, ऋण मंजूर किए जाने चाहिए। यदि प्रस्ताव अन्यथा अर्थक्षम हो तो जमानत अथवा गारंटी की अनुपस्थिति में इस प्रकार के ऋण देने से इन्कार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जवाब दिया गया है, उसमें बताया गया है कि वित्त मंत्रालय में, जो जमानत की शर्तें है उनको उदार बनाया है। 5 हजार रुपये तक के लोन की जो बात कही गई है, उसमें यह कहा गया है कि किसान की जो सम्पत्ति है चाहे वह मूवएबिल हो या क्रोम हो, उसको गिरवी रख कर, 5 हजार रुपए तक लोन देंगे। आप कहते हैं कि हमने नीति को उदार बना दिया है। मैं पूछना चाहूंगा कि पुराने जमाने में गांव के साहूकार या मनीलेंडर भी किसान की सम्पत्ति को गिरवी रख कर लोन दिया करते

थे और उनको लोन आसानी से मिल जाया करता था लेकिन आप भी मूवएबिल प्रोपर्टी या क्रोप का हाईपोथीकेशन करके लोन देते हैं और उसको लेने के लिए किसान को बैंकों के बहुत ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो फिर आपकी इस नीति में और पहले वाली में क्या अन्तर हुआ ?

श्री मगन भाई बारोट : माननीय सदस्य को याद होगा कि मैंने पहिले के उत्तर में कहा है कि 1000 रुपये तक बिल्कुल भी कोई गिरवी नहीं रखी जाती है। केवल प्रोनोट ही पर्याप्त होता है। 1000 रुपये से 5000 रुपये तक के ऋण के लिए फसल को ही गिरवी रखना पर्याप्त है। 5000 से अधिक के ऋण के लिए दो बातें हैं। एक तो फसलों का गिरवी रखना जिसका उन्होने उल्लेख किया है या गिरवी रखना पुनः बैंक प्रबंधक के ऊपर छोड़ दिया गया है कि प्रस्तुत मामले में वह आग्रह न करें।

मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित ऋण देने तथा बैंक द्वारा ऋण देने में जिसमें फसल को गिरवी रखने के लिए आग्रह नहीं किया जाता है, स्पष्ट अन्तर है और जब ऋण 5000 रु० से अधिक का होता है तो यह बैंक के स्व-विवेक पर छोड़ दिया जाता है। भारत में किसी ऋण दाता ने कभी ऐसा नहीं किया है।

श्री अशोक गहलोत : मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो 25 हजार रुपये तक का लोन आर्टिशिस और छोटे उद्योगों के लोगों को आप देते हैं और जिसके बारे में यह कहा गया है कि अगर उसके पास पूरी गारन्टी नहीं भी होगी तो भी उसको लोन दिया जा सकता है तो आज तक ऐसे कितने लोन दिये गये ?

मैं यह भी जानना चाहूंता कि मन्त्रालय जो पब्लिक को सुविधाएं देता है और आर० बी० आई० बैंकों को निर्देश देता है उसके बाद भी नीचे के लेवल पर जो अधिकारी होते हैं वे गरीबों को लोन नहीं देते हैं तो इसके बारे में आप क्या कार्यवाही करते हैं ?

श्री मगन भाई बारोट : मैं यह कह सकता हूं कि रिजर्व बैंक सभी बैंकों का मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने में बड़ा सतर्क रहा। माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न के सम्बन्ध में ब्याज की दरें आदि भी निर्धारित की जा चुकी है : इन मामलों में बैंक उस निर्धारित दर से कुछ भी अधिक नहीं ले सकता है।

जहां तक किसी विशेष बैंक के कार्यकरण का सम्बन्ध है, यदि किसी माननीय सदस्य को कोई शिकायत है कि बैंक ने मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन नहीं किया है और यदि वह हमारे ध्यान में लाई जाए तो उस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान प्रश्न स० 247 तथा 248 को पिछली तारीख से एक साथ मिलाने की मुझे अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप मन्त्री रहे हैं। प्रश्न पिछली तारीख से नहीं हो सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : जब महंगाई भत्ता पिछली तारीख से दिया जा सकता है तो प्रश्न को भी पिछली तारीख से क्यों नहीं एक साथ मिलाया जा सकता है ? श्रीमान, पहले उत्तर में, माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि सूचना एकत्र करने की वर्तमान प्रणाली समृद्ध वर्गों को दिए गए बैंक अग्रिमों के सम्बन्ध में आँकड़े एकत्र नहीं करती है। यह प्रश्न छोटे किसानों तथा उद्योगों को ऋण देने से सम्बन्धित है। ये ऋण उन धन राशियों से दिये जाने हैं जो बैंकों में जमा

है । इसलिए यद्यपि वह स्पष्ट कठिनाइयों के कारण अग्रिमों की मात्रा नहीं बता सकते हैं तो मैं कम से कम गुणात्मक रूप से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न बैंकों में जमा धन-राशियों के बड़े भाग कृषि क्षेत्रों से आते हैं और अग्रिमों तथा ऋणों का पर्याप्त भाग केवल औद्योगिक वर्गों तथा बड़े व्यापार को दिया जाता है ।

श्री वेंकटरामन : मैं उस कथन को प्रमाणित नहीं कर सकूंगा क्योंकि जमा धनराशियां कई वर्गों से आती है । विशेष रूप से जमा कर्ता मध्यम वर्गों के हैं । समृद्ध वर्ग ऋण लेने वाले हैं । जमा धन राशियां हमेशा मध्यम वर्गों से आ रही है । ये न केवल किसानों से बल्कि वेतनभोगी वर्गों, ग्रामीण मध्यम वर्गों आदि से भी आते हैं । यह कथन सही नहीं हो सकता है कि जमा धन राशियां किसानों से आती है और उन जमा धन राशियों को उद्योगपतियों को दिया जाता है ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान, आप किसान हैं । आपको हमारे हितों की अवश्य रक्षा करनी चाहिए । तथ्य तथा आंकड़े भी उपलब्ध हैं कि जमा धन राशियों के बड़े भाग किसानों से आ रहे हैं । वह तथ्यों से क्यों इन्कार करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह तथ्यों से इन्कार नहीं करते हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : यह कहना कि यह ग्रामीण क्षेत्रों से आता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि यह किसानों से आता है । ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य लोग हैं जो यह कहते हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, कर्ज लेने वाले लोग जब ऋण के लिए अप्लाई करते हैं तो वे प्रायः किसी निश्चित कार्य के लिये, किसी निश्चित उद्योग के लिए या किसी फसल में सहायता प्राप्त करने के लिए अप्लाई करते हैं । प्रायः दस-बीस हजार रूपये के लोन के लिए भी, फसल देने के बाद भी साल-डेढ़-साल तक बैंक वाले उन्हें दौड़ाते रहते हैं और कहते रहते हैं कि कागज पूरा नहीं हुआ है । यह सारी की सारी बात होती रहती है । मेरे एक जानने वाले व्यक्ति ने 25 हजार रूपये के लोन के लिए अप्लाई किया और आज तक उन्हें लोन नहीं मिला । अतः मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो अनियमितताए और भ्रष्टाचार बरता जा रहा हैं, इनको दूर करन के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे है ?

श्री मगन भाई बारोट : जहां तक समय पर मार्ग दर्शी सिद्धान्तों के देने का संबंध है । रिजर्व बैंक ने न केवल छोटी राशियों के लिए बल्कि 25000 रुपये तक की राशियो के लिए भी निदेश लिए हैं । उस स्थिति में निर्देश यह है कि ऐसे आवेदन-पत्रों का चार सप्ताह की अवधि के भीतर निपटारा करना में और ऐसे आवेदन पत्रों का निपटारा आठ या नो सप्ताह के भीतर करना हैं जिनकी राशी 25,000 रू० से 1 लाख रुपये तक है । ये मार्ग दर्शी सिद्धान्त है । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करुंगा कि यदि उन्हें पता लगे कि कोई बैंक उन निदेशों का पालन नही कर रहे हैं तो वे उन बैंकों को हमें बताये ।

मैंसर्स पार्ले बाटलिंग कम्पनी द्वारा आयात लाईसेंस का दुरुपयोग

*549. **श्री धर्मदास शास्त्री** :

श्री के० लकप्पा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैंसर्स पार्ले बाटलिंग कम्पनी ने वास्तविक प्रयोक्ता के रूप में बाटलिंग मशीन का आयात किया किन्तु इसे किसी अन्य पर्म को बेच दिया और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या इस उल्लंघन के बारे में आयात और निर्यात नियन्त्रण अधिनियम, 1974 के खण्ड 4 (घ),(छ) और (ज) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है और यदि हां, तो क्या इस फर्म के विरूद्ध इन खण्डों के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ;

(ऊ) क्या अब इस माल के जब्त किए जाने तथा उस पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है ; और

(ड) इस कम्पनी के विरूद्ध और क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ड़) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) मैसर्स पार्ले बाटलिंग (प्रा० लि०) ने अपनी फैक्टरी में अपने प्रयोग के लिए बोतल भरने वाली तीन मशीनें आयात कीं, लेकिन उन्हें लाइसेंसिंग प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लिए बिना बेच दिया, जैसा कि नीचे बताया गया है—

(1) एक मशीन 30.8.69 को 1,18,450 रु० में मैसर्स चण्ड़ीगढ़ बाटलिंग कंपनी, चण्ड़ीगढ़ को बेच दी गई । यह मशीन मैसर्स चण्ड़ीगढ़ बाटलिंग कम्पनी की फैक्टरी में लगाई गई और 1978 तक इस्तेमाल की गई तथा इसके बाद, बेचने के लिए बम्बई भेज दी गई । यह मशीन 2.7.80 को बम्बई में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कब्जे में ले ली गई ।

(2) दूसरी मशीन 1,50,000 रु० में मैसर्स हैदराबाद बाटलिंग कम्पनी, हैदराबाद को बेच दी गई । यह मशीन मैसर्स हैदराबाद बाटलिंग क० (प्रा०लि०) द्वारा अक्तूबर, 70 से मार्च 80 तक उपयोग में लाई गई । यह मशीन भी जुलाई 1980 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बम्बई में कब्जे में ले ली गई जहां पर इसे बेचने के लिए भेजा गया था ।

(3) तीसरी मशीन मैसर्स गुजरात बाटलिंग कं० (प्रा० लि०, अहमदाबाद को 1969 में बेची गई । यह मशीन इस कम्पनी द्वारा मार्च 1970 से 1972 तक प्रयोग में लाई गई । उसके बाद उसे मैसर्स अमृतसर बाटलिंग क०, अमृतसर को बेच दिया गया जिन्होंने इस मशीन को बेचने के लिए मई 1980 में नागपुर भेज दिया । यह मशीन 30.6.1980 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कब्जे में ले ली गई ।

(ख) तथा (ग) : आयातित वस्तुओं को कब्जे में लेने तथा जब्त करने के उपबन्ध आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण अधिनियम में 4.11.1975 को समाविष्ट किए गए थे । ये तीनों मशीनें इस तारीख से बहुत पहले आयात की गयीं थीं तथा बेची गई थीं और इसलिए इस अधिनियम के नए उपबन्धों के अन्तर्गत कब्जे में नहीं ली जा सकती हैं तथा जब्त नहीं की जा सकती है ।

(घ) ये मशीनें केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कब्जे में ली गई हैं और मामला न्यायालय में है ।

(ङ) इस कम्पनी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री धर्मदास शास्त्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मन्त्री महोदय से बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि रमेश चौपड़ा, जिसका पार्ले ग्रुप के साथ सीधा सम्बन्ध है, वह आदमी इन्कम टैक्स की चोरी करता है, एक्साइज ड्यूटी की चोरी करता है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उस आदमी का जिक्र नहीं कर सकते हो जो सभा में उपस्थित नहीं हैं और अपना बचाव नहीं कर सकता।

श्री धर्मदास शास्त्री : मैं पार्ले ग्रुप की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : पार्ले ग्रुप की बात ठीक है।

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, ये एक्साइज ड्यूटी की चोरी करते हैं, इन्कम टैक्स की चोरी करते हैं, मशीनें इम्पोर्ट करके बेचते हैं, क्या यह सत्य है ? विभाग ने ज 'बी' और 'सी' में जवाब दिया है वह सरासर गलत है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट-1947 जो कि 1955 में अमेंड किया गया, उसकी धारा 4-डी, 4-बी, 4-जे एव 5 के अधीन ये सारी बातें मौजूद हैं कि इनके तहत इनकी सारी मशीनें सीज होनी थीं, इनको अरैस्ट करना चाहिए था। न ही इनकी मशीनें-सीज की गई और न ही इन्हें अरैस्ट किया गया और न कोई जुर्माना किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए।

श्री धर्मदास शास्त्री : मैं सवाल पूछ रहा हूं कि उनकी मशीनरी क्यों सीज नहीं की गई। इन्होंने कहा है कि सी०बी०आई० द्वारा मशीनें सीज की गई हैं, यह बिल्कुल गलत है। दूसरी बात यह है कि 1969 में ये मशीनें बेची गईं और 1980 में जाकर एक्सन ले रहे है, 11 वर्ष बाद एक्सन ले रहे हैं, इससे पहले एक्सन क्यों नहीं लिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कर रहे हैं या भाषण कर रहे हैं। आप सवाल करिए।

श्री धर्मदास शास्त्री : मैं यह पूछ रहा हूँ कि 1969 में जब मशीनें बेचा गई तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया ? (व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष महोदय, बाजपेयी जी खड़े क्यों है, मैं पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, जब इंपोर्ट–एक्सपोर्ट एक्ट··· में यह प्रावधान है तो इन्होंने जो मशीनें 1969 में बेची और 1980 मे इनके खिलाफ, एक्सन लिया गया, इतना डिले क्यों किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न नहीं कर सकते हो तो मैं इसकी अनुमति नहीं देने जा रहा हूं।

धर्मदास शास्त्री : डिले क्यों किया गया और इन्होंने "डी" में जवाब दिया है कि मशीनें सीज की गई हैं, वे नहीं की गई हैं जो अभी तक घोटाला चल रहा है।

श्री प्रणब मुखर्जी : श्रीमान जहाँ तक इस प्रश्न का संबंध हैं कि 1969 में ये मशीनें क्यों बेची गई थी और 1980 तक कोई कार्यवाही नहीं की थी उसका उत्तर यह है कि जहाँ तक मेरे विभाग का संबंध है उन्हें 5 अप्रैल, 1980 को उस समय यह तथ्य मालुम हुआ जब केन्द्रीय अवेषण ने स्वयं एक मामला दर्ज किया। उसके बाद आवश्यक कार्यवाही की गई तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने

जांच पूरी की। उन्होंने अपना प्रतिवेदन हमें भेजा और हमने उसे प्रमाणित किया। उन्होंने अपना जांच प्रतिवेदन 3 अक्तुबर, 1980 को हमें भेजा। 11 नवम्बर, को हमने उसे प्रमाणित किया और बम्बई उच्च न्यायालय में मुकद्मा दायर कर दिया गया है। महोदय मशीनों को जब्त करने के संबंध में विवरण के दूसरे भाग में मैंने जो सूचना दी है वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन पर आधारित है।

श्री धर्मदास शास्त्री : सी० बी० आई० ने अभी तक मशीनें सीज क्यों नहीं की हैं? सीज नहीं की हैं यह मेरी परसनल नालेज में है। यह एक धोखा हैं। इसको बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है? इस आदमी को शील्ड क्यों किया जा रहा है? क्यों उसको शैल्टर दिया जा रहा है?

श्री प्रणव मुखर्जी : में किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं। मैंने माननीय सदस्य को सूचित किया है कि मैंने केन्द्रीय जाँच ब्युरो से प्राप्त सूचना को ही ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया है। मैंने केवल उस सूचना को प्रस्तुत किया है। यदि माननीय सदस्य के पास कुछ और जानकारी है तो मैं उनसे यह जानकारी लूंगा और उसकी जांच करूंगा। परन्तु इस समय जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है, वह केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के प्रतिवेदन पर आधारित है।

श्री के० लक्कप्पा : अध्यक्ष महोदय, इस सभा में वित्त मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्री से कई प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न पार्ले बोटलिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयातित मशीनों के दुरुपयोग से सम्बन्धित है। मंत्री महोदय द्वारा किया गया उत्तर न केवल हमें भ्रमित करता है अपितु यह मामले के तथ्यों से भी सम्बद्ध नहीं है। 1947 में अधिनियम के अन्तर्गत नियम बने। ये आयात और निर्यात लाइसेंस नियम तभी बनाए गए थे। 1955 में इनमें एक संशोधन किया गया था। मैं उनसे यही जानना चाहूंगा। उन्होंने उत्तर दिया है कि तीन मशीनों का आयात किया गया था तथा इस तारीख से बहुत पहले उन्हें बेच दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री के० लक्कप्पा : 1947 में मुख्य अधिनियम के सम्बद्ध प्रावधानों के अन्तर्गत आपके पास ये नियम हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया सीधा प्रश्न पूछिए।

श्री के० लक्कप्पा : उन्होंने कहा, उन्हें जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सम्बद्ध नियम पढ़ना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे नहीं पढ़ सकते। आप कृपया सीधे प्रश्न पूछिए।

श्री के० लक्कप्पा : श्रीमान, उन्होंने गलत प्रावधानों को उद्धृत किया है। धारा 4 घ के अन्तर्गत आपको आयातित वस्तुएं या सामग्री को जब्त करने का अधिकार है। धारा 4 छ के अन्तर्गत आपको जब्त करने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक विलम्ब कर रहे हैं। कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री के० लक्कप्पा : ये अधिकार माल को पकड़ने जब्त करने आदि से सम्बन्धित हैं। अधिनियम में जुर्माना करने के प्रावधानों का उल्लेख है। श्री धर्मदास शास्त्री के प्रश्न के उत्तर में

माननीय मन्त्री ने कहा कि यह कम्पनी 1980 में उनके ध्यान में आई। उन्होंने अपने मुख्य उत्तर में बताया कि 4-11-1975 को आयातित वस्तुओं को जब्त करने के प्रावधान को आयात और निर्यात (केन्द्रीय) अधिनियम में सम्मिलित किए गए थे। दूसरी ओर उन्होंने बताया कि इन आयातित वस्तुओं को जब्त नहीं किया गया है। इसलिए, माननीय मन्त्री के वक्तव्य में विरोधाभास है। यह मामला सभा के सामने आने से पूर्व पार्ले वोटलिंग कम्पनी ने 4 करोड़ रुपये की लूट की। इस कम्पनी द्वारा किए गए उल्लघनों के विरुद्ध वाणिज्य और वित्त मन्त्रालयों ने 1955 से उनके पास जब्त करने सम्बन्धी प्रावधान आये हैं। कोई कार्रवाई नहीं की है। मुझे नहीं मालूम की ऐसी कार्रवाई में विलम्ब क्यों होना चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस कम्पनी द्वारा की गये इन सारी अनियमितताओं के दावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहाँ तक की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैंने अपने उत्तर में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा एक जाँच की गई थी। इसके बाद न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया। विभागी कार्रवाई के सम्बन्ध में भी मैंने बताया था कि अभी वह विचाराधीन है सम्भवतः माननीय सदस्य ने उत्तेजना में आकर मेरे उत्तर के भाग (ङ) को नहीं पड़ा। अतः वह भी विचाराधीन है। अब महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि आप क्या कार्रवाई करेंगे, मैं सभा में यह नहीं बताऊंगा जिससे उन्हें अपना मामला मजबूत करने में सहायता मिले। नहीं, यह सम्भव नहीं है।

दूसरा विवादास्पद मुद्दा यह है कि क्या 1975 के संशोधन से पूर्व ऐसे प्रावधान थे, जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, जिनके अधीन हम मशीनें जब्त कर सकते थे। यहाँ मुझे विशिष्ट रूप से इस बारे में जानकारी है और मैंने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर कार्य कर रहे अधिकारियों से इसकी चर्चा की थी। उन्होंने मुझे निश्चित रूप से यह बताया कि जब 1975 में संशोधन किया गया था उससे पूर्व केवल दो प्रकार की कार्रवाही की जा सकती थी। एक रोक लगा देना है। दूसरे 'मुकदमा चलाना' यह कार्रवाही अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत चल आती है।

मुकदमा चलाया जा चुका है। जहां तक रोक लगाने का सम्बन्ध है, जब ये ऐसी शिकायतें आती हैं और मामले की जांच हो रही हो अथवा निर्णयाधीन हो, तो कार्रवाही नियमानुसार होती है। इस पर विचार किया जा रहा है। परन्तु यह तो एक तथ्य ही है कि क्या यह शक्ति 1975 के अधिनियम से पहले प्राप्त थी। संगत उपबन्धों के अध्ययन से सही स्थिति का पता चल सकता है।

श्री के० लकप्पा मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न :

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष जी, सी० बी० आई० के लोग गलत ब्यानी कर रहे हैं। हमें इस पर सवाल पूछना है, आप हमें बोलने का मौका दें।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य यह क्या है ? मैं इसके लिए अनुमति नहीं देता।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के० लकप्पा : मेरा दूसरा सवाल है ।

अध्यक्ष महोदय : दो सवाल पहले नम्बर वाला सदस्य कर सकता है । दूसरे नम्बर वाला सदस्य केवल एक सवाल ही कर सकता है ।

श्री के० लकप्पा : मैं आपसे संरक्षण की अपेक्षा करता हूं । मन्त्री ने अपना उत्तर दे दिया है और मैं जानना चाहूंगा···

अध्यक्ष महोदय : आपने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा है, अब अधिक अनुपूरक प्रश्न न पूछें ।

श्री के० लकप्पा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सन्तुष्ट नहीं तो आप नियम 155 के अन्तर्गत नोटिस दीजिए इस तरह नहीं । इस प्रश्न पर 12 मिनट लग चुके हैं । मैं अधिक अनुपूरक प्रश्नों के लिए अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री के लकप्पा : आप इस प्रश्न का बचाव क्यों कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न को बचाने का कोई प्रश्न नहीं है । मैं इस प्रश्न के लिए पहले ही 12 मिनट दे चुका हूं ।

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिए । माननीय रतनसिंह राजदा और माननीय वाजपेयी जी खड़े होकर कम्पनी की वकालत कर रहे हैं। यह कम्पनी राजनीति के अन्दर प्रवेश कर रही है ।

(**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : हम इसके लिए सहमत नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 251 । श्री जी० वाई० कृष्णन ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : 12 मिनट से ज्यादा एक सवाल नहीं चला सकता ।

श्री के० लकप्पा : हमें इस पर आधे घण्टे की चर्चा करने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह की मांग नहीं कर सकते । मैं सहमति नहीं दूंगा ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें । मैं अपना काम जानता हूं ।

प्रश्न संख्या 251 ।

बैंकों द्वारा ब्याज की अलग-अलग दरें लिया जाना

* 251. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य के सन्दर्भ में बैंकों के कार्य निष्पादन की जांच की है कि कुछ बैंक विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तथा समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के उद्देश्य से अन्य बैंकों की तुलना में अलग-अलग दर पर ब्याज ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-वित्तमंत्री (श्री मगन भाई बारोट) :

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण—1

विवरण

बैंकों की ब्याज दर ढांचे को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताए गए एक व्यापक ढांचे के अनुसार शासित किया जाता है। उन श्रेणियों के अग्रिमों के सम्बन्ध में जहां रिजर्व बैंक केवल अधिकतम ब्याज दर निर्धारित करता है, बैंक इन अधिकतम सीमाओं के अन्दर अपनी दरें निर्धारित करते हैं और ये दरें रकमें जुटाने के सम्बन्ध में होने वाले खर्च, ऋण के आवंटन तथा उसकी वसूली पर खर्च, शाखाओं के जाल का निर्माण, जन-शक्ति तथा उसके निर्माण आदि पर निर्भर करती हैं। जिन तत्वों के कारण इन दरों के निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है उनके आधार पर एक बैंक से दूसरे बैंक की ब्याज दरों में भिन्नता होती है और इससे अनिवार्यतः इन बैंकों के निष्पादन की गुणवता की झलक दिखाई नहीं देती।

फिर भी, बैंकों द्वारा देहाती इलाकों के कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज दरों में काफी हद तक एकरूपता लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने इस प्रकार के अनेक श्रेणियों के अग्रिमों के संबंध में विशेष रूप से ब्याज दरें निर्धारित की हैं। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले बैंक ऋणों का संबंध है, 2 मार्च, 1981 से लागू होने वाले इस प्रकार की दरों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

यहां यह उल्लेख भी किया जा सकता है कि सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक समाज के कमजोर वर्गों में से सबसे अधिक कमजोर वर्ग के लिए बिभेदी ब्याज दर योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं और इस योजना के अन्तर्गगत वे चार प्रतिशत वार्षिक की एक समान दर से ब्याज लेते हैं। इस योजना के अंतर्गगत दो तिहाई ऋण ग्रामीण तथा अध नगरीय क्षेत्रों के लिए अलग रखे जाते हैं।

विवरण—2

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उधार-ब्याज की दरों का विवरण

(2 मार्च, 1981 से प्रभावी)

एक—		प्रतिशत प्रति वर्ष
	कृषि	
1.	छोटे किसानों को 5000 रुपए तक के (लघु/मध्यम/दीर्घविधि) ऋण।	12·50
2.	5,000 रुपये से अधिक के ऋण	15·00 से अधिक नहीं
	(क) 5·000 रुपये से अधिक और 25,000 रुपये तक	
	(ख) 25,000 रुपये से अधिक	17·50 से अधिक नहीं

दो—

लघु उद्योग

1.	25,000 रु० तक के संमिश्र ऋण	
	(क) पिछड़े क्षेत्र	10·25
	(ख) अन्य क्षेत्र	12·50
2.	अल्पावधि के अग्रिमों की सीमा :	
	(क) 2 लाख रुपए तक तथा इसके समेत	15·00 से अधिक नहीं
	(ख) 2 लाख रुपए से अधिक और 25 लाख रुपए तक।	17.50 से अधिक नहीं
	(ग) 25 लाख रुपए से अधिक	19.50 से अधिक नहीं

तीन—

अन्य श्रेणियां

1.	डी० आर० आई० अग्रिम	4·00
2.	फुटकर व्यापार अग्रिम	
	(क) 5000 रुपए तक की सीमा और इसके समेत	12·50
	(ख) 5000 रुपए से अधिक और 25,000 रुपये तक	15 00 अधिक नहीं
	(ग) 25000 रुपये अधिक	19·50 से अधिक नहीं
3.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जिसका अन्यथा उल्लेख नहीं है	17·50 से अधिक नहीं

चार—

सावधि ऋण

1.	लघु उद्योग	
	(1) लघु उद्योग की नयी परिभाषा में दी गयी यूनिटें	
	(क) पिछड़े क्षेत्र	12·50
	(ख) अन्य क्षेत्र	13·50
2.	कृषि	
	(एक) लघु सिंचाई और भूमि विकास	10·25
	(दो) अन्य प्रयोजनों के लिए	
	(क) छोटे किसान	10·25
	(ख) अन्य किसान	12·50

3.	आवास	
	(एक) अनु० जा०/अनु० जनजाति 5,000 रु० तक और इसके समेत	4·00
	(दो) अन्य लोगों को 5,000 रुपये तक और इसके समेत	12·50
	(तीन) 5,000 रुपए से अधिक और 50,000 रु० तक	13·50
	(चार) 50,000 रुपए से अधिक	15.00
4.	सड़क परिवहन परिचालक	
	(एक) एक गाड़ी	12·50
	(दो) दो या दो से अधिक गाड़ियां	15·00
5.	अन्य सभी सावधि ऋण	15·00

श्री जी० वाई० कृष्णन् : मंत्री महोदय द्वारा सभापटल पर रखे गये विवरण से प्रतीत होता है कि मेरे प्रश्न को ठीक ढंग से नहीं समझा गया है। मेरा प्रश्न कुछ अग्रिम राशियों, प्रत्येक बैंक द्वारा किसानों तथा अन्य उद्यमियों को दिये गये एक ही प्रकार के ऋण के लिये भिन्न दरों पर ब्याज लेने के बारे में है। इसका उत्तर उचित ढंग से नहीं दिया गया है। विभेदी ब्याज दरों की आड़ मे बैंक कृषकों तथा पिछड़े इलाकों से विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को तंग करते आ रहे हैं। विवरण में कहा गया है कि छोटे किसानों से 5000 रुपये तक के ऋण पर 12.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जा रहा है। पिछड़े क्षेत्रों के छोटे उद्योगों से 10.25 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जा रहा है। छोटे किसानों से भी 10 प्रतिशत की ही दर पर ब्याज क्यों नहीं लिया जाता ?

वित्तमंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : ब्याज की दरें, ग्रुप की जरूरतों, अदायगी की क्षमता, उपक्रम की लाभप्रदता आदि-आदि कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुये रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। रिजर्व बैंक इस तरह से यह निश्चित करता है लेकिन 5000 रुपये तक का ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के मामले में ब्याज की दर 12.5 प्रतिशत है। पिछड़े क्षेत्रों के छोटे उद्योगों के मामले में ब्याज दर 10 25 प्रतिशत है। अन्य क्षेत्रों में यह दर 12.5 प्रतिशत है। अतः ऐसा वैज्ञानिक गणना के आधार पर किया जाता है। यदि मेरे मित्र इस बारे में कोई सुझाव दें तो वे मुझे नोट दे सकते हैं और मैं इसे विचारार्थ रिजर्व बैंक को भेज दूंगा।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या सरकार हमें आश्वासन देगी कि बैंकों की 18 प्रतिशत अग्रिम धनराशि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित की जायेगी ? इसी प्रकार ऋणों के मामले में भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों से 4 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों से अन्य उद्देश्यों के लिए भी 4 प्रतिशत ऋण क्यों नहीं लिया जाता ?

श्री मगनभाई बारोट : जैसे कि पहले उत्तर में कहा गया है, उस योजना के अन्तर्गत यह 4 प्रतिशत ब्याज, जिसे विभेदी ब्याज दर कहा जाता है, गरीब से भी गरीब की रक्षा करता

है। अन्य लोगों के लिए शर्त क्या है? अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के लिए भूमि जोतों आदि के मामले में कुछ छूटें हैं। अब ज्यों ही हम इस सुविधा को किसी एक वर्ग पर लागू करते हैं जो संरक्षण दिए गए वर्ग से अधिक तथा आय वाला हो तो सारे लाभ समाप्त हो जायेंगे और लाभ इन्हीं लोगों को पहुंचेंगे और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को हानि होगी।

श्री संतोष मोहन देव : वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि औद्योगिग दृष्टि से पिछड़े राज्यों को 10 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा, लेकिन क्या उन्हें इस बात का पता है कि जिस जिले का मैं निवासी हूं अर्थात् आसाम का कछार जिला, वह एक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है और वहां 14 प्रतिशत तक ब्याज लिया जाता है और वित्त मंत्री के ध्यान में लाये जाने के बावजूद भी अभी तक इस बारे में कुछ नहीं हुआ है। क्या मैं जान सकता हूं कि उस क्षेत्र के लोगों के लिए इस बारे में क्या उपचार हो सकता है?

श्री आर० वेंकटरामन : वित्त मंत्री को एक दूसरा पत्र।

श्री चिंतामणी पाणिग्रही : क्या मैं वित्त मंत्री से जान सकता हूं कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए किस प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की गई है? क्या उनके ध्यान में यह बात लायी गयी है कि हमारे किसानों को बैंक से 100 रुपए का ऋण लेने के लिए 45 रुपएं खर्च करते हैं। उन्हें बहुत परेशान किया जाता है। क्या आपने इस बात की जांच की है ताकि उन्हें इससे अधिक से अधिक सुविधा मिल सके?

श्री मगन भाई बारोट : नई मार्गदर्शी बातों में यह प्रस्ताव किया गया है कि 1000 रुपए तक की राशि के लिए कोई भी गारंटी अथवा जमानत की जरूरत नहीं है और प्रामिसरी के आधार पर लोगों की परेशानियां बहुत कम हो जायेंगी। इसके बावजूद भी यदि किसी वर्ग को परेशानी होती है तो हम माननीय सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे ऐसे मामलों की ओर हमारा ध्यान दिलायें।

एक माननीय सदस्य : हम किसानों को परेशान किए जाने के बारे में क्यों जांच न करें।

साबुन पर उत्पादन शुल्क

* 252. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबुन पर लगने वाला उत्पादन शुल्क अलग-अलग श्रेणी के लिए भिन्न-भिन्न है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने हिन्दुस्तान लीवर द्वारा उत्पादित लाइफबॉय साबुन को किस श्रेणी के अन्तर्गत रखा है और उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय लाइफबाय साबुन का वर्गीकरण, तारीख 24-4-1979 की अधिसूचना संख्या 170/79-के०उ०शु० के साथ पठित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 15 (2) के अन्तर्गत किया जाता है, जिस पर मूल्यानुसार 15 प्रतिशत की दर से मूल उत्पादन शुल्क तथा मूल्यानुसार 3/4 प्रतिशत की दर से विशेष उत्पादन शुल्क लगता है। इसे घरेलू अथवा लान्ड्री से

भिन्न साबुन के रूप में माना जाता है जिसका निर्धारण योग्य मूल्य 7,800/- रुपए प्रति मीट्रिक टन से कम नहीं होता।

श्री पी० के० कोडियन : मंत्री महोदय का उत्तर यह है कि लाइफबाय घरेलू तथा लांडरी साबुन नहीं है। और न ही यह नहाने का साबुन है। उद्योग मंत्रालय के अनुसार साबुन की दो श्रेणियां हैं—घरेलू या लान्ड्री तथा नहाने का साबुन। मुझ यह पता नहीं है कि यह साबुन अर्थात लाइफबाय किस श्रेणी में आता है। (**व्यवधान**)। मैं जानता हूं कि कम्पनी अर्थात हिन्दुस्तान लीवर, जो इस साबुन को बनाती है, ने दावा किया है कि यह एक कार्बोलिक साबुन है। कार्बोलिक साबुन का अर्थ यह है कि इसमें कुछ औषध तत्व, जो चमड़ी के लिए ठीक रहता है, होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि यह पुराने सनलाईट साबुन के इलावा और कुछ नहीं है; इसमें सिर्फ रंग और सुगंध डाली गई है। इसका वर्गीकरण घरेलू अथा लान्ड्री के अतिरिक्त कोई और साबुन के रूप में किया गया है जिसके द्वारा कम्पनी इस साबुन को कार्बोलिक साबुन कह कर जनता को धोखा देती है। मैं मंत्री महोदय (**व्यवधान**) से पूछना चाहता हूं कि क्या इस साबुन का परीक्षण किया गया है। यदि हां, तो इस साबुन के रासायनिक तत्व क्या-क्या हैं—क्या यह एक कार्बोलिक साबुन है, जैसा कि कम्पनी ने दावा किया ?

श्री आर वेंकटरामन : उत्पाद शुल्क विभाग ने उत्पाद शुल्क लगाने उद्देश्य से साबुनों को तीन श्रेणियों में बांटा है, एक श्रेणी में घरेलू और लान्ड्री साबुन आता है जिसके लिए 5 प्रतिशत बुनियादी उत्पाद शुल्क और 0.25 प्रतिशत विशेष उत्पाद शुल्क लगाया जाता है; दूसरी श्रेणी में वे साबुन आते हैं जिनका मूल्य 7800 रुपए प्रति मीट्रिक टन से कम होता है। इसके अतिरिक्त, यह एक सस्ता साबुन है और इसीलिए वही 5 प्रतिशत और 0.25 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। लाईफबाय साबुन सहित सफ अन्य साबुनों के लिए शुल्क की उच्चतम दर अर्थात 15 प्रतिशत है और विशेष उत्पाद शुल्क 0.75 प्रतिशत है। मैं नहीं जानता कि क्या श्री कोडियन इसे कम करना चाहते हैं। हम लाईफबाय साबुन पर अधिकतम शुल्क लगा रहे हैं।

श्री पी० के० कोडियन : मैंने यह प्रश्न यह जानते हुए पूछा है कि सरकार अत्यधिक उत्पाद शुल्क वसूल कर रही है। मैं जानता हूं कि उत्पाद शुल्क देने मात्र से कम्पनी अपनी उत्पादन सूची में एक अन्य किस्म के साबुन को दिखाकर अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने योग्य हो गई है। उद्देश्य यह है। हिन्दुस्तान लीवर साबुन उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने का प्रयत्न करती रही है। हाल में 'डेटरजेंट' उत्पादन के लिए इस कम्पनी ने 20,000 मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त की है। मै मत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कम्पनी ने वास्तविक उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन किया है अर्थात क्या इसका उत्पादन लाईसेंस क्षमता से अधिक हो गया है। उदाहणार्थ कम्पनी के 1979 के तुलनपत्र में अधिष्ठापित क्षमता 78,000 मीट्रिक टन थी और अनुमोदित छूट सहित लाईसेंस शुदा क्षमता 87,000 मीट्रिक टन थी। वास्तविक उत्पादन 1,62,000 मीट्रिक टन था। ये आंकड़े लाईसेंस शुदा क्षमता से बहुत अधिक है।

श्री आर० वेंकटरामन : वित्त मंत्रालय लाईसेंस क्षमता से सम्बन्धित नहीं है। यह विषय

एकमात्र रूप से उद्योग मंत्री के कार्यक्षेत्र में है।

वनस्पति के मूल्य में वृद्धि

* 254. **श्री त्रिलोक चन्द :**

श्री दौलत राम सारण : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्थानीय मार्किट में पिछले एक महीने के दौरान वनस्पति के मूल्य में हुई अत्यधिक वृद्धि का पता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान वनस्पति के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई और उसकी कीमतों में निरन्तर वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसके मूल्यों में वृद्धि को रोकने और इसे उचित स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

उत्पादकों द्वारा लिए जा रहे वनस्पति के मूल्यों में दिसम्बर, 1980 की समाप्ति के करीब वृद्धि हुई थी। सरकार ने वनस्पति उत्पादकों से तुरन्त बातचीत आरम्भ की, जिसके फलस्वरूप उद्योग ने 28-2-81 तक स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण का पालन करना स्वीकार किया। पिछले एक वर्ष के दौरान के समग्र रुख को देखने पर पता चलता है कि वनस्पति के मूल्यों में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसका कारण वनस्पति उत्पादकों द्वारा आदानों की बढ़ी हुई कीमतें बतायी गई हैं; इन आदानों में देशीय तेल भी शामिल हैं, जिनका अधिक मात्रा में उपयोग करना उनके लिए पहली जनवरी, 1981 से अनिवार्य कर दिया गया है। वनस्पति का उत्पादन सन्तोषजनक स्तर पर बना हुआ है और यह आमतौर पर बाजारों में समुचित मात्रा में उपलब्ध है। प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि वनस्पति उद्योग द्वारा कमोबेश, मूल्य नियंत्रण का पालन किया गया है।

सरकार उचित मूल्यों पर तथा पर्याप्त मात्रा में वनस्पति उपलब्ध कराने के बारे में वनस्पति उत्पादकों से अपनी बातचीत जारी रखे हुए हैं और स्थिति की मांग के अनुसार समय-समय पर इस प्रकार के उपयुक्त कदम उठाती रहेगी।

श्री त्रिलोक चन्द : मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि 8 प्रतिशत की वृद्धि पिछले साल में वनस्पति के काम में हुई। लेकिन अभी जो वृद्धि हुई है उस तरीके से जो टिन 192 रुपए का था उस पर प्राइस बढ़ गई 16 रुपए। यह 16 रुपया बढ़ने के माने यह हुए कि एक किलो पर एक आदमी को 1 रुपया 20 पैसा ज्यादा देना पड़ेगा जो सीधे उपभोक्ता पर पड़ता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इसके लिए उन्होंने क्या उपाय किया है और कैसे इसको रोकेंगे जिससे कि उपभोक्ता बच सकें ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : वनस्पति के ऊपर इस वक्त कोई मूल्य का नियंत्रण कानूनी रूप से नहीं लगा है। तो भी हम लोगों ने जो वनस्पति बनाने वाले लोग हैं उनको बुलाकर बात की

और बात करने के अनुसार अभी जो कीमत निर्धारित की गई थी वह घी 192 रुपए साढ़े सौलह किलो के टिन के ऊपर। अब इस कीमत के ऊपर फिर से जोर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो बाहर से तेल आता था जो निर्धारित कीमत पर उन्हें देते थे, पहले 95 प्रतिशत वह तेल हम लोग वनस्पति बनाने वालों को बाहर से मंगाकर देते थे, उसको घटा कर हमने 70 प्रतिशत कर दिया है। चूंकि वनस्पति वालों की अब हिन्दुस्तान में जो तेल बनता है खासकर काटन सीड आयल, उसकी मांग ज्यादा हो गई है तो उसकी कीमत कहीं दो हजार और कहीं डेढ़ हजार प्रति टन अलग-अलग क्षेत्रों में बढ़ गई है जिससे फिर से वनस्पति की उत्पादन-कीमत पर जोर पड़ने लगा तो फिर से मैंने उनकी मीटिंग 12 तारीख को बुलायी है मंत्रालय में। उसमें हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी तरीके से भी कोई मुनाफाखोरी इस बात में न हो और जितना उचित भाव है वही यह उद्योग उपभोक्ताओं से ले, उससे अधिक न ले। इसके लिए हम लोग जो पूरा प्रयास कर सकते हैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके वह कर रहे हैं।

श्री त्रिलोक चन्द : मंत्री जी ने कहा है कि 12 तारीख को मीटिंग बुलायी है। पहले जो जवाब दिया था उसमें यह था कि दिसम्बर के महीने में प्राइस बढ़नी शुरू हुई। उसके पहले 8 प्रतिशत आप ने बता ही दिया। फिर आप ने कहा कि 28 फरवरी तक कोई न कोई जवाब मिल मालिक देंगे। तो मैं जानकारी चाहता हूं कि 28 फरवरी तक मिल मालिकों ने क्या जवाब आप को दिया कीमत बढ़ने के बारे में ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य मेरा जवाब, मैं चाहूंगा कि फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ लें। मैंने कहा था कि उन्होंने जो निर्णय लिया था कीमत का 192 रुपए साढ़े सौलह के० जी० के टिन का वह 28 फरवरी तक लागू था। 28 फरवरी के बाद फिर से उसमें हमें जो संशोधन करना है उसके लिए हम ने उन से कहा है कि संशोधन न करें जब तक कि फिर से मीटिंग न हो जाय। तो वह मीटिंग होने वाली है। उसमें हम लोग इस बात का प्रयास करेंगे कि कीमत बढ़ने से रोकें।

श्री दौलत राम सरन : मैं यह जानना चाहता हूं कि टैरिफ कमीशन के फार्मूले के आधार पर आप जो कीमत निकालते थे वह क्या थी और जब आप 90 या 95 प्रतिशत आयातित आयल देते थे उस समय कीमत क्या थी तथा अब जब 70 प्रतिशत आयातित तेल उन्हें दे रहे हैं तब कीमत क्या है ? कितने प्रतिशत आयल आपने कम दिया और कितने प्रतिशत प्राइस बढ़ी ? क्या तुलनात्मक दृष्टि से यह ठीक है ? एक तो मेरा यह सवाल है।···(व्यवधान)···

दूसरा यह है कि आप के नियंत्रण के अधीन गणेश फ्लोर मिल चल रही है, उसने 4 रुपए 20 पैसे पर—टिन बढ़ा दिए हैं। वह तो आपके नियंत्रण में है, उस ने कैसे बढ़ा दिया ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जो 95 प्रतिशत आयातित तेल हम देते थे तब वनस्पति की कीमत बाजार में 171-172 रूपये प्रति टिन थी। जब हमने आयातित तेल की मात्रा 25 प्रतिशत घटाकर 95 से 70 प्रतिशत कर दी तो उन्होंने 205 से 210 तक की कीमत बढाई जो हम समझते थे सर्वथा गलत है और बात-चीत करने के बाद 192 पर कीमत निर्धारित हुई। जैसा मैंने पहले कहा कि 28 फरवरी तक इसको लागू किया गया था क्योंकि उनका ख्याल था

व किसी को पता नहीं कि बजट में इसके बारे में कोई खास चीज की जायेगी या नहीं इसीलिए यह तारीख तय की गयी थी। चूंकि बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसका इस पर गलत असर पड़े इसलिए हम फिर से बैठ कर इसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं।

श्री एच०के०एल० भगत : यह वनस्पति एक अनिवार्य वस्तु है। वर्तमान वृद्धि का कारण कोई भी हो, सरकार इस मामले में मूल्य निर्धारण पर कानूनी नियंत्रण रखने पर क्यों विचार नहीं कर रही है ? क्या यह विचाराधीन है, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सच है कि वनस्पति एक अनिवार्य वस्तु है और इस विशेष वस्तु की मूल्य वृद्धि से हम बहुत चिंतित हैं और जब आवश्यक समझा जायेगा तब हम निश्चय ही कानूनी नियंत्रण सहित सभी पहलुओं पर विचार करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि इस वनस्पति उद्योग को उस समय प्रोत्साहन दिया गया और शुरू किया गया जब उन्हें ऐसे तेल का उपयोग करना पड़ता था जो पकाया हुआ नहीं होता था, क्योंकि यह तिल के तेल की तरह या कुछ इसी प्रकार का होता है? क्या उन्हें इस बात की जानकारी भी है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कलकत्ता के अनुसंधान के अनुसार वनस्पति स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है ? इसका कारण क्या है कि आज वनस्पति की सप्लाई आयातित तथा देसी तेल, जो वैसे के वैसे इस्तेमाल किया जाता है, के साथ की जाती है ? क्या उनको इस बात की जानकारी भी है कि हिन्दुस्तान लीवर को गाजियाबाद में अपने अहाते के अन्दर मिश्रित तेल के टैंकर के साथ पकड़ा गया ? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या वह वनस्पति के अवयवों और लागत सम्बन्धी एक श्वेतपत्र प्रकाशित करेंगे इससे पहले कि वे···

अध्यक्ष महोदय : आप केवल प्रासंगिक भाग का उत्तर दें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह बात सच है – चिकित्सकों के एक बड़े वर्ग की राय में— वनस्पति स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, लेकिन खतरनाक नहीं और जानवर की चर्बी या घी की तरह समझा जाता है। चिकित्सकों की राय में वनस्पति घी से अधिक हानिकारक नहीं है; यह घी की ही तरह हानिकारक है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : शक्ति। (**व्यवधान**)। असंसदीय नहीं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम साधारणतया यही जानते हैं। मैं विशेषत: इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि यह मुख्यत: स्वास्थ्य मंत्रालय से सम्बन्धित है, वास्तव में उन्हीं के पास इसका प्रकार है। जन्ती सम्बन्धी दूसरे प्रश्न के बारे में हम उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी। आखिरी अनुपूरक प्रश्न।

श्रीज्योतिर्मय बसु : उन्होंने यह नहीं कहा कि वनस्पति क्यों···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे उपलब्ध समय के अनुसार चलना है। (**व्यवधान**) मैं एक प्रश्न के लिए दो मिनट से अधिक समय नहीं दे सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात का उत्तर नहीं दिया। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वनस्पति तेल एक आवश्यक वस्तु है। मैं माननीय संत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वनस्पति निर्माताओं ने दाम बढ़ाने से पहले सरकार से अनुमति ली थी···

श्री ज्योतिर्मय बसु : चन्दा देकर।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या सरकार को पता था कि 28 फरवरी को दाम बढ़ाए जा रहे हैं ? यदि पता था तो सरकार ने उन्हें यह क्यों नहीं कहा कि बैठक तक दाम न बढ़ाए जायें, क्योंकि बैठक 12 मार्च को होने जा रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या दाम बढ़ाने का फैसला वनस्पति निर्माताओं और सरकार की मिली-जुली फैसले करने की वृत्ति में से निकला है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, माननीय वाजपेयी जी के मन में जो डर है, वह सरासर गलत है, ऐसी कोई मिली-जुली बात नहीं है। उन्होंने जो प्रश्न पूछा है, उस संबंध में मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि इसके ऊपर कानूनी नियंत्रण किसी प्रकार का नहीं है और जो विवरण उन्होंने हमारे सामने पेश किया है, जो भी कीमत वनस्पति बनाने वालों ने बढ़ाई है, उसका कारण केवल यही है कि जो देसी-तेल है, उसकी कीमत बढ़ गई है, क्यों वनस्पति इन्डस्ट्री वाले उस तेल को खरीदने लगे है। पहले जो उनको इम्पोर्टेड तेल मिलता था, उसकी मात्रा में 25 प्रतिशत की कमी होने के कारण उनको बाजार में जाकर तेल खरीदना पड़ा और उसकी कीमत बढ़ी है। उसके बाद हम लोगों ने देखभाल करके, चूंकि 28 तारीख को बजट आने वाला था, निर्णय किया कि 192 रु० कीमत उचित होगी, जिसको उन्होंने भी माना और उन्होंने यह भी निवेदन किया कि उसको हम 28 तारीख तक ही लागू रखें और फिर 28 तारीख के बाद जो स्थिति होगी, उस पर फिर चर्चा की जाए, जो कि 12 तारीख को होने वाली है। (इति)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से एक अपील करना चाहता हूं। देखिए, मेरी बात सुनिए---हर एक सवाल की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। सारे मैम्बर्स सवाल पूछना चाहते हैं। मुझे यह बात भी पता है। **(व्यवधान)**···

मैडम, आप मेरी बात सुनिए। आपने यह हाउस चलाना है। मैं आठ मिनट और बल्कि दस-दस मिनट तक भी क्वेश्चन को चलाता रहा हूं। इस को 11 मिनट हो गए हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। **(व्यवधान)**···

आप कोई और मोशन दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री किशोर चन्द---उपस्थित नहीं; प्रो० पी० जे० कुरियन---उपस्थित नहीं। प्रश्न संख्या 256 --श्री बापूसाहिब परुलेकर---उपस्थित नहीं। श्री नवीनरवाणी-उपस्थित नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर : कोई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो पता नहीं है, मुझे सपने में तो नहीं आया कि फलां आदमी होगा, फलां आदमी नहीं होगा।

उत्पादन को निर्यात से जोड़ना

* 258. **श्री जगदीश टाइटलर :**

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्पादन को निर्यात से जोड़ने की दृष्टि से किसी संस्थागत व्यवस्था पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने चुने हुए बाजारों को निर्यात के लिए उत्पादन की व्यवस्था करने हेतु कोई कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारतीय राज्य व्यापार निगम की. अगर आवश्यक हुआ तो प्रौद्योगिकी अन्तरण, विपणन तथा वित्तय सहयोग में सहायता प्रदान करके संयुक्त उद्यमों में भाग लेने के माध्यम से अपने ही व्यापार में निर्यात सप्लाई क्षमता सृजित करने की योजना है । निगम ने साधित खाद्य पदार्थों, समुद्री उत्पादों तथा चमड़ा उत्पादों को निर्यात क्षमता सृजित करने वाले एककों से संवर्धन की मदों के रूप में अभिज्ञात किया है । निगम ऐसे एककों का संवर्धन न केवल पूंजी भागीदारी के जरिए करना चाहता है अपितु अपनी अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार तथा विदेशी कम्पनियों के साथ तकनीकी एवं विपणन सहयोग के जरिए भी करना चाहता है । विदेशी सहयोग की व्यवस्था केवल वहीं की जाएगी जहां निर्यात हेतु उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी तथा जानकारी का आयात आवश्यक है और वहां पर प्रति-क्रय प्रबन्ध संभव हैं । ऐसे संयुक्त उद्यमों अथवा वार योजनाओं की पूंजीगत संरचना के बारे में निर्णय अलग-अलग मामले के आधार पर लिए जायेंगे । राज्य व्यापार निगम ने अब ऐसी परियोजनाओं में सहयोग के लिए जर्मनी, सं० रा० अमरीका, फ्रांस तथा न्यूजीलैंड में स्थित विदेशी पक्षकारों के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है ।

श्री जगदीश टाइटलर : समापटल पर रखे गए विवरण में मुझे अपने तीन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है । इसमें मेरे प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) का आंशिक उत्तर मिलता है लेकिन इसमें (ग) का कोई भी उत्तर नहीं है । प्रश्न का भाग (ग) इस प्रकार है—सरकार घरेलू कमी के बिना निर्यात बढ़ाने तथा मंडियों का पता लगाने के लिए कौन से अतिरिक्त कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मुख्य उद्देश्य हमारे उत्पादन और निर्यात आधार को बढ़ाना है और इस उद्देश्य के लिए राज्य व्यापार निगम प्रयत्न कर रहा है और अन्य कम्पनियों तथा उपक्रमों के साथ भी उत्पादन बढ़ाने, विशेषकर निर्यात के बदले माल खरीदने की शर्तों वाली वस्तुओं के बारे में बातचीत कर रहा है ताकि उनके उत्पादन के अधिकांश भाग का निर्यात हो सके और हम अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकें जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अमरीका के आयात और निर्यात बैंक से ऋण

* 250. श्री राम प्यारे पनिका :

श्री हीरालाल आर० परमार : क्या वित्तमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को जनवरी 1980 से अमरीका के आयात और निर्यात बैंक के ऋण प्राप्त हुए हैं!

(ख) यदि हां, तो वे कितनी राशि के हैं और उनका उपयोग परियोजनागार कैसे किया जाएगा; और

(ग) इनका भुगतान कितनी अवधि में किया जाएगा और उन पर ब्याज की दर क्या है ?

(वित्तमंत्री श्री आर० वेंकटरमन)

(क) से ग : जी, हां । एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

एक स्वीडिश कम्पनी द्वारा भारत में इस्पात संयंत्र स्थापित करने की पेशकश

* 253. श्री चिन्तामणि जैना :

श्री के० मालन्ना : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक स्वीडिश कम्पनी ने भारत में नई प्रौद्योगिकी के साथ एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां तो क्या उन्होंने भारत का दौरा किया है और इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए स्थान का चयन कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) से (ग) : लोहा बनाने की नई प्रक्रियाओं जैसे "प्लाज्मा स्मेल्ट", "इन्रेड" और "एल्रेड" प्रक्रियाओं के बारे में भारत और स्वीडन के शिल्प-वैज्ञानिकों में निरन्तर विचार-विमर्श चल रहा है । स्वीडन की संस्था "बोतीडेन" ने "इन्रेड" प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी भारत को देने में अभिरूचि दिखाई है । विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग 'बोतीडेन' के सहयोग से भारत में 'इन्रेड' प्रक्रिया पर आधारित एक प्रदर्शन संयंत्र की स्थापना की संभावनाओं पर विचार कर रहा है । 'एल्रेड' प्रक्रिया से सम्बन्धित स्वीडन की दो अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सुझाव है कि उनकी प्रौद्योगिकी के परीक्षण करने पर भी विचार किया जाए । लेकिन स्वीडन की किसी फर्म से उनकी प्रौद्योगिकी के आधार पर भारत में इस्पात का एक कारखाना लगाने के बारे में कोई पेशकश नहीं की गई है ।

विवरण

क्रम संख्या	ऋण कर्ता का नाम	करार की तारीख	राशि	प्रयोजन	ब्याज की दर	वापसी अदायगी की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	एजर इण्डिया	17.1.1980	5.0 करोड़ डालर	तीन बोइंग 747 हवाई जहाजों की आंशिक लागत को पूरा करने के लिए	8/3/8 प्रतिशत वार्षिक	6/1/2 वर्ष की रियायती अवधि सहित 10 वर्ष
2.	इण्डियन एअर लाइन्स	9.6.1980	3·5 करोड़ डालर	छः बोइंग 737 हवाई जहाजों की आंशिक लागत को पूरा करने के लिए	(क) 1·946 करोड़ डालर की पहली किस्त पर 8/3/8 प्रतिशत वार्षिक और (ख) 1.554 करोड़ डालर की दूसरी किस्त पर 8/1/2 प्रतिशत वार्षिक	5 वर्ष की रियायती अवधि सहित 10 वर्ष
3.	स्टेट बैंक		85.0	भारतीय आय-	(क) 8 वर्ष से कम	आयात मदों के संविदा-

1	2	3	4	5	6	7
	आफ इण्डिया		लाख डालर ——— 9·35 करोड़ डालर	तकों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किए जाने वाले पूंजीगत उपस्करों के वित्त पोषण के लिए	अवधि के ऋणों पर 7/3/4 प्रतिशत वार्षिक; और (क) 8 वर्ष में वापस किए जाने वाले ऋणों पर 8 प्रतिशत	गत मूल्य के अनुसार 5 से 8 वर्ष (क) 40 लाख डालर तक के मूल्य के संविदाओं के मामले में 5 वर्ष (ख) 40 लाख डालर से अधिक लेकिन 75 लाख डालर से कम मूल्य के संविदाओं के मामले में 7 वर्ष (ग) 75 लाख डालर अथवा उससे अधिक मूल्य के संविदाओं के मामले में 8 वर्ष

भारतीय पटसन निगम द्वारा आंध्र प्रदेश में पटसन की खरीद

* 255. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव :**

श्री पी०के० कुरान : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने चालू वर्ष के दौरान आंध्रप्रदेश मे पटसन के स्टाक की कोई खरीद की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि आन्ध्रप्रदेश में, विशेषकर विशाखापटनम, विजयनगरम, श्री काकुलम और चित्तूर जिलों में कोई निकासी न होने के कारण किसानों के पास पटसन का भारी स्टाक पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) सहकारी समितियों सहित भारतीय पटसन निगम ने 15-2-1981 तक आंध्रप्रदेश में 23,000 गांठों की कुल मात्रा की अधिप्राप्ति की है ।

(ख) तथा (ग) : आंध्रप्रदेश में कीमत समर्थन कार्य, जो फसल के स्वरूप के कारण आमतौर पर विलम्ब से शुरू होते हैं, अभी जारी है । यह पता चला है कि माल की आवक में काफी गिरावट आई है और परिणामस्वरूप कतिपय केन्द्रों में गेस्टा की कीमतें समर्थन स्तर से अधिक बढ़ गई हैं । खरीद केन्द्रों को वे स्थायी निदेश दे दिये गये हैं कि वे किसानों द्वारा बिक्री के लिये पेश की गई मात्राओं को समर्थन कीमत पर खरीदें ।

एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइंस की एयर होस्टेसों तथा स्टीवार्डों की सेवा-शर्तों में विद्यमान असमानता

*256 **श्री बापू साहिब परुलेकर :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में काम करने वाली एयरहोस्टेसों तथा स्टीवार्डों की सेवा-शर्तों में असमानता है, यद्यपि इनकी ड्यूटी एक जैसी है ;

(ख) उड़ानों पर स्टीवार्डों और एयर होस्टेसों द्वारा किस प्रकार ड्यूटी दी जाती है;

(ग) स्वीटवार्डों तथा एयर होस्टेसों की सेवा निवृत्ति आयु का निर्णय करने के लिये किस मानदण्ड को ध्यान में रखा जाता हैं ;

(घ) क्या एयर होस्टेसों के प्रतिनिधियों द्वारा सरकार को कोई शिकायत-याचिका प्रस्तुत की गयी थी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(च) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार उक्त असमानता को दूर करने हेतु अब कोई कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइंस में विमान परिचारिकाओं की सेवा-निवृत्ति

की आयु 35 वर्ष है परतु विमान परिचारिका के उपयुक्त एवं शारीरिक तौर पर स्वस्थ होने की स्थिति में इस आयु-सीमा को बढ़ाकर 40 वर्ष किया जा सकता है तथा फ्लाइट स्टीवर्ड की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष है जिसमें यह व्यवस्था है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा फ्लाइट स्टीवर्ड को तीन महीने का नोटिस देकर 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी सेवा-निवृत्त किया जा सकता है। विमान परिचारिका 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अथवा शादी करने पर, यदि यह शादी सेवा-काल के चार वर्ष के अन्दर-अन्दर हो जाती है, अथवा प्रथम गर्भ-धारण करने पर, जो भी पहले हो सेवा-निवृत्ति हो जाती है।

(ख) : आपातकालीन प्रक्रिया के आधुनिकतम ज्ञान तथा आपात—कालीन उपरणों के प्रयोग की पूर्ण जानकारी के अलावा, उन्हें यात्रियों को भोजन-जलपान परोसना होता है तथा यह भी सुनिश्चित करना होता है कि यात्रियों की यात्रा सुखद हो। परन्तु, विमान परिचारिकाओं के मुख्य कर्तव्य हैं— यात्रियों को भोजन-जलपान परोसना ; यात्रियों की सुविधा एवं आवश्यकताओं का ध्यान रखना ; उड़ान के दौरान जन संपर्क के दायित्व का निर्वाह करना ; उड़ानों में घोषणाएं करना ; और इनके अलावा वस्तुओं की बिक्री करने में स्टीवर्डों की सहायता करना :

(ग) : औरों की तरह स्टीवर्डों की भी सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष ही है। विमान परिचारिकाओं की सेवा-निवृत्ति की कम आयु रखने का कारण यह है कि उनके कार्य की कुछ पूर्वापेक्षाएं हैं जैसे चुस्त और फुर्तीला शरीर, स्वच्छ एवं सुपरिष्कृत देशभूषा और सेवा कुशलता।

(घ) : जी, हां।

(ङ) और (च) : इस व्यवस्था को कारपोरेशनों की कुछ विमान परिचारिकाओं ने चुनौती दी है तथा मामला न्यायाधीन है। इसलिए जब तक इन मामलों अन्तिम रूप से निपटान नहीं हो जाता, इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं है।

बैंकों द्वारा आवासीय ऋण

257 **श्री नवीन रवाणी :**

क्या **वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरेली, राजकोट तथा भावनगर जिला में लोगों तथा आवासी समितियों और अन्य निकायों को वित्तीय ऋण प्रदान करने के काम में राष्ट्रीयकृतबैंकों का कार्यकरण अच्छा नहीं रहा है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार की नीति यह है कि आवास की कमी को दूर करने के लिए लोगों को, आवास समितियों तथा अन्य विभिन्न एजेन्सियों को अधिकाधिक वित्तीय ऋण तथा सहायता दी जाये; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान नियमों तथा विनियमों को उदार बनाने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ताकि आवासीय ऋण पूर्णरुपेण, सुगमता तथा निर्बाधरूप से दिये जा सकें ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट)

(क) से (घ) :

भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना प्रणाली "आवास" को दिए जाने वाले बैंक ऋणों के बारे में जिलेवार सुचना एक क्षेत्र के रूप में इकट्ठी नहीं करती। तथापि, वाणिज्यक बैंकों के सीमित संसाधनों पर अर्थव्यवस्था के प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादक क्षेत्रों की समूची प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आवासों के लिए निजी व्यक्तियों, आवासीय समितियों आदि को बैंकों से ऋण की मात्रा का कम होना अवश्यभावी हैं, फिर भी, तह स्वीकार किया गया है कि आवास निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए बैंकिंग प्रणाली से ऋण सहायता अधिक से अधिक संतुलित मात्रा में ही हो सकती है क्योंकि इसका अधिकांश भाग हुडको तथा राज्य आवास बोर्डों के बंधपत्रों (बांडों) और ऋणपत्रों (डिबेंचरों) में पूंजी निवेश के रूप में लगा हुआ है। इस समय, इस नीति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

हरियाणा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

* 259. **श्री चिरंजीलाल शर्मा :**

क्या **वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1980 के दौरान हरियाणा में छोटे किसानों के लाभ के लिए गांवों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गईं; और

(ख) वर्ष 1980 के दौरान हरियाणा में उन शाखाओं के पास कितनी-कितनी धनराशि जमा की गई और उन्होंने कितनी-कितनी धनराशि के ऋण दिए ?

वित्त मंत्रालय में उपवित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट)

(क) वाणिज्यिक बैंकों ने वर्ष 1979 में, हरियाणा में 47 शाखाएं खोलीं जिनमें से 20 ग्रामीण केन्द्रों में थीं।

(ख) 1980 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। इसके अलावा, आंकड़े संकलित करने की रिजर्व बैंक की प्रणाली के अनुसार विभिन्न वर्षों में खोली गयीं शाखाओं के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों को दिखाने से यह पता चलता है कि जून, 1979 के अंत की स्थिति के अनुसार इन बैंकों की ग्रामीण शाखाओं ने जमा के लिए 92 करोड़ रुपए की राशि जुटाई थी और इनके द्वारा दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि 62 करोड़ रुपए थी।

राजस्थान राज्य को गेहूं और चीनी की सप्लाई

* 261. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :**

श्री मूल चन्द डागा :

क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किन-किन आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जाती है;

(ख) क्या राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने के लिए उसे केन्द्र द्वारा दिया जा रहा गेहूं और चीनी का कोटा राज्य की जनसंख्या के अनुरूप नहीं है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में गेहूं और चीनी के प्रतिव्यक्ति कोटे में कमी की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या राजस्थान को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने के लिए दिया जाने वाला चावल अन्य राज्यों की तुलना में बहुत घटिया किस्म का है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)

(क) से (ङ) :

राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आमतौर पर लेवी चीनी, गेहूं, मिट्टी के तेल, खाद्य तेल तथा कंट्रोल के कपड़े जैसी वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है।

अगस्त, 1980 तक, राजस्थान को गेहूं का आबंटन राज्य सरकार की मांग के अनुसार किया गया। यह देखा गया कि आबंटन की तुलना में गेहूं की मात्रा कम उठाई गई। गेहूं की कठिन स्थिति, जो देश में 1980 के मध्य में पैदा हुई, के कारण अगस्त, 1980 से राज्य सरकारों, जिनमें राजस्थान भी शामिल है, को सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा रोलर फ्लोर मिलों के लिए किए जाने वाले गेहूं के आबंटन को सुव्यवस्थित किया गया, जिससे कि उठाई जाने वाली मात्रा के लगभग ही आबंटन किया जाये। तदनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों, जिनमें राजस्थान भी शामिल है, के लिए गेहूं के आबंटन में कमी की गई। राजस्थान सरकार से मिली सूचना के अनुसार, प्रति यूनिट 3 कि० ग्रा० गेहूं दिया जा रहा है। मार्च, 1981 से राजस्थान को गेहूं का आबंटन बढ़ा दिया गया है। चावल के मामले में स्थिति सहज रही है और इसका पर्याप्त आबंटन किया गया।

राजस्थान को, उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु 12,757 मी० टन चीनी का मासिक कोटा आबंटित किया जा रहा है। यह कोटा 1-4-78 को 3 करोड़ की अनुमानित आबादी पर आधारित किया गया है, ताकि प्रति व्यक्ति 425 ग्राम चीनी प्रति मास सुनिश्चित की जा सके। देश में इसकी उपलभयता की कठिन स्थिति के कारण, विभिन्न राज्यों के मौजूदा मासिक कोटे में वृद्धि करना सम्भव नहीं हो सका है।

भारतीय खाद्य निगम को स्थायी निर्देश दिए गए हैं कि वे अच्छे चावल जो उचित औसत किस्म के हों, सप्लाई करें। भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित दर की दुकानों के दुकानदारों को इस बात की पूरी-पूरी सुविधा दी जाती है कि वे गोदाम से सुपुर्दगी लेने से पहले स्टाक की क्वालिटी देख लें।

सरकारी कामों के लिए हिन्दी का प्रयोग

* 262 श्री रामावतार शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उपयोग के बारे में राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अन्तर्गत क, ख, और ग राज्यों के लिए कोई वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है;

(ख) क्या यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय को निर्यात रूप से मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1980 के लिए राज्यों की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपर्युक्त कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई प्रयास किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1980 के दौरान राज्यों की उपर्युक्त श्रेणी में सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उपयोग की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट)

(क) और (ख) : जी, हां।

(ग) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

क्षेत्र "क" के राज्य

1. विहित प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रयोग।
2. विनिदिष्ट प्रयोजनों के लिए हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग।
3. क्षेत्र "क" में स्थित कार्यालयों को देवनागरी में तार भेजना।
4. हिन्दी (देवनागरी) टाइपराइटरों की व्यवस्था।
5. अधीनस्थ सेवाओं और पदों में भर्ती की परीक्षा में अनुकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का ऐच्छिक प्रयोग।
6. प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण देने के लिए माध्यम के रूप में हिन्दी के ऐच्छिक प्रयोग की व्यवस्था।
7. विभिन्न विभागीय परीक्षाओं में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का ऐच्छिक प्रयोग।
8. कुछ चुने गए नगरों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए गहन उपाय किया जाना।
9. आदेशों, अनुदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से चैक-प्वाईंट्स स्थापित करना।
10. कार्यालयों का निरीक्षण।

क्षेत्र "ख" के राज्य

1. हिन्दी टाइपराइटरों की व्यवस्था।
2. करारों, संविदाओं और निविदा प्रारूपों आदि के लिए हिन्दी और अंग्रेजी का प्रयोग।
3. भारत में हस्ताक्षर की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को हिन्दी

और अंग्रेजी दोनों में तैयार किया जाना ।

4. कतिपय विनिष्दिट नगरों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सम्मिलित प्रयास ।

5. राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को राजपत्र में अधिसूचित किया जाना ।

6. उन राज्यों में, जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के साथ पत्राचार के प्रयोजन के लिए हिन्दी को अपनाया है, स्थित केन्द्रीय सरकार के कायालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना ।

7. प्रेस विज्ञप्ति आदि को हिन्दी और अंग्रेजी द्रोनों में जारी करना ।

8. सरकारी विज्ञापन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किए जाएं ।

9. उन कंपनियों/नियमों द्वारा हिन्दी का प्रयोग जो केन्द्रीय सरकार के स्थायित्व में हैं या उसके नियंत्रणाधीन हैं ।

10. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन ।

क्षेत्र "ग" के राज्य

1. हिन्दी टाइपराइटरों की व्यवस्था ।

2. करारों, संविदाओं और निविदा प्रारूपों आदि के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग ।

3. भारत में हस्ताक्षर किए जाने वाली सभी अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किया जाना ।

4. राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को राजपत्र में अधिसूचित किया जाना ।

5. मुख्यालय के अधिकारियों (अर्थात् शाखा अधिकारी और हिन्दी सैल के अन्य अधिकारियों) द्वारा नियमित अंतरालों पर कार्यालयों का निरीक्षण किया जाना ।

6. प्रेस विज्ञप्तियों आदि को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी करना ।

7. विज्ञापनों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी करना ।

8. अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा क्रियान्वयन समिति के कृत्यों को बढ़ाया जाना ।

ऋण सुधिओं के बारे में चोरे समिति का प्रतिवेदन

253 **श्री एच० एन० गोडा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण सुविधाओं के बारे में चोरे समिति के प्रतिवेदन के संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट)

(क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

कार्यकारणी दल की सिफारिशों के आधार पर, जिसने "नकदऋण" प्रणाली की समीक्षा की थी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में सरकार को तथा भारतीय रिजर्व बैंक को भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । मोटे तौर पर इन अभ्यावेदनों का सम्बन्ध इन बातों से है—जैसे, ऋणकर्ताओं द्वारा कार्यकारी पूंजी के लिए अपेक्षाकृत अधिक अंशदान दिए जाने के कारण उनके उत्पादन तथा उनके और विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव, अधिक कामकाज तथा कम कामकाज के मौसम के लिए ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के निर्धारण में कठिनाइयों, अप्रत्याशित आकस्मिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में उच्चतर ब्याज दरों पर तदर्थ सीमाओं की व्यवस्था के कारण ऋणकर्ताओं को होने वाली कठिनईयों, लेखापुस्तक में खर्च के समायोजन के आधार पर नकद ऋण सीमा के स्थान पर हुण्डी वित्त पोषण सीमा का परिचालान करने में होने वाली सम्भावित समस्यायें, पेचीदी तिमाही विवरणियों को संकलित करने में कठिनाइयां और इन विवरणियों के प्रस्तुत न किए जाने पर अनुमानित दण्ड ।

नकद ऋण प्रणाली को विनयमित करने के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई हिदायतें मुख्यतः उन बड़े ऋणकर्ताओं पर लागू होती हैं जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे समुचित ऋण आयोजना को हाथ में लेने की स्थिति में होंगे और जिनके पास नियमित आधार पर अपने कारबार के संचालनों के सम्बन्ध में निगरानी रखने के लिए एक सूचना प्रणाली होगी। सीमित बैंक राशियों के सम्बन्ध में प्रतियोगी मांगों की समग्र प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए यह भी वांछनीय समझा गया है कि इस प्रकार के ऋणकर्ताओं (रूग्ण एककों को छोड़कर) को बैंकिंग प्रणाली पर निर्भरता में कुछ हद तक कमी की जाए । यदि कोई ऋणकर्ता न्यूनतम अंशदान की आवश्यकता को तत्काल पूरा करने की स्थिति में नहीं है तो अतिरिक्त राशि को कार्यकारी पूंजी विषयक सावधि ऋण माना जाता है जिसकी वापसी अदायगी 5 वर्षों से अनधिक अवधि में की जा सकती है। इसलिए इस उपाय से उत्पादन में कोई रूकावट पड़ने की सम्भावना नहीं है । किन्हीं विनिदिष्ट एककों की विशिष्ट समस्याओं, तदर्थ सीमाओं की मन्जूरी के सम्बन्ध में निर्धारित की जाने वाली शर्तों, अधिक कामकाज और कम काजगात के मौसमों के लिये सीमाओं के निर्धारण, हुण्डी सम्बन्धी सीमाओं आदि के द्वारा लेखा पुस्तकों में खर्च के समायोजन के स्थान पर नकद ऋण सीमाओं के प्रतिस्थापन की समस्याओं को हमेशा ऋणकर्ताओं और उन के बैंकों द्वारा प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर पारस्परिक विचार विमर्श के द्वारा दूर किया जा सकता है ।

अनुबन्ध

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित ब्याज दरों (2 मार्च, 1981 से लागू होने वाली) का विवरण) ।

		प्रतिशत वार्षिक
1.	कृषि	
	1. छोटे किसानों को 5000 रुपये तक के (अल्पावधिक, मध्यावधिक और दीर्घावधिक) ऋण ।	12·50
	2. 5000 रुपये से अधिक के ऋण	
	(क) 5000 रुपये से अधिक और 25000 रु० तक	15·00 से अनधिक
	(ख) 25000 रुपये से अधिक	17·50 से अनधिक
2.	लघु उद्योग	
	1. 25000 रुपए तक मिश्रित ऋण	
	(क) पिछड़े क्षेत्र	10·25
	(ख) अन्य क्षेत्र	12.50
	2. अल्पावधिक अग्रिम-निम्नलिखित सीमाओं तक	
	(क) 2 लाख रुपये तक और उसके समेत	15.00 से अनधिक
	(ख) 2 लाख रुपए से अधिक तथा 25 लाख रु० तक	17.50 से अनधिक
	(ग) 25 लाख रुपए से अधिक	19·50 से अनधिक
3.	अन्य श्रेणियां	
	1. विभेदी ब्याज दर अग्रिम	4·00
	2. खुदरा व्यापार अग्रिम	
	(क) 5 हजार रुपए तक की सीमाएं तथा इसके समेत	12.50
	(ख) 5 हजार रुपए से अधिक तथा 25 हजार रु० तक	15.00 से अनधिक
	(ग) 25 हजार रुपये से अधिक	17.50 से अनधिक
	3. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जिनको अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो ।	17.50 से अनधिक
4.	सावधिक ऋण	
	1. लघु उद्योग की नई परिभाषा के अनुसार एककें	
	(क) पिछड़े क्षेत्र	12.50
	(ख) अन्य क्षेत्र	13.50
	2. कृषि	
	1. लघु सिंचाई और भूमि विकास	10.25
	2. अन्य प्रयोजन	
	(क) छोटे किसान	10.25
	(ख) अन्य किसान	12.50

3. आवास

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 5000 रु० तक और इसके समेत ।	4.00
(2) अन्य-5000 हजार रुपये तक और इसके समेत	12.50
(3) 5000 हजार रुपए से अधिक तथा 50000 हजार रुपये तक	13.50
(4) 50000 रुपए से अधिक	15.00
4. सड़क परिवहन चालक	
(1) एक वाहन	12.50
(2) दो अथवा अधिक वाहन	15.00
5. सभी अन्य सावधि ऋण	15.00

मत्स्य नौकाओं के लिए बीमे के प्रीमियम की ऊंची दरें

* 264. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार को मत्स्य नौकाओं के लिए राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों द्वारा उच्च दर पर वसूल किए जा रहे बीमे के प्रीमियम के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नौकाओं के स्वामियों पर उच्च बीमे की दरों के नाजायज भार को कम करने की सम्भावना का अध्ययन कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट)

(क) जी, हां ।

(ख) प्राप्त अभ्यावेदन साधारण बीमा निगम के विचारार्थ उसे भेज दिया गया है ।

कपड़ा बनाने की मशीनरी का शुल्क रहित आयात

* 265. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधुनातन कपड़ा बनाने की मशीनरी के शुल्क रहित आयात करने के लिए इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई योजना स्थगित कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)

(क) तथा (ख) मामला विचाराधीन है ।

पारादीप इस्पात संयंत्र

* 266. **श्री चित्त बसु** :

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** समुद्र-तट पर स्थापित किए जाने वाले इस्पात संयंत्रों के

स्थापना स्थल के सम्बन्ध में 5 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2737 के अपने उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित पारादीप इस्पात संयंत्र के लिए विदेशी तकनीकी और वित्तीय सहायता की शर्तों के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का ब्योरा क्या है; और

(ग) परियोजना पर काम कब तक प्रारम्भ होने की आशा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)

(क) और (ख) जी, नहीं। पूर्व निर्धारित तकनीकी प्राचतों और उपयुक्त तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम शर्तों के आधार पर संशोधित पेशकशें चार पार्टियों वामतः पश्चिमी जर्मनी के मेससं मैनसमैन डेमाग, ब्रिटेन के मैसर्स डेवी मैकी, कनाडा के मेसर्स मेटकेम तथा रूमानिया के मैसर्स यूजीन—एक्सपोर्टइम्पोर्ट से प्राप्त हुई हैं और उन्हें 2-3-81 को खोला गया है।

(ग) यद्यपि इस प्रक्रिया पर शीघ्र कारंवाई करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं तथापि यह इन पेशकशों के मूल्यांकन के संदर्भ में इस समय इन पार्टियों के साथ चल रही वातचीत के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

चाय के व्यापार में अवैध लेन-देन के बारे में शिकायतें

* 267. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री रशीद मसूद :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में चाय के व्यापार में व अवैध लेन-देन के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें किस प्रकार की हैं;

(ग) इस कारण सरकार को कितनी हानि हुई; और

(घ) चाय के अवैध व्यापार की रोकथाम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)

(क) चाय बोर्ड को देश में चाय व्यापार में अवैध लेन-देन के बारे में कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं मिली हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा चीनी मिलों को वित्त दिया जाना

* 2401. **श्री राम चन्द्र रथ :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 1978-79 और 1979—80 के दौरान वित्त पोषित की गई चीनी मिलों की संख्या क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान उड़ीसा की चीनी मिलों के नाम क्या हैं, जिन्हें यह वित्त दिया गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट)

(क) से (ग) 1978-79 (जुलाई से जून तक) तथा 1979-80 (जुलाई से जून तक)

(क) से (ग) 1978-79 (जुलाई से जून तक) तथा 1979-80 (जुलाई से जून तक) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एम० सी० आई०) द्वारा जिन चीनी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी, उनकी संख्या क्रमशः 5 और 8 थी। उपर्युक्त अवधि के दौरान, इस निगम को उड़ीसा की किसी भी चीनी परियोजना से वित्तीय सहायता के लिए न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही इस अवधि के दौरान उड़ीसा की चीनी मिल को कोई सहायता स्वीकृत की है।

उड़ीसा के क्योंझर जिले में बोलानी ओर्स लिमिटेड के कर्मचारी

* 2402. **श्री हरिहर सोरण :**

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में क्योंझर जिले में बोलानी ओर्स लिमिटेड के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या कर्मचारियों की नियुक्ति के समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो बोलानी ओर्स लिमिटेड में अनुसूचित जाति, आदिवासी और गैर-आदिवासी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)

(क) 1-1-81 को बोलानी ओर्स लि० में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार थी—

श्रेणी—क	48
श्रेणी—ख	164
श्रेणी—ग (सफाई कर्मचारी शामिल नहीं हैं)	1030
श्रेणी—ग (सफाई कर्मचारी)	35
	1277

(ख) जब से सरकार ने इस कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है तब से कम्पनी भर्ती में आरक्षणों के बारे में सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन कर रही है।

(ग) 1-1-81 को बोलानी ओर्स लि० में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा गैर आदिवासी कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार थी—

अनुसूचित जाति के कर्मचारी	197
अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी	258
गैर आदिवासी कर्मचारी	822
(अनुसूचित जाति के कर्मचारी शामिल नहीं हैं।	
	1277

मलेयशिया द्वारा निर्माण कार्यों हेतु मांगे गये विश्वव्यापी टेंडर

2403. **श्री जो० एम० बनातवाला** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मलयेशिया द्वारा निर्माण कार्यों हेतु मांगे गये विश्वव्यापी टेंडरों की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन टेंडरों को भारत के लिये लेने तथा मलयेशिया के साथ आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) : मलेयेशिया स्थित भारत के उच्चायुक्त उस देश में जारी किए टेंडर नोटिस इच्छुक पार्टियों की जानकारी के लिए ट्रेड जनरल में प्रकाशित करने के लिए संपादक, इन्डियन एक्सपोर्ट सर्विस बुलेटिन भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली को भेजते हैं। ये टेंडर नोटिस संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों तथा व्यापार एसोसियेशनों को भी अग्रेषित किए जाते हैं। उच्चायुक्त टेंडर दस्तावेजों को भरने, प्रस्तुत करने के लिए सभी सम्भव सहायता ही नहीं देते अपितु संविदाएं प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं। दोनों देशों की सरकारों ने आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से एक आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग करार सम्पन्न किया है।

धान की वसूली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों को आवंटित की गई राशि

2404. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धान की वसूली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1980-81 के दौरान राज्यों को कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपलब्ध की गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा राज्य को इस प्रयोजन के लिए 1980-81 के दौरान अधिक धनराशि देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो धान की वसूली सम्बन्धी कार्य के लिए आवंटन में वृद्धि करने के बाद उड़ीसा को कुल कितनी धनराशि दिए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चालू (1980-81) खरीफ के मौसम में धान समेत खाद्यान्नों की वसूली के लिए विभिन्न राज्यों, उनकी एजेंसियों को आवंटित कुल राशि 504.13 करोड़ रुपये हैं।

(ख) और (ग) : उड़ीसा की सरकार ने चालू खरीफ के मौसम में खाद्यानों की वसूली के लिए 24 करोड़ रुपये की ऋण सीमा के लिए अनुरोध किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू में पहली दिसम्बर, 1980 को 15 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मंजूर की थी और बाद में राज्य सरकार के अनुरोध पर 20 जनवरी, 1981 को इसे बढ़ाकर 24 करोड़ रुपये कर दिया गया था। यह सीमा मार्च 1981 के अन्त तक वैध होगी। 6 फरवरी, 1981 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा सरकार को स्वीकृत ऋण सीमा के सम्बन्ध में उक्त सरकार की बकाया राशि 17.34 करोड़ रुपये थी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात और निर्यात किये गये माल का मूल्य

2405. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये गये माल का मूल्य क्या है और किन-किन वस्तुओं का आयात किया गया ; और

(ख) उक्त अवधि में विदेशों को कौन-कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1978-79 तथा 1979-80 के दौरान राज्य व्यापार निगम के आयात

लागत सीमा भाड़ा मूल्य करोड़ रु०

मद	1978-79	1979-80
खाद्य तेल	306.6	610.5
अखबार का कागज	74.0	151.6
अखाद्य तेल तथा वसा	9.0	11.0
सीमेंट	83.8	92.4
छपाई का सफेद कागज	6.3	36.7
विस्फोटक पदार्थ	2.2	9.8
प्राकृतिक रबड़	23.6	23.0
ऊनी चिथड़े	3.7	6.5
पटसन की बोरियां	—	7.1
अन्य	14.8	10.8
योग	524.0	960.0

1978-79 और 1979-80 के दौरान राज्य व्यापार निगम के निर्यात

एफ० ओ० बी० मूल्य करोड़ रु० में

मदें	1978-79	1979-80
एटसन माल	21.0	22.4
काफी	82.2	90.8
मसाले	7.9	11.2
तम्बाकू	3.8	12.3
मूंगफली निस्सारण	4.2	71.2
अफीम	6.4	7.8
चमड़ा	8.6	11.6
निर्माण सामग्री	2.1	2.6
उपभोक्ता उत्पाद	3.3	3.8
जूते का चमड़ा	3.3	6.3
जूते के संघटक	10.2	8.2
तैयार चमड़ा	14.6	12.4
आर्ध साधित चमड़ा	113.0	112.0
अरण्डी का तेल	30.0	52.0
चांदी	104.9	2.6
सीसा	6.9	26.6
चीनी	131.0	128.9
आर०एस०जी०	3.6	5.2
अन्य	32.1	33.8
योग	590.0	621.0

अयस्क शोधन प्रयोगशालाएं स्थापित किया जाना

2406. **श्री के० प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ अयस्क शोधन प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों की संख्या और नाम क्या हैं जहां ये अयस्क-शोधन प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी ;

(ग) क्या इस प्रकार की कोई प्रयोगशाला उड़ीसा में स्थापित की जाएगी ;

(घ) यदि हां, तो इन प्रयोगशालाओं को कब स्थापित किया जाएगा ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) दो प्रयोगशालाएं—एक अजमेर में और दूसरी बंगलौर में लगाने का विचार है। अजमेर में अयस्क शोधन तथा प्रायोगिक संयंत्र सुविधाएं वर्तमान वर्ष में और बगलौर में 1982 के अन्त तक चालू हो जाने की संभावना है ।

(ग) जी नहीं । भुवनेश्वर (उड़ीसा) में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला पहले से काम कर रही है । इस प्रयोगशाला का एक महत्वपूर्ण कार्य अयस्क शोधन और खनिज परिष्करण से सम्बन्धित है ।

(घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठता ।

मलंगटोली और बांसपाणी बार्जमंडा लौह अयस्क खानों का विकास

2407. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने मलंगटोली और बांसपाणी-बार्जमडा लौह-अयस्क खानों के विकास के लिये अब तक क्या उपाय किये हैं और छठी पचवर्षीय योजना में इस भारी लौह-अयस्क भण्डार के विदोहन के लिये क्या योजनाएं और प्रस्ताव हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा पारादीप से निर्यात के लिये सभी क्षेत्रों से भारी मात्रा में लौह-अयस्क न उठाये जाने के कारण गत दस वर्षों से उड़ीसा में खनन कार्य रुके हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो अयस्क को उठाने की समस्या का समाधान करने के लिये लौह-अयस्क के एक-मात्र खरीददार खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है, और

(घ) इसके लिये सरकार और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रस्तावित कार्यक्रम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा नवम्बर, 1972 से दिसम्बर, 1976 तक तीन संहत और निकटवर्ती ब्लाकों में मलंगटोली के निक्षपों की खोज का कार्य किया गया था तथा एक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई थी । चूंकि देशीय उपयोग अथवा निर्यात के लिए कोई विशिष्ट मांग नहीं थी अत: मलंगटोली के निक्षेपों का और आगे विकास नहीं किया जा सका । बांसपानी—बड़ाजमदा क्षेत्र में बहुत सी खानें हैं जिनमें से घरेलू खपत और निर्यात के लिये लौह-अयस्क निकाला जाता है । छठी पंचवर्षीय योजना में मलंगटोली और बांसपानी-बड़ाजमदा निक्षेपों के विकास के बारे में कोई योजना नहीं रखी गई है ।

(ख) वर्ष 1975-79 की अवधि में उड़ीसा से लौह-अयस्क का औसतन वार्षिक उत्पादन 73 लाख टन था जबकि वर्ष 1970-74 की अवधि में औसतन वार्षिक उत्पादन 61 लाख टन था । यह कहना ठीक न होगा कि उड़ीसा में अयस्क खटान की गति रूक गई है ।

(ग) और (घ) : खनिज तथा धातु व्यापार निगम निर्यात और इस्पात कारखानों दोनों

के लिए बांसपानी—बड़ाजमदा क्षेत्र से लौह-अयस्क खरीद रही है। रेल द्वारा काफी लम्बी दूरी तक ढुलाई और बन्दरगाह की क्षमता सीमित होने के कारण पारादीप से लौह-अयस्क का निर्यात करना खनिज तथा धातु व्यापार निगम के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है। बन्दरगाह में सीमित ड्राफ्ट के कारण विदेशी खरीददार विशाखापत्तनम और मद्रास जैसी बड़ी बन्दरगाहों की तुलना में पारादीप से अयस्क ले जाने के लिए तैयार नहीं हैं। चूंकी इस्पात कारखाने अपने रक्षित स्रोतों पर अधिक निर्भर हैं अत: उनके द्वारा खरीद की मात्रा भी निश्चित नहीं है। इन कारणों से और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास भारी स्टाक उपलब्ध होने के कारण इसे इस क्षेत्र से लौह-अयस्क की प्राप्ति पर रोक लगानी पड़ी। फिर भी सामाजिक दृष्टिकोण से खनिज तथा धातु व्यापार निगम अभी तक पिछले वर्ष के दौरान अपने सम्भारकों द्वारा वितरित मात्रा के आधार पर इस क्षेत्र से अभी भी लौह-अयस्क की खरीद कर रही है। यद्यपि इस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में लौह-अयस्क के अपक्रय के लिये प्रयास जारी रहेंगे तथापि अपक्रय बहुत हद तक भारी मांग पर निर्भर करेगा।

असम में पर्यटन विकास

2408. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम राज्य में पर्यटन विकास के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) असम में पर्यटन विकास की सम्भावना का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने काजीरंगा वन्य जीव विहार स्थल में 24 डबल बैड रूम वाले एक फारेस्ट लॉज का निर्माण किया है। काजीरंगा और मानस वन्य जीव विहार स्थलों के लिए मिनी बसों के रूप में परिवहन सुविधाओं और वन्य जीवों को देखने के लिए काजीरंगा के लिए प्रशिक्षित हाथियो की व्यवस्था की गई है। काजीरंगा और मानस के लिए सचालित दृश्यावलोकन यात्राओं का परिचालन करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम ने गौहाटी में एक ट्रांसपोर्ट यूनिट की स्थापना की है।

(ख) और (ग) असम में पर्यटन विकास के लिए केन्द्रों को अभिनिर्धारित करने हेतु और स्कीमें निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने हाल ही में असम का दौरा किया। राज्य सरकार के पर्यटक अधिकारियों के साथ इस माह होने वाली बैठक में जब ब्यौरों को अन्तिम रुप प्रदान किया जाए, तभी असम में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और वहां पर्यटक यात्रा परिपथों के विकास के सम्बन्ध में इस दल की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

तेलों और तिलहनों की अन्तर्राज्यीय आवाजाही

2409. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने गुजरात राज्य को कहा है कि वह मूंगफली के उत्पा-

दन के 70 प्रतिशत भाग को राज्य में रखने के कथित कदम का पुनरीक्षण करे ;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस बात की जांच की है कि खाद्यान्न तेलों की कीमतों में हाल की वृद्धि प्राय: राज्य सरकार के प्रस्ताव के कारण है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने गुजरात सरकार से कहा है कि वह राज्यों के बीच तेल तथा तिलहनों के निर्बाध परिवहन को पुन: अनुमति देने के लिए कदम उठाये ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री) बृजमोहन महन्ती) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां, गुजरात सरकार ने तेल तथा तिलहनों के निर्बाध अन्तर-राज्यीय संचलन पर से प्रतिबन्ध हटा लिये हैं ।

लौह अयस्क का बत्पादन

2410. **श्री आर० एन० राकेश :**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को पैट्रोल के अतिरिक्त अन्य कच्चे माल के लिए भी विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में तावें, सीसे और जस्ते जैसी आवश्यक औद्योगिक धातुओं की उत्पादन क्षमता भी सन्तोषजनक नहीं है,

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत में लौह-अयस्क के भण्डार उपलब्ध होने के बावजूद भी धातु के लिए आवश्यक कोयले की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)

(क) जी, हां ।

(ख) तांबे, सीसे और जस्ते का देशीय उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

(ग) यद्यपि भारत में लोह-अयस्क के प्रचुर भण्डार हैं तथापि लोहे और इस्पात के उत्पादन के लिए आवश्यक धातुकार्मिक कोयले की दीर्घकालिक आधार पर मात्रा और क्वालिटी दोनों की दृष्टि से कमी है ।

(घ) धातुकार्मिक कोयले के सीमित भण्डारों के संरक्षण के लिए और जहां कहीं सम्भव हो संमिश्रण-योग्य कोयला प्राप्त करने के लिए घटिया किस्म के कोयले को कोयला शोधनशालाओं में साफ किया जाता है और कोयले में राख की मात्रा में कमी लाई जाती है । बढ़िया किस्म के धातुकार्मिक कोयले की कुछ मात्रा का आयात भी किया जा रहा है । अन्य धातुओं की कमी आयात द्वारा पूरी की जाती है ।

केन्द्रीय पर्यटन प्राधिकरण की स्थापना

2411. **श्री जनार्दन पुजारी :**

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय पर्यटक प्राधिकरण की स्थापना के बारे में अब तक कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)

(क) और (ख)

सरकार के पास केन्द्रीय पर्यटक प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण के नोटिस

2412. **श्री भीकू राम जैन :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978-79 और 1979-80 के दो वर्षों में तथा वित्तीय वर्ष 1980-81 के महीनों में आयकर विभाग द्वारा लोगों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 के अन्तर्गत कितने अधिग्रहण नोटिस दिए गए हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान वास्तव में कितनी सम्पत्तियां अधिगृहीत की गई है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इस प्रकार किए गए अधिग्रहण के लिए मुआवजे की कितनी राशि दी गई है;

(घ) अधिगृहीत सम्पत्तियों का किस प्रकार उपयोग किया गया था और क्या उपरोक्त अवधि के दौरान इन अधिगृहीत सम्पत्तियों से कोई राजस्व प्राप्त हुआ है; और

(ङ) इन कार्यों के निपटान के लिए कुल प्रशासनिक खर्च क्या है और इस कार्य में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)

(क) वर्ष 1978-79 1979-80 तथा 1 अप्रैल 1980 से 31 दिसम्बर 1980 तक की अवधि के दौरान क्रमशः 4060, 5382 तथा 5084 मामलों में अधिग्रहण की कार्यवाही की गई थी।

(ख) उक्त अवधियों में वास्तव में अधिग्रहण की गई सम्पत्तियों की संख्या क्रमशः 2, 2 तथा 3 थी ।

(ग) सामान्य देय मुआवजे का रकम, विक्रय-पत्र में उल्लिखित प्रतिफल की रकम तथा उसके 15 प्रतिशत की रकम को मिलाकर बनती है । संगत अवधियों के दौरान, भाग (ख) के अनुसार अधिग्रहण की गई सम्पत्तियों के लिए प्रदत्त/देय मुआवजा क्रमशः 7,59,000, रु०, ;, 89, 750 रु० तथा 5,26,326 रु० है ।

(घ) तथा (ङ) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । इसे एकत्र किया जा रहा है और जैसे ही यह प्राप्त तथा संकलित हो जाएगी, सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

रुई के निर्यात शुल्क के लिए गुजरात को रियायत देने का निर्णय

2413. **श्री डी० पी० जदेजा :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ने अनेक बार केन्द्र सरकार से रुई पर निर्यात शुल्क में रियायत दिये जाने के सम्बन्ध में एक नीति विषयक निर्णय लेने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान)

(क) तथा (ख) गुजरात सरकार रुई के निर्यात शुल्क में राहत के लिए अनुरोध करती रही है। सरकार शुल्क ढांचे में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहती क्योंकि इससे घरेलू वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और वस्त्रों के मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात से स्पर्धा हो सकती है। तथापि, सरकार सरकारी/सहकारी क्षेत्रों द्वारा अलाभ र निर्यातों के अलग-अलग विशिष्ट मामलों पर निर्यात शुल्क की आंशिक अथवा सपूर्ण छूट देन के लिए विचार करती है।

हथकरघा कपड़े के निर्यात में कमी

2414. **श्री एन० सुन्दरराजन :**
श्री गुफरान आजम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कदाचारों के कारण हथकरघा कपड़े के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो हथकरघा कपड़े का निर्यात करने में कदाचारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या जिन देशों द्वारा मांग की जाती है उनकी इच्छा और डिजाइन के अनुरूप हथकरघा कपड़े की किस्म बनाई जाती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान)

(क) तथा (ख) सरकार को हथकरघा माल के निर्यात में किसी कदाचार की जानकारी नहीं है। हथकरघा माल (जिसमें सूती फैब्रिक्स, तैयार वस्त्र, परिधान और रेशमी वस्त्र शामिल हैं) के निर्यातों में गत तीन वर्षों में वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दिया गया है :

1977-78	258.43 करोड़ रु०
1978-79	302.92 करोड़ रु०
1979-80 (अनन्तिम)	310.10 करोड़ रु०

(ग) कुल मिलाकर निर्यात उत्पादन विदेशी क्रेताओं को क्वालिटी, डिजाइन, कीमत आदि में सन्तुष्ट करने के पश्चात् उनसे प्राप्त आदेशों पर आधारित हैं।

वर्ष 1981-82 में नई पर्यटन परियोजनाओं के लिए सहायता

2415. **श्री अनादिचरण दास :**

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में 1979-80 और 1980-81 के दौरान विदेशों में कितने पर्यटक

आये;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने भारतीय पर्यटकों ने विदेशों की यात्रा की;

(ग) क्या 1981-82 में पर्यटन विकास की कुछ नई परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में पर्यटन विकास की ऐसी कितनी परियोजनाएं तैयार की जायेंगी; और

(ङ) अन्य परियोजना स्थलों का ब्यौरा क्या है और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उनको कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)

(क) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमनों के आंकड़े कैलेंडर वर्ष के आधार पर तैयार किए जाते हैं। अतः वर्ष 1979 और 1980 के दौरान भारत की यात्रा करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या क्रमशः 764, 781 और 800, 150 थी।

(ख) अध्ययन, व्यापार, चिकित्सा, विदेश यात्रा स्कीम के अन्तर्गत सम्मेलनों में शामिल होने, आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों से विदेश जाने वाले भारतीयों के आंकड़े भरातीय रिजर्व बैंक द्वारा, जारी किए गए विदेशी मुद्रा परमिटों के आधार पर रखे जाते हैं। वर्ष 1979-80 और 1980-81 के संबंध में सूचना नीचे दी गयी है :

वर्ष	विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विदेशी मुद्रा परमिटों पर आधारित)
1979-80	99,036
1980-81	76,551
(अप्रैल से अक्तूबर, 80 तक)	

विदेश यात्रा करने वाले विशेष रूप से भारतीय पर्यटकों के आंकड़े अलग संकलित नहीं किये जाते।

(ग), (घ) और (ङ) चूंकि चौथी पंच वर्षीय योजना से ही पर्यटन सेक्टर में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित स्कीमें समाप्त कर दी गई थीं, इसलिए पर्यटन परियोजनाओं के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है। अतः पर्यटन स्कीमें या तो केन्द्रीय सेक्टर में अथवा राज्य सेक्टर के के अन्तर्गत शुरू की जाती हैं।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग का उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क में एक वन गृह के निर्माण का प्रस्ताव है; और उडीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से भारत पर्यटन विकास निगम का पुरी में एक होटल के निर्माण और कोणार्क में एक कुटीर-काम्प्लेक्स के निर्माण करने का प्रस्ताव है। जहां तक उड़ीसा में अन्य पर्यटक केन्द्रों के विकास का सवाल है, प्रारंभ की जाने वाली स्कीमों को अंतिम रूप देने के लिये इस माह राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित यात्रा परिपथों के

संबंध में उड़ीसा सरकार के पर्यटक अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा तभी केन्द्रीय और/अथवा राज्य सेक्टर में उनके विकास का दायित्व भी निर्धारित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश और पंजाब में उपभोक्ताओं को इस्पात का वितरण

2416. **प्रो० नारायण चंद पराशर :**

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश और पंजाब के राज्यों में उपभोक्ताओं को इस्पात के वितरण के लिये किये गये गठन का स्वरूप क्या है;

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इन दो राज्यों में, जिलावार, "इस्पात" बेचने के लिए प्राधिकृत किए गए डीलरों/एजेंटों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या नये डीलरों/एजेंटों के लिए कोई और आवेदन-पत्र भी प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)

(क) अन्य सभी राज्यों की भांति हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के उपभोक्ताओं को भी इस्पात की सप्लाई मुख्य उत्पादकों द्वारा सीधे प्रेषण तथा उनके स्टाकयार्डों से और लघु उद्योग निगमों की मार्फत की जाती है। यह सप्लाई संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा लोहे तथा इस्पात सामग्री के वितरण के बारे में घोषित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार की जाती है।

(ख) प्राधिकृत विक्रेताओं/एजेंटों की मार्फत इस्पात के वितरण के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

क्योंझर में लौह अयस्क का खनन

2417. **श्री नरायण साहू :**

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्योंझर जिले में चचुर मात्रा में विद्यमान लौह अयस्क के खनन के लिए केन्द्र सरकार की योजना क्या है; और

(ख) क्या मलंगटोली लोह अयस्क खानों के विकास तथा वहां उपलब्ध लोह अयस्क का उपयोग किए जाने के लिए वहां किसी उद्योग को स्थापित किए जाने का कोई विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)

(क) और (ख) क्योंझर के लोह-अयस्क निक्षेपों (मलंगटोली ब्लाक भी शामिल है) के विदोहन के लिए इस समय सरकार की कोई योजना नहीं है।

पारले-बिसलेरी के अहातों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा मारा जाना

2418. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारले-बिसलेरी कार्यालयों के अहातों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने किस आधार पर छापे मारे थे ;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने कम्पनी के विरुद्ध अवैध रूप से विदेशी धनराशि भेजने के आरोप लगाये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) मैसर्स बिस्लेरी (इण्डिया) प्रा० लि० बम्बई और इसके दो निदेशकों अर्थात् श्री रमेश जे० चोहान और श्री एच० एम० गोलवाला के विरूद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत आरोपित आरोपों से सम्बन्धित प्रवर्त्तन निदेशालय की एक शिकायत मिलने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक मामला दर्ज करने के बाद उनके परिसरो पर छापे मारे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मामले की जांच की जा रही है ।

"एक्सचेन्ज रैकिट बस्टेड" शीर्षक समाचार

2419. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 13 फरवरी, 1981 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स', नई दिल्ली अंक में प्रकाशित "एक्सचेंज रैकिट बस्टेड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और उक्त गोलमाल की शुरुआत कैसे हुई ; और

(ग) भविष्य में इस तरह का गोलमाल न होने देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां ।

(ख) रत्नों/उपरत्नों के निर्यातकर्त्ता श्री हेमचन्द्र गोलचा और कुछ निर्यातकर्त्ताओं, जिनके विरूद्ध सलास एस० ए० जेनेवा के श्री जोन अश्लीन ने आरोप लगाये हैं, से सम्बन्धित जांच के सिलसिले में, दो अधिकारियों के एक दल ने—एक अधिकारी प्रवर्त्तन निदेशालय से और दूसरे अधिकारी निरीक्षण निदेशालय (आयकर) से—अगस्त/सितम्बर 1980 में स्विटजरलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा किया था । आगे जांच की जा रही है । प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा अब तक की गयी जांच के आधार पर ऐसा लगता है कि श्री विमल चन्द्र गोलचा ने वर्ष 1976 में स्विटजरलैंड में अपने गुप्त खाते में से जेनेवा में एक व्यक्ति को 1,31,000 अमरीकी डालर अंतरित किये थे । प्रवर्त्तन निदेशालय ने श्री विमल चन्द्र गोलचा को जयपुर में 10-2-81 को गिरफ्तार किया था और न्यायालय ने उनको 11-2-81 को जमानत पर छोड़ दिया था । उनके खिलाफ अभियोग भी चलाया जा रहा है ।

(ग) सीमा शुल्क स्थलों पर, निर्यात की जा रही माल की खेपों के मूल्यांकन को जांचने की व्यवस्था है । जब कभी मूल्य आदि की गलत घोषणा का कोई मामला आता है तो कानूनन उचित कार्यवाही की जाती है । राजस्व आय सूचना निदेशालय और प्रवर्त्तन निदेशालय भी सतर्क हैं और जब कभी ऐसे मामलों में साधारण अथवा विशेष सूचना मिलती है, तो उनके द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

इंडियन एयरलाइंस में सेवा काल बढ़ाये गये व्यक्तियों को सेवा निवृत्ति की सूचनायें

2420. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 6 फरवरी, 1981 के "टाइम्स आफ इंडिया", नई दिल्ली में "आई० ए० रिटायरमेंट नोटिसिस टु दोज आन एक्सटेंशन", शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो मामले के तथ्य क्या हैं और उन वरिष्ठ अधिकारियों—दोनों तकनीकी तथा अन्य—का विवरण क्या है जिनका सेवा काल बढ़ाया गया है और जिनको अब सेवा निवृत्त होने की सूचनाएं दी गई हैं ;

(ग) क्या एयर इंडिया में भी उसी नीति का अनुसरण किया जा रहा है, यदि हां, तो निदेशक और उससे ऊपर के पदों के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनका सेवा काल बढ़ाया गया है और जिन्हें पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई है ; और

(घ) इस बारे में एयर इंडिया में भी उसी नीति का अनुसरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस में जेट प्रकार के विमानों में लाइसेंसधारी इंजीनियरों तथा लाइसेंसधारी प्रधान-विमान चालकों की अत्यधिक कमी के कारण सेवा-निवृत्त होने वाले 41 कर्मचारियों की सेवावधि बढ़ाई गई। ऐसे कर्मचारियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

ऐसे कर्मचारियों को सेवा में बनाये रखने की आवश्यकता का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है। हाल ही में किए गए इस प्रकार के पुनरीक्षणों के परिणामस्वरूप यह निश्चय किया गया है कि जिन व्यक्तियों की सेवावधि बढ़ाई गई थी उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाए और तदनुसार उन्हें सेवानिवृत्ति-पत्र जारी कर दिए गए हैं।

(ग) ओर (घ) : एयर इंडिया के निदेशक तथा उससे ऊपर का एक ऐसा अधिकारी है जिसकी सेवावधि बढ़ाई गई है। सम्बन्धित अधिकारी भू-सेवाओं के निदेशक, श्री डी० पी० निमकार हैं जिनका सेवाकाल 1.2.1981 से 31.7.1981 तक बढ़ाया गया है। एयर इंडिया ऐसे कर्मचारियों के मामलों का, जिनकी कि सेवावधि बढ़ाई गई है, पुनरीक्षण कर रही है ताकि बढ़ाई गई सेवावधि के पूर्ण होने से पूर्व ही उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकें।

विवरण

इन्डियन एयरलाइन्स मुख्यालय

ऐसे इंजीनियरों की सूची जिनका अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के बाद सेवाकाल बढ़ाया गया

क्रम सं०	नाम (सर्व श्री)	पदनाम	अधिवर्षता की तारीख	बढ़ाई गयी अवधि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	के० ए० मेनन	इंजीनियरिंग मैनेजर	31.7.1979	1.8.79 से 31.7.1981	सभी अधिकारियों को कार-पोरेशन की सेवा से रिटायर करने के पत्र जारी कर दिए गए हैं।
2.	के० आर० आर० राव	इंजीनियरिंग मैनेजर	31.7.79	1.8.79 से 31.7.1981	
3.	एस० के० धर	इंजनियरिंग मैनजर	31.8.79	1.9.79 से 31.8.1981	
4.	बी० आर० तुर्की	डिप्टी इंजीनियरिंग मैनेजर	31.8.79	1.9 79 से 31.8.1981	
5.	एम० एन० चोपड़ा	एयरक्राफ्ट इंजीनियर (मैंटीनेंस)	30.9.79	1.10.79 से 30.9.1981	
6.	ए० एच० अहमद	असि० सुप० (ए० सी० ओवरहॉल)	30.9.79	1.10.79 से 30.9.1981	
7.	जी० बी० आर० नायर	चीफ इंजीनियरिंग मैनेजर	30.9.79	1.10.79 से 30.9.1981	
8.	जी० एस० समताने	डिप्टी इंजीनियरिंग मैनेजर	30.9.79	1.10.79 से 30.9.1981	
9.	ए० बी० बनर्जी	असिस्टेन्ट इंजीनियरिंग मैनेजर	30.9.79	1.10.79 से 30.9.1981	
10.	एस० एस० हांडू	एयरक्राफ्ट इंजीनियर (मैंटीनेन्स)	31.10.79	1.11.79 से 31.10.1981	

1	2	3	4	5	6
11.	के० स्वामीनाथन	सीनियर एयर-क्राफ्ट इंजीनियर (मैंटी०)	31.10.79	1.11.79 से 31.10.1981	सभी अधिकारियों को का रपोरेशन
12.	जी० एल० सेन गुप्ता	सीनियर टेक्नीकल आफिसर	31.12.79	1.1.80 से 31.12.1981	की सेवा से रिटायर करने
13.	एस० के० चक्रवर्ती	डिप्टी इंजीनियरिंग मैनेजर	29.2.80	1.3.80 से 28.2.1982	के पत्र जारी कर दिये गये
14.	एस० एन० भल्ला	असिस्टेन्ट इंजीनियरिंग मैनेजर	29.2.80	1.3.80 से 28.2.1982	हैं।
15.	आर० डी० कुमार	असिस्टेन्ट सुपरि-(इंस्ट्रूमेंट)	31.3.80	1.4.80 से 31.3.1981	
16.	जे० डी० जिजिना	चीफ इंजीनियरिंग मैनेजर	31.1.81	1.2.81 से 31.1.1982	
17.	के० के० मेहता	इंजीनियरिंग मैनेजर	31.7.80	1.8.80 से 31.7.1981	
18.	वी० एन० नटराजन	डिप्टी इंजीनियरिंग मैनेजर	31.7.80	1.8.80 से 31.7.1981	
19.	ए० रामानाथन	डिप्टी इंजीनियरिंग मैनेजर	30.6.80	1.7.80 से 30.6.1981	
20.	एस० के० बोस	असिस्टेन्ट इंजीनियरिंग मैनेजर	31-7-80	1.8.80 से 31.7.1981	
21.	आर० के० सान्याल	सीनियर एयर-क्राफ्ट इंजीनियर (मैंटी०)	31.1.81	1.2.81 से 31.1.1982	
22.	एम० समदेसिवन	असिस्टेन्ट सुपरि० (मैंटी०)	30.6.80	1.7.80 से 30.6.1981	
23.	एम० शंकरन्	असिस्टेन्ट सुपरि-(ए०/सी० ओवरहाल)	30.5.80	1.7.80 से 30.6.1981	
24.	एस० पी० सरकार	एयरक्राफ्ट इंजीनियम (ए०/सी० ओवरहाल)	31.12.80	1.1.81 से 31.12.1981	

1	2	3	4	5	6
25.	एम० जे० सिंह	डिप्टी इंजीनीयरिंग मैनेजर	31.10.80	1.11.80 से 31.10.1981	सभी अधिकारियों को
26.	आर० पी० भिसे	सीनियर एयरक्राफ्ट इंजीनियर (ए०/सी० ओ०/एच०)	31.8.80	1.9.80 से 31.8.1981	कारपोरेशन की सेवा से रिटायर करने के पत्र जारी कर दिए गए हैं।
27.	एन० एम० सी० राव	सीनियर इंजीनियर एयरक्राफ्ट (ए/सी ओ/एच०)	31.5.80	1.6.80 से 31.5.1981	
28.	जे० एस० सूरी	सीनियर एयरक्राफ्ट इंजीनियर (मैंटीनेन्स)	31.3.81	1.4.81 से 31.3.1982	
29.	एम० एस० महादेव	सीनियर एयरक्राफ्ट इंजीनियर (मैंटीनेन्स)	31.3.81	1.4.81 से 31.3.1982	
30.	एम० एस० नरसिंहम	असिस्टेन्ट इंजीनियरिंग मैनेजर	31.3.81	1.4.81 से 31.3.1982	
31.	श्री एम० एन० अरोड़ा	कन्ट्रोलर ग्राउण्ड रिपोर्ट	31.5.1981	1.6.81 से 31.5.1982	
32.	श्री के० एन० काटजू	डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर	31.7.80	1.8.80 से 31.7.1981	
33.	कैप्टन जे० जोसफ	रिजनल डायरेक्टर मद्रास	30.11.80	1.12.80 से 30.11.1981	
34.	श्री कृपाल चन्द	डाययेक्टर, वित्त	31.12.80	1.1.81 से 30.6.1981	
35.	कैप्टन के० आर० जौली	कमाण्डर	31.10.79	1.11.79 से 31.10.81	

1	2	3	4	5	6
38.	कैप्टन जे० एल० गोम्ज	आपरेशनल मैनेजर	31.12.79	1.1.80 से 31.12.81	उन्हें कारपोरेशन की सेवा से रिटायर करने का पत्र जारी कर दिया गया है।
*37.	कैप्टन डी० एस० वैद्य	डिप्टी आपरेशन्स मैनेजर	31.10.80	1.11.80 से 31.10.81	
38.	कैप्टन एस० बी० सिंह	कमाण्डर	31.12.80	1.1.81 से 31.12.81	
39.	श्री एन० सुब्बा राव	चीफ टेक्नीकल इंस्ट्रक्टर	31.10.79	1.11.79 से 31.10.1981	
40.	एन० एम० देसाई	डिप्टी कमर्शियल मैनेजर, बम्बई	30.9.80	1.10.80 से 31.3.1981	
41.	आई० जे० जानी	डिप्टी कार्मशियल मैनेजर, बम्बई	31.10.80	1.11.80 से 30.4.1981	

बंगला देश के साथ व्यापार

2421. **श्री केयूर भूषण** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के बीच निजी व्यापार बढ़ाने में सहयोग देने के लिये एक व्यापार परिषद का गठन किया गया है ;

(ख) इस परिषद के माध्यम से किन-किन चीजों का निर्यात व आयात किया जाएगा।

(ग) क्या भारत से बंगला देश को तम्बाकू का निर्यात भी किया जाएगा ; और

(घ) भारत बगला देश को किन-किन वस्तुओं के निर्यात को प्राथमिकता देगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ एवं बंगला देश वाणिज्य तथा उद्योग मडल परिसंघ ने 20 दिसम्बर, 1980 को हस्ताक्षरित करार के अनुसार एक संयुक्त व्यापार परिषद स्थापित करने का विनिश्चय किया है। इस करार में दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात के लिए वस्तुओं का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ग) तथा (घ) : जब तक इस प्रकार का व्यापार दोनों देशों के आयात, निर्यात तथा

*कैप्टन वैद्य ने 31.12.1980 से स्वैच्छिक रिटायरमेंट की मांग की जिसे स्वीकार कर लिया गया।

विदेशी मुद्रा विधियों, विनियमों तथा क्रियाविधियों के अनुसार होता है तब तक भारत तथा बंगलादेश के बीच व्यापार करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

मद्रास में जनता होटल

2422. **श्री सी० चिन्नास्वामी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में भारतीय पर्यटन विकास निगम का कोई होटल नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि अपने देश के पर्यटकों की सस्ते पर्यटन आवास के लिए भारी मांग है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जनता होटल बनाने का एक प्रस्ताव था, जिससे बाद में खटाई में डाल दिया गया ;

(घ) क्या उक्त प्रस्ताव पर पुन: विचार करने तथा होटल का निर्माण करने के बारे कोई कार्यवाही करने का विचार है ;

(ङ) मद्रास में जनता होटल का निर्माण करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुवर्ती कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ; और

(च) होटल को शीघ्र शुरू करने में किस बात का विलम्ब है/क्या-क्या कठिनाइयां हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) से (च) : भारत पर्यटन विकास निगम (आई० टी० डी० सी०) नई दिल्ली में एक यात्री निवास (जनता टाइप होटल) का निर्माण कर रहा है। मद्रास के लिए आई० टी० डी० सी० का एक जनता टाइप होटल के लिए आबंटित प्लाट पर तमिलनाडू पर्यटन विकास निगम के साथ संयुक्त रूप से एक काम्पलेक्स के निर्माण का प्रस्ताव है जिसमें एक इकानामी क्लास और एक 3 स्टार श्रेणी का आवास शामिल है। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।

लौह अयस्क का निर्यात

2423, **श्रीमती संयोगिता राणे :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, राज्य—वार लौह अयस्क की कितनी—कितनी मात्रा निर्यात की गई और उसका मूल्य कितना कितना था तथा उसमें गोवा का कितना हिस्सा था ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान)

लौह अयस्क मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र गोआ में स्थित खानों में उत्पादित होता है और निर्यात के लिए समीपवर्ती पत्तन पर ले जाया जाता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, लौह अयस्क के निर्यातों के संबंध में

सांख्यकि आंकड़े केवल पत्तनवार आधार पर रखे जाते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न पत्तनों से निर्यात किए गए लौह अयस्क की मात्रा तथा मूल्य और उसमें गोआ के हिस्से का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न पत्तनों से निर्यात किए गए लौह अयस्क की मात्रा तथा मूल्य के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

मात्रा मिलियन से टन
मूल्य करोड़ रुपये में

पत्तन	1977-78		1678-79		1979-80	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
हल्दिया	1.13	1.94	0.10	1.22	0.09	1.17
पारादीप	2.09	20.24	1.73	20.26	1.62	19.16
विजाम	6.07	76.50	5.96	74.01	5.37	71.29
काकीवाड़ा	0.02	0.24	0 01	0.10	0.01	0.12
मद्रास	2:32	36.15	2.95	39:95	2.86	30.50
मंगलौर	0.91	0.22	0.22	0.31	—	—
बेलीकेरी	0.15	2.41	0.03	0.64	0.16	2.41
करवाड़	0.03	0.43	0.17	2.86	0.36	3.84
रीदी	0.67	6.17	1.28	10.10	1.33	10.98
मर्म गांव						
एम.एम.टी.सी. द्वारा	0.81	10.65	1.42	13.71	2.14	20.68
गोवा के निर्यातको द्वारा	9.52	86.89	7.80	62.40	11.01	112.00
योग	10.33	97.54	9.22	76.11	13.15	132.68
कुल योग	21.82	250.93	21.47	255.56	24.87	281.15
कुल निर्यातों में गोवा के भाग की प्रतिशतता	47.34	28.87	42.96	33.74	52.87	47.13

बोनस शेयरों की घोषणा

2424. **श्री एन० डेनिस :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली उन फर्मों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान अंशधारियों के लिए बोनस शेयर देने की घोषणा की है; और

(ख) उन कम्पनियों का, राज्यवार, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2037/81]

राजकोट हवाई अड्डे पर बोइंग विमान का उतरना

2425. श्री दिग्विजय सिंह :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोट के हवाई अड्डे को बोइंग विमान उतरने के उपयुक्त बनाने के लिए किन-किन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ख) ये योजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)

(क) और (ख) राजकोट हवाई अड्डे को बोइंग—737 की नियमित उड़ानों के योग्य बनाने के लिए प्लान किए गए कार्यों तथा उनके पूरा होने की संभावित तिथियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इंडियन एयरलाइन्स ने राजकोट के लिए पहले ही, 1 अगस्त, 1980 से बोइंग—737 उड़ानें प्रारम्भ कर दी हैं।

विवरण

क्रम सं०	कार्य की प्रकृति	पूरा होने की संभावित तारीख
1.	टर्मिनल भवन का विस्तार तथा सुधार	कार्य का ठेका दे दिया गया है तथा 1982 के मध्यम तक पूरा हो जाने की संभावना है।
2.	वर्तमान धावनपथ की 5400 फुट-लंबाई को एल० सी० एम०-40 तक मजबूत करना तथा एप्रन और टैक्सी-ट्रैक को चौड़ा करना व एल० सी० एन०—40 तक मजबूत करना (चरण 1)	कार्य का ठेका दे दिया गया है तथा 1982 के अंत तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है।
3.	धावनपथ का 600 फुट और विस्तार (एल० सी० एन०-40)	विस्तृत व्ययानुमान (एस्टीमेंट) तैयार किये जा रहे हैं।
4.	अप्रोच लाइट के लिए भूमि-अधिग्रहण	भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। कार्यों के 1982-83 में पूरा हो जाने की संभावना है।
5.	अप्रोच लाइट-श्रेणी-I	

6. हाई इन्टैन्सिटी रनवे लाइट्स	
7. 2-बार वासीज	
8. 2 क्रैश टैंडर	1980-81 तथा 1981-82
9. एक वाटर-बाउजर	1981-82
10. स्टैंडबाई जनरेटर	1981-82
11. बिजली तथा जल-सप्लाई में वृद्धि करना	1981-82

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्थित सीमा शुल्क निपटान केन्द्रों में स्वच्छ प्रशासन स्थापित करना

2426. **श्री ए० यू० आजमी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 दिसम्बर, 1980 को पालम हवाई अड्डे के कस्टम्स एरायवल्स लांज में अव्यवस्था की स्थिति थी और उन यात्रियों सहित जिनके पास विदेशी पारपत्र थे आने वाले यात्रियों को वहां से निकासी में 4 घंटे लग गए;

(ख) क्या वहां लांज में भी पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी और यात्रियों को इस लम्बी और कठिन प्रतीक्षा में भारी परेशानी उठानी पड़ी;

(ग) क्या वे व्यक्ति जिनके सम्पर्क होते हैं, जल्दी निकासी प्राप्त कर लेते हैं और सम्पर्क करने वाले व्यक्ति स्वयं लांज के बाहर उपलब्ध होते हैं;

(घ) क्या सरकार को निजी सामान की निकासी के मामले में हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क कर्मचारियों को प्रदान की गई बहुत व्यापक शक्तियों की जानकारी है और वहां भ्रष्टाचार और पक्षहात के तत्व सदैव होते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क निपान केन्द्रों में स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) 24/25 दिसम्बर की रात को कई अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में असाधारण रूप से विलम्ब हो गया था, जिसके परिणामतः 25 दिसम्बर, 1980 की प्रातः 03-20 बजे से 06-45 बजे के बीच पालम हवाई अड्डे पर, अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान के साथ विमान आए जिनमें 1800 यात्री उतरे थे, जबकि आम तौर पर इस समय के दौरान 4 विमानों के उतरने की सम्भावना होती है। यद्यपि इस असाधारण स्थिति से शिष्टाचार पूर्वक तथा सूझबूझ के साथ निपटने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी फिर भी हवाई अड्डे के आगमन हाल में सीमित स्थान होने के कारण यात्रियों की असुविधा हुई।

(ख) 25 दिसम्बर को, पीने के पानी की कमी की कोई शिकायत या ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ग) और (घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सीमा शुल्क अधिकारी अपने विवेकाधिकार का गलत ढंग से प्रयोग नहीं करें और साथ ही यह देखने के लिए कि वे किसी को तरजीह न दें अथवा किसी की तरफदारी न करें, पर्याप्त कार्यविधिक, प्रशासनिक तथा

पर्यवेक्षी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। भ्रष्टाचार तथा पक्षपात के मामलों में कड़ी कार्यवाही की जाती है।

(ङ) यात्रियों की निकासी के मामले में और अधिक शीघ्रता तथा शिष्टाचार बरतने के लिए अभी हाल ही में, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर "नाक थ्रू ग्रीन चैनल" व्यवस्था चालू की गई। इस प्रणाली के अन्तर्गत, ग्रीन चैनल में, यात्रियों के असबाब की जांच केवल अत्यन्त चुनिन्दा आधार पर या संदेह होने पर ही किए जाने की व्यवस्था है।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के पक्ष में बैंकों में सेवा अवधि में छूट।

2427. **श्री चन्द्र पाल शेलानी** : क्या वित्त मंत्री, राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के सम्बन्ध में 9 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6281 के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के पक्ष में विचारणीय सेवा/क्षेत्र की अवधि में छूट दी है और उन्होंने अवधि में कितनी छूट दी है तथा लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में निर्धारित अर्हताओं में अलग-अलग कितनी छूट दी है;

(ख) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने 40 सूत्री रोस्टर बनाए रखना शुरू कर दिया है और जिन्होंने ऐसा नहीं किया है; और

(ग) उन बैंकों पर जिन्होंने उस सम्बन्ध में सरकारी अनुदेशों का अभी तक पालन नहीं किया है, दबाव डालने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

आय कर कर्मचारियों की मांगें

2428. **श्री रामजीभाई मावणि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न राज्यों में आय-कर कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनें, एसोसिएशनें और फेडरेशनें आन्दोलन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है;

(ग) वर्ष 1975, 1976, 1977, 1978 और 1979 के दौरान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा सरकार को उनके द्वारा भेजे गए मांग पत्र क्या-क्या थे;

(घ) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इनमें से कौन-कौन सी मांगें मान ली गई हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1980 और 1981 में भी उन्होंने अपने मांग-पत्र प्रस्तुत किए थे; और

(च) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) आयकर कर्मचारी महासंघ ने, अपनी मांगों के समर्थन में आन्दोलन करने का आह्वान किया है। कतिपय आयकर आयुक्तों से रिपोर्टें भी प्राप्त हुई हैं कि उनके अधिकार क्षेत्रों में कर्मचारी आन्दोलन कर रहे है।

(ग) तथा (घ) अराजपत्रित कर्मचारियों के 41 मान्यता प्राप्त स्थानीय एसोसिएशन/संघ हैं तथा एक अखिल भारतीय स्वरूप का मान्यता प्राप्त आयकर कर्मचारी महासंघ है। इसके अलावा, गैर-मान्यता प्राप्त स्थानीय एसोसिएशन/संघ तथा अखिल भारतीय महासंघ भी हैं। ये एसोसिएशन/संघ तथा महासंघ अपनी मांगें, आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों में राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषदों, कार्यालय परिषदों जैसे विभिन्न मंचों पर उठाते हैं। जब कभी वे मंत्रियों, बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों तथा विभागाध्यक्षों से मिलते हैं तब भी वे अपनी मांगें उठाते हैं। वे अपनी वार्षिक। अन्य बैठकों में संकल्प भी पारित करते हैं। खास मांगों पर कर्मचारी अलग-अलग भी अपने अभ्यावेदन सरकार/बोर्ड/विभागाध्यक्षों को भेजते हैं। इतनी लम्बी अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा उठायी गई सभी मांगों तथा उन पर की गई कार्यवाही के बारे में बताना संभव नहीं है। विभिन्न मागों पर उपयुक्त कार्यवाही, हमेशा उपयुक्त स्तर पर की जाती है।

(ङ) तथा (च) वर्ष 1980 तथा 1981 के दौरान आयकर कर्मचारी महासंघ द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों तथा उन पर की गई कार्यवाही की प्रगति का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

आयकर कर्मचारी महासंघ द्वारा वर्ष 1980 तथा 1981 के दौरान प्रस्तुत की गयी मांगें तथा उन पर की गयी कार्यवाही की प्रगति

क्रमांक	मांग	की गई कार्यवाही की प्रगति
1.	चौकीदारों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी	चौकीदारों, दफ्तरियों और आशुलिपिकों (380-640) रु० के ग्रेड में अतिरिक्त पद बनाने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है।
2.	दफ्तरी संवर्ग पदों में वृद्धि	
3.	380-640 रु० के समयमान में अतिरिक्त आशुलिपिक ग्रेड का सृजन	
4.	नोटिस सर्वरों और निरीक्षकों के वेतन-मानों में संशोधन	यह मांग अस्वीकृत कर दी गई है और महासंघ को इसकी सूचना दे दी गई है।
5.	मूल संवर्ग वरीयता को स्वीकार करना	इस मांग पर, जो पहले अस्वीकृत कर दी गई थी, पुनर्विचार किया जा रहा है।
6.	संक्षिप्त निर्धारण स्कीम को समाप्त करना	यह मांग अस्वीकृत कर दी गयी है
	(क) उस अधिसूचना को वापस लेना जिसमें आयकर अधिकारियों को	और महासंघ को इसकी सूचना दे दी गई है।

निर्धारण क्षेत्राधिकार सौंपा गया है।

(ख) अनुदेश संख्या 1348 और 1349 को वापस ले करके संशोधित कार्य योजना को समाप्त करना

7. अधिलंघन को समाप्त किया जाना	इस मांग को अधिकांश रूप से स्वीकार कर लिया गया है और निरीक्षक के पद को छोड़कर अराजपत्रित संवर्गों में पदोन्नति संबंधी सभी पदों को "गैर सेलेक्शन' पदों में बदल दिया गया है।
8. पदोन्नति न होने से उत्पन्न ठहराव को दूर करने के लिए सीधी भरती पर प्रतिबन्ध	यह मांग विभागीय परिषद, जिसमें महासंघ का प्रतिनिधित्व है, के विचाराधीन है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद में भर्ती

2429. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एन० आई० बी० एम० द्वारा कराई गई परीक्षा में पहले दस अभ्यर्थी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद में भर्ती नहीं किए गए थे?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : शायद माननीय सदस्य वर्ष 1980 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद की तरफ से क्लर्क तथा कैशियर की भर्ती के लिए राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एन० आई० बी० एम०) द्वारा ली गयी लिखित परीक्षा का उल्लेख कर रहे हैं। इस परीक्षा में बैठे 1174 उम्मीदवारों में से 173 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया तथा सभी को बैंक द्वारा, साक्षात्कार के वास्ते बुलाया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निदेशक-मंडल की उप समिति ने इन उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया। जिन उम्मीदवारों ने 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए उन्हें नियुक्ति के लिए पात्र माना गया। पहले दस उम्मीदवार, जिन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी, साक्षात्कार के बाद अन्तिम रूप से योग्य नहीं पाए गए। 40 उम्मीदवारों की एक सूची बनाई गयी, तथा इस सूची में से अब तक 27 उम्मीदवार बैंक में नियुक्त किए जा चुके है।

निर्यातोन्मुख उद्योगों की स्थापना के लिये थाईलैंड का सहयोग

2430. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाईलैंड ने अपने देश में निर्यातोन्मुख उद्योगों की स्थापना के लिए भारत के साथ सहयोग करने में विशेष रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) थाई सरकार, थाईलैंड व्यापार मंडल तथा थाई उद्योगपतियों के संघ ने और अधिक भारतीय पार्टियों द्वारा थाईलैंड

में संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाने की सम्भावना में रूचि दिखाई है और उसका स्वागत किया है ।

(ख) उन्होंने कृषि उद्योगों, श्रम प्रधान उद्योगों तथा निर्यात अभिमुख उद्योगों जैसे क्षेत्रों में निवेष में अत्याधिक रूचि दिखाई है । थाईलैंड में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की इच्छुक भारतीय कम्पनियों से जैसे ही और जब भी प्रस्ताव प्राप्त होंगे उन पर विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर लागू होने वाले प्रचलित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्यवाही और निश्चय किया जाएगा ।

कच्चे काजू का आयात

2431. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय काजू निगम का अभी तक विदेशों से काजू के बीज (कच्चे काजू) आयात करने का एकाधिकार है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 के निर्धारित लक्ष्य क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, देशवार, इसका कितने मीट्रिक टन आयात किया गया था ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) कच्चे काजु का आयात भारतीय काजू निगम के माध्यम से मार्गीकृत है ।

(ख) भारतीय काजू निगम ने 1981-82 के लिए कच्चे काजू का आयात लक्ष्य 20,000 मे० टन निर्धारित किया है ।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय काजू निगम द्वारा देशवार आयात ये हैं—

	1978-79	1979-80	1980-81
तंजानिया	20313	23641	9171
कीनिया	—	—	10050
मडगास्कर	258	544	591
नाइजीरिया	—	—	183
मलावी	—	—	425
योग	20571 मे० टन	24185 मे० टन	20420 मे० टन

कुलती में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कारखाने में ठेकेदारों के श्रमिक

2432. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कुलती कारखाने में बड़ी संख्या में ठेकेदारों के श्रमिक स्थायी प्रकार के कार्यों पर कार्य कर रहे हैं,

(ख) कानून का इस प्रकार उल्लंघन क्यों करने दिया जा रहा है,

(ग) क्या यह भी सच है कि सबसे बड़े ठेकेदारों और इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के प्रबन्धकों द्वारा भविष्य निधि के बारे में कानूनी दायित्वों का पालन नहीं किया जा रहा है और मुख्य नियोक्ता के रूप में इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी श्रमिकों के वेतन से भविष्यनिधि की राशि की कटौती नहीं कर रहा है, और

(घ) दोषी ठेकेदारों की फर्मों के खिलाफ और भविष्य निधि की भारी बकाया राशि वसूल करने के लिये इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के प्रबन्धकों द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) से (घ) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

ग्रामीण बैंक योजना

2433. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निर्धन व्यक्तियों को सहायता तथा अनुदान देने के उद्देश्य से "ग्रामीण बैंक" योजना बनाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में अब तक ऐसे कितने बैंक कार्य कर रहे हैं और 30 दिसम्बर, 1980 तक उनके कार्य की क्या प्रगति रही ; और

(ग) क्या सरकार सेवारत शाखा प्रबन्धकों और सरकारी बैंकों के अन्य कर्मचारियों के लिए अब तक बनाई गई कोई रिपोर्ट, नियम अथवा विनियम सभा पटल पर रखेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) : ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के कमजोर वर्गों की ऋण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जा रही है।

(ख) दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार, देश के 17 राज्यों में 143 जिलों को व्याप्त करते हुए 85 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे थे। हाल की उपलब्ध सूचना के अनुसार जून, 1980 के अन्त की स्थिति यह थी कि 73 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 2735 शाखाएं खोली थीं तथा 164 करोड़ रुपये की जमा राशियां एकत्र की थीं। उस तारीख को लगभग 18.5 लाख ऋण खातों में कुल ऋणों की बकाया राशि 181 करोड़ रुपये थी।

(ग) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 के अधीन, भारतीय रिजर्व बैंक और प्रायोजक बैंकों के परामर्श से, सरकार ने, "आदर्श (स्टाफ) "सेवा विनियम" तैयार किये थे। इन आदर्श विनियमों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की सेवाओं के निम्नलिखित विभिन्न पहलू व्याप्त हैं ;

जैसे : नियुक्ति, परिवीक्षा, वरिष्ठता, आचरण, अनुशासन, छुट्टी, चिकित्सा लाभ, भविष्यनिधि आदि। उपलब्ध सबसे ताजा सूचना के अनुसार अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने इन विनियमों को अपना लिया है।

भारतीयों द्वारा उगांडा में पूंजी निवेश

2434. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उगांडा में पूंजी निवेश की शर्तों का ब्योरा क्या है ;

(ख) उगांडा में पूंजी निवेश नियंत्रित करने वाले नियम क्या हैं ; और

(ग) उगांडा के अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए पूंजी निवेश के लिए क्या सुरक्षा उपबन्ध किए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरमन) (क) तथा (ख) यद्यपि यूगांडा की वर्तमान सरकार की औद्योगिक नीति तथा विदेशी भागीदारी से सम्बन्धित नियमों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, फिर भी यह बात स्पष्ट है कि विदेशी भागीदारों द्वारा किए गए निवेश से अर्जित आय के प्रेषणों की व्यवस्था का विनियमन विदेशी भागीदारों तथा यूगांडा सरकार के बीच निष्पन्न हुए अलग-अलग करारों की शर्तों के अनुसार, किया जाता है और प्रत्येक मामले का फैसला भी उसके गुणावगुणों के आधार पर किया जाता है ।

(ग) संविदागत वचनबद्धताओं को पूरा करने की यूगांडा सरकार की नीति ही समस्त संभावित पूंजी निवेशकर्ताओं के लिए पर्याप्त संरक्षण है ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में रोजगार के मामले में स्थानीय लोगों में रोष

2435. **श्री लक्ष्मन मलिक** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्थानीय लोगों को रोजगार के मामले पर राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्थानीय लोगों में भारी रोष है जिसके परिणामस्वरूप अगस्त, 1980 से कानून और व्यवस्था की गम्भीर समस्या हो गई है,

(ख) क्या सरकार को इस बारे में संसद सदस्य से कोई पत्र प्राप्त हुआ है,

(ग) यदि हां, तो उनमें निहित मुख्य बातें क्या हैं, और

(घ) उपचारात्मक उपायों के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) : यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि राउरकेला के स्थानीय और इसके आस-पास के क्षेत्रों के लोगों के कुछ वर्गों में राउरकेला इस्पात कारखाने में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के मामले में शिकायत है ।

(ख) जी, हां । माननीय सदस्य से, जिन्होंने यह प्रश्न पूछा है, दिनांक 22 जनवरी 1981 का एक पत्र प्राप्त हुआ था । इससे पहले इस्पात कारखाने को एक अन्य संसद सदस्य, का भी पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें इससे बिल्कुल विपरीत बात कही गई थी ।

(ग) जनवरी, 1981 के पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आरोप लगाए गए हैं/सुझाव दिए गए हैं :—

(1) भर्ती के बारे में कारखाने और स्थानीय रोजगार कार्यालय में भ्रष्टाचार ;

(2) कारखाने के कार्मिक विभाग को उप-महा-प्रबन्धक के अधीन रखने और सभी प्रकार की भर्ती उसके द्वारा करने की आवश्यकता है ;

(3) अधिकारी स्तर के नीचे के पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती हेतु निर्धारित नीति का पालन न करना ;

(4) अधिकारियों की भर्ती के मामले में राज्य सरकार के एक अधिकारी का सहयोग प्राप्त करना तथा साक्षात्कार भुवनेश्वर अथवा राउरकेला में करना; आदि-आदि ।

(घ) भर्ती नीति/प्रक्रिया पहले से है और राउरकेला इस्पात कारखाना तथा अन्य कारखाने पहले से ही उसका पालन कर रहे हैं । यह कहना ठीक नहीं है कि राउरकेला इस्पात कारखाने में अधिकारी स्तर के नीचे के पदों के लिए बनाई गई नीति का सही तरह से पालन नहीं किया जा रहा है । कारखाने द्वारा सभी श्रेणियों के पदों के लिए भर्ती का काम उप-महा-प्रबन्धक देखते हैं, जो राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए हुए हैं । उन्हें सभी महत्वपूर्ण विभागीय पदोन्नति समितियों में भी शामिल किया गया है । स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अन्य कारखानों की भांति इस कारखाने के कार्मिक विभाग को भी एक व्यावसायिक कार्मिक प्रबन्ध के अधीन ही रखना होगा ।

अधिकारी स्तर के पदों का साक्षात्कार अखिल भारतीय आधार पर इस कार्य के लिए नियत देश के 11 केन्द्रों में लिया जाता है । चयन समिति में विभिन्न राज्य सरकारों का प्रतिनिधि नामित करना सम्भव न होगा ।

काले धन का पता लगाने के लिए कदम

2436. **श्री माधव राव सिन्धिया :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काले धन की मात्रा के बारे में सरकार का अद्यतन मूल्यांकन क्या है ; और

(ख) सरकार द्वारा काले धन का पता लगाने के लिये पिछले एक वर्ष में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है और उपरोक्त अवधि मे कितने काले धन का पता लगाया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रुवाई सिंह रिसोदिया) : (क) सरकार ने देश में काले धन का कोई अनुमान नहीं लगाया है ।

(ख) काले धन के विरुद्ध चालू की गई लड़ाई एक सतत अभियान है और काले धन की उत्पत्ति को रोकने के लिए कोई एक उपाय दीर्घकालीन एवम् सशक्त प्रयत्नों का स्थान नहीं ले सकता । सरकार ने कर-अपवंचन तथा कालेधन की उत्पत्ति को रोकने के लिये समय-समय पर अनेक विधायी उपाय किये है । प्रशासनिक और जांच तंत्र को मजबूत करने के उपाय करके विधायी उपायों को सुदृढ़ किया गया है । सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में हाल ही में किए गये/किये जा रहे उपायों में से कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :—

(1) निरीक्षण निदेशकों/आयकर आयुक्तों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत तलाशी लेने और माल पकड़ने से सम्बन्धित शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। हाल ही में उप निरीक्षण निदेशकों और निरीक्षी सहायक आयुक्तों को भी ये शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(2) जिन व्यक्तियों के पास कर लगने योग्य आय/धन तो है परन्तु कर अदा नहीं कर रहे हैं, उनका पता लगाने के लिये और मौजूदा कर-दाताओं के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने के लिए आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य और तेज कर दिये गये हैं तथा सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य निरन्तर करते रहने के लिए अब एक स्थायी संगठन बनाया जा रहा है।

(3) नितान्त गुप्त सूचना एकत्र करने के लिए एक संगठन स्थापित करने का निर्णय किया गया है। संगठन का उपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे मामलों की फाइलें (डोजियर) तैयार करने के लिये भी किया जायेगा जिनमें बड़े पैमाने पर कर-अपवंचन अन्तर्ग्रस्त हो, ताकि उनमें निहित सूचना का उपयोग अपेक्षित जांच-पड़ताल करने में किया जा सके, जिसमें तलाशी लेने और माल पकड़ने से संबंधित कार्यवाही भी शामिल है।

(4) जिन मामलों में कर अपराध के लिए दोष-सिद्ध के तुरन्त बाद कर अपवंचन प्रमाणित हो जाता है, उनका अनेक माध्यमों से प्रचार करने के लिए भी हाल ही में निर्णय लिया गया है। यह इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार करने से अन्य कर-अपवंचकों के मन में भय उत्पन्न हो जाय, जिससे वे अपवंचन करने की जुर्रत न कर सकें।

(5) आयकर विभाग द्वारा चलाए गये मुकदमों का काम हाथ में लेने वाले संगठन में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है।

(6) काले धन को उत्पादन प्रयोजनों में लगाने के निमित्त सरकार ने, 12 जनवरी, 1981 को "विशेष धारक बंध-पत्र (विभुतियां तथा छूटें) अध्यादेश, 1981" जारी किया है जिसके अन्तर्गत ऐसे बंध-पत्र धारकों को विमुक्तियां तथा छूटें प्रदान करने की व्यवस्था है।

आयकर विभाग ने, 1 अप्रैल, 1981 से 28 फरवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान 3339 तलाशियां ली। इन तलाशियों में प्रथम दृष्टिया 1707 लाख रुपये मूल्य की लेखा-वाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गयी।

रसायन उद्योग में "तीन लाइसेंसिंग" सुविधा का दुरुपयोग

2437. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर रसायन उद्योग में "लोन लाइसेंसिंग" सुविधा का दुरुपयोग किये जाने के मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लोन लाइसेंसों पर एक बार छूट प्राप्त वस्तुओं को उत्पादन शुल्क के भुगतान से दूसरी बार छूट दे दी जाती है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की

हानि हो रही है और लघु क्षेत्र में वास्तविक एककों को नुकसान उठाना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उन मामलों का ब्यौरा क्या है, जो अब तक सरकार के ध्यान में आये हैं और उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है। -

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) से (ग) : सरकार को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के प्रयोजन के लिए) "लोन लाइसेंस" के आधार पर सश्लिष्ट कार्बनिक रंजक द्रव्यों का विनिर्माण करके केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की चोरी किये जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। वस्तुओं को उत्पादन शुल्क से दोबारा छूट देने का प्रश्न नहीं उठता है और सरकार को भी ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है।

उत्पादनकारी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यवाही

2438. **श्री जयनारायण रोत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्पादनकारी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : पिछले वर्ष से, सरकार ने उत्पादनशील निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रथमतः, औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और स्वीकृति प्रदान करने में जो अधिक समय लगता था उसमें भी कम समय लगता है। दूसरे, उत्पादनशील स्थापित क्षमता को नियमित बनाने एवं कतिपय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहज विकास के लिए व्यवस्था कर दी गई है। शत (100) प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों के लिए एक नई सुविधा की व्यवस्था की गई है। ऋण पत्र सम्बन्धी मार्ग-दर्शी निर्देशों में संशोधन किया गया है तथा ब्याज की दर बढ़ाकर 13.5 प्रतिशत कर दी गई है। उत्पादनशील निवेश को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से ब्याज दरों के ढांचे की पुनःसंरचना की गई है। बचतों तथा उत्पादनशील निवेशों में वृद्धि करने के लिए नए बजट में बहुत-सी रियायतें तथा करों से छूटें दी गई हैं।

मध्य प्रदेश में डाक टिकटों की छपाई के लिए सिक्योरिटी प्रेस

2439. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक टिकटों की छपाई के लिए मध्य प्रदेश में एक सिक्योरिटी प्रेस तथा मशीनें स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इसकी स्थापना कहां की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ग्रामीण विकास बैंक का खोला जाना

2440. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ग्रामीण विकास बैंकों के खाते खोलने का कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश में किन—किन स्थानों पर इस बैंक की कुल कितनी

शाखाएं खोलने जाने की आशा है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट)

(क) और(ख) : माननीय सदस्य का आशय संभवतः देश में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना से हैं। सरकार द्वारा, उपर्युक्त बैंक की स्थापना का निर्णय लिया जा चुका है। इस संबंध में एक विधेयक के संसद में शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की आशा है। बैंक, कृषि तथा ग्रामीण विकास के कार्यकलापों के लिए ऋण प्रदान करने के क्षेत्र में राष्ट्रीय-स्तर पर एक शीर्ष पुनर्वित्त संस्था के ग्रुप में होगा। राज्यों में इसके कार्यालयों अथवा इसके प्रशासनिक ढ़ाँचे के ब्यौरे को अभी अन्तिम रुप नहीं दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ बागान क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण

2442. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**

श्री के० पी० सिंह देव : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ बागान क्षेत्र में वृद्धि करने की संभावना का पता लगाने के लिए इस क्षेत्र में रबड़ बोर्ड द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) तथा (ख) : रबड़ बोर्ड ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रबड़ बागान का विस्तार करने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए गहन सर्वेक्षण किए हैं। इन सर्वेक्षणों और परिक्षणात्मक रोपणों से पता चला है कि इस क्षेत्र में रबड़ उत्पादन के लिए पर्याप्त संभाव्यता है। प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार रबड़ की खेती के लिए असम में 1 लाख हेक्टार, त्रिपुरा में 25000 हेक्टार और मिजोरम, मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , नागालैंड तथा मणिपुर में कुल मिलाकर 50,000 हेक्टार की सीमा तक कों उपमुक्त भूमि है।

अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार बोर्ड ने नागालैंड में रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त चुनिन्दा भूभागों में 5,700 हेक्टार क्षेत्र का पता लगाया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बन्द किया जाना

5443. **श्री चित्त महाटा** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों ने उचित दर की दुकानों के विक्रेताओं के माध्यम से अनाज तथा अन्य वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली बंद कर दी है ; और

(ख) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्तो)

(क) किसी भी राज्य सरकार से इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिड़ला ग्रुप की कम्पनियों को दिया गया वित्त

2444. **स्वामी इन्द्र वेश :**

श्री राम विलास पासवान :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वित्तीय संस्थानों के क्या नाम हैं जिन्होंने गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिड़ला ग्रुप की कम्पनियों को वित्त प्रदान किया है;

(ख) कौन-कौन सी बिड़ला कम्पनियों को वित्त दिया गया है;

(ग) कुल कितनी राशि का वित्त दिया गया है; और

(घ) उक्त कम्पनियों का वित्त पोषण किन शर्तों पर किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सदन के पलट पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की चोरी के मामलों का पता लगाया जाना

2445. **श्री एच० एन० गौडा :**

श्री डी० एम० पुत्त गौडा :

श्री के० लकप्पा : क्या वित्त मन्त्री निम्न जानकारी देने वाला एक वितरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर अपवंचन विरोधी निदेशालय (केन्द्रीय उत्पाद/शुल्क) ने 1980 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी के 28 मामले पकड़े हैं, जिसमें 395 लाख रु० की राशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो इन 28 मामलों का ब्योरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में उत्पाद-शुल्क की कितनी राशि की चोरी की गई है;

(ग) अन्य मामलों का, जो अभी तक विचाराधीन तथा जांच के अधीन है, ब्योरा क्या है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या दण्डित कायवाही की गई है ?

वित्त न्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) वर्ष 1980 के दौरान केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अपवंचन के संबंध में अपवंचन निवारक निदेशालय (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) द्वारा प्राप्त विभिन्न "गुप्त सूचना" रिपोर्टों के आधार पर 28 मामले, जिनमें अनुमानित 3,95,20.लाख रुपये का शुल्क-अपवंचन ग्रस्त था, कार्यवाही/जांच-पड़ताल हेतु हाथ में लिए गए थे । इनमें से 14 मामलों में जांच का कार्य पूरा कर लिया गया था जिनमें अनुमानित 1,55,87 लाख रुपये का शुल्क अपवचन ग्रस्त था । अन्य 14 मामलों में जांच-पड़ताल कार्य अभी चल रहा है ।

(ख) 14 मामलों में जांच-पड़ताल अभी पूरी की जानी है । यद्यपि बाकी 14 मामलों में जांच-कार्य पूरा किया जा चुका है, लेकिन अभी उन पर संबंधित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता द्वारा कार्यवाही की जानी है । अतः सभी 28 मामलों के ब्यौरे देना जनहित में नहीं है ।

(ग) शुल्क अपवंचन संबंधी अनेक "गुप्त सूचना" रिपोर्टों पर कार्यवाही की जा रही है । इस समय इन मामलों का ब्यौरा जाहिर करना जन-हित में नहीं होगा ।

(घ) जांच-कार्य पूरा होने के बाद, निदेशालय द्वारा जांच-पड़ताल सम्बन्धी रिपोर्टें तथा संगत रिकार्ड, कानून के मुताबिक विभागीय न्याय-निर्णयन कार्यवाही आदि आरम्भ करने के लिए संबंधित क्षेत्राधिकारिक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ताओं को भेज दिए जाते हैं।

निर्यात लक्ष्य

2446. **श्री धर्मवीर सिंह :**

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई वस्तुओं का निर्यात, इन वस्तुओं के चालू वर्ष के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में बहुत कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं के क्या नाम हैं जिनके निर्यात में कमी आई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) वर्ष 1980-81 के लिए समग्र निर्यात लक्ष्य 7100 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है और आशा है कि इसे प्राप्त कर लिया जायेगा।

1980-81 के दौरान कई मदों के निर्यात निष्पादन की प्रवृत्ति उत्साहजनक रही है। तथापि जिन मदों के निर्यातों को पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के पहले दो-तीन तिमाहियों के दौरान धक्का पहुंचा है। इनमें शामिल हैं : समुद्री उत्पाद, चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुएं, मसाले, खली, तथा चीनी।

चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यातों में गिरावट का कारण अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा बाजार में मंदी का चलना है। समुद्री उत्पादों के निर्यातों में कमी मुख्य रूप से प्रांन मछली के कम पकड़े जाने और ईंधन की लागत में वृद्धि होने के फलस्वरूप उत्पादन लागत बढ़ने के कारण हुई है। मसालों के सम्बन्ध में काली मिर्च तथा इलायची जैसी प्रमुख मदों के निर्यातों में मात्रा की दृष्टि से सुधार हुआ है परन्तु कम इकाई मूल्य प्राप्ति के कारण निर्यात आय में उतनी वृद्धि नहीं हुई है। मसालों के समग्र निर्यातों में गिरावट लाल मिर्च, अदरक, हल्दी आदि जैसी अन्य मदों तक सीमित रही है। 1979-80 के दौरान 138.3 करोड़ रु० मूल्य की 5.89 लाख मे० टन चीनी का निर्यात किया गया। चालू वर्ष के दौरान चीनी के निर्यातों पर प्रतिबंध लगाया गया और घरेलू आवश्यकताओं के कारण हाल ही में उस पर रोक लगा दी गई।

नियमित निर्यात सवर्धन कार्यकलापों के अलावा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में कई उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) 'लाइसेंस क्षमता' तथा 'प्रधानता' के प्रयोजन के लिए निर्यात हेतु उत्पादन को अलग रखना।

(2) उस मामले में निर्यात की नई वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति देना जहां उस वस्तु में परिवर्तन किया जाना है, जिसके विनिर्माण के लिए किसी औद्योगिक इकाई

को लाइसेंस दिया गया है।

(3) ऐसे निर्यात उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी आयातों के बारे में अनुकूल व्यवहार करना जिसमें रायल्टी का एक मुश्त भुगतान अंतर्ग्रस्त हो।

(4) निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजन के लिए उद्योगों की विस्तारित सूची में स्वतः विस्तार करने की अनुमति देना।

(5) सभी शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख इकाइयों को मुफ्त व्यापार जैसा ही व्यवहार प्रदान करना।

(6) महानगरीय शहरों में नए औद्योगिक उपक्रमों पर लगाए गए प्रतिबंधों में ऐसे एककों को, जो निर्यात के लिए उत्पादन कर रहे हैं, चयनात्मक आधार पर छूट देना।

सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निर्यात बढ़ाने की संभाव्यताओं का पता लगा रही है। आशा है कि निर्यात आयात बैंक, जिसकी स्थापना की जा रही है, निर्यात वित्त व्यवस्था का विस्तार करेगा। शुल्क वापसी संवितरण में विलम्ब के मामलों को क्रय करने तथा क्रिया विधियों का सरलीकरण करने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। अर्ध-साधित चमड़े तथा काफी पर से निर्यात शुल्क कम कर दिया गया है और हैसियन तथा पटसन से बनी वस्तुओं पर पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

स्टेट बैंक के विदेश विभाग का स्थानान्तरण

2447. **श्री निरेन घोष** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की स्टेट बैंक के विदेश विभाग को कलकत्ता में टाटा सेंटर से बम्बई में इन्टरनेशनल डिवीजन में स्थानान्तरित करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्रभावित कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) (क) : जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अखबारी कागज के मामले में आत्मनिर्भरता

2448. **श्री आर० के० महालगी** :

प्रो० मधु दण्डते : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में प्रत्येक महीने के दौरान अखबारी कागज की मांग और सप्लाई स्थिति क्या है ;

(ख) क्या इन्डियन और ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसाइटी ने अखबारी कागज की कमी के लिये राज्य व्यापार निगम को जिम्मेदार पाया है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और की गई कार्यवाही तथा प्राप्त हुए परिणाम क्या हैं ;

(घ) क्या इस बारे में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) गत तीन महीनों में प्रत्येक महीने के दौरान भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा प्रक्षिप्त आयातित अखबारी कागज की आवश्यकता और इसकी सप्लाई स्थिति निम्नोक्त प्रकार है :

मास	मांग	सप्लाई
नवम्बर, 80	26,000 मे० टन	29,458 मे० टन
दिसम्बर, 80	26,000 मे० टन	30,689 मे० टन
जनवरी, 81	26,000 मे० टन	26,067 मे० टन

(ख) तथा (ग) : इन्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसायटी अपने सदस्यों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं का समय-समय पर उल्लेख करती है और उनका समाधान करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

(घ) तथा (ङ) : यह आशा नहीं है कि देश अगले कुछ वर्षों में अखबारी कागज में आत्मनिर्भर हो जायेगा । चूंकि अखबारी कागज भी एक सस्ती किस्म है अतः अखबारी कागज के विनिर्माण के लिये देश के प्रमुख वन के दुर्लभ एवं बहुमूल्य साधनों को इस्तेमाल करने का क्षेत्र सीमित है । तथापि, नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स का 75,000 मे० टन प्रति वर्ष की क्षमता तक विस्तार, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट का अखबारी कागज के विनिर्माण के लिये 80,000 मे० टन प्रतिवर्ष की क्षमता तक विस्तार, और मैसूर पेपर मिल्स न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट का अखबारी कागज के विनिर्माण के लिये 75,000 मे० टन की क्षमता तक विस्तार, जैसी विभिन्न योजनाएं अखबारी कागज का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिये आरम्भ की गई है ।

अप्रयुक्त विदेशी सहायता

2449. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **वित्त मंत्री** निम्न जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सहायता की बहुत बड़ी राशि अप्रयुक्त रह जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अप्रयुक्त राशि का परियोजनावार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राशि का उपयोग न किए जाने के कारण कितनी सहायता राशि व्यपगत हो जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) विदेशी सहायता प्रायः परियोजनाबद्ध सहायता और परियोजना-भिन्न सहायता के रूप में प्राप्त होती है । परियोजनाबद्ध सहायता के लिए सहायता-करारों में इसके इस्तेमाल के लिए एक समय-सूची होती है और ऐसी परियोजनाओं का कार्यान्वयन उसी समय-सूची के अनुसार चलता है । चालू परियोजनाओं के मामले में हमेशा परियोजना की अवधि के बढ़ाए जाने, राशियों का फिर से आवंटन किए जाने,

परियोजना संघटनों में संशोधन किए जाने आदि की संभावना बनी रहती है। परियोजना-भिन्न सहायता के सम्बन्ध में भी करारों पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख और संवितरण की वास्तविक तारीख के बीच काफी अन्तर होता है जिसे आमतौर से करारों में निर्धारित समय-सूची के अन्दर-अन्दर पूरा किया जाता है। चूंकि उपलब्ध सहायता की राशि केवल विनिर्दिष्ट अन्तिम तारीखों के अन्दर-अन्दर इस्तेमाल की जानी होती है, इसलिए किसी समय विशेष पर मार्गस्थ सहायता सदा ही अप्रयुक्त रहेगी।

(ग) वर्ष 1966 और 1978 के बीच किए गए करारों से सम्बन्धित 2.98 करोड़ रुपए की थोड़ी सी रकम व्यपगत (लैप्स) हो गई है।

अर्थव्यवस्था के पुनरोत्थान के लिये योजना

2450. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था के पुनरोथान हेतु बचतों, निवेश, उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए योजनायें बनाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपाय किये गये और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) तेजी से सर्वोनमुखी आर्थिक विकास करने के लिए सरकार ने समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं। अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के उद्देश्य से 1980-81 के बजट में अनेक राजकोषीय उपाय शामिल किये गये थे। इनमें से कुछ उपाय अनुबन्ध में दिए गए हैं। इन उपायों के फलस्वरूप 1980-81 के मध्य में अर्थ-व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना सम्भव हुआ। 1981-82 के दौरान अर्थ-व्यवस्था में पुरुद्धार होना जारी रहने और उसकी गति बढ़ने की आशा है।

विवरण

अर्थ-व्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए अपनाये गये कुछ उपाय

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थ-व्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा शुरू किये गए कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) अनुमोदित दीर्घावधिक बचतों पर आयकर की छूट प्राप्त करने के लिए सीमाओं को बढ़ा दिया गया है।

(2) पूंजी निवेश और उत्पादन को बढ़ाने के लिए "कर-अवकाश" की व्यवस्था को संशोधित कर दिया गया है ; छठी आयोजना की अवधि के अन्तर्गत मशीनरी और संयंत्र लगाने के संबंध में अतिरिक्त मूल्यह्रास छूट की घोषणा की गयी है। अनेक वस्तुओं पर उपाद शुल्क हटा दिया गया है या कम कर दिया गया है। छोटे पैमाने के क्षेत्र में उत्पादित की गई 72 विशिष्ट वस्तुओं के सम्बन्ध में रियायती शुल्क लगा दिये गये हैं।

(3) सरकारी वित्तीय संस्थाओं से सहायता को सुलभ बनाने के लिए रुपान्तरण संबंधी खण्ड के उपबन्धों को काफी उदार बना दिया गया है।

(4) अत्यन्त महत्व के तथा आधारभूत उद्योगों के स्वतः विस्तार की अनुमति देने तथा उनकी संस्थापित क्षमता को मान्यता देने के लिए भी उपायों की घोषणा की गई है। लाइसेंस देने की प्रक्रियाओं को सुधारा गया है तथा आवेदन पत्रों के निपटान के लिए निश्चित समय सीमा को काफी अधिक कम कर दिया गया है।

(5) औद्योगिक निर्यात के संवर्धन के लिए कई उपाय किये गए हैं। इनमें ये उपाय शामिल हैं जैसे कि सभी शतप्रतिशत निर्यात प्रधान एककों के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र जैसा व्यवहार, निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योगों को विस्तृत सूची का स्वतः विस्तार, महानगरों में नए उद्योगिक उपक्रमों पर लगाए गए प्रतिबन्धों में चयनात्मक आधार पर छूट, प्रत्यपर्ण के संवितरणों में होने वाले विलंब में कमी, प्रक्रियाओं का सरलीकरण आदि।

बचतों, पूंजी निवेश, उत्पादन, और निर्यात को बढ़ावा देने लिए वित्तीय और अन्य उपाए सरकार की आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण अंग हैं। आर्थिक स्थिति के संदर्भ में इनकी लगातार पुनरीक्षा की जाती है।

टेढ़ी-मेढ़ी छड़ें अथवा टारस्टील का आयात

2451. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **स्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्माण प्रयोजना के लिए काम आने वाली टेढ़ी-मेढ़ी छड़ों अथवा टारस्टील का आयात करने का सरकार का विचार है,

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहाँ से इनका आयात किए जाने का विचार है और किस मात्रा में इन्हें आयात किया जाएगा तथा इसमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्विष्ट होगी, और

(ग) : क्या इनका आयात किये जाने का निर्णय करने से पूर्व सरकार ने देश में इन छड़ों के निर्माण की सम्भावनाओं का पता लगाया था और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

वाणिज्य तथा स्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)

(क) और (ख) : स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सन् 1980—81 के दौरान किए गए करारों के अनुसार 1886 लाख रुपये मूल्य का 69,89 टन आयात आष्ट्रेलिया जापान, इंडोनेशिया, पश्चिमीजर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन से किया जा रहा है।

(ग) : आयात के बारे में निर्णय लेते समय उत्पादन की देयीय क्षमता तथा गुंजाइश और प्रवर्तमान कठिनाइयों, विदेशों में समय पर तथा स्पर्धी मूल्यों पर उपयुक्त किस्म की पुनर्बेयन योग्य सामिग्री की उपलब्धि तथा माँग की अपरिहार्यमः विशेषरुप से 1982 में होने वाली एशियाई खेलों की समयबद्ध आवश्यकताओं तथा प्राथमिक आवश्यकताओं सम्बन्धी सभी बातों को ध्यान में रखा गया था।

अभ्रक व्यापार निगम द्वारा परिष्कृत अभ्रक के लिए सांविदें दर्ज करने से इन्कार किया जाना

2452. **श्री रीत लाल वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ में संगठन द्वार जुलाई, 1980 में पंजीकृत निर्यात कर्ताओं के साथ परिष्कृत अभ्रक के लिए किए गए ठेके अभ्रक व्यापार निगम ने दर्ज करने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभ्रक व्यापार निगम ने सितम्बर, 1980 में परिष्कृत अभ्रक के न्यूनतन सांविधिक मूल्य बढ़ाए थे और उसने सभी खरीददारों से उनके द्वारा दो महीने पहले किए गए सांविदों के सम्बन्ध में नये मूल्यों के बारे में बातचीत पुनः करने को कहा था ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा पहले ही किये जा चुके करारों के अनुसार निर्यात को जारी रखने का है ताकि भारतीय परिष्कृत अभ्रक के एक मात्र खरीददार के साथ सम्बन्ध ठीक बने रहें ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (खुर्शीद आलम खान)

(क) जी नहीं। सोवियत संघ के खरीददारों ने जुलाई 1980 में भारतीय निर्यातकों के साथ कोई पक्की सांविदा नहीं की थी।

(ख) अन्तर्निविष्ट सामानों की बढ़ती हुई लागत के आधार पर अभ्रक की निर्यात की शर्तें सितम्बर, 1980 में संसोधित की गई थी। चूंकि सोवियत संघ के खरीददारों की जून-जुलाई, 1980 की विगत पूछताछें पहले पंजीकृत नहीं की गई थी, अतः अभ्रक व्यापार निगम द्वारा सितम्बर, 1980 में घोषित की गई नई कीमतें उन पर भी लागू होती थी।

(ग) जी नहीं। सोवियत संघ के खरीददारों ने चालू वर्ष के लिए अभ्रक की खरीद के लिए इस बीच एक सांविदा की है।

विश्व के बाजारों से ऋण

2453. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि भारत को छठी तथा सातवीं पचवर्षीय योजनाओं के दौरान विश्व के बाजारों से बड़ी राशि का ऋण लेना पड़ सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और ऋण कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) ऐसा अनुमान है कि कच्चे तेल और पैट्रोलियम उत्पादों के आयात की कीमतों मे वृद्धि होने के कारण और अन्य आवश्यक आयातों की लागत को प्रभावित करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति की स्थिति बराबर बनी रहने की वजह से देश को भुगतान शेष की स्थिति पर अल्पावधि और मध्ययावधि में पर्याप्त दवाब पड़ेगा। भुगतान शेष की वित्त पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पहले की अपेक्षा अधिक सीमा तक बाह्य वित्त पोषण का आश्रय लेना आवश्यक होगा। किन्तु इस प्रकार के वित्त-

पोषण की मात्रा और उसके गठन को नितांत रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण ऋण प्रबंध की सीमाओं के अन्तर्गत रखा जाएगा;

सरकार विदेशी ऋणों पर निर्भरता में कमी करने के लिए कई उपाय करती रही है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि इस्पात, सीमेंट, अलौह धातुओं और उर्वरकों के क्षेत्र में क्षमता के पूर्ण उपयोग द्वारा अल्पावधि और मध्यमावधि में प्रभावी आयात प्रतिस्थापन के लिए प्रयत्न करना, और दीर्घावधि में इन क्षेत्रों में पर्याप्त विस्तार की सुनिश्चित व्यवस्था करना;

(ख) देश में तेल और तेल उत्पादों की खोज में वृद्धि वैकल्पिक उर्जा के विकास और उनकी उपयुक्त कीमत निर्धारण द्वारा आयातित तेल पर भारी निर्भरता में कमी करने का प्रयत्न और;

(ग) निर्यात कार्य को और अधिक गतिशील बनाने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं ताकि देश वृद्धिशील और आधुनिक रूप धारण करती हुई अर्थव्यवस्था की आयात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए बाह्य स्रोतों से अत्यधिक उधार लिए बिना अदायगी कर सकें।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय को बम्बई से बंगलौर ले जाने का प्रस्ताव

2454. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय रेशम बोर्ड का कार्यालय बम्बई से बंगलौर ले जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या बंगलौर देश में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक होने के कारण ऐसा किया जा रहा है; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री खुर्शीद आलम खांन : (क) से (ग) प्रश्नाधीन प्रस्थापना पर विचार किया गया था लेकिन उसे उपयुक्त नहीं समझा गया।

तीसरी विमान सेवा में प्रयोग किए गए विमान

2455. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में शुरू की गई तीसरी विमानन सेवा वायुदूत के लिए प्रयोग में लाए गए विमानों की संख्या कितनी है और उनका उड़ान क्षेत्र क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) वायुदूत ने इंडियन एयर-लाइन्स से दो फोकर एफ-27 विमान पट्टे (लीज) पर लिए हैं। फिलहाल वायुदूत केवल उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में परिचालन कर रही है और अभी निम्नलिखित स्थान विमान सेवा से जोड़े गये हैं—

1. बारापानी
2. कैलाशहर
3. रूपसी

4. कमालपुर
5. तेजू
6. डिब्रूगढ़
7. गौहाटी
8. अगरतला

मोटरकार दुर्घटना के दावों को निपटाना

2456. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य बीमा निगम को मोटरकार दुर्घटना संबन्धी दावों को निपटाने में औसत कितना अधिकतम और न्यूनतम समय लगता है; और

(ख) निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में ऐसे कितने दावे निपटाये और कितने अधिकतम और न्यूनतम राशि का भुगतान किया गया और कितना समय लगा ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) साधारण बीमा निगम की सहायक कंपनियों से यथासंभव सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यटन तथा नये होटलों पर 1979 के बाद खर्च की गई राशि

2457. **श्री जेवियर अराकल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन पर वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान कितनी राशि खर्च की गई और 1981-82 के लिए कितनी राशि का प्रस्ताव है, इससे कौन से राज्यों को लाभ मिला है;

(ख) नये होटलों के निर्माण पर 1979 से लेकर अब तक कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम किस मानदंड से राशि नियत करता है ? 1979 से लेकर अब तक केरल में कितनी राशि खर्च की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)

(क) पर्यटन को विकसित करने का खर्च राज्य-वार आधार पर नहीं किया जाता। विभिन्न केन्द्रों पर पर्यटन के विकास के लिए स्कीमें इस आधार पर शुरू की जाती हैं कि उन केन्द्रों में आकर्षित करने की कितनी सम्भावनाएं हैं और तदनुसार खर्च स्कीम-वार किया जाता है।

1979-80 के दौरान विभिन्न पर्यटक केन्द्रों के विकास पर किया गया खर्च 1980-81 के दौरान पूर्वानुमानित खर्च और 1981-82 के दौरान केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत पर्यटन के विकास और समर्थन के लिए प्रस्तावित परिव्यय नीचे दिया गया है :

केन्द्रीय सेक्टर	1979-80 (वास्तविक)	1980-81 (अनुमानित)	1981-82 (प्रस्तावित)
		(रुपये लाखों में)	

(1) पर्यटन विभाग	155.20	265.85	400.00
(2) भारत पर्यटन विकास निगम	840.42	700.00	1100.00
जोड़ :	995.62	965.85	1500.00

(ख) भारत पर्यटनविकास निगम द्वारा नए होटलों के निर्माण पर 1979-80 और 1980-81 (दिसम्बर, 1980 तक) कुल 543.65 लाख रुपये की धन राशि खर्च की गई।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम (आई० टी० डी० सी०) द्वारा धन राशि का आबंटन राज्य-वार आधार पर नहीं किया जाता। उपलब्ध संसाधनों को ध्यान मे रखते हुए, कार्यान्वियन के लिए स्कीमों का चयन मांग, सामाजिक-आर्थिक महत्व और परस्पर प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। भारत पर्यटन विकास निगम ने केरल में कोवलम पर कुटीरों और एक होटल के निर्माण पर 210.00 लाख रुपये के पहले ही खर्च कर दिए हैं। इस निगम ने इनके सुधार पर 1979-80 में 7.15 लाख रुपये और 1980-81 के दौरान (जनवरी, 1981 तक) 8.66 लाख रुपये खर्च किए।

गुजरात में मिट्टी के तेल, मूंगफली के तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी

2458. **श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में मिट्टी के तेल, मूंगफली के तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में मूंगफली के तेल की कीमत में पिछले 2-3 वर्षों की तुलना में हाल ही के महीनों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से निर्धन तथा मध्यम श्रेणी के लोगों को जबरदस्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो मूंगफली के तेल, चीनो और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) केन्द्रीय नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, गुजरात सहित देश के अनेक भागों में कुछ आवश्यक वस्तुओं की कुछ कमी है।

(ख) जी हां।

(ग) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि का आप लोगों पर सामान्यतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से नियत मूल्यों पर चुनी आवश्यक वस्तुओं का वितरण करके कुछ हद तक हल्का किया जाता है।

(घ) आवश्क वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकारी नीति में मुख्य रूप

से उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को नियमित किया जा रहा है और कम मात्रा में उपलब्ध कुछ आवश्यक वस्तुएं आयात की जा रही हैं। ऋण नीति प्रतिबंधात्मक बनी हुई है राज्यों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा उसके तहत जारी किए गए आदेशों और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 के उपबंधों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।

देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कई दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक कदम उठाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं : (1) तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा गैर-पारम्परिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए नियोजित प्रयास करना, ताकि तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को कम किया जा सके; (2) पर्याप्त मात्रा में तेल का आयात जारी रखना; (3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अधिक तेल निर्मुक्त करना; (4) वनस्पति का उत्पादन निरंतर कायम रखना; (5) बिनौले के तेल के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देना; (6) वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर छापे मारकर तिलहनों तथा तेलों के गैर कानूनी व्यापार को नियंत्रित करना।

पार्ले एक्सपोर्ट (प्रा०) लिमिटेड और बिसलेरी इन्डिया (प्रा०) लिमिटेड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर

2459. **श्री धमदास शास्त्री :**

श्री के० लक्कप्पा : क्या वित्त मंत्री पार्ले एक्सपोर्टस (प्रा०) लिमिटेड आर बिसलेरी इन्डिया (प्रा०) लिमिटेड के बीच दिए गए समझौते के बारे में 5 दिसम्बर, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 284 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 14336 पाउंड के मूल्य की विदेशी मुद्रा के गैर-कानूनी अन्तरण तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के अन्य उल्लघनों के बारे में क्या प्रगति प्राप्त की गई है ;

(ख) मामले की वर्तमान अवस्था क्या है ; और

(ग) मामले को तेजी से अन्तिम रूप देने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) मेसर्स बिस्लेरी (इंडिया) प्रा० लि० तथा इसी कम्पनी के दो निदेशकों अर्थात् श्री रमेश चोहान तथा श्री एच० एम० गोलवाल के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत माने गए अपराधों के सम्बन्ध में 5-4-1980 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले पर भारत में की गई जांच-पड़ताल पूरी हो गई है। अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन को जो जांच-पड़ताल का कार्य सौंपा गया था, उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। अन्तरराष्ट्रीय पुलिस संगठन को अपनी रिपोर्ट जल्दी पूरी करने के लिए स्मरण कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निगम

2460. **श्री कमल नाथ :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निगम किन-किन स्थानों पर अन्वेषण कार्य कर रहा है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निगम द्वारा अपनाए जाने वाले ढंग नवीनतम है ; और

(ग) यदि हां, तो खनिज स्रोतों की तीव्र गति से खोज हेतु राष्ट्रीय अन्वेषण निगम के पास उपलब्ध प्रोद्योगिकी को अद्यपत करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) खनिज गवेषण निगम विभिन्न राज्यों में प्रोन्नत और ठेका आधार पर देश के विभिन्न खनिजों की विस्तृत खोज का काम करता है।

(ख) और (ग) : खनिज गवेषण निगम देश में प्रचलित तकनीकों का उपयोग करता है जिन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। निगम ने अपने अनुसधान और विकास कार्यक्रम में कुछ अनुसंधान योजनाएं शामिल की हैं और इन योजनाओं के नतीजों का मूल्यांकन किया जाना है।

"कच्चे माल के भण्डार समय पर न मिलने की शिकायत

2461. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्यातोन्मुखी उद्योगों से यह शिकायत मिली है कि उनको स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० से कच्चे माल के भण्डार समय पर नहीं दिए जा रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन वृद्धि में इन निर्यातोन्मुखी उद्योगों की सहायता करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) माल के वितरण में हुई देरी के बारे में इस प्रकार की कुछ शिकायतें सरकार को मिली हैं।

(ख) इंजीनियरी साज-सामान के निर्यातकों की आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने की दृष्टि से सरकार ने सांग्रामिक प्रतिरक्षा और एशियाई खेलों के बाद अगली प्राथमिकता इन्हीं को दी है। इंजीनियरी साज-सामान के निर्यातकों को इस्पात की सप्लाई की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कलकत्ता स्थित लोहे और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में उत्पादकों के साथ समय-समय पर बैठकें भी की जाती हैं। इनको दी जाने वाली सप्लाई के बारे में एक विशेष "क्रैश" कार्यक्रम भी बनाया गया है। जब कभी उत्पादकों के स्टाकयार्डों से वितरण में हुई देरी के विशेष मामले सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाती है और उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

विदेशी धन

2462. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने खाड़ी के देशों से विशेषकर राज्य को प्राप्त हो रहे

विदेशी धन के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) जी, हाँ। केरल राज्य सरकार ने विशेषकर खाड़ी के देशों से राज्य में प्राप्त होने वाले विदेशी प्रेषणाओं को जुटाने के लिए "दी केरल सेविंग्ज एण्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट" नामक एक गैर-बैंकिंग वित्तीय एजेंसी की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव किया था। रिजर्व बैंक के परामर्श से इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था और यह स्वीकार्य नहीं पाया गया। रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 1979 में इस मामले में राज्य सरकार को उपयुक्त परामर्श दिया था।

कम्पनियों द्वारा आयकर तथा धनकर का अपवंचन

2463. **श्री अजय विश्वास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 2 वर्षों में कितनी कम्पनियों ने आयकर तथा धनकर का अपवंचन किया ;

(ख) कम्पनियों के नाम क्या है और प्रत्येक ने कितनी राशि का कर-अपवंचन किया ; और

(ग) सरकार ने कर-अपवंचन के उन मामलों में क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) : आयकर विभाग, प्रत्येक वर्ष अपने बहुविध क्रियाकलापों के जरिये अर्थात लेखों की जाँच करके, कर-अपवंचन के विशिष्ट आरोपों की छानबीन करके, सर्वेक्षण, तलाशियों आदि की कार्यवाही करके कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले कर अपवंचन का पता लगाता है। इन मामलों का निपटान समूचे देश में फैले हुए कर निर्धारण-अधिकारी करते हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान कम्पनियों द्वारा किये गये कर अपवंचन तथा कर की चोरी की गई रकम से सम्बन्धित सूचना एकत्र करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा जो वांछित परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। जब कभी कर-अपवंचन के मामले विभाग के ध्यान में आते हैं तो उनके सम्बन्ध में कानून में की गई व्यवस्था के अनुसार, उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। यदि माननीय संसद सदस्य किसी मामले विशेष के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हों तो वह सूचना प्रस्तुत कर दी जाएगी।

सुपर बाजार

2464. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार एक उपभोक्ता सहकारी अथवा एक सरकारी विभागीय स्टोर है ;

(ख) जनता से कितने शेयरधारियों ने शेयर पूंजी में योगदान दिया है और किस प्रकार ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रबंध समिति में शेयरधारियों का एक भी निर्वाचित सदस्य नहीं है ; और

(घ) इसके आरम्भ से ही सुपर बाजार के सदस्यों की कितनी बार आम बैठक की गई है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) सुपर बाजार, दिल्ली एक सहकारी भंडार है, जो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू बम्बई सहकारी सोसायटी अधिनियम 1925 का (1/11) के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या एफ 284 (एस०) तारीख 25-6-1966 के तहत पंजीकृत है।

(ख) 31-12-1980 को 18,707 अंशधारी थे और उनके द्वारा दिया गया अंश पूंजी अंशदान 10.49 लाख रु० था।

(ग) प्रबंध समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 6 निर्वाचित किए जाते हैं और शेष भारत सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं। इनका निर्वाचन अभी नहीं हुआ है।

(घ) चूंकि सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है और प्रतिनिधि सामान्य निकाय के गठन के लिये सहायक नियमों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए अभी तक सामान्य निकाय की बैठक नहीं बुलाई गई है।

आयकर अधिकारियों (ग्रुप ए) और आयकर के सहायक आयुक्तों के स्थानांतरण के लिए मानदण्ड

2465. **श्री सांमजी भाई डामोर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग में आयकर अधिकारियों (ग्रुप ए) और आयकर सहायक आयुक्तों की एक चार्ज से दूसरे चार्ज में स्थानान्तरण के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली चार्ज में दिल्ली के आयकर अधिकारियों (ग्रुप ए) और आयकर सहायक आयुक्तों के स्थानान्तरण के समय इस मानदण्ड का कई मामलों में कठोरता से पालन नहीं किया गया ;

(ग) यदि हां, तो उन आयकर अधिकारियों (ग्रुप ए) और आयकर सहायक अयुक्तों के नाम और पद (आयकर अधिकारी ग्रुप ए के रूप में उनकी अवधि सहित) क्या हैं जिनकी दिल्ली में सेवा-अवधि उपर्युक्त (क) में उल्लिखित निर्धारित अवधि से अधिक हो चुकी है।

(घ) इन अधिकारियों को दिल्ली चार्ज से बाहर स्थानान्तरण करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सहायक आयकर आयुक्तों और समूह-'क' के आयकर अधिकारियों को एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे अधिकार क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का मानदण्ड मोटे तौर पर निम्न प्रकार से है :—

(1) जो सहायक आयकर आयुक्त किसी अधिकारी क्षेत्र विशेष में 8 वर्ष की अवधि तक रहा हो जिसमें उसकी आयकर अधिकारी समूह-'क' के रूप में कार्य करने की अवधि भी शामिल है उसका स्थानान्तरण उस राज्य को छोड़कर जिसमें वह फिलहाल तैनात है, किसी राज्य में स्थित दूसरे अधिकार क्षेत्र में किया जा सकता है।

(2) सामान्यतौर पर किसी पदोन्नति प्राप्त आयकर अधिकारी को किसी अधिकार

को किसी अधिकार क्षेत्र विशेष में आयकर आयुक्त (समूह-'क') के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेने के बाद एक अधिकारी क्षेत्र से दूसरे अधिकार क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सकता है और सीधे भरती किये गये आयकर अधिकारी (समूह 'क') को किसी अधिकार क्षेत्र में 6 वर्ष ठहरने के बाद दूसरे अधिकार क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

(3) यदि कोई अधिकारी एक ही स्थान पर कार्य कर रहा हो अथवा उसने उसी स्थान पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य किया हो तो प्रतिनियुक्ति पर बितायी गयी अवधि को किसी स्थान विशेष पर उसके रुके रहने की अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

(4) पदोन्नति प्राप्त करने के बाद किसी भी अधिकारी का स्थानान्तरण एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे अधिकार क्षेत्र में किया जा सकता है फिर चाहे उसकी ठहरने की अवधि कुछ भी रही हो। तदर्थ आधार पर पदोन्नति को इस प्रयोजन के लिये पदोन्नति नहीं माना जाएगा।

(5) जहां तक सम्भव हो किसी आयकर अधिकारी को उसकी अन्तिम तीन वर्ष की सेवा के दौरान तथा सहायक आयुक्त को उसकी अन्तिम 2 वर्ष की सेवा के दौरान दूसरे अधिकार क्षेत्र में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(6) किसी असुविधाजनक स्थान पर तैनात किया गया कोई अधिकारी उस स्थान पर 2 वर्ष तक ठहरने के बाद दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण का हकदार हो जायेगा। उपर उल्लिखित के बावजूद भी केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, प्रशासनिक कारणों से किसी भी अधिकारी का स्थानान्तरण भारत में किसी भी स्थान पर कर सकता है।

(ख) और (ग) : तैनाती की अवधि के आधार पर आयकर आयुक्त दिल्ली अधिकार-क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाना था :—

1. श्री जवाहर सिंह, निरीक्षी सहायक आयुक्त (सेन्ट्रल)
2. श्री टी० एस० वेदी, निरीक्षीसहायक आयुक्त
3. श्री ए० दत्त, निरीक्षीसहायक आयुक्त (निर्धारण)
4. श्री कृष्ण लाल, निरीक्षीसहायक आयुक्त (निर्धारण)
5. श्री एच० डी० शर्मा, निरीक्षी सहायक आयुक्त (निर्धारण)
6. श्री सांईदास, निरीक्षीसहायक आयुक्त
7. श्री जे० एन० शर्मा, सहायक अपीलीय आयुक्त
8. श्री ए० एल० सूद, सहायक, अपीलीय आयुक्त
9. श्रीमती एस० के० निगम, निरीक्षीसहायक आयुक्त
10. श्रीमती बलजीत मटियानी, निरीक्षी सहायक आयुक्त (निर्धारण)
11. श्रीमती सुनीता कैला, आयकर अधिकारी (समूह-क)
12. श्रीमती परमिला भंडारी, आयकर अधिकारी (समूह-क)

13. श्री जी० सी० कुदेशिया, आयकर अधिकारी (समूह-क)

14. श्री बी० आहूजा, आयकर अधिकारी (समूह-क)

क्रम सं० 1 से 5 और 14 पर उल्लिखित अधिकारियों की दो-तीन वर्ष की सेवा बाकी थी और इसीलिए उन्हें स्थानान्तरित नहीं किया गया। जबकि शेष मामलों में, अधिकारियों को अनुकम्पा/सार्वजनिक हित के आधार पर दिल्ली में ही रखने की अनुमति प्रदान की गई थी।

क्र० सं० 1 से 4 तक के अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। क्र० सं० 7 और 9 पर बताये गये अधिकारियों को भी स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(घ) तैनाती की अवधि के आधार पर अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण के मामले पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल-मई में विचार किया जाता है। जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाना है उनके मामलों पर अप्रैल-मई 1981 में पुनर्विचार किया जाएगा।

कोइम्बाटूर से क्या वहां तक बोइंग विमान सेवा

2466. **श्री हरामोहन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बाटूर से क्या वहां तक बोइंग विमान सेवा चालू करने की कोई योजना है ;

(ख) क्या कोयम्बाटूर स्थित हवाई पट्टी तथा अन्य सेवाओं का विस्तार करने की भी कोई योजना है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(घ) उक्त हवाई-अड्डा कब तक बोइंग विमान सेवा चलाने के योग्य हो जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : कोयम्बटूर हवाई अड्डा फिलहाल बोइंग 737 परिचालनों के उपयुक्त नहीं है। भविष्य में कोयम्बटूर हवाई अड्डे का विस्तार करने के लिये भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है। सुरक्षा सेवाओं में वृद्धि करने तथा और अधिक दार्ष्टिक उपकरणों (विसाल आडस) की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है। परन्तु, धन की कमी के कारण वर्तमान योजना (1980-85) में रन-वे के विकास और टर्मिनल भवन के निर्माण कार्यों के लिये व्यवस्था करना संभव नहीं हो सकेगा। इन परिस्थितियों में कोयम्बटूर के निकट भविष्य में बोइंग विमानों के लिये तैयार होने की संभावना नहीं है।

आय के लिये मुख्य राष्ट्रीय नीति बनाने के लिये की गई कार्यवाही

2467. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय के लिए मुख्य राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही क्या है ;

(ख) उपरोक्त नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित आय ढांचे में व्यवसायों के विभिन्न वर्गों के बीच अनुपातिकता के मानदंड क्या हैं ; और

(ग) (एक) उपरोक्त नीति के अन्तर्गत निर्धारित मुद्रा प्रसार करने वाले कारणों के

के खिलाफ और (दो) विभिन्न वर्गों के बीच आनुपातिक संतुलन बनाये रखने के लिए सु उपाय क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरमन) : (क) से ग) देश में आय की नीति विकसित व एक लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है। इस बात को मान लिया गया है कि ऐतिहासिक अन्य सामाजिक-आर्थिक कारणों से अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आय की असमान हैं। जहां तक मजदूरी क्षेत्र का सम्बन्ध है, सरकार की नीति असमानताओं को कम व कर्मचारियों की आमदनी में सुधार लाने, विशेष कर निम्न स्तरों पर, और उच्चतर वेतन वृद्धि को सम्भाव्य मात्रा तक रोकने की रही है। न्यूनतम मजदूरी तथा सामूहिक सौदेबाजी पद्धति से सम्बन्धित विधान, जो अर्थ-व्यवस्था के संगठित क्षेत्रों में विकसित हुई है, उसी उ को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। महंगाई भत्ते के तंत्र के माध्यम से कर्मचारियो वास्तविक मजदूरी को संरक्षण देने के लिए तैयार किए गए नियम और प्रथाएं मुद्रा-स्फ दबावों को ध्यान में रखते हुए ही विकसित किए गए हैं। इसके साथ-साथ उच्चतर उत्पाद के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था करने के प्रयत्न किए गए हैं। जहां तक मजदूरी-भिन्न आय सम्बन्ध है, जहां कि असमानताएं बहुत अधिक हैं वहां साधनों पर उत्तरोत्तर तराधान उपर विनियमनों पर जोर दिया गया है, जिसके माध्यम से आय और धन की असमानताएं उत्त होती हैं। कृषि में किसानों को लाभकारी कीमतों की व्यवस्था करने की ओर नीतियों बनाया गया है, जबकि उपभोक्ताओं के हित को संरक्षण दिया गया है, विशेषकर उन लोगों जो कि समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों से सम्बन्धित हैं।

सस्ती दरों पर आवास सुविधाएं

2468. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में पर्यटकों को सस्ते मूल्य पर आवास सुविधाएं मुहै करने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) वि रूप से युवा और स्वदेशी पर्यटकों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, केन्द्र पर्यटन विभाग ने चुने हुए पर्यटक केन्द्रों पर यूथ होस्टलों और पर्यटक बंगलों की एक श्रृंख निर्मित की है। पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान चुने हुए केन्द्रों पर यूथ होस्टलों निर्माण-कार्य जारी रखा जाएगा।

2. इस समय भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा नई दिल्ली में 1200 बैड वाले यात्री निवास का निर्माण किया जा रहा है। यह यात्री निवास निम्नलिखित पर सस्ती बोर्ड और लाजिंग सुविधाएं प्रदान करेगा।

लाजिंग

15/- रुपये 2 बैड वाले कमरे में प्रतिदिन प्रत्येक बैड के लिए

30/- रुपये 2 बैड वाले कमरे के लिए प्रतिदिन.

10/- रुपये 4 बैड वाले कमरे में प्रतिदिन प्रत्येक बैड के लिए।

बोर्ड

लंच/डिनर

शाकाहारी थाली	4.50 रुपये
मांसाहारी थाली	6.00 रुपये
ब्रैकफास्ट	2.00 रुपये
चाय	0.50 रुपये

3. नई दिल्ली प्रोजेक्ट के प्रथम 2-3 वर्षों के परिचालन परिणामों से सरकार के संतुष्ट हो जाने पर ही अन्य केन्द्रों पर इस प्रकार के प्रोजेक्टों के निर्माण पर विचार किया जाएगा।

4. राष्ट्रीय महत्व के चुने हुए तीर्थाटन केन्द्रों की बड़ी संख्या में यात्रा करने वाले निम्न आय वर्ग के पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से इन केन्द्रों पर आवास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा 1860 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन भारतीय यात्री आवास विकास समिति नामक एक सोसाइटी स्थापित की गई है। वर्ष 1979-80 में केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने समिति को 5.00 लाख रुपये का सहायता अनुदान दिया था।

"बोगस सर्टीफिकेट" शीर्षक समाचार

2469. **श्री के० ए० राजन;** ...क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार का ध्यान "सन्डे" दिनांक 21 दिसम्बर, 1980 में बोगस सर्टिफिकेट शीर्षक के अर्न्तगत आए समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बद्ध कम्पनी का नाम "हिन्दुस्तान लीवर" है जो कि यू वी लीवर ग्रेट ब्रिटेन की एक उप-कम्पनी है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस तरह के जाली प्रमाण-पत्र को लेने के लिए इस कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाई की गई है; और

(घ) इस तथ्य के पता लग जाने के बावजूद कि कम्पनी के अद्यतन प्रोद्योगिकी के उपयोग संबंधी दावे में कोई सच्चाई नहीं यह विदेशी कम्पनी अभी भी क्या कार्य कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री वेंकटरामन)

(क): जी, हां।

(ख), (ग) तथा (घ) : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रयोजनों से और खास तौर पर किसी भी विनिमविणकारी गतिविधि में अर्न्तग्रस्त प्रौद्योगिकों के नतीनतम अद्यतन तक स्वरूप का जायजा लेने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विभाग से परामर्श लिया जाता है।वह विभाग उच्च-स्तर पर परामर्श प्रदान करता है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम संबंधी परामर्शदात्री समिति, अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए आर्थिक महत्व को समझकर ही अपनी अंतिम राय कायम करती है। किसी भी कम्पनी के लिए यह संभव नहीं है कि वह किसी

भी मंत्रालय के किसी भी अधिकारी से कोई भी प्रमाणपत्र लेकर, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियमगत दायित्वों से मुक्त हो सकें। जहां तक हिन्दुस्तान लीवर के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम संबंधी वर्तमान आवेदन का संबंध है, माननीय सदस्य का ध्यान दिनांक 5-12-80 को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 274 तथा दिनांक 20-2-81 को दिनांक अतारांकित प्रश्न संख्या 758 के उत्तरों की ओर दिलाया जाता है। कम्पनी का अभ्यावेदन अभी तक विचाराधीन है।

कनाडा द्वारा विकासशील देशों से वस्त्रों के आयात के लिए अपनाए गए सुरक्षात्मक उपाय

2470. **श्री मति गीता मुखर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा के टेक्सटाइल एण्ड क्लोदिंग बोर्ड ने विकासशील देशों से वस्त्रों के आयात के बारे में सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो भारत से कनाडा को होने वाले निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार ने कनाडा सरकार की इस कार्यवाही पर अपनी चिंता व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान)

(क) से (घ) : कनाडा के टेक्सटाइल एण्ड क्लोदिग बोर्ड ने अपने द्वारा की गई जांच के आधार पर, कनाडा के टेक्सटाइल एण्ड क्लोदिग उद्योग से संबंधित अपने प्रतिवेदन में कई ऐसी सिफारिशें की हैं जिनका उद्देश्य विकासशील देशों से टैक्सटाइल तथा क्लोदिंग के आयातों पर अंकुश लगाना। उन्हें आगे कम करना है। यदि कनाडा की सरकार ये सिफारिशें मान लेती है तो कनाडा के टेक्सटाइल बाजार में भारत के तथा साथ ही अन्य विकासशील देशों के प्रवेश में कमी आ जाएगी। इस बात का अनुमान लगाना कठिन है कि भारत के निर्यातों पर अथवा उस मामले के लिए अन्य विकासशील देशों के निर्यातों पर उन सिफारिशों का ठीक ठीक क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार ने पहले ही कनाडा के उपयुक्त प्राधिकारियों को टैक्सटाइल एण्ड क्लोदिंग बोर्ड द्वारा सुझाए गए सुरक्षात्मक उपायों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त कर दी है। कनाडा की सरकार ने अभी तक प्रतिवेदन पर कोई निर्णय नहीं दिए हैं।

मूंगफली का निर्यात कोटा न० दिया जाना

श्री राजेश कुमार सिंह :

2471. **श्री बी० डी० सिंह** :

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 50,000 टन मूंगफली का अतिरिक्त निर्यात कोटा जो दिसम्बर, 1980 में दिया जाना था, उस समय नहीं दिया गया जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य अपनी चरम सीमा पर थे;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसके परिणामस्वरूप आय में कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या अब सूडान और चीन मूंगफली के निर्यात में भारत का मुकाबला करने के लिए

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आ गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (क) के परिणामस्वरूप मूंगफली के भारतीय निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है और सरकार भारत के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) दिसम्बर, 1980 में हाथ से चुनी तथा छटी मूंगफली का 50,000 मे० टन का कोई अतिरिक्त निर्यात कोटा रिलीज नहीं किया गया था।

(ख) हाथ से चुनी तथा छंटी मूंगफली का 50,000 मे० टन का कोई अतिरिक्त निर्यात कोटा रिलीज नहीं किया गया।

(ख) हाथ से चुनी तथा छंटी मूंगफली के निर्यात की सीमित सीमा के भीतर अनुमति दी जाती है। निर्यात कोटा घरेलू उत्पादन, कीमतों आदि जैसे कारकों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। अतिरिक्त निर्यात कोटा रिलीज किए जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कोटा रिलीज न किये जाने के कारण आय में हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) भारत, सूडान तथा चीन की तरह अनेक अन्य देश हाथ से चुनी तथा छंटी मूंगफली का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं। हमें आने वाले वर्षों में भी बाजार का भाग उपलब्ध हो सकता है।

चांदी की तस्करी

2472. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चांदी के निर्यात पर प्रतिबन्ध के बावजूद बड़े पैमाने पर अन्य देशों को अवैध रूप से चांदी का भेजा जाना बन्द करने के उद्देश्य से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से इसका निर्यात किए जाने के गुजरात सरकार के सुझाव को कार्यान्वित किये जाने में क्या कठिनाईयां अनुभव की गई हैं;

(ख) चांदी की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) गत तीन महीनों के दौरान चांदी की कितनी मात्रा पकड़ी गई और यह मात्रा किन व्यक्तियों से पकड़ी गई।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भारत से चांदी के तस्कर-निर्यात को रोकने के लिए, सीमाशुल्क विभाग के निवारक और गुप्तसूचना तंत्र को सुदृढ़ किया गया है।

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अध्याय 4 ख के उपबंधों को, जो चांदी के भण्डारण, लाने-ले-जाने और उसकी बिक्री के संबंध में विनियामक उपबंध हैं, 27 मार्च, 1980 से भारत नेपाल और भारत पाकिस्तान सीमाओं के साथ-साथ 50 कि० मी० की पट्टी पर लागू किया गया था। ये उपबंध पश्चिमी समुद्र तटीय और तमिलनाडु और पाण्डिचेरी समुद्र तटीय 50 कि० मी० पट्टी पर पहले ही से लागू थे।

(ग) नवम्बर, 1980 से जनवरी, 1981 तक की अवधि में विभिन्न छापों और तलाशियों आदि में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई चांदी की मात्रा नीचे दी गई है—

माह	लगभग मात्रा (कि० ग्रा० में)
नवम्बर, 1980	1095
दिसम्बर, 1980	2258
जनवरी, 1981	432

इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात के लिए लक्ष्य

2474. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980-81 और 1980-85 के दौरान इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात के पूरे लक्ष्य क्या हैं;

(ख) इन निर्यातों के लिए कच्चे माल की समय पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं; और

(ग) निर्यात लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रमुख एककों की प्रगति के पर्यवेक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 1980-81 के दौरान इन्जीनियरी माल के निर्यात के लिए इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 900 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। परिषद ने वर्ष 1981-82 के लिए 1150 करोड़ रु० का लक्ष्य रखा है। इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के प्रस्ताव के अनुसार इंजीनियरी माल के निर्यात 1984-85 तक 2450 करोड़ रु० तक बढ़ाये जाने की व्यवस्था की गई है।

(ख) सरकार ने निर्यात करने वाले एककों को इस्पात, कच्चा लोहा तथा कोयला जैसे आवश्यक कच्चा माल प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

(ग) अलग-अलग एकक, विशेष रूप से प्रथम 200 एककों के लिए लक्ष्य इन्जीनियरी, निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा निर्धारित किए जाने हैं और लक्ष्य की प्राप्त के संबंध में समय-समय पर उनके द्वारा समीक्षा की जायेगी। निर्यात संबंधी वचनबद्धताएँ पूरी करने के लिए निर्यातकों को यथावश्यक सहायता दी जायेगी।

चावल का निर्यात

2475. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों को चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या कुछ गैर सरकारी पार्टियों के निर्यात की अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन गैर सरकारी पार्टियों के क्या नाम हैं तथा किस-किस राज्य के हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) जी हां। वर्तमान नीति

के अधीन वासमती चावल का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस सं० 8 के अन्तर्गत करने की अनुमति है; जबकि गैर-वासमती चावल का निर्यात निर्दिष्ट केन्द्र राज्य सरकार के आमकरणों के माध्य म से सीमित सीमा के भीतर करने की अनुमति है।

(ख) जी हां। कुछ गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा गैर-वासमती चावल का निर्यात, उन मामलों में वहां पर पार्टियों ने 18 जुन 1980 को चावल की निर्यात नीति के संशोधन किए जाने से पहले वचनबद्धताएं कर ली थीं, गुणाद्गुण के आधार पर करने की अनुमति दी गई है।

(ग) 1. मैसर्स रीवेन्ट इंटरनेशनल, बम्बई।
2. मैसर्स एक्सपोर्ट्स, बम्बई।
3. मैसर्स मैत्री एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लि०, बम्बई।
4. मैसर्स वलारपुर इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली।
5. मैसर्स रजनीकान्त एण्ड कं० बम्बई।
6. मैसर्स मून एक्सपोर्ट्स (इंडिया), दिल्ली।

इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विलम्ब

2476. **श्री रामविलास पासवान** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि। जनवरी, 1981 से अब तक इण्डियन एयरलाइन्स की कितनी उड़ानों में विलम्ब हुआ और उसके क्या कारण थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : पहली जनवरी, 1981 से 31 जनवरी, 1981 तक की अनधि के दौरान कुल 7612 उड़ानों की तुलना में 2221 उड़ानें विलम्ब से हुईं। इनमें से, 119 देरियां मौसम आदि जैसे ऐसे कारणों की वजह से हुईं जो इंडियन एयरलाइन्स के नियत्रण से बाहर थे जबकि 393 देरियां विमान संधारण तथा परिचालनात्मक और वाणिज्यिक कारणों से हुईं। शेष 1709 देरियां परिणामी प्रकार की देरियां थीं जिनका कारण एक उड़ान में हुई देरी के कारण उसी विमान द्वारा की जाने वाली बाद की उड़ानों में देरी होना था, क्योंकि एक ही विमान एक दिन में कई-कई उड़ानें करता है। यदि आरभ में एक देरी हो जाती है तो उस रोज उस विमान द्वारा परिचालित सभी बाद वाली उड़ानें देर से होती है।

विशाखापत्तनम से मद्रास तक सीधी विमान सेवा

2477. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए विशाखापत्तनम से मद्रास तक सीधी विमान सेवा आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मंगलौर तथा बैलाडिला में पेलेट संयंत्रों की स्थापना

2478. **श्री वी० डी० सिंह :**

श्री अजित कुमार मेहता :

श्री जनार्दन पुजारी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले से विदेशी विक्रेताओं का पता किए बिना सरकार ने मंगलौर तथा बैलाडिला में पेलेट संयंत्रों की स्थापना का निर्णय किया है;

(ख) इन संयंत्रों की स्थापना में वित्तीय व्यय कितना होगा;

(ग) पहले से विदेशी विक्रेताओं का पता किए बिना इन संयंत्रों की स्थापना किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन संयंत्रों को किस तरीके से आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से(ग) कुद्रेमुख लौह-अयस्क परियोजना में उत्पादित लौह-अयस्क सांद्रण की 75 लाख टन की कुल मात्रा खरीदने की ईरान की असमर्थता से उत्पन्न स्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी विक्रेता में सुधार करने को ध्यान में रखते हुए मंगलौर में लौह-अयस्क से पैलेट बनाने का एक कारखाना लगाने के लिए सिद्धान्त-रूप में निर्णय ले लिया गया है। इस कारखाने की वार्षिक क्षमता 30 लाख टन होगी। इसके कुछ उत्पादन के लिए विदेशी खरीददार मिल गए हैं। आशा है शीघ्र ही सम्पूर्ण-उत्पादन की बिक्री के लिए सन्तोषजनक प्रबन्ध हो जायेंगे। अनुमान है प्रस्तावित कारखाने पर लगभग 87 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। बैलाडिला में पैलेट बनाने का कारखाना लगाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) वर्तमान अनुमानों के आधार पर मंगलौर का पैलेट बनाने का प्रस्तावित कारखान आर्थिक दृष्टि से सक्षम होगा।

औद्योगिक कम्पनियों की ओर बकाया आयकर

2479. **श्रीराम अवध : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन औद्योगिक कम्पनियों की ओर गत तीन वर्षों से आयकर की राशि बकाया है; और

(ख) उनसे आयकर की बकाया राशि वसूल करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)

(क) प्रश्न में प्रयुक्त "औद्योगिक कम्पनियों' शब्दों को ठीक ठीक परिभाषित करना कठिन है। इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार 222 व्यक्ति ऐसे थे जिनमें से प्रत्येक की ओर 31 मार्च, 1977 को अथवा इससे पूर्व जारी की गई मांगों में से 30 सितम्बर, 1980 की स्थिति के अनुसार 10 लाख रुपये से अधिक का कर बकाया था। ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 2038/81]

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 में कर की बकाया रकमों की वसूली और उगाही के लिए विभिन्न उपाय करने की व्यवस्था है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा करों की बकाया रकमों की वसूली के लिए

समय-समय पर उपयुक्त उपाय किए जाते हैं ।

राज्यों द्वारा केन्द्रीय सहायता के उपयोग की प्रतिशतता

2480. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों की योजना-गत योजनाओं के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता के उपयोग की राज्यवार प्रतिशतता क्या है ?

(ख) राज्यों के नाम तथा राज्य-स्तर पर अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता की राशि क्या है (राज्यवार उपयोग की गई राशि तथा अप्रयुक्त राशि दी जाये) ; और

(ग) इन राज्यों द्वारा इस अप्रयुक्त राशि को किस प्रकार विनियोजित किया गया है तथा इन मामलों में केन्द्रीय सरकार की क्या भूमिका है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)

(क) एक विवरण एक सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) एक विवरण दो सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) अप्रयुक्त राशियाँ राज्यों को नहीं दी जातीं और ये केन्द्र के पास ही रहती हैं ।

1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान आयोजनागत योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के उपयोग की प्रतिशतता के संबंध में विवरण-पत्र

राज्य	प्रतिशतता उपयोग		
	1977-78	1978-79	1979-80
1. आन्ध्र प्रदेश	99.76	100.00	98.8
2. असम	100.00	100.00	99.39
3. बिहार	100.00	99.99	99.71
4. गुजरात	98.84	100.00	98.82
5. हरियाणा	97.43	96.11	98.04
6. हिमाचल प्रदेश	100.00	100.00	99.98
7. जम्मू और कश्मीर	99.84	99.91	99.42
8. कर्नाटक	100.00	99.11	96.50
9. केरल	100.00	99.58	100.00
10. मध्य प्रदेश	100.00	100.00	99.75
11. महाराष्ट्र	99.52	100.00	99.99
12. मणिपुर	100.00	96.61	98.57
13. मेघालय	100.00	100.00	100.00
14. नागालैंड	99.43	98·41	98.12
15 उड़ीसा	99.93	100.00	99.77
16. पंजाब	100.00	100.00	98.95
17. राजस्थान	99.94	100.00	95.38
18. सिक्किम	100.00	99.00	100.00
19. तमिलनाडु	100.00	99.95	100.00
20. त्रिपुरा	94.94	98.30	99.61
21. उत्तर प्रदेश	100.00	99.43	100.00
22. पश्चिम बंगाल	99.59	97.76	98.57
जोड़—सभी राज्य	99·78	99.56	99.23

विवरण—2

1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान उपयोग की गई तथा अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता की मात्रा के सम्बन्ध में विवरण-पत्र

(लाख रु०)

राज्य	1977 — 78		1978 — 79		1979 — 80	
	उपयोग की गई	अप्रयुक्त	उपयोग की गई	अप्रयुक्त	उपयोग की गई	अप्रयुक्त
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	9426.62	22.38	15423.00	—	15683.00	189.00
असम	5651.00	—	10489.00	—	11261.00	69.00
बिहार	9599.00	—	17432.47	1.53	20978.00	60.00
गुजरात	3157.00	37.00	6554.00	—	7903.00	94.00
हरियाणा	1077.58	28.42	3140.00	127.00	3114.59	62.41
हिमाचल प्रदेश	2805.00	—	5745.00	—	6738.00	8.00
जम्मू और कश्मीर	11218.56	18.44	13069.76	11.24	12501.00	73.00
कर्नाटक	3729.00	—	8802.00	79.00	8275.00	300.00
केरल	5317.00	—	9492.00	40.00	8036.00	—
मध्य प्रदेश	7081.00	—	12034.00	—	13972.00	35.00
महाराष्ट्र	8093.87	39.13	13794.00	—	13618.00	2.00
मणिपुर	1409.00	—	2384.26	83.73	2760.00	40.00
मेघालय	1559.00	—	2365.00	—	2596.00	—
नागालैंड	2107.00	12.00	2778.00	45.00	2867.00	55.00

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा	3822.45	2.55	7467.00	—	12769.00	29.00
पंजाब	2615.00	—	5106.00	—	3894.53	41.47
राजस्थान	5173.92	3.08	9713.00	—	9458.52	458.48
सिक्किम	1217.00	—	1558.19	15.81	1884.00	—
तमिलनाडु	4930.00	—	9485.00	5.00	10910.00	—
त्रिपुरा	1051.00	56.00	1800.00	32.00	2565.00	10.00
उत्तर प्रदेश	15907.00	—	28343.00	163.00	34117.00	—
पश्चिम बंगाल	7195.12	31.88	12516.00	283.00	11104.00	161.00
जोड़ सभी राज्य	114142.12	250.88	199540.69	886.31	217004.64	1687.36
(घटाइए—ग्रामीण विद्युतिकरण निगम को दी गई राशि)			—300.00			
			199240.69			

केरल दिनेश बीडी से ज्ञापन

2481. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बीड़ी वर्क्स इन्डस्ट्रीयल कोपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से ज्ञापन क्रमांक एस० ईड० (सी) (केरल दिनेश बीड़ी) प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या-क्या मुख्य मांगें की गई हैं;

(ग) इन मांगों पर सरकार क्या कार्यवाही पहले ही कर चुकी है; और

(घ) सरकार का भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया

(क) जी, हाँ ।

(ख) उक्त ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य मागें ये हैं कि या तो सोसाइटी को बीड़ियों पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट दी जाए या उसकी, उसके द्वारा प्रदत्त शुल्क रकम के बराबर, राज सहायता देकर मदद की जाय ।

(ग) और (घ) : सोसाइटी द्वारा विनिर्मित बीड़ियों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी से छूट दिए जाने संबंधी मांग मंजूर नहीं की गई है । सोसाइटी द्वारा प्रदत्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के बदले किसी प्रकार की राहत देने की भी सरकार की कोई योजना नहीं है ।

बैंक ब्याज दरों का पुनर्गठन

2482. श्री एस० बी० सिदनाल :

श्री हरिहर सोरन :

श्री जनार्दन पुजारी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में जमा राशियों और बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दरों को पुनः निर्धारित करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपवित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट)

(क) और (ख) : रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित 2 मार्च, 1981 से प्रभावी उधार की ब्याज दरें, विवरण में दी गई हैं ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देय कुछ परिपक्वता वाली सावधि जमाओं पर ब्याज की दरों में भी संशोधन किया है । जमाओं की श्रेणियां तथा 2 मार्च, 1981 से प्रभावी दरें नीचे दी गई हैं :—

	प्रतिशत प्रतिवर्ष
1. 1 वर्ष तथा उससे अधिक, किन्तु 2 वर्ष से कम की जमाओं के लिए	7.5
2. 2 वर्ष तथा उससे अधिक, किन्तु 3 वर्ष से कम की जमाओं के लिए	8.5

3. 3 वर्ष तथा उससे अधिक की जमाओं के लिए 10.0

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 3 वर्षों से कम की सावधि जमाओं पर, विवेकानुसार आधा प्रतिशत अतिरिक्त वार्षिक ब्याज की अनुमति दे सकते हैं ;

(2) अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जिनकी कुल मांग तथा समय देयतायें 25 करोड़ रुपयों से कम हैं, वे तीन वर्षों से कम की परिपक्वता वाली जमाओं पर, विवेकानुसार 1/4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की अनुमति दे सकते हैं।

जमाओं की अन्य श्रेणियों पर बैंकों द्वारा देय ब्याज की दरें अप्रभावी रहेंगी।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार-ब्याज की दरें।

(2-3-1981 से प्रभावी)

	निर्धारित दरें (प्रतिशत)
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	
(क) कृषि	
1. छोटे किसानों को 5000 रु० तक के (लघु/मध्यम/(दीर्घावधि ऋण)	12.50
2. 3 वर्षों से अनधिक परिपक्वता वाले सावधि ऋण	
(क) लघु सिंचाई तथा भूमि विकास	10.25
(ख) अन्य प्रयोजन	
(1) छोटे किसान	10.25
(2) अन्य किसान	12.50
(ख) लघु उद्योग	
1. 25000 रुपये तक के संत्रिम ऋण	
(1) पिछड़े क्षेत्र	10.25
(2) अन्य क्षेत्र	12.50
2. 3 वर्षों से अनधिक के परिपक्वता के सावधि ऋण	
(1) पिछड़े क्षेत्र	12 50
(2) अन्य क्षेत्र	13.50
(ग) फुटकर व्यापार	
5000 रु० तक तथा इसके समेत सीमा तक	12.50
(घ) सड़क परिवहन चालक सावधि ऋण	
(क) एक वाहन	12.50
(ख) दो अथवा अधिक वाहन	15.00
(ङ) आवासीय	
(क) अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए 5000 रु० तक तथा इसके समेत	4.00

(ख) अन्यों को 5000 रु० तक तथा इसके समेत	12.50
(ग) 5000 रुपये से अधिक तथा 50000 रु० तक	13.50
(घ) 50000 रु० से अधिक	15.00
(च) विभेदी ब्याज दर अग्रिम	4.00
अन्य क्षेत्र	
(छ) अन्य सभी सावधि ऋण	15.00
(ज) सार्वजनिक वसूली तथा वितरण एजेंसियां	
(1) एफ. सी. आई./राज्य सरकारें/एफ. सी. आई. की एजेंसियों को सम्पूर्ण मूल्य मसर्थन योजना के अन्तर्गत सरकारी वितरण व्यवस्था माध्यम से निश्चित मूल्य पर बिक्री के लिए खाद्यानों की वसूली के लिए।	12.50
(2) केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों को दालों, खाद्यन तेलों, मिट्टी के तेल, नमक, तथा चीनी जैसी वस्तुओं को सरकार द्वारा अनुमोदित वितरण व्यवस्था के माध्यम से निश्चित मूल्य पर बिक्री के लिए विनिर्दिष्ट आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की वसूली/वितरण के लिए।	15 00
(3) केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों को उपर्युक्त (2) में उल्लिखित वस्तुओं के अलावा आवश्यक वस्तुओं की वसूली/वितरण के लिए।	17.50
(4) केन्द्रीय/राज्क सरकार की एजेंसियों को नकदी फसलों, अर्थात जूट/कपास की वसूली के लिए जहां समर्थन मूल्य का तत्व है।	17.50
(5) केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों को उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं तथा बीजों की वसूली और वितरण के लिए।	17.50
(झ) निर्यात	
1. लदान से पहले के ऋण	
(क) विनिर्दिष्ट मध्यम तथा भारी इन्जिनियरिंग माल एवं निर्माण ठेके।	
(1) 180 दिनों तक	12.50
(2) 180 दिनों से अधिक तथा 270 दिनों तक	15.00

(ख)	अन्य विनिर्दिष्ट माल अर्थात गलीचे, चमड़ा उत्पादन, नारियल रेशा, काजू, तम्बाकू आदि) 180 दिनों तक	12.50
		12.50
(ग)	अन्य माल तथा परामर्शी सेवाएं	
	(1) 90 दिनों तक	12.50
	(2) 90 दिनों से अधिक तथा 135 दिनों तक	15.00
(घ)	(90 दिनों तक) ई. सी. जी. सी. गारंटी द्वारा व्याप्त नकद प्रोत्साहन आदि के संबंध में	12.50

2. लदान के बाद के ऋण

(1)	मार्गस्थ अवधि के लिए मांग बिल (जैसा एफ. ई. डी. ए. आई. द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है)	12.59
(2)	एफ. ई. डी. ए. आई. द्वारा विनिर्दिष्ट निर्यात बिलों की मियादी अवधि, मार्गस्थ समय तथा जहां लागू हो, वहां अनुग्रह अवधि समेत 180 दिनों तक के मियादी बिल।	12.50

वित्तीय सस्थाओं द्वारा औद्योगिक गृहों को धन दिया जाना

2483. **श्री गुफरान आजम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को उन वित्तीय संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जो उद्योगों को धन उपलब्ध कराती हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में सब से बड़े दस औद्योगिक गृहों को वर्ष 1979-80 में कितनी राशि के ऋण दिये गये ;

(ग) ऋण की राशि के अनुपात में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ;

(घ) क्या ऋण की वसूली निर्धारित समयानुसार की जाती है ; और

(ड़) दोषी उद्योगों का ब्यौरा क्या है और उनसे ऋण की राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री भगनमाई बरोट)

(क) से (ग) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, (आई. डी. बी. आई.) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई. एफ. सी. आई.) तक भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई. सी. आई. सी. आई.) द्वारा उद्योगों को सहायता, सावधि ऋणों के रूप में दी जाती है। आई. डी. बी. आई., आई. एफ. सी. आई. तथा आई. सी. आई. सी. आई. द्वारा, 10 शीर्ष औद्योगिक घरानों को स्वीकृत की गयी समग्र वित्तीय सहायता, वर्ष 1977-78 में 568.00 लाख रुपए, 1977.78 में 11792.00 लाख रुपए तथा 1979-80 में 9152.00 लाख रुपए की थी। ऋणों के अनुपात में उत्पादन में वृद्धि के संबंध में सूचना अनुपलब्ध है।

(घ) तथा (ड़) : 10 शीर्ष घरानों के अधीन कम्पनियों में से केवल 3 कम्पनियों ने या तो 2.12 लाख रुपये के मूलधन की वापसी अदायगी करने अथवा 18.80 लाख रुपए के ब्याज की अदायगी करने में व्यतिक्रम किया है। सरकार किसी विशेष समय पर, व्यतिक्रम औद्योगिक उपक्रमों के नामों को प्रकट करने को उचित नहीं समझती है क्योंकि इससे बाजार में उनकी (कम्पनियों की) साख पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। संस्थाएं, लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करके व्यतिक्रमी उपक्रमों के मुख्य कार्यपालकों से प्रायः व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके तथा उन पर मूलधन तथा ब्याज की बकाया राशियों को वसूलने के सभी प्रयास करती हैं। उचित मामलों में कानूनी कदम भी उठाए जाते हैं।

बैंकों में बेनामी जमाराशियां

2484. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल :**

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बैंकों में बेनामी जमाराशियां हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी जमाराशियों पर रोक लगाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) क्या इस प्रकार की बेनामी जमाराशियों का पता लगाने की कोई प्रणाली है ?

वित्त मत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)

(क) : आयकर अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत आयकर विभाग द्वारा की गयी कुछ तलाशियों के बाद बैंकों में बेनामी जमाओं के कुछ मामले उस विभाग के ध्यान में आये हैं।

(ख) और (ग) : बैंकों में यह आम प्रथा है कि चालू खाते (करेंट एकाउन्टस) तथा चैक वाले बचत बैंक खाते खोलते समय बैंक सम्भावित जमाकर्त्ताओं से उन पक्षों द्वारा शिनाख्त किए जाने की मांग करते हैं जिनको वे (बैंक) जानते हैं। इसके अलावा, बैंकों की यह सलाह दी गई है कि वे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करें कि उनकी लेखा पुस्तकों में सभी जमाकर्त्ताओं के सही पते दर्ज हों और वे इस प्रकार की कार्रवाई करें जिससे कि वे अपने जमाकर्त्ताओं की पहचान के बारे में संतुष्ट हों। इसके अतिरिक्त जब आयकर प्राधिकारी विशेष रूप से जांच पड़-ताल करते हैं तब संबंधित बैंक उनको सहयोग देते हैं।

सैक्टर 1 आर० के० पुरम में एक और उचित दर की दुकान खोलना

2485. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति के लगभग 1500 परि-वारों के लिए सेक्टर 1, आर० के० पुरम में केवल एक ही उचित दर की दूकान है जहां प्रायः लम्बी लाईनें देखी जाती है और इन स्टोर को नियमित और उचित सप्लाई भी नहीं मिल रही है;

(ख) क्या उचित दर की दुकान को चलाने में कमीशन और मुनाफे की दर बहुत कम होने के कारण गत दो वर्षों में इस क्षेत्र में कोई अन्य दूकान नही खुल रही हैं ;और

(ग) यदि हाँ, तो इस स्थिति को हल करने और सेक्टर 1, आर० के पुरम में एक ओर उचित दर की दुकान खोलने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रज मोहन महन्ती)

(क) ब (ख) : दिल्ली प्रशासन से मिली सूचना के अनुसार, यह सच है कि आर० के० पुरम के सेक्टर 1 में केवल एक ही उचित दर की दुकान है और यह केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता समिति लिमि० द्वारा चलाई जाती है। उक्त उचित दर की दुकान को विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं की नियमित और उचित सप्लाई मिल रही है। यह कहना पूर्णतया सही नहीं है कि कमीशन और मुनाफे की दर कम होने के कारण, इस क्षेत्र में कोई अन्य दुकान नहीं खुल रही है। सेक्टर 1, आर० के० पुरम में सरकारी मकान हैं, जहां व्यापारिक कम्पलेक्स सीमित है। व्यापारिक कम्पलेक्स में किराए और अन्य व्यय भी अधिक है। अतः उस क्षेत्र में और उचित दर की दुकानें खोलने में देरी होने का मुख्य कारण व्यापारि काम्पलेक्स में उवयुक्त स्थान उपलब्ध न होना हैं।

(ग) : दिल्ली प्रशासन ने जनवरी, 1981 में प्रमुख समाचार-पत्रों में उक्त क्षेत्र में उचित दर की दुकान की रिक्त की सूचना पुनः दी है और उसके उत्तर में दो आवेदन प्राप्त हुए है। इन आवेदनों पर कार्यवाई की जा रहो हैं। इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शीघ्र ही एक और उचित दर की दुकान आवंटित किए जाने की सम्भावना है।

छः राष्ट्रीय कृत बैंकों में अधिकारियों की परिलब्धियां

2486. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 में राष्ट्रीयकरण किए गए छः बैंकों के अधिकारियों की परिलब्धियों के बारे में वी० आर० गुप्ते समिति की सिफारिशें क्या हैं: और

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव पिल्ले समिति प्रतिमानों के आधार पर वेतनमानों का मानकीकरण करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बरोट)

(क) और (ख) :

अप्रैल 1970 में राष्ट्रीयकृत किए गए छः बैंकों के अधिकारियों के वेतनमानों, भत्तों तथा अनुलाभों के संशोधन एवं मानकीकरण के प्रश्न पर किचार करने के लिए सरकार द्वारा श्री वी० आर० गुप्ते की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। समिति की सिफारिशों को इस समय प्रकट करआ लोकहित नहीं होगा।

चमड़े की बस्तुओं से निर्यात में गिरावट

2188. **श्री केशव राव पारवी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़े की वस्तुओं के निर्यात में अप्रैल और नबम्बर, 1980 के दौरान 57 प्रतिशत तक की गिरावट आई है ;

(ख) क्या सरकार विचार निर्माताओं को आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन देने हेतु एमड़ा रसायनों और मशीनरी पर आयात शुल्क में कटौती करने का हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार चमड़े की वस्तुओं के निर्माताओं को 25 प्रतिशत का नकद प्रतिपूर्ति समर्थन देने का है और;

(घ) सरकार का विचार निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए नए एकक स्थापित करने हेतु चमड़े के निर्यातकर्ताओं और चमड़े की वस्तुओं के निर्माताओं को क्या अन्य सुविधाएं देने हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) अप्रैल, 1980 नवम्बर, 1980 की अवधि के लिए चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद मद्रास द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्यात आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान किए गए निर्यातों की तुलना में चमड़ा तथा चमड़े के उत्पादों के निर्यात में 57 प्रतिशत की गिरावट पाई ।

(ख) चमड़े के लिए अन्तानीवष्ट साधनों पर आयात शुल्क घटाने के लिए विभिन्न स्थानों से प्रस्थापनाएं प्राप्त हुई हैं जिन पर इससे संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सरकार ने शत प्रतिशत निर्यात अभिमूल्य एकंकों की स्थापना करने के लिए 31. दिसम्बर, 1980 को पहले ही एक योजना की घोषणा की है, जिसमें औद्योगिक लाईसेंस, विदेश, सहयोग, पूंजीगत माल तथा कच्चे माल के आयात आदि के संबंध में एक स्थान क्लीयरेंस की स्थाकी गई है । इस योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के एकक भारत में किसी स्थान पर भी स्थापित किए जा सकते है और वे पूंजीगत माल, कच्चे माल तथा संघटकों का शुल्क मुक्त आयात करने के पात्र होंगे । न सुविधाओं के अलावा, ऐसे एककों को, जो आमतौर पर बांड के अन्तर्गत कार्य करेंगे, कच्चे माल की स्वदेशी सप्लाई पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगेगा ।

भैंसमाल में पर्यटन केन्द्र का बिकास

2489. **श्री काजी सलीम :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में खुलदाबार तालुक में पर्यटक आकर्षण के एक बहुत अच्छे पहाड़ी स्थल "भैंसमाल" में पर्यटक केन्द्र के विकास के लिए महाराष्ट्र और/या केन्द्रीय सरकार के कोई योजना, अनुमान और प्रस्ताव थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गणमान व्यक्तियों और विभिन्न संगठनों की ओर से उस स्थल के विकास के बारे में मांग की गई थी/मांगी की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है औ उसे मन्जूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(च) पिछले पांच वर्षों के दौरान कितनी धनराशि किन शीर्षों के अधीन खर्च की गई है; और

(छ) वर्ष 1981 और 1982 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमनन मंत्री (श्री अन्नत प्रसाद शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र और राज्य सेक्टरों के बीच दायित्वों के विभाजन के अनुसार, एक पर्यटक केन्द्र के रूप में इस स्थान के विकास का कार्य राज्य सेक्टर के अन्तर्गत आता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

लघु क्षेत्र की इकाईयों के लिए निवेश सीमा बढ़ाने और नियम परिभाषित करने के लिए निर्देश

2490. **श्री जार्ज फर्नांडीस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद में जुलाई 1980 में उद्योग राज्य मंत्री द्वारा घोषित औद्योगिक नीति विषयक वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों ने लघु क्षेत्र के लिए अपने नियम अभी तक परिभाषित नहीं किए है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या लघु क्षेत्र के उद्योगों की इकाईयों के लिए निवेश सीमा बढ़ाने और नियम परिभाषित करने के लिए सरकार का इन संस्थाओं के अधिकारियों को तत्काल निर्देश देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 2 मार्च, 1981 से लघु उद्योगों के लिए रियायती सहायता की संशोधित परिभाषा के अन्तर्गत व्याप्त होने वाले सभी निवेशों को पात्र बना दिया है।

उत्पाद शुल्क के प्रयोजनों के वास्ते, लघु उद्योग इकाईयों के यन्त्र तथा मशीनरी के सम्बन्ध में निवेश के मानदण्डों को भी, जहाँ भी लागू हों, 1 अप्रैल, 1981 से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जा रहा है।

"यू० एस० एस० आर० अहेड आफ बदर्स इन काटन बोइंग" शीर्ष समाचार

2491. **श्री एन० के० सेवलकर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जनवरी, 1981 के इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशिक "यू० एस० एस० आर० अहेड आफ बदर्स इन काटन बोईंग' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान सोवियत संघ को निर्यात की गई रुई का ब्यौरा क्या है, उसका मूल्य क्या है तथा रुई की किस किस्म का निर्यात किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि सोवियत संघ अन्य देशों को भारतीय रुई की पुन: बिक्री कर रहा है तथा उससे भारी मुनाफा कमा रहा है, यदि हां, तो भारत द्वारा उन देशों को रुई का सीधा निर्यात न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

घ) क्या सरकार को महाराष्ट्र की रुई का सोवियत रूस को निर्यात न किए जाने, क्योंकि देश की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में इसकी ज्यादा मांग है, के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां ।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान सोवियत संघ में निर्यातित रुई के ब्यौरे, इसका मूल्य तथा किस्में, निम्नोक्त प्रकार हैं :—

रुई वर्ष	निर्यात करने वाला अभिकरण	रुई की किस्म	मात्रा गांठों में	मूल्य (लाख रु० में)
1979-80	—	—	—	—
1980-81	महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन परिसंघ	एल-147 1007 एच-4	39,043	801.65 (जनवरी, 81 तक
	भारतीय रुई निगम	जे-34 ए-5119 शंकर-4 एच-4 1007 वरलक्ष्मी	52,28	1405.29 (फरवरी, 81 तक)

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि सोवियत संघ अन्य देशों को भारतीय रुई पुन: बेच रहा है ।

(घ) ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । सरकार उत्पन्न होने वाली रुई स्थिति पर निगरानी रखती रहेगी और उस पर उपयुक्त निर्णय लेगी ।

काले धन का पता लगाने के लिए मारे गए छापे

2492. **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काले धन का पता लगाने के लिए 1980-81 में कितने छापे मारे गए; और

(ख) कितना काला धन पकड़ा गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) महोदय, आयकर विभाग ने 1 अप्रैल, 1980 से 28 फरवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान समस्त भारत में आय/धन के कर की चोरी का पता लगाने के निमित्त लगभग 3389 तलाशियां ली हैं ।

(ख) इन तलाशियों के दौरान, प्रथमदृष्ट्या, लगभग 17.07 करोड़ रुपये मूल्य की लेखा-वाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गयीं हैं ।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के कार्यालय को दिल्ली से रांची में स्थानान्तरित करना

2493. **श्री टी०एस० नेगी** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग, जो पहले हिन्दुस्तान स्टील आथरिटी आफ इंडिया लिमिटेड है, के कार्यालय को गत वर्षों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ता गया है,

(ख) क्या यह सच है कि इसे फिर दिल्ली से रांची से जाने का प्रस्ताव है,

(ग) यदि हा, तो इसके स्थानान्तरण के क्या लाभ हैं और इस स्थानान्तरण पर रांची में कार्यालय बराने तथा अन्य सुविधाएं जुटाने पर कुल कितना खर्च होगा, और

(घ) क्या इस पर होने वाला खर्च वर्तमान राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति की दृष्टि से उचित है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) के 1972 में निगमन से लेकर इसका पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में रहा है। हिन्दुस्तान स्टील लि०, जिसने जनवरी, 1954 में अपना कार्य आरम्भ किया था और जिसका मुख्यालय दिल्ली में था, अगस्त, 1955 में कलकत्ता और अक्तूबर, 1956 में राउरकेला में चला गया था और वर्ष 1957 में पुनः दिल्ली आ गया था और दिसम्बर, 1959 में रांची चला गया था। ये सभी परिवर्तन परिचालनात्मक और प्रशासनिक बातों को ध्यान में रखकर लिए गए थे क्योंकि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का क्षेत्राधिकार आरम्भ में एक कारखाने नामतः राउरकेला इस्पात कारखाने से बाद में बढ़ाकर अन्य कारखानों अर्थात भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों तक कर लिया गया था। 1-5-78 से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को "सेल" में मिला दिया गया था।

(ख) से (घ) "सेल" के मुख्यालय को रांची से जाने का प्रस्ताव अभी भी बिचाराधीन है।

सहकारी फिजूल खर्च

2494. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार ने सरकार के राजसी और फिजूल के खर्चों को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए थे, ताकि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मुद्रास्फीती की दर को कम किया जा सके ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे ;

(ग) उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में वर्ष 1980 में अब तक क्या उपाए किए गए है तथा वर्ष 1981 और 1982 में क्या उपाय किए जाने का विचार है ;

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को क्या-क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं जिनसे राजसी और फिजूल के खर्चों को कम किया जाए, ओवर ड्राफ्ट के मामले घटाए जाएं ताकि घाटे की अर्थ-व्यवस्था से बचा जा सके ; और

(ङ) वर्ष 1975, 1976, 1977, 1978 और 1979 के पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 1980 के दौरान मुद्रास्फीती कितने प्रतिशत बढ़ी है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) : पिछले

कई वर्षों से पहले से ही लागू किफायत सम्बन्धी आदेशों को समेकित किया गया तथा उन्हें मई 1977 में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों को परिचालित किया गया था। इस समेकित आदेश में जिन उपायों पर जोर दिया गया उनमें पदों के सृजन, भरने पर प्रतिबन्ध, यात्रा भत्तों का विनियमन और आकस्मिकता, स्टाफ कारों, टेलीफोनों और फर्नीचर, सम्मेलनों का आयोजन. सरकारी सत्कार, पेट्रोल की खपत बिजली आदि जैसी अन्य पदों के व्यय में कमी करना शामिल है। विभागीय वाहनों, स्टाफकारों द्वारा पेट्रोल की खपत में कटौती करने के सम्बन्ध में मई, 1979 में किफायत सम्बन्धी और आगे अनुदेश जारी किए गए थे जिनमें यह व्यवस्था थी कि सचिवालय सम्बन्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा रखी गई स्टाफ कारों सहित गैर प्रचलनात्मक वाहनों के सम्बन्ध में स्टाफ कारों के प्रयोग में आए मैट्रोल को वर्ष 1978-79 के दौरान प्रयोग की गई मात्रा के 66-2।3 प्रतिशत तक और क्षेत्र कार्यालयों आदि द्वारा रखे प्रचालनात्मक वाहनों के सम्बन्ध में 85 प्रतिशत तक प्रतिबंधित किया जाएगा।

जुलाई, 1979 में इस आशय के और आगे आदेश जारी किए गए थे कि तब तक किसी में अतिरिक्त बजट व्यवस्था की स्वीकृति नहीं दी जाएगी जब तक भूल बजट को अन्तिम रूप देते समय ऐसी व्यवस्था पर विचार करने के सम्बन्ध में विशिष्ट आश्वासन न दिया गया हो। आयोजना से आयोजना-भिन्न पक्ष में व्यय के पुनर्विनियोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया था और इस बात पर जोर दिया गया था कि आयोजना-भिन्न पक्ष में, पूर्ण रूप से ऐसे नए संगठनों के मामलों को छोड़कर, जिनके लिए ऐसी आवश्यकता को विशिष्ट रूप से स्वीकार किया गया हो, किसी भी अतिरिक्त पद की स्वीकृति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि अन्य पदों को वापस करके उनके बराबर बचत न की गई हो। मंत्रालयों, विभागों को, विशेषकर टेलीफोन प्रभार पेट्रोल की व्यवस्था आदि जैसी पदों के अन्तर्गत अतिरिक्त आबंटन नहीं किया जाएगा। इस अतिरिक्त दायित्व को व्यय में किफायत करके पूरा किया जाए। टेलीफोन के व्यय पर प्रतिवर्ष, कागज के प्रयोग में किफायत, नए पदों का सृजन, सरकारी कर्मचारियों का स्थानान्तरण, यात्रा भत्ता, आकस्मिक व्यय, समयोपरिभत्ता, केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए स्वीकृत स्टाफ और विदेश यात्रा के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के आयोजना-भिन्न व्यय में कमी करने के बारे में सितम्बर, 1979 में और अनुदेश जारी किए गए थे। इस आदेश में इस बात पर जोर दिया गया था कि किसी नए संगठन के मामले को छोड़कर नए पदों के सृजन के लिए तदनुरूपी बचतों को दिखाकर मंत्रिमंडल का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने, जिनमें कार्य-कुशलता को हानि पहुंचाए बिना अथवा विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किफायत की जा सकती हो और ऐसे क्रिया-कलापों का पता लगाने, जो अत्यावश्यक नहीं हैं अथवा जहाँ भारत सरकार के विभिन्न विभागों के बीच अथवा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच परस्पर व्यापी हों और इस प्रकार के क्रिया कलापों को क्रमबद्ध रूप से समाप्त करने अथवा युक्तियुक्त बनाने के लिए उपायों का सुझाव देने के संबंध में मई, 1979 में एक सरकारी व्यय आयेगा की स्थापना की गई थी। इस सरकारी व्यय आयोग को 31 जनवरी, 1980 से समाप्त कर दिया गया।

उपर्युक्त किफायती उपाय अभी भी प्रचालन में हैं किन्तु ऐसा विचार किया जाता है कि

यद्यपि से उपाय अपने आपको वांछनीय हैं तथापि हो सकता है कि इनसे पर्याप्त बचत न हो। इसलिए सरकार का यह विचार है कि सच्चे मायनों में किफायत को तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब योजनाओं/परियोजनाओं का उपयुक्त वर्णन किया जाए और उनका कुशलता से कार्यान्वियन किया जाए। यह केवल सप्रय; वद्ध्य सारिणी के अनुसार परियोजनाओं के उपयुक्त चयन मूल्यांकन और कार्यान्वियन को सुनिश्चित करके ही हम अपने निवेशों से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का यह प्रयास रहा है कि परियोजनाओं और कार्यक्रमों का निकट से नियंत्रण करके सरकारी खर्चे की प्रभावशीलता में उत्तरोत्तर सुधार हों। आर्थिक सहायता जो कि सरकारी खर्चे का एक महत्वपूर्ण अंश होती है उसे भी समीक्षाधीन रखा जाता है। चूंकि किफायत संबंधी उपायों के परिणाम-स्वरूप होने वाली बचतों को खर्चे के किसी प्राथमिक एकक अथवा किसी अलग उपशीर्ष नहीं दिखाया जाता इसलिए अनुमानित उपलब्धियों की मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाए गए किफायत संबंधी उपायों को, इसी प्रकार के किफायती उपाय करने के राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। राज्य सरकारों को अपने ओवर-ड्राफ्टों में कमी करने और घाटे की वित्त व्यवस्था को रोकने के लिए जारी किए गए मार्ग दर्शी सिद्धान्त निम्न प्रकार है :···

··· सभी व्यय उपलब्ध संसाधनों के अनुरुप होने चाहिए। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक के ओवर-ड्राफ्टों को बजटीय संसाधनों के रुप में नहीं माना जा सकता, और इसलिए उसे टाला जाना चाहिए, अतः राज्य सरकारों को अपनी बजटीय स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और वह सभी व्यय जिनके लिए संसाधन न हो और जिन्हें स्थगित किया जा सकता हो, उन्हें उपयुक्त अवसर आने तक अस्थिगित रखा जाए। उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए जो अल्प-समय में परिणाम दे सके। व्यय में अधिक से अधिक किफायत की जाए ताकि दुर्लभ वित्तीय साधनों का उपयोग न्यायोचित रूप में और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से किया जा सके। राज्य सरकारें इस अनुमान के आधार पर आयोजना न बनाए या व्यय न करें कि केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और केवल स्पष्ट रुप से मालूम किए गए संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ही व्यय का स्तर निर्धारित किया जाए। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने व्ययों की व्यवस्था इस प्रकार करें ताकि उनकी स्थिति घाटे में न हो और उसके परिणाम-स्वरूप रिजर्व बैंक से ओवर-ड्राफ्ट न लेने पड़े। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे व्यय विभाग (आयोजना वित्त प्रभाग) को नियमित रुप से भेजे जाने वाले अर्थोपाय पुर्वानुभावों को तैयार करने की प्रणाली को फिर से लागू करें जो राज्यों के वित्त विभागों को अर्थोपाय की स्थिति पर निकट से निगरानी रखने में सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को यह समझाने में भी सहायता प्रदान करेगा कि राज्य सरकारों को कब केन्द्र से अस्थायी सहायता की आवश्यकता होगी।

राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे नियमित रुप से पाक्षिक या मासिक अन्तराल पर रोकड़ प्रवाह विवरण-पत्र तैयार करने की व्यवस्था करें जिसमें कम से कम आगामी महीनों में होने वाली संभावित मुख्य प्राप्तियों और संवितरणों का आवश्यक ब्योरा दिया हुआ

हो। यदि इस प्रकार के रोकड़ प्रवाह विवरण-पत्र क्रमिक तिमाहियों और पूरे वर्ष के लिए नियमित अन्तरालों पर तैयार किए जा सकें तो यह राज्य वित्त विभागों के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन सिद्ध होगा, यह पर्याप्त संशोधनात्मक और उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए समय पर आवश्यक संकेत भी प्रदान करेगा।

(ङ) 1975 से 1980 के कैलेन्डर वर्षों के दौरान अंक प्रति अंक के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक (1970-71=100) में प्रतिशत वृद्धि निम्न प्रकार है :-

वर्ष	मुद्रा स्फीती की दर	
1975	(—)	4,4
1976	(+)	5,4
1977	(+)	4,7
1978	(+)	0,1
1979	(+)	22,0
1980	(+)	13,2

आयतों, विशेषतया कच्चे तेल तथा पेट्रोल उत्पादों की कीमतों में वृद्धि नियंत्रित कीमतों में अपरिहार्य वृद्धि, सूखे के कारण कुछ आवश्यक वस्तुओं की कम सप्लाई और 1979-80 में आधारभूत ढ़ाचे का मंद गति से कार्य करना, देश में मुद्रा स्फीति के मुख्य मुख्य कारण हैं। पिछले वर्षों में उत्पन्न हुई अधिक द्रवता के कारण भी मुद्रा स्फीति को बढ़वा मिला।

सुन्दरवन को पर्यटक केन्द्र के रूप में विज्ञापित तथा लोक प्रिय किया जाना

2495. **श्री मुकुन्द मंडल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि सुन्दरवन भारत के पर्यटक केन्द्रों में से एक है;

(ख) इसे भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षित बनाने के लिए सरकार के पास कोई ठोस प्रस्ताव हैं;

(ग) सस्ते होटलों, परिवहन, अच्छी सड़क यातायात, और कुछ चुने हुए स्थलों को सुन्दर बनाने जैसी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सरकार का विचार पश्चिम बंगाल सरकार को पर्याप्त अनुदान स्वीकृत करने का है; और

(घ) क्या सरकार सुन्दरवन को भारत के पर्यटक मानचित्र में, सभी राज्यों की राज धानियों में रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और देश के अन्य मुख्य भागों में विज्ञापित करने और लोक प्रिय करने पर भी विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) : पंच वर्षीय योजना 1980-85 के दौरान पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए जिन केन्द्रों को चुना गया है सुन्दरवन उनमें से एक है। इसके अलावा, सुन्दरवन क्षेत्र में परिभ्रमण के लिए मोटर लांच की व्यवस्था के बारे में और जुटायी जाने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में इस महीने के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यटक अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जाएगा। यदि

आवश्यक हुआ, तो यह जानने के लिए कि सुविधाएं कहां जुटायी जानी अपेक्षित है, एक सर्वेक्षण भी किया जाएगा।

जहां तक विज्ञापन और पोस्टरों के डिस्प्ले द्वारा सुन्दरवन को प्रचारित करने का संबंध है, अपेक्षित कार्रवाई सुन्दरवन क्षेत्र में सुविधाओं का विकास हो जाने के बाद ही की जाएगी।

वर्ष 1981-82 में चीनी का निर्यात

2496. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1981-82 में चीनी का निर्यात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मूल्य की कितनी चीनी का निर्यात किया जायेगा; और

(ग) क्या इस वर्ष चीनी का इतना फालतू उत्पादन होगा कि उसका निर्यात किया जा सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (**श्री खुर्शीद आलम खान**) : (क) से (ग) : चीनी के निर्यात पर 1981 से रोक लगा दी गई है।

निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा निर्धारित निर्यात लक्ष्य

2497. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन परिषद ने गिलसरीन, साबुन, डिटरजैंट और सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री के लिए 1980-81 का निर्यात लक्ष्य 50 करोड़ रूपये निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन वस्तुओं का निर्यात 17 करोड़ अथवा इसके आसपास से अधिक नहीं था; और

(ग) यदि हां, तो 1980-81 के लिए सरकार इतना बड़ा लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (**श्री खुर्शीद आलम खान**) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) अनन्तिम प्राक्लनों के अनुसार, अप्रैल-जनवरी 1980-81 के दौरान इन उत्पादों के निर्यात पहले ही 54.30 करोड़ रु० तक पहुंच चुके हैं।

प्रगति मैदान का दैनिक व्यय

2498. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रगति मैदान का दैनिक खर्चा कितना हैं, तत्सम्बन्धी। ब्यौरा दें ;

(ख) आय के स्रोत क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार प्रगति मैदान काम्प्लेक्स को पूरी मरम्मत (ओवर हाल) करने पर विचार कर रही हैं ;

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ड) उक्त कार्य की अनुमानित लागत क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री : (**श्री खुर्शीद आलम खान**) : (क) अप्रैल 80 जनवरी 81 की अवधि के दौरान सिविल तथा इलेक्ट्रिकल रख-रखाव और नवीकरणों, बागबानी, जल

प्रभार, बिजली, वस्तु मेलों और प्रगति मैदान के सक्रियकरण पर कुल व्यय के आधार पर अनुमानत दैनिक औसत व्यय लगभग 32000 रु० है ।

(ख) सरकार से मिलने वाले सहायता अनुदान के अलावा प्राधिकरण की आय का मुख्य स्रोत स्थान का किराया, विज्ञापन का प्रवेश शुल्क है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) तथा (ङ) : प्रश्न नहीं उठते ।

छठी योजना के लिए धन में से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अलवर का विकास

2499. **श्री सतीश अग्रवाल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी योजना में पर्यटन के लिए 965 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) इस राशि में से कितनी राशि विदेश तथा देश के दोनों ही पयंटकों के लिए पर्यटन सुविधाओं तथा पर्यटन स्थलों के विकास के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई जाएगी ;

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि अलवर में बहुत ही सुन्दर इमारतें तथा ऐतिहासिक महत्व की झीलें हैं तथापि इसके दिल्ली के निकट होने के बावजुद इसका विदेशी पर्यटकों के लिए पर्याप्त विकास नहीं किया गया है; और

(घ) उपरोक्त आबंटन में से राजस्थान को कितना आबंटन किया जाएगा तथा बड़े पैमाने पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं । छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत पर्यटन के विकास के लिए 72 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

(ख) केन्द्रीय सेक्टर में उपलब्ध धनराशियां राज्यवार आधार पर आबंटित नहीं की जाती हैं । विभिन्न केन्द्रों पर पर्यटन के विकास के लिए स्कीमें इस आधार पर शुरू की जाती हैं कि उन केन्द्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने की कितनी संभावनाएं हैं और तदनुसार स्कीम-वार धनराशियां आबंटित की जाती है ।

(ग) हालांकि केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत अलवर शहर में कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं, तथापि वहां विद्यमान सुविधाओं में सुधार किया गया था और चूंकि सरिस्का तथा सिलीसेढ़ वन्य जीव विहार स्थल, जो कि अलवर के निकट है, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, अत: वहां नई सुविधाएं प्रदान की गई ।

(घ) जैसा कि उपर्युक्त पैरा (ख) में उल्लिखित है, पर्यटन के विकास के लिए धनराशियां राज्यवार आधार पर आबंटित नहीं की जाती हैं । जहां तक राजस्थान में पर्यटक केन्द्रों के विकास का सवाल है, इस महीने राज्य पर्यटक अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श निर्धारित किया गया है जिसमें राजस्थान के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली पर्यटन स्कीमों को अन्तिम रूप

दिया जाएगा और केन्द्रीय और राज्य सेक्टर के बीच उनके कार्यान्वियन का दायित्व निर्धारित किया जाएगा।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के पास आयातित इस्पात मदों का भण्डार

2500. **श्री के० टी० कोसतराग** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के पास आयातित इस्पात की मदों का कितना रक्षित भण्डार है और कब से है,

(ख) आयातित इस्पात की मदों के इस रक्षित भण्डार का मूल्य क्या है, और

(ग) इस्पात की इन मदों को उन इस्पात एककों को सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं जिनके पास इन मदों की सप्लाई बहुत कम है।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 31 जनवरी, 1981 को सेल के पास बफर आयात के स्टाक की कुल यात्रा लगभग 86,500 टन थी। स्टाक अलग-अलग अवधियों के लिए रखा जाता है।

(ख) लागत तथा भाड़े के आधार पर उपर्युक्त स्टाक का मूल्य लगभग 30 करोड़ रुपए हैं।

(ग) जहां तक सम्भव हो सका है, ग्राहकों को माल देने के लिए, पत्तनों से सेल के स्टाक यार्डों को पूरी गाड़ियों में स्टाक की ढुलाई करने के उपाय किए गए थे। फलस्वरूप, 1 अप्रैल, 1980 का स्टाक जो लगभग 238,600 टन था, घटकर 31 जनवरी, 1981 को 86,500 टन रह गया था। अब बची शेष मात्रा अधिकतर अलग-अलग रेल डिब्बों द्वारा प्रेषित की जाती थी। ये रेल डिब्बे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। कुछ रेल डिब्बे आयातित कोयले की ढुलाई के लिए विशाखापत्तनम और पारादीप भी भेजने पड़े। लेकिन स्टाक की ढुलाई के लिए पर्याप्त रेल डिब्बे प्राप्त करने के लिए रेलवे के साथ सतत् सम्पर्क रखा जा रहा है।

बोकारो स्टील कारपोरेशन द्वारा एशियन रिफरेक्टरीज, कलकत्ता पर नियत्रण

2501. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो स्टील कारपोरेशन ने एशियन रिफरेक्टरीज कलकत्ता का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है; और

(ख) यदि (क) का उत्तर हां में है तो एशियन रिफरेक्टरीज के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने की तारीख तथा शर्तें क्या हैं और शेयर होल्डरों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) एशियन रिफेक्ट्रीज लि० दिवालिया हो गई थी। भारत सरकार ने एशियन रिफेक्ट्रीज लि० (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1971 (1971 का 65) के अधीन इस उपक्रम का अधिग्रहण कर लिया था। अधिनियम की धारा 8 के अधीन भूतपूर्व बोकारो स्टील लि० को केन्द्रीय सरकार की ओर से उपक्रम का

प्रबन्ध चलाने के लिए नामित किया गया था ।

(ख) एशियन रिफेक्ट्रीज लि०, बिना किसी ऋण-भार के 17-10-1971 से केन्द्रीय सरकार के अधीन हो गई थी । अन्तरण के लिए मुआवजे के रूप में केन्द्रीय सरकार को न्यायालय में 81 लाख रुपये जमा कराने थे । अधिग्रहण के बाद 3 महीनों में 8 लाख रुपये की राशि न्यायालय में जमा करा दी गई थी । 73 लाख रुपये की शेष राशि दस समान वार्षिक किस्तों में तथा 7 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करानी थी । अब तक इन किस्तों में से नौ किस्त जमा की जा चुकी हैं और 7.30 लाख रुपए तथा उस पर ब्याज की अन्तिम किस्त अक्तूबर, 1981 में जमा की जायेगी । अधिनियम के अनुसार न्यायालय इस राशि को कम्पनी के ऋणदाताओं में वितरित करेगा तथा इस वितरण के पश्चात् यदि कोई राशि बच जाती है तो उसे कम्पनी के अंशदाताओं में उनके हकों और हितों के अनुसार वितरित कर दिया जायेगा ।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा दिल्ली-कुल्लू विमान सेवा का पुनः आरम्भ किया जाना

250. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन एयरलाइन्स दिल्ली-कुल्लु विमान सेवा जो पिछले कुछ वर्षों से बन्द पड़ी है जिससे उस क्षेत्र में पर्यटन को भारी धक्का पहुंचा है, पुनः आरम्भ किये जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले पर पुनर्विचार किया है और विमान सेवा पुनः आरम्भ करने के लिए निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह विमान सेवा पुनः कब आरम्भ की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मामले का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

मनीपुर के लिए सी० आई० शीट का कोटा

2503. **श्री नगनगोय मोहेन्द्रा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर राज्य के लिए 1978-79, 1979-80 और 1980 में अब तक के लिए वर्षवार और अवधिवार सी० आई० शीट का कितना कोटा समय-समय पर निर्धारित किया गया था; और

(ख) क्या वर्ष 1980 में राहत कार्यों के लिए मनीपुर सरकार को सी० आई० शीट का कोई विशेष कोटा आबंटित किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) इस समय इस्पात के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है अतः "छोटे" का प्रश्न ही नहीं उठता । संभवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय मणिपुर राज्य को जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरों की सप्लाई से है । 1978-99, 1979-80 तथा 1980-81 (अप्रैल, 1980 से जनवरी, 1981) के

वर्षों में मणिपुर राज्य को जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरों की सप्लाई की स्थिति के बारे में नीचे बताया गया है :—

वर्ष	सप्लाई की गई मात्रा
1978-79	1345 टन
1979-80	2617 टन
1980-81 (अप्रैल 80—जनवरी, 81)	1613 टन

मणिपुर राज्य को जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरों की उपर्युक्त सप्लाई स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के गोहाटी, तिनसुखिया , न्यु बोगांइगांव तथा कलकत्ता स्थित स्टाकयार्डों से की गई है।

मिलों/कारखानों और औद्योगिक प्रयोक्ताओं को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

2504. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त मंत्री** सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी थोक-विक्रेताओं को दिए गए ऋण के बारे में 5 दिसम्बर, 1980 के अतरांकित प्रश्न संख्या 2603 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यानों, चीनी, खाद्य तेल आदि के मामलों में मिलों/कारखानों और औद्योगिक प्रयोक्ताओं तथा अन्य ऋण प्राप्तकर्ताओं को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋणों के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) थोक विक्रेताओं को, जब तक वे सरकार द्वारा अपने अधिकार में नहीं ले लिए जाते हैं, बैंक ऋण बन्द करने के लिए सरकार की अनिच्छा के पीछे क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपवित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) नवम्बर, 1980 के अंत की स्थिति के अनुसार (जो बिलकुल हाल के उपलब्ध आंकड़े हैं) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खाद्यान्नों, चीनी, खांडसारी समेत और महत्वपूर्ण वनस्पति तेलों तथा वनस्पति के सम्बन्ध में दिए गए अग्रिमों की बकाया रकमें इस प्रकार हैं—

(करोड़ों रुपये)

वस्तु	मिलें/कारखानों और औद्योगिक उपभोक्ता	अन्य	जोड़
खाद्यान	83.7	48.0	131.7
चीनी, खांडसारी समेत	64.4	2.7	67.1
वनस्पति तेल और वनास्पती	22.0	11.7	33.7

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक चयनात्मक ऋण नियंत्रण व्यवस्था के जरिए इस प्रकार की वस्तुओं से संबधित अत्यावश्यक व्यापारिक कार्यक्लाप की न्यायसंगत ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथावश्यक स्तर पर संवेदनशील वस्तुओं के स्टाकों के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले बैंक ऋण का विनियमन करता है । लेकिन बिना सोचे समझे थोक व्यापारियों को सभी प्रकार के बैंक ऋण देना बद करना अर्थव्यवस्था के हित में नहीं होगा ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) इस बड़े देश में जहां इतनी बड़ी आबादी है, सभी आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को हाथ में लेना बुद्धिमानी नहीं होगी ।

एल्यूमीनियम कारपोरेशन आफ इंडिया की जे० के० नगर इकाई

2505. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया की इकाई जे० के० नगर, का प्रबंध जो बालकों को सौंपा गया था, की समन्वित प्रबंध नीति के अभाव में फिर से रुग्ण हो सकता है;

(ख) क्या यह इकाई विपणन समस्याओं का सामना कर रही है जिसके परिणामस्वरूप खराब उत्पादन और कभी-कभी घटिया किस्म का उत्पादन है;

(ग) क्या यह इकाई सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संगठनों से भुगतान कच्चे माल और बिजली का अभाव जैसी समस्याओं का भी सामना कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस इकाई को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) व (घ) फोइल और एक्सट्रूडेड उत्पादों की मांग में वर्तमान गिरावट तथा रोलिंग मिल के असंतोषजनक संचालन के कारण कारखाने में कम क्षमता से उत्पादन हो रहा है । इससे परिसमापन की समस्या पैदा होने जा रही है और प्रबंध-मंडल द्वारा इस समस्या से उबरने के प्रयास किए जा रहे हैं । मामला अभी भी प्रबंध-मंडल के विचाराधीन है और आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

भुवनेश्वर हवाई अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में दर्जा बढ़ाया जाना

2506. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर हवाई अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में दर्जा बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(क) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रुपए का मूल्य

2507. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच वर्ष के दौरान वर्ष-वार प्रति वार्षिक आय कितनी रही; और

(ख) 1970-71 को आधार वर्ष मानकर निर्वाह-लागत पर आधारित रुपये का मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरमन) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

प्रतिव्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद			रुपए का मूल्य * (1970-71-100)
	चालू कीमतों पर	1970-71 कीमतों पर	(पैसे)
	रु०	रु०	
1975-76	1028.8	663.6	64.94
1976-77	1093.5	659.2	59.52
1977.78	1210.0	701.0	57.81
1978-79	1267.2	727.6	55.87
1979-80	1378.8*	677.8*	49.75

प्रधान मंत्री के बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में बैंकों की दिशा निर्देश

2508 **श्री आरिफ मोहम्मद खां** : क्या **वित्त मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के बीस सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिशा निर्देश दिए गए है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल की गई कुल राशि क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक नई सूचना प्रणाली विकसित की है ताकि बैंक 20-सूत्री कार्यक्रम में की गई प्रगति को बता सकें। बैंकों से आंकड़े मिलने शुरू होने में अभी कुछ और समय लग सकता है।

---

* आधार 1960-100 को 1970-71 को अन्तरित करने के बाद अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता कीमत सूचक अंक।

राशियां प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने से संबंधित हैं।

* तुरंत अनुमान

जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) में अफीम की खेती

2509. **श्री गिरधारी लाल व्यास : क्या वित्त मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व मेवाड़ सरकार के शासन काल में भीलवाड़ा जिले में अफीम की व्यापक खेती की जाती थी ;

(ख) क्या सेन्ट्रल नारकोटिक्स विभाग ने यह खेती करने की अनुमति रोक दी तथा जो लोग पीढ़ियों से अफीम की खेती कर रहे हैं उनको अनुमति देने से इन्कार कर दिया है और इसके स्थान पर मनमाने ढग से लाइसेंस दिए गये हैं ;

(ग) क्या मंदसोर जिले में अफीम की खेती के लिए बहुत से व्यक्तियों को अनुमति दी गई है जब कि भीलवाड़ा (राजस्थान) में सीमित खेती की अनुमति दी गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन लोगों को अफीम की खेती की अनुमति देने का है जो वर्षों से यह खेती कर रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सबाई सिह सिसोदिया) : (क) भूतपूर्व मेवाड़ महाराणा के शासन काल में, जिन क्षेत्रों में अफीम की काश्त की जाती थी, वे क्षेत्र अब भीलवाड़ा जिले में आते हैं। लेकिन, वस्तुत: जितने क्षेत्र में पोस्त की काश्त की जाती थी उससे संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं है ,

(ख) विदेशों को अफीम के निर्यात के लिए कुल अनुमानित मांग और चिकित्सा तथा वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए स्वदेशी जरुरतों को हिसाब में लेने के बाद देश में अफीम की काश्त की योजना बनाई जाती है। विश्व में भारतीय अफीम की मांग में कमी आ जाने और उसके परिणामत: अफीम का बड़ा स्टाक इकट्ठा हो जाने के कारण अफीम की काश्त हेतु लाइसेंस शुदा रकबे को कम करने का फैसला किया गया है।

(ग) जी हां। मंदसौर जिले में उपजाऊ भूमि काफी अधिक है और उस क्षेत्र में परम्परागत रुप से अफीम की काश्त होती रही है।

(घ) जी हां। ऐसे परम्परागत काश्तकारों को तरजीह दी जाती है, जो अहर्क उपज की शर्त पूरी करते हो, और गैर-कानूनी गति विधियों में ग्रस्त भी नहीं हों।

मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए की गई कार्यवाही

2510. **श्री सुभाष यादव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में और विशेष रुप से मध्य प्रदेश में और अधिक पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए सरकार किन प्रस्तावों पर विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : पहले से चली आ रही स्कीमों के अतिरिक्त, केन्द्रीय पर्यटन विभाग का अंतर्राष्ट्रीय और स्वदेशी दोनों प्रकार के पर्यटन के संवर्धन के लिए यात्रा परिपथों की संकल्पना के अनुसार आधारित संरचना संबंधी सुविधाओं को विकसित करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में यात्रा परिपथों की संकल्पना के आधार पर पर्यटन विकास का एक ब्लू प्रिंट भिजवाने के लिए

अनुरोध किया गया था। इस महीने में, राज्य के पर्यटन अधिकारियों के साथ होने वाली बैठकों में, जब केन्द्रीय और राज्य सेक्टरों में पर्यटन विकास के किए स्कीमों को अन्तिम रुप दिया जाएगा, तभी मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जाएगा।

दिल्ली के लिए नागरिक पूर्ति निगम

2511. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिए प्रस्तावित नागरिक पूर्ति निगम इस बीच बता दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निगम का गठन क्या है;

(ग) इस निगम को किन किन पदों को सोंप दिया गया है और इसे क्या क्या और पद सोपे जायेंगे ; और

(घ) यदि इस निगम ने कार्य करना आरम्भ नही किया है तो विलम्ब के क्या कारण हैं

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री : (श्री ब्रजमोहन महन्ती)

(क) से (घ) दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत 14-11-80 को एक कम्पनो के रुप में संस्थापित किया गया है। उपराज्यपाल को निगम के निदेशक मंडल को नामित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। उन्होंने निम्नांकित निदेशक मंडल को नामित किया है :—

1. मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2. आयुक्त (खाद्य एवं सम्भरण)	प्रबंध-निदेशक
3. विकास आयुक्त	निदेशक
4. वित्त सचिव	निदेशक
5. प्रबंध-निदेशक डी० एस० आई० डी० सी०	निदेशक

ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद के अनुसार निगम के मूख्य उद्देश्य निम्नांकित हैं :-

1. खाद्य सामग्री, सीमेन्ट, कोयले, इमारती लकड़ी, भवन निर्माण सामग्री, पेय पदार्थों, औषधियों, पेट्रोलियम उत्पादों तथा अन्य आवश्यक एवं उपभोज्य वस्तुओं के उत्पादन, खरीद, बसूली, संसाधन संचलन, ढुलाई, आयात, निर्यात, वितरण और विक्रय का काम करना, इन कार्यों को बढ़ावा देना, इन्हें विकसित करना, इनमें सुधार लाना, इनके बारे में सलाह देना और इनके लिये वित्त की व्यवस्था करना।
2. जिन प्रयोजनों के लिये कम्पनी की स्थापना की गई है, उनके संवर्धन हेतु पूंजी, ऋण-संसाधनों, तकनीकी तथा प्रबंध सेवाओं और सलाह आदि के रूप में सहायता देना।

दालों और तिलहनों का भंडार

2512. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में दालों और तिलहनों के मूल्यों में यकायक होने वाली वृद्धि से बचने के लिए इन वस्तुओं का पर्याप्त भडार बनाया है ;

(ख) क्या सरकार इन वस्तुओं में सट्टे बाजी आदि से बचने के लिए यह बतायेगी कि उसके पास इनका कितना भंडार है; और

(ग) चालू वर्ष में दालों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की क्या सम्भावनाएं हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमत्री : (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास दालों तथा तिलहनों का भंडार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दालों और तिलहनों की खरीफ तथा रबी की फसलों के प्रारम्भिक अनुमानों से पता चलता है कि चालू वर्ष में इनकी संभावनाएं काफी अच्छी हैं।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में वरिष्ठता निर्धारित करना

2513. **श्री चतुर्भुज** : क्या वाणिज्य मंत्री भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये मानदण्ड के बारे में 14 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6809 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्त विभागीय समिति ने वरिष्ठता निर्धारित करने के मानदण्डों के प्रश्न की जांच कर ली है और अपनी रिपोर्ट भेज दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो समिति कब तक अपनी रिपोर्ट भेज देगी ;

(ग) यदि समिति ने वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये अपनाए जाने वाले मानदण्डों सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट भेज दी हैं, तो उसके निष्कर्ष और सिफारिश क्या क्या हैं ; और

(घ) समिति की सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित करना शुरू किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री : (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अन्त: विभागीय समिति के निष्कर्ष तथा सिफारिशों को अपाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(घ) अन्त: विभागीय समिति की सिफारिशों को, निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुसार उनसे प्रत्यन्तर के साथ, कार्यान्वित किया जा चुका हैं।

विवरण

अन्त: विभागीय समिति के निष्कर्ष तथा सिफारिशें निम्नलिखित अनुसार हैं :-

1. विलय होने वाले संगठनों के सिफारिशों की नियुक्ति तथा ट्रांजफर की शर्तों की जाँच करने के बाद समिति ने निष्कर्ष निकाला कि कर्मचारियों को परस्पर वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था जो कि अब भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण

द्वारा बनाए जाने वाले नियमों तथा विनियमों के अनुसार निर्धारित की जानी है ।

2. समिति ने निर्णय किया कि वेतनमान परस्पर वरिष्टता में निर्धारण के लिए मुख्य मानदण्ड होना चाहिए ।

3. चूंकि भारतीय व्यापार मेला तथा प्रदर्शनी परिषद, भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संगठन के मामले में और वाणिज्य मंत्रालय ने अस्थायी कर्मचारियों, जिन्हें भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में ट्रांसफर किया गया तथा नियुक्त किया गया, के मामले में मंत्रिमंडल ने निर्णय किया था कि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं, अत: कर्मचारियों को सीधे भर्ती हुए माना जाए और सीधे भर्ती होने वाले कर्मचारियों के बारे में प्रत्येक नियम इस शर्तें के अध्यधीन लागू किये जाएं कि इस श्रेणी के स्टाफ को समापन लाभ दिये जाएं । चूंकि ये सभी अस्थायी कर्मचारी उसी दिन अर्थात् 1-3-1977 को ही भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करेंगे अत: वेतनमान में तथा परस्पर उनकी सेवा अवधि को उनकी परस्पर वरिष्ठता को निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाएं ।

4. भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को स्थानान्तरित स्थायी सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह निर्णय किया गया कि वेतन मान में उनकी वरिष्ठत: वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित तथा प्राधिकरण को सूचित अनुसार लागू होगी । के वरिष्ठता के लिए अपनी गत सेवा हिसाब में लेने के भी हकदार होंगे ।

5. समिति ने आगे समरूप ड्यूटियों तथा कार्यों वाले अनेक समान समय मानों को युक्ति संगत बनाने तथा कतिपय समय मानों को विधमान समय मानों के साथ समन्वित करने के लिए उनके संशोधन का भी सुझाव दिया ।

6. समिति ने सिफारिश की कि निम्नलिखित संवर्ग भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में शामिल रहने चाहिए :-

(1) प्रदर्शनी संवर्ग ;

(2) वाणिज्यक प्रचार (इसमें लोक संपर्क एकक तथा हिन्दी) सम्पादकीय अनुभाग शामिल होंगे)

(3) वित्त तथा लेखा संवर्ग ;

(4) तकनीकी संवर्ग ;

(5) सुरक्षा संवर्ग ;

(6) स्थापना संवर्ग ; और

(7) भण्डार संवर्ग ।

"वायुदूत" विमान सेवा के कारण कलकत्ता हवाई अड्डे में छंटनी

2514. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "वायुदूत" विमान सेवा चलाने के परिणाम स्वरूप निकट भविष्य में कलकत्ता हवाई अड्डे में कोई छंटनी की जाएगी ;

(ख) क्या तीसरी एयरलाइन चलाने के लिए कलकत्ता हवाई अड्डे में नई भर्ती बन्द कर दी जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) : जी, नहीं। (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नासिक स्थित सरकारी मुद्रणालय को कागज की सप्लाई

2515. **श्री डी० पी० यादव** : क्या वित्त मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नासिक स्थित सरकारी मुद्रणालय को कागज सप्लाई करने वाला सप्लायर घटिया किस्म का कागज बाजार के भाव से बहुत ज्यादा मूल्य पर सप्लाई कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में अधिकारियों ने कोई जांच की है ; और

(ग) क्या मुद्रणालय का कोई अधिकारी सप्लायर के साथ सांठ गांठ किये हुए है, यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री : (श्री मगन भाई बरोट) : (क) और

(ख) इस बारे में आरोप प्राप्त होने पर उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जांच शुरू की गई और इससे आरोपों तथा सरकार को धोखा देने के प्रयत्नों के समर्थन में प्रथम दृष्ठया पर्याप्त साक्ष्य उपस्थिति हुए हैं।

(ग) प्रेस के अधिकारी इस मामले में कहां तक लिप्त है इसकी जांच भी की जा रही है।

लद्दाख के लिए वायुदूत विमान सेवा का शुरू किया जाना

2516. **श्री पी० नामग्याल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे तथा परिवहन की अन्य सरल व्यवस्था के अभाव में वायुदूत का किराया इंडियन एयरलाइन्स की तुलना में 30 प्रतिशत कम है ;

(ख) क्या सरकार का विचार रेलवे तथा परिवहन की अन्य सरल व्यवस्था के अभाव में लद्दाख तथा ऐसे ही अन्य स्थानों के लिए इंडियन एयरलाइन्स के समान भागों के विमान किराये को घटाने पर विचार करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जीहां, परन्तु उत्तर पूर्वी क्षेत्र का दुर्गम होना ही इसका एक मात्र कारण नहीं था। ऐसा इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये किया गया था तथा विमान-किरायों में कमी के कारण इन सेवाओं में यात्रा करने वालों को अन्य छोटी-मोटी आनुषंगिक सुविधाएं नहीं दी जाती।

(ख) जहां तक लद्दाख का सम्बन्ध है, इंडियन एयरलाइन्स लद्दाख से/को परिवहन व्यवस्था को सुविधा जनक बनाने के लिए सामान्य वापसी यात्राओं के किरायों पर 30 % रियायत देती है। सरकार द्वारा अन्य किसी भी मार्ग पर विमान किराया कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इण्डियन एयरलाइन्स में प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती

2517. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से तथा पदोन्नतियों चयनों के माध्यम से प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती का मानदण्ड है ;

(ख) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइंस के आंतरिक कर्मचारियों में से पदोन्नतियों चयनों के माध्यम से आने वाले अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की शैक्षणिक अहर्ताओं में अंकों की प्रतिशत तो नहीं देखी जाती है ;

(ग) यदि हां, तो सीधी भर्ती के माध्यम से आने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए शैक्षणिक अहर्ताओं में ऐसी ही छूट न दिये जाने के कारण क्या है; और

(घ) पदोन्नतियों के माध्यम से न लेकर के सभी सीधी भर्ती से माध्यम से भर्ती किए जाने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक अहंताओं में प्रथम डिवीजन की अपेक्षा में छूट न देने क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) इंडियन एयर लाइन्स में मैनेजमेंट ट्रेनीज के रूप में भर्ती के पात्र होने के लिए उम्मीदवारों के पास अन्य बातों के साथ-साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 60 % अथ ा अधिक अंक प्राप्त करके निम्नलिखित में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए अर्थात मार्किटिंग/फाइनेंस/एप्लाइड मैथेमेटिक्स या बिजनेस/एप्लाइड इकोनामिक्स/मेटीरियस्स मैनेजमेंट अथवा आपरेशज रिसर्च/इंडस्ट्रियल रिलेशन्स/लेबर वेल्फेयर ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स में मेनेजमैंट ट्रेनीज के पदों पर भर्ती सिलेक्शन के माध्यम से सीधे भर्ती द्वारा की जाती है, पदोन्नति द्वारा नहीं और विभागीय कर्मचारियों के आवेदनों पर भी बाहर वाले उम्मीदवारों के साथ-साथ विचार किया जाता है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मोदवारों सहित आंतरिक कर्मचारियों पर लागू योग्यता की कसौटी वही है जो बाहर वालों पर लागू होती है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

सीमेंट का आयात

2518. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में किन-किन देशों से कितने सीमेंट का आयात किया गया;

(ख) वर्ष 1981-82 में निकट भविष्य में कितने सीमेंट का आयात होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है; ताकि आयात को समाप्त किया जा सके यदि हां, तो इस बारे में सरकार की योजना क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 1980-81 में अभी

तक लगभग 15.03 लाख मे० टन० सीमेंट की मात्रा का आयात किया गया है। जिन देशों से सीमेन्ट का आयात किया गया है वे हैं : उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेशिया, जापान, फिलीपीन तथा वियतनाम।

(ख) 1981-82 के दौरान आयात की जाने वाली सीमेन्ट की मात्रा अभी निर्धारित की जानी है।

(ग) सरकार, यथाशीघ्र आयात को समाप्त करने की दृष्टि से विद्यमान क्षमताओं की उपयोगिता में सुधार करके तथा क्षमताओं कोलिस्वीकृत करके, देश में सीमेन्ट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

उड़ीसा की चिलका झील झींगा मछली का निर्यात

2519. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979 80 और 1980-81 के दौरान चिलका झील से निर्यात की गई झींगा मछली की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान पारादीप तथा उड़ीसा के अन्य मछली पकड़ने के केन्द्रों से निर्यात की नई झींगा मछली की कुल मात्रा कितनी है;

(ग) उड़ीसा के झींगा मछलियों के निर्यात से अर्जित की गई कुल विदेशी मुद्रा कितनी है; और

(घ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) केवल मात्रा चिलक झील से निर्यात की गई झींगा मछली के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ) पारादीप पतन के जरिए निर्यात की गई झींगा मछली की कुल मात्रा तथा अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नोक्त प्रकार है —

	मात्रा मे० टन में मूल्य लाख रु० में	
	मात्रा	मूल्य
1979-80	2364	1238.93
1980-81 (अप्रैल-जनवरी)	2234	1041.87

पारादीप से हुए निर्यातों में उड़ीसा के मत्स्य केन्द्रों में हुआ उत्पादन भी शामिल है। उड़ीसा से झींगा मछली का निर्यात मुख्यतः उसे जमा कर किया जाता है और पारादीप से प्रायः सम्पूर्ण मात्रा जापान को भेजी जाती है।

हरियाणा में आय-कर छिपा के मामले

2520. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 के दौरान हरियाणा राज्य में आय-कर छुपाने के कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) प्रत्येक व्यक्ति अथवा फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) पहली अप्रैल 1980 से 31 जनवरी, 1981 के दौरान आयकर आयुक्त, हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में आय छिपाने के मामले में अर्थ दण्ड लगाने के जो आदेश पारित किये गये हैं उनकी संख्या 36 है।

(ख) तथा (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	मामले का नाम	कर-निर्धारण वर्ष	छिपाई गई आय की रकम	लगाये गये अर्थ-दण्ड की रकम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्रीमती शान्ति महीपाल मार्फत मैसर्स रामलाल राजकुसार एल्लेनावाद	75-76	5,000/-	5,000/-	...
2.	श्री लेख राम सुपुत्र सुपुत्र श्री मुंशीराम डववाली	77-78	500/-	100/-	...
3.	श्री रघवीर सिंह मार्फत मेसर्स वेहल संस एण्ड कम्पनी, गुड़गांव।	76-77	960/-	180/-	...
4.	श्री कृष्ण कुमार मार्फत वेहल संस एण्ड कंपनी, गुड़गाँव	76-77	960/-	180/-	...
5.	श्रीमती भागवन्ती देवी मार्फत मैसर्स रमेश चन्द्र अनिल कुमार रिवाडी	76-77	5,400/-	1,646/-	...
6.	मैसर्स चानन दास रामचन्द्र, रोहतक	75-76	18,951/-	18,951/-	...
7.	हरियाणा राइस दाल मिल में सफीदों	71-72	43,658/-	43,658/-	...
8.	श्री जे० डी० गुप्त मार्फत हरियाणा राइस दाल मिल्स सफीदों	71-72	13,566/-	14,566/-	...

1	2	3	4	5	6
9.	मैसर्स ग्रीन ट्रेक्टर्स, जी० टी० रोड, करनाल	74-75	10,000/-	10,000/-	...
10.	मैसर्स रघुनाथ दास, तेलुराम तरावड़ी	78-79	8,400/-	1,450/-	...
11.	श्री साधुराम सुपुत्र श्री बनवारी लाल, कैथल ।	65-66	14,990/-	16,000/-	...
12.	मैसर्स राजिन्द्र कुमार सोहन लाल, पेहोवा ।	78-79	9,000/-	1,396/-	अभियोजन चलाया गया
13.	मैसर्स दया राम भगत राम पेहोवा	77-78	15,000/-	9,900	...
14.	मैसर्स सन्त लाल प्रेम चन्द्र कैथल	79-80	7,814	3,800	...
15.	श्री साधू राम मार्फत मैसर्स दुर्गा भट्टा कं0 पुंडरी	76-77	2,062	1,000	...
16.	श्री इन्द्र पाल, मालिक इन्द्र पाल एण्ड सन्स इसमाइलावाद	78-79	4,640	1,020	...
17.	श्री प्रताप लाल अदलखा मार्फत मैसर्स अदलखा फैंसी पानीपत	65-66	14,400	14,400	...
18.	श्री गणेश दास कं0 मार्फत डीलक्स टैक्सटाइल पानीपत	72-76	4,313	4,313	...
19.	मैसर्स भारत मेडिकल हाल भिवानी	75-76	33,998	33,998	...
20.	श्रीमति संतोष पूंज हिसार	72-72	13,000	13,000	...
21.	श्रीमति सन्तोष पूंज हिसार	73-74	3,300	3,300	...
22.	श्री हरबंस सिंह	72-73	4,947	4,947	...

1	5	3	4	5	6
	मार्फत रावलपिंडी मोटर वर्क्स अम्बाला सिटी				
23.	श्री अशोक कुमार आई-17 लायसेन्स पिंजौर	76-77	3 050	571	...
24.	साधौरा के स्व0 श्री कृष्ण लाल सुपुत्र श्री लछमन दास कानूनी वारिस श्रीमति कान्ता देवी	74-75	1,000	232	...
25.	यथोपरि	75-76	1,000	220	...
26.	यथोपरि	76-77	1,000	220	...
27.	श्री चुन्नी लाल मार्फत मैसर्स चुन्नीलाल मदन लाल अम्बाला सिटी	72-73	2,070	2,070	...
28.	मैसर्स छावड़ा शू स्टोर अम्बाला सिटी	78-79	16,880	1,720	...
29.	मैसर्स प्रवीण केमिकल्स एन0 आई0 टी0 फरीदाबाद	77-78	10,000	4,468	
30.	श्री राम सरन दास मार्फत आटो सप्लाई कं० फरीदाबाद	75-76	14,470	14,470	...
31.	मैसर्स तावडु कोआपरेटिव लेवर एण्ड कनस्ट्रशन सोसाइटी तावडू	75-76	45,562	45,562	...
32.	मैसर्स हरियाणा राइस मिल्स सिरसा	73-74	20,971	20,971	...
33.	श्री लाल चन्द	71-72	116	116	...

1	2	3	4	5	6
	मार्फत लालचन्द फ्लोर मिल्स सोनीपत				
34.	मंगत राम धामचन्द जगाधारी	72-73	20,000	20,000	...
35.	श्री लक्ष्मी चन्द मार्फत मंगतराम धाम धन्द जगाधारी	72-73	3,000	3,000	...
36.	श्री भगत रामधीमान मालिक धीमान इंजीनियरिंग वर्क्स यमुना नगर	73-74	15,268	15,568	...

हरियाणा में छोटे किसानों की कृषि-ऋण की बकाया राशि को बट्टे-खाते डालने के लिए केन्द्रीय सहायता।

2521. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा में छोटे किसानों की कृषि-ऋण की बकाया राशि को बट्टे खाते डालने हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां , तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)

(क) जी , नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

हरियाणा को धन राशि दिया जाना

2522. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा सरकार को वर्ष 1980 के दौरान कुल कितनी राशि के ऋण दिए गए और किस प्रयोजन के लिए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)

1980-81 के दौरान हरियाणा सरकार को ऋण के रुप में संवितरित किए जाने के लिए निम्नलिखित धनराशि की व्यवस्था की गई है :—

(करोड़ रुपये)

1. राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	35.74
2. प्राकृतिक प्रकोपों संबंधी राहत के लिए केन्द्रीय सहायता	2.60
3. अल्प बचत संग्रहण	9.58

4. कृषि आदानों के लिए अल्पाविधी ऋण	12.00
5. अखिल भारतीय अधिकारियों संबंधी गृह निर्माण ऋण	0.06
6. भंडार भांडागार नियंत्रण	0.05
7. पुलिस बल का आधुनिकीकरण	0.10
8. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति	0.02
जोड़	60.15

विमान सेवाओं को लाभकारी बनाने के लिए की गयी कार्यवाही

2523. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से विमान सेवाओं का युक्तिकरण किया गया है तब से ही यह घाटे में चल रही हैं ; और

(ख) यदि हां , तो इसे लाभकारी बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)

(क) : जी , हां ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

नागरिक आपूर्ति निगम

2524. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन राज्य सरकारों को जहां खुली बिक्री वाली चीनी, गेहूं और चावल के वितरण का काम अपने हाथ में लेने के लिए नागरिक आपूर्ति निगमों की स्थापना की गई है, केन्द्रीय मार्ग दर्शी सिद्धांत भेज दिए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती)

जी नहीं । सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की वसूली , आपूर्ति तथा वितरण का कार्य राज्य स्तर की विभिन्न सहकारी समितियों नियमित एजेन्सियों को सौंपने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी गयी है ।

"फेरो सिलीकोन" का उत्पादन

2525. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या इस्पात और खान मंत्री "टाइम्स आफ इण्डिया" दिनांक 6 दिसम्बर, 1980 में "रिजपंशन आफ फेरो सिलिकोन एक्सपोर्ट "अजर्ड" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि देश के फेरो सिलिकोन का कुल उत्पादन भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ;

(ख) : क्या यह भी सच है कि उड़ीसा, आंध्रप्रदेश तथा कर्नाटक के फेरो सिलिकोन उत्पादकों ने पिछले अगस्त मास में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को यह बताने की कोशिश की थी कि फेरोसिलिकोन का बाहर से आयात न किया जाय क्यों कि वे इसकी सारी मांग को पूरा करने की स्थिति में है ;

(ग) : यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का विचार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को आयात बन्द करने हेतु आवश्यक निदेश जारी करने का है ; और

(घ) : तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)

(क) यदि फेरों सिलिकन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो और वे अपनी क्षमता के अनुरुप उत्पादन करें तो वे आन्तरिक आवश्यकताओं के साथ-साथ स्टील आथरिटी आफ इन्डिया लि० (सेल) की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकती हैं। लेकिन 1979—80 में और 1980–81 के आरम्भ में कम उत्पादन के कारण फेरो–सिलिकद की भारी कमी हो गई थी जिसकी पूर्ति आयात द्वारा करनी पड़ी।

(ख) यद्यपि फेरो सिलिकन के उत्पादकों ने जुलाई, 1980 में सेल की आवश्यकताओं को पूरा करने की पेशकश की थी तथापि अप्रैल— दिसम्बर, 1980 की अवधि में सेल की वास्तविक सप्लाई मात्र 2700 टन रही जबकि समूचे वित्त वर्ष के लिए 22,000 टन के आर्डर दिए गए थे ! यदि समय पर आयात न किया गया होता तो इस्पात कारखानों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।

(ग) तथा (घ) आशा हैं 1979-80की तुलना में 1981-82 में फेरो सिलिकन का उत्पादन अधिक हो या इसलिए इस समय इसका आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

छठी योजना के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना

2526. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वित्त मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान कुछ और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ;

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त छठी योजना के दौरान देश में बढ़ायी जाने वाली इस तरह की प्रस्तावित ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) इस अवधि के दौरान उड़ीसा में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित इस तरह के बैंकों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान उड़ीसा के क्योंझर जिले में इस तरह का कोई बैंक स्थापित किया जाएगा ;

(ड) यदि हां, तो क्या उस जिले में इसके लिए स्थानों का पता कर लिया गया है; और

(च) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपवित्त मन्त्री : (श्री मगनभाई बरोट) : (क) तथा (ख) जी, हां यह निर्णय किया गया है कि छठी आयोजना की अवधि में 105 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले

जाये, जिससे कि मार्च, 1985 के अन्य तक की संख्या 170 तक पहुंच जाए ।

(ग) राज्य में 10 जिलों को व्याप्त करते हुए 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। इस समय, आयोजना अवधि में, धेनकनाल जिले में एक और बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके साथ, राज्य के 13 जिलों में से 11 जिले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से व्याप्त होगे ।

(घ) से (च) बेतरणी ग्राम्य बैंक, बारीपदा नामक एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो 23 जून, 1980 को स्थापित हुआ था, क्यों झर जिले की सेवा कर रहा है। इस बैंक ने अपन प्रचालन क्षेत्र में, मयूरभंज तथा क्योंझर जिले को शामिल करते हुए, 31 दिसम्बर, 1980 तक 5 शाखाएं खोली हैं। इनमें से 2 शाखाएं क्योंझर जिले में स्थित हैं ।

दिल्ली हवाई अड्डे पर होटल का निर्माण

2527. **श्री निहाल सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री :** पालम हवाई अड्डे पर विश्राम कक्ष सुविधाओं के बारे में 5 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2590 के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर भारतीय होटल निगम द्वारा 15 करोड़ रुपये की लागत से एक होटल, जो जनवरी, 1981 में शुरू किये जाने का प्रस्ताव था, का निर्माण-कार्य इस बीच शुरु हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मत्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) परियोजना पर भूमि-अधिग्रहण, आदि जैसा प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ हो चुका हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों द्वारा हीरों का पकडा जाना

2528. **श्री निहाल सिंह : क्या वित्त मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जनवरी, 1981 में मारे गये एक छापे में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क अधिकारियों ने 21 क्विंटल हीरे पकड़े थे ;

(ख) यदि हां, तो इसै सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई ; और

(ग) ये हीरे किस देश से चोरी छिपे लिये गए थे और उनकी कीमत कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सरकार को मिली रिपोर्ट से पता चला है कि जयपुर में तैनात सीमा शुल्क और प्रवर्तन अधिकारियों ने जनवरी 1981 में जयपुर स्थित एक व्यापारिक परिसर से 14 लाख रूपये मूल्य के लगभग 2156 किलो ग्राम रत्न और उपरत्न पकड़े । पकड़े गए रत्न और उपरत्न दक्षिण अमेरिकी, अमेरिकी और बर्मी मूल के बताए गए हैं ।

इस मामले के सिलसिले में जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है, तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे ।

चमड़े के जूते और चप्पलों के निर्यात में लगी फर्में

2529. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम और पते क्या हैं जो गत तीन वर्षों से चमड़े के जूतों और चप्पलों के निर्यात में लगी हुई है और प्रत्येक फर्म द्वारा प्रति वर्ष अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि कितनी है; और

(ख) उनमें से प्रत्येक को सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री : (**श्री खुर्शीद आलम खान**) : (क) तथा

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

भूमि चकबन्दी कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

2530. **श्री के प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी योजना अवधि में भूमि चकबन्दी कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक कुछ राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान भूमि चकबन्दी कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु उड़ीया को भी ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ;

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान यह योजना उड़ीसा में कितने जिलों मे शुरु किए जाने का विचार है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर वेंकटरामन)

(क) विश्व बैंक समूह से मिलने वाली सहायता भारत सरकार को प्राप्त होती है और यह सहायता राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के मानक सिद्धान्तों के अनुसार सम्बन्धित राज्यों को दे दी जाती है। विश्व बैंक समूह से छठी आयोजना की अवधि के लिए खास तौर से, भूमि चकबन्दी कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त करने पर कभी कोई विचार नहीं किया गया।

(ख) उड़ीसा में, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता से उड़ीसा सिंचाई परियोजना के नाम से एक परियोजना चल रही है, जिसका चकबन्दी भी एक अंग है। इस परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के 580 लाख डालर के ऋण में से 33 लाख डालर की राशि चकबन्दी के लिए आवंटित की गई है। आशा है कि यह परियोजना 31 अक्टूबर, 1982 तक पूरी हो जाएगी और यह ऋण 31 अक्टूबर, 1983 को समाप्त होगा।

(ग) उड़ीसा सिंचाई परियोजना के कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सात जिले आ जाएगे और हीरा कुड सालंदी और महानदी डेल्टा सिंचाई प्रणालियों में स्थित लगभग 2 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि की चबन्दी की जाएगी।

(घ) मार्च 1980 तक इस परियोजना के चकबन्दी कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 24,450 हेक्टेयर के आसपास भूमि ले ली गई थी और इस पर कुल लगभग 4.04 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस रकम में से, परियोजना के अन्तर्गत 150 रुपए प्रति चकबन्दी-शुदा हेक्टेयर के हिसाब से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ सहायता उपलब्ध की जाती हैं -

कोणार्क में समुद्र तट पर्यटन स्थल और पुरी में पर्यटक होटल

2531. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छटी योजना अवधि में उड़ीसा पर्यटन विकास निगम और भारत पर्यटन विकास निगम की संयुक्त क्षेत्रीय परियोजना कोणार्क में समुद्र तट पर्यटन स्थल और पुरी में पर्यटन होटल संबंधी परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण कार्य को शुरु करने के लिए उसके मंत्रालय ने इन परियोजनाओं पर विचार किया है ;

(ग) उसके लिए वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा पर्यटन विकास निगम को तथा उनके मंत्रालय ने भारत पर्यटन विकास निगम को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की है ; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने सिमिलीपल राष्ट्रीय पार्क में वन विश्राम गृह और बैंगीर पोशी में पर्यटन-ग्राम का वर्ष 1981-82 में निर्माण करने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (**श्री अनन्त प्रसाद**) : (क) और (ख) छठी पंच वर्षीय योजना 1980-85 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम और उड़ीसा पर्यटन विकास निगम का संयुक्त रूप से पुरी और कोणार्क में एक-एक होटल निर्मित करने का प्रस्ताव है। ये योजनाएं तैयार की जा रही है और इसके बाद परियोजना रिपोर्ट तैयार करके सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) 1980-81 के दौरान अब तक प्रत्येक योजना के लिए 1 लाख रू० के सांकेतिक प्राविधान की व्यवस्था की गई है और 1981-82 के दौरान संयुक्त उद्यम के रूपमें राज्य पर्यटक विकास निगम के साथ प्रारम्भ की जाने वाली योजनाओं के लिए एक मुश्त 30 लाख रू० का प्रावधान किया गया है। तथापि उर्युक्त दो स्कीमों के लिए अपेक्षित धन राशियों की तभी व्यवस्था की जाएगी जब इन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया जाएगा।

(घ) सिमिलीपाल नेशनल पार्क में एक फोरेस्ट लाज के निर्माण के लिए स्थल का चुनाव कर लिया गया है। कार्य शुरू करने से पहले राज्य सरकार से स्थल को ओर प्रवेश मार्ग के सुधार और बिजली प्रदान करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। इस समय बैंगीरपोशी में एक पर्यटन-ग्राम के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पचास रुपये के करेंसी नोट पर संसद भवन का चित्र

2532. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी हैं कि पचास रूपये के करेंसी नोट पर संसद भवन का चित्र छापा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस चित्र में ध्वज स्तम्भ को राष्ट्रीय ध्वज के बिना दर्शाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ;

(घ) संसद भवन के चित्र के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज का चित्र छापने के लिए उनके मंत्रालय ने अब तक क्या कार्रवाई की हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक को क्या अनुदेश जारी किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) :

(क) जी, हाँ

(ख) जी, हाँ

(ग) पचास रुपये के करेंसी नोट के पृष्ठ भाग पर संसद भवन के चित्र में राष्ट्रीय ध्वज के होने की बात डिजाइन तैयार करने की अवस्था में ध्यान से बाहर हो गई।

(घ) और (ङ) इस भूल को सुधारने के लिए पहले ही एक नयी रंगयोजना में संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज सहित नए डिजाइन का पचास रुपए के नोट छापने का काम शुरु कर दिया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक को पहली पूर्ति अप्रैल 1981 में किये जाने की आशा है। पचास रुपए के मूल्य का विद्यमान नोट भी वैध मुद्रा रहेगा।

पर्यटन के विकास के लिए फ्रांस से प्रतिनिधि मंडल की यात्रा

2533. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस के प्रतिनिधि मंडल ने, जिसने दिल्ली की यात्रा की, फ्रांस और भारत के बीच पर्यटन के विकास के संबध में उनके साथ विचार-विमर्श किया था, और

(ख) यदि हाँ, तो विचार-विमर्श के परिणाम तथा लिए गए निर्णयों से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमनन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, एक फ्रेंच संगठन से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो फ्रांस से, 11000 से अधिक फ्रेंच पर्यटकों को भारत लाने के लिए चार्टरों को साप्ताहिक रूप से परिचालित करने के बारे में है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा आसाम को दिया गया ऋण

2534. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या वित्त मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1980 के अन्त तक आसाम को कितना ऋण दिया ; और

(ख) इन ऋणों के लौटने की सामान्य शर्त क्या हैं, और अब उसमें से कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्री : (श्री वेंकटरामन) : (क) और (ख) 1979-80 के खातों को अभी अंतिम रुप नहीं दिया गया है। सबसे हाल की उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1978-80 के अन्त तक आसाम के जिम्मे कुल मिलाकर 601.89 करोड़ रूपए की रकम के केन्द्रीय ऋण बकाया है। 31 मार्च, 1979 को आसाम राज्य के जिम्मे जो केन्द्रीय ऋण बकाया थे उनके एक बड़े भाग को समेकित कर दिया गया है और ऋण के एक अंश को छोड़कर जिसे सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, बट्टे खाते डाला जाना है, शेष राशि 15 वर्षीय और/अथवा

30 वर्षीय ऋणों के रुप में परिवर्तित करके पुन: निर्धारित कर दिया गया है। 31 मार्च ; 1979 को बकाया अन्य केन्द्रीय ऋण, जो समेकित किये जाने की योजना के अन्तर्गत नहीं आते, मुख्यत: अल्प बचत ऋणों से सम्बन्धित है जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकारों को 1979-84 को 5 वर्षों की अवधि में कोई वापसी अदायगी नहीं करनी हैं। इसके बाद, राज्यों को दिए ऋणों के सम्बन्ध में वापसी अदायगी की शर्तें प्रत्येक ऋण के स्वरुप के अनुसार अलग अलग है।

बड़े नगरों में औद्योगिक गृहों पर आयकर के छापे

2535. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग के आदेशों पर दिल्ली, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में औद्योगिक गृहों पर हाल ही में छापे मारे गए थे ;

(ख) यदि हाँ, तो इन छापों के दौरान पाए गए सामान का ब्योरा क्या है ; और

(ग) संरकार द्वारा दोषी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)

(क) महोदय, आयकर विभाग ने 1 सितम्बर, 1980 से 28 फरवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान समस्त भारत में विभिन्न स्थानों पर, जिनमें दिल्ली तथा कलकत्ता शहर शामिल है, लगभग 1842 तलाशियाँ ली है। इनमें उद्योगपतियों तथा अन्य लोगों के मामले शामिल हैं।

(ख) इन तलाशियों के दौरान, प्रथम दृष्ट्या, लगभग 10.21 करोड़ रुपये मूल्य की लेखा वाह्य परिसम्पतियां पकड़ी गई है।

(ग) इन मामलों में आयकर अधिनियम तथा अन्य प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अनुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है।

प्रत्यक्ष करों के सरलीकरण के बारे में गठित समिति की सिफारिशें

2536. **बी० बी० देसाई (श्री नवल किशोर शर्मा)** : क्या वित्त मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, 1980 के दौरान प्रत्यक्ष करों के सरलीकरण के मामले पर विचार करने के लिए अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने इस बारे में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है ;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ङ तक

सरकार ने प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए अधिकारियों की एक समिति नियुक्त करने का फैसला किया हैं और समिति के गठन की आवश्यक

औपचारिकतायें पूरी की जा रही है। चूंकि समिति ने अभी अपना कार्य आरम्भ नहीं किया है, अतः समिति की सिफारिशों आदि का ब्योरा देना सम्भव नहीं है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में घाटा

2537. **श्री बी० बी० देसाई : क्या इस्पात और खान मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ने सरकार को ब्याज की राशि का कोई भुतान करने और ऋण राशि के भुगतान करने में भूल की थी ; और

(ख) यह घाटा पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख)

यह सच है कि सेल सरकार के ऋण तथा उस पर ब्याज की अदायगी करने के अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रही है। ऐसा सेल की असाधारण रुप से प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के कारण हुआ है। यह स्थिति मुख्य रुप से अवस्थापना सम्बन्धी गम्भीर समस्याओं के कारण उत्पादन में हुई भारी हानि तथा लागत में हुई भारी वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है। इस्पात विकास कोष से इसकी आंशिक क्षति पूर्ति ही की जा सकती है। सेल तथा सरकार दोनों विभिन्न उपायों द्वारा इस स्थिति में सुधार करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहीं हैं। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप अक्तूबर, 1980 से लेकर विक्रेय इस्पात के उत्पादन की गति में सुधार हुआ है और वर्ष 1980-81 के लिए उत्पादन के उचित लक्ष्य भी निर्धारित किए गए है जिससे इस वर्ष में अधिक संसाधन जुटाये जा सकेंगे। सरकार ने अभी हाल ही में लोहे और इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दे दी है और इस मूल्य-वृद्धि से प्राप्त आय का एक हिस्सा लागत वृद्धि को, जिससे इस्पात कारखाने प्रभावित हुए हैं, पूरा करने के लिए मिल जायेगा। छड़ गोल छड़ और अर्द्ध-तैयार उत्पाद जैसी कुछ श्रेणियों को संयुक्त संयत्र समिति के नियन्त्रण से मुक्त कर दिया गया हैं और इससे भी इस्पात कारखानों को अधिक आय होगी। आशा है इन सभी उपायों के फल स्वरूप, यदि कोयला और बिजली जैसे आवश्यक आदानों की पर्याप्त उपलब्धि बना रही तो वर्ष 1981-82 में सेल को वित्तीय स्थिति में काफी सुधार होगा और सरकार को पूरा विश्वास है कि सेल ऋण तथा उस पर ब्याज की अदायगी की सेल राशि का भुगतान यथा-समय कर देगी।

तमिलनाडु और देश में लाइसेंस प्राप्त बिजली करघा फैक्टरियां

2538. **श्री एन० सुन्दरराजन : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा तमिलनाड में लाइसेंस शुदा बिजली करघा फैक्टरियों की संख्या अलग अलग क्या है ;

(ख) भारत तथा तमिलनाडु में इन फैक्टरियों का वार्षिक उत्पादन अलग-अलग क्या है;

(ग) भारत तथा तमिलनाडु में अनधिकृत बिजली करघों की अलग-अलग संख्या क्या है और

(घ) पकड़ी गई अनधिकृत फैक्टरियों की संख्या क्या है तथा उन्हें क्या दण्ड दिया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (घ) 31.1.1981 वैध परमिटों वाले शक्ति चालित करघों की कुल संख्या 4.54 लाख है। इसमें तमिलनाडु के 83.272 शक्ति चालित करघे भी शामिल हैं। 1979—80 के दौरान शक्ति चालित करघों पर 3450 मिलियन मीटर कपड़े का उत्पादन होने का अनुमानित उत्पादन भी शामिल है। देश में अवधिकृत शक्तिचालित करघों के बारे में अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि अनधिकृत शक्तिचालित करघों को जो 31-12-78 को विद्यमान थे और जिसके बारे में 31-12-79 से पहले वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को आवेदन पत्र भेजे जा चुके है, नियमित किये जाने के बारे में विचार किया जा रहा है। नियमित किये जाने की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात, ऐसी आशा है कि उत्पादन शुल्क प्राधिकारी अनधिकृत शक्तिचालित करघों पर दन्ड लगाएगे।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को रियायतें

2539. **श्री ए० सी० दास** : क्या **वित्त मंत्री** : यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों को कुछ रियायतें देने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहाँ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उद्यमियों को इस तरह की सुविधायें दी गई है ; और

(ग) क्या उड़ीसा के उद्यमियों को ऐसी सुविधाएं दी गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)

(क) बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनु० जाति अनु० जनजातियों से सम्बन्धित उद्यमियों को सुलभ की गई रियायतें सुविधायें निम्नलिखित है ;

(1) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण देने में तरजीह।

(2) जिला ब्लाक ऋण आयोजनाओं में विशेष बैंक क्षम योजनाएं।

(3) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में तरजीह तथा स्वनियोजन कार्यक्रम के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण। कम से कम 30 प्रतिशत लाभ प्राप्त करतां अनु० जाति अनु० जनजातियों के होने चाहिये।

(4) विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन ऐसे पात्र उद्यमी 6500 रुपये तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर प्राप्त कर सकते हैं। योजना के अधीन ऋणों का 40 प्रतिशत अनु०जाति अनु० जनजाति से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए नियम है।

(5) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पुनर्वित्त पोषण योजना के मामले में प्रवर्तकों का अंशदान परियोजना लागत के 5 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है।

(6) 25.000 रुपये तक के सूक्ष्मश्र ऋणों पर 10।25 प्रतिशत की रियायती दर से ब्याज वसूल किया जा सकता है। चाहे एकक पिछड़े क्षेत्रों में स्थित न हो।

इसके अतिरिक्त लघु उद्योग विकास संगटन ने, अनु० जातियों अनु०

जनजातियों के लिए एक विशेष घटक आयोजना का निर्माण किया है, जिसके अधीन अनु०जाति अनु० जनजाति के उद्यमियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती है :—

(1) विशेष रूप से अनु० जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों के लिए विभिन्न उद्यम सम्बन्धी विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

(2) लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा शुरू किए गए सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अनु०जाति अनु० जनजाति से सम्बन्धित समुदायों के उम्मीदवारों के लिए स्थान का आरक्षण ।

(3) निजी परामर्शदाताओं से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अनु०जाति/अनु०जनजाति से सम्बन्धित लघु उद्यमियों को आर्थिक सहायता ।

(4) ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता योजना में आरक्षण ।

(5) अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के उद्यमियों को रियायती दरों पर परामर्शी सेवाएं तथा जांच सुविधाएं उपलब्ध करना ।

(6) अनु० जाति/अनु० जनजाति समूहों के लिए विशेष प्रचार ।

(7) जन जातिय तथा पिछड़े क्षेत्रों में संगठनात्मक सहयोग ।

(ख) और (ग) :— उपर्युक्त सुविधाएं, अनु० जाति /अनु० जनजाति के उन सभी उद्यमियों को उपलब्ध है जो उड़ीसा समेत देश के किसी भी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में लघु उद्योग एकक स्थापित करने के इच्छुक हैं ।

हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध के आर्य पास पर्यटन का विकास

2540. **प्रो० नरायण चन्द्र पराशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में केन्या जिले में पोंग बांध झील के आस पास पर्यटन का विकास करने के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम ने कोई कार्रवाई की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की कार्रवाई की गई है और इस कार्य के लिए कितनी धन राशि रखी गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा रेलवे को पहियों के सेटों की सप्लाई

2541. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने रेलवे द्वारा 1980 के दौरान वैगनों में प्रयोग के लिए पहियों के कुल कितने सेटों का वायदा किया था ; और

(ख) रेलवे को वास्तव में कितनी सप्लाई की गई ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : सामान्यत: उत्पादन-योजना सुपुर्दगी वायदे वित्त वर्ष (अप्रैल मार्च) के लिए होते हैं ।

फिर भी, 1979-80 की चौथी तिमाही (जनवरी मार्च) तथा 1980-81 की तीन तिमाहियों (अप्रैल दिसम्बर) के लिए दुर्गापुर इस्पात कारखाने द्वारा किए गए वायदों के आधार पर 1980 (कैलेन्डर वर्ष) के लिए सुपुर्दगी के वायदे तथा वास्तविक सुपुर्दगी के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

संख्या

विवरण	वायदे	सप्लाई	
जोड़ कर तैयार किए गए सेट	16,828	11,481	(जया 178 संख्या : 10 टी सेट अनियोजित)
खुले पहिए	9,817	6,461	
खुले धुरे	2,550	1,087	
कुल सेटों के बराबर	20,950	13,997 + 178 = 14,175	

सेट के बराबर से अभिप्राय है जोड़कर तैयार किया गया सेट +1/3 (खुले पहिए + खुले धुरे)

मोहन ओर्टमान को सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया ऋण

2542. **श्री पीयूषो तिरकी** : क्या **वित्त मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा मोहन ओर्टमान को कितना ऋण दिया गया ;

(ख) उसको वापस मिलने का कार्यक्रम क्या है ;

(ग) दर्शाया गया मुनाफा तथा वास्तविक मुनाफा कितना है और इसमें गिरावट के कारण क्या है और सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण की धनराशि के सुरक्षित रखने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया ; और

(घ) क्या पर्याप्त संस्थाएं प्रतिभूतियों पर ऋण देती है और यदि हां, तो किस तरीके से ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री : (श्री मगनभाई बरोट) : (क) तथा (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम तथा भारतीय जीवन बीमा निगम ने मोहन ओर्टमान एन्ड हर्बसूट लि० को 127.36 लाख रूपये के अग्रिम तथा 11.46 लाख रूपये का एक विदेशी मुद्रा अग्रिम दिया था। ये ऋण नवम्बर/दिसम्बर, 1981 से शुरू कर के जून 1988 में समाप्त होने वाली अवधि में 14 छमाही किस्तों में वापस अदा किए जाएंगे।

(ग) तथा (घ) मोहन ओर्टमान एन्ड हर्बसूट के अनुमानित तथा वास्तविक लाभ निम्नलिखित है ;

निम्न वर्षों के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि

	1977	1978	1979	1980
अनुमानित—	12.98 +	65.62 +	40.94 +	59.51
वास्तविक—	0.03 —	44.60 +	0.38 —	43.39

अनुमानित लाभों में कमी इन तथ्यों की वजह से बताई गयी है ; कच्चे माल पेट्रोलियम पदार्थों आदि की कीमतों में वृद्धि होने से बाटलिंग संयंत्र की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी, लघु उदयोग क्षेत्र की ओर से उत्पाद की मांग में कमी शराब कारखानों आदि की ओर से संयंत्रों आदि की मांग बिल्कुल समाप्त आदि।

कम्पनी की निरंतर अर्थक्षमता की संभाव्यता को सुनिश्चित करने के लिए, संस्थाओं द्वारा, कम्पनी की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। कम्पनी की हालत को देखते हुए, कम्पनी के अनुरोध पर, संस्थाओं ने हाल ही में मूलधन-ब्याज की किस्तों की वसूली को स्थगित करते हुए, कम्पनी को राहत देने का निर्णय किया है। संस्थाएं सामूहिक रूप से, कम्पनी की परिसंपत्तियों (कार्यशील पूंजी सुविधाओं के सम्बन्ध में बैंकरों द्वारा भारत चल सम्पत्तियों के अतिरिक्त) पर, सामयिक बंधक के रूप में समनुरूप प्रथम प्रभार (फर्स्ट चार्ज) है, तथा इसलिए संस्थागत अग्रिम समुचित रूप से सुरक्षित है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अपनी तत्सम्बन्धी चयन समिति में शामिल किया जाना

2543. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **वित्त मंत्री** : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों की चयन समितियों/बोर्डों के साथ संबद्ध करने के बारे में। दिसम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1810 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बैंकों के क्या नाम है जिन्होंने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को अपनी चयन समितियों में एक सदस्य के रूप में शामिल किया है और उन बैंकों के क्या नाम हैं जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है ;

(ख) इन बैंकों द्वारा इस सम्बन्ध में सरकार के परामर्श के अनुसार कार्रवाई न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अपनी-अपनी चयन समितियों में शामिल करने के लिए बैंकों पर दबाव डालने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपवित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) यथा उपलब्ध सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

राजस्थान में बादलों से कृत्रिम रुप से वर्षा के लिए वैज्ञानिक अनुसन्धान

2544. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष अगस्त और सितम्बर के महीने में अरब सागर से नमी वाले बादल प्रायः राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के सूखा प्रभावित रेगिस्तानी क्षेत्रों में आते है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके विभाग ने इन बादलों से कृत्रिम रुप से वर्षा के लिए कोई वैज्ञानिक अनुसंधान किया है और यदि हा, तो प्राप्त परिणाम क्या हैं ; और

(ग) यदि इस बारे में कोई अनुसंधन कार्य नहीं किया गया है तो क्या विभाग का विचार रेगिस्तानी क्षेत्रों की खुशहाली के लिए कोई अनुसंधान करने का है ?

पर्यटन और विमानन नागर मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इन क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करने के लिए अनुसंधान करने की कोई योजना नही हैं क्यों कि इन क्षेत्रों पर उपयुक्त बादल बहुत कम होते हैं ।

हिन्दी अनुवादकों, टंककों एवं आशुलिपिकों की कमी

2545. **श्री रामअवतार शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत 15 विषयों का द्विभाषीय होना अनिवार्य होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रावधानों की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए हिन्दी के अनुवादकों, टंककों एवं आशुलिपिकों की कमी दूर की जानी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनका मन्त्रालय इस प्रयोजन के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करने में टालमटोल की नीति अपना रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिह सिसोदिया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवशयक पदों के सृजन पर कोई रोक नहीं हैं । सरकारी कार्यालयों में राजभाषा नीति केकार्यान्वयन के लिए, अपेक्षित कर्मचारियों की इसी प्रकार , अपेक्षित आधार पर, स्वीकृति दी जा रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

चावल की अच्छी किस्म का निर्यात

2596. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बासमती चावल और बहुत अच्छी किस्म के चावल का निर्यात किया जाता हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 के दौरान इसकी निर्यात की गयी मात्रा क्या हैं;

(ग) क्या चावल का और भी निर्यात किया जाना है;

(घ) क्या क्षेत्र में चावल के मूल्यों में निरंतर वृद्धि का प्रमुख कारण यह निर्यात है ;

(ङ) क्या सरकार चावल के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगायेगी ;

(च) यदि हां, तो कब तक और ;

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री : (श्री खुर्शीद आलम खान)

(क) जी हां ।

(ख) दिसम्बर, 1980 तक 3, 16, 208 मे. टन चावल का निर्यात किया गया । ये आंकड़े अनन्तिम हैं ।

(ग) चावल के निर्यात हो रहे हैं ।

(घ) गैर बासमति चावल की निर्दिष्ट राज्य/सहकारी एजेन्सियों के द्वारा सीमित मात्रा में निर्यात करने की अनुमति है और खुले बाजार से निर्यात के लिए चावल की खरीद, जिससे घरेलू कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता हो, की अनुमति नहीं हैं ।

(ङ) से (छ) 1981-82 के लिए निर्यात नीति अभी बनाई जानी है ।

खाद्य तेलों में आत्म निर्भरता

2547. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य तेलों की कुल मांग कितनी है और क्या भारत इस मामले में आत्मनिर्भर है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रति व्यक्ति खपत 3.36 किलोग्राम से कम होकर 3.30 किलोग्राम प्रतिवर्ष रह गई है और वनस्पति की खपत भी 0.80 किलोग्राम से कम होकर 0.74 किलोग्राम रह गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ।

(ङ) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में खाद्य तेलों का भी आयात करना पड़ा था और यदि हां, तो कितनी मात्रा में और इस प्रकार किन-किन किस्मों के खाद्य तेलों का आयात किया गया ;

(च) बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों और वनस्पति के मामलों में भारत के कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की सम्भावना है ; और

(छ) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती)

(क) और (ख) : चालू तेल वर्ष (1980-81) के दौरान खाद्य तेलों की कुल मांग 38·05 लाख मीटरी टन के लगभग होने का अनुमान है, जबकि देश में इन तेलों की कुल उपलब्धता अनुमानतः 10 लाख मीटरी टन के लगभग कम रहेगी; क्योंकि इसका उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं है ।

(ग) और (घ) :

इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है । इसके विपरीत, आमतौर पर यह समझा जाता है कि हाल के वर्षों में खाद्य तेलों की प्रति-व्यक्ति खपत में वृद्धि हुई है ।

(ङ) जी हां ! विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों के आयात की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(च) और (छ) : सरकार यह समझती है कि खाद्य तेलों का आयात एक संक्रमणकालीन स्थिति है और इस सम्बन्ध में अधिक संगठित प्रयास करने जरूरी होंगे। देश में तेल के विभिन्न स्रोतों, विशेषकर तिलहनों, के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि लाकर निकट भविष्य में, अधिमानतः छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, खाद्य तेलों के मामले में आत्म-निर्भर होने का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण

तेल वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा सरकार की ओर से आयात किए गए विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों की मात्रा दर्शाने वाला विवरण

		मात्रा मीटरी टनों में	
तेल	1977-78	1978-79	1979-80
सोयाबीन	3,67,908	5,15,972	5,88,419
रेपसीड तेल	65,948	1,10,987	1,28,087
ताड़ का तेल	87,338	19,855	81,727
आर० बी० डी० ताड़ का तेल	—	57,142	89,631
पामोलीन	12,333	1,20,101	2,61,259
मूंगफली का तेल	2,933	—	—
योग :	5,36,460	8,24,057	11,49,123

कृषि वित्त निगम का व्यय

2548. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि वित्त निगम, जिसकी प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रुपये की है, की कुल आय 83 लाख रु० है जबकि इसकी आय केवल 5 लाख रुपए दिखाई गई है;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार, निगम का व्यय कितना है और इस व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जनवरी, 1981 के करेंट में पृष्ठ 21 पर "ए० एफ०सी० ब्लोज अप" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्तमंत्री : (श्री मगन भाई बरोट) :

(क) वर्ष 1979 के दौरान निगम का सकल राजस्व 83.01 लाख रुपए तथा प्रशासनिक, प्रचालन व्यय तथा कर-व्यय आदि की व्यवस्था के बाद उसका निवल लाभ 5·09 लाख रुपए था।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, निगम के खर्चे निम्नलिखित हैं :

1977	1978	1979
32,40,995 रु०	41,13,839 रु०	61,72,299 रु०

विस्तृत ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) उल्लिखित समाचार, सरकार ने देखा है।

अनुबन्ध में दिए गए ब्यौरे, निगम द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों की स्थिति को दर्शाते हैं। किए गए खर्च, कृषि वित्त निगम द्वारा किए गए कार्यकलापों के स्वरूप तथा आकार के अनुरूप हैं।

विवरण

कृषि वित्त निगम लि० के पिछले तीन वर्षों अर्थात 1977,1978 तथा 1979 में खर्च का विवरण

खर्चों का ब्यौरा	1977	1978	1979
1. वेतन, भत्ते तथा अन्य प्रासंगिक व्यय	17,73,494	19,45,532	25,77,161
2. किराया, विद्युत प्रभार, डाक खर्च, मुद्रण तथा लेखन सामग्री	5,35,108	5,88,555	7,24,444
3. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा बोर्ड की बैठक के व्यय	4,34,731	6,83,521	10,68,652
4. मूल्यह्रास	73,479	81.964	1,03,658
5. परामर्शी सेवाएं, सेवा प्रभार, अन्वेषकों का पारिश्रमिक	59,140	2,76,371	8,01,818
6. पिछले वर्ष से संबंधित खर्चे	25,630	1,36,646	4,39,677
7. अन्य विविध खर्चे	3,34,413	4,01,250	4,06,389
जोड़—	32,40,995	41,13,839	61,72.299

राउरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्रों में उत्पादन

2549. श्री राम प्यारे पनिका : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राउरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्रों में उत्पादन उनकी क्षमता से अधिक हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी अधिक वृद्धि है और इन संयंत्रों की उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या सरकार उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी):

(क) तथा (ख) जी, हां। जैसा कि नीचे बताया गया है, भिलाई इस्पात कारखाने में दिसम्बर, 1980 से तथा राउरकेला इस्पात कारखाने में नवम्बर, 1980 से विक्रेय इस्पात का उत्पादन उनकी निर्धारित औसतन मासिक क्षमता की तुलना में अधिक हो रहा है—

भिलाई इस्पात कारखाना

	उत्पादन हजार टन	औसतन मासिक क्षमता का प्रतिशत
विक्रेय इस्पात के उत्पादन की निर्धारित वार्षिक क्षमता	1965	—
विक्रेय इस्पात के उत्पादन की निर्धारित औसतन मासिक क्षमता	163.7	—
विक्रेय इस्पात का उत्पादन—		
दिसम्बर, 1980	167.3	102.2
जनवरी, 1981	170.3	104 0
राउरकेला इस्पात कारखाना—		
विक्रेय इस्पात के उत्पादन की निर्धारित वार्षिक क्षकता	1225	—
विक्रेय इस्पात के उत्पादन की निर्धारित ओसतन मासिक क्षमता	102.1	—
विक्रेय इस्पात का उत्पादन		
नवम्बर, 1980	102.5	100.4
दिसम्बर, 1980	102.7	100.6
जनवरी, 1981	102.9	100.8

(ग) जी हां।

(घ) इन दोनों कारखानों में विक्रेय इस्पात का उत्पादन बनाये रखने/बढ़ाने के लिए किए गए मुख्य-2 उपाय इस प्रकार हैं—

(1) कोयले की देशीय सप्लाई में वृद्धि करने के लिए राख की कण मात्रा वाले कोककर कोयले का आयात किया जा रहा है। इसके साथ-साथ कोयले के देशीय उत्पादन में भी वृद्धि की जा रही है ;

(2) कारखानों की अपनी वर्तमान विद्युत उत्पादन इकाइयों में बिजली का अधिकाधिक

उत्पादन किया जा रहा है और सार्वजनिक स्रोतों से मिलने वाली बिजली के उत्पादन में भी वृद्धि की जा रही है ;

(3) बिजली की उपलब्धि के अनुसार जमा स्टाक से पिण्डों/सिल्लियों का अधिक वेलन लिया जा रहा है ;

(4) कोयला तथा बिजली सप्लाई करने वाले अभिकरणों और रेलवे के साथ निकट तथा सतत् सम्पर्क रखा जा रहा है ;

(5) कारखानों को सही हालत में रखने के लिए निवारक-रख-रखाव तथा पूंजीगत मरम्मतों के लिए योजनाएं बनाना और उनको कार्यान्वित करना ; और

(6) कारखानों की अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए व्यवस्था करना ।

डालमिया समूह की कम्पनियों को दिया गया धन

2550. **स्वामी इन्द्रवेश :**

श्री राम विलास पासवान :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने गत 5 वर्षों के दौरान डालमिया समूह की कम्पनियों को वर्षवार, वित्त पोषण किया है ;

(ख) उन डालमिया संस्थानों के नाम क्या हैं जिनका वित्त पोषण किया गया है; और

(ग) कुल वित्त पोषित धनराशि कितनी हैं और इन कम्पनियों को किन शर्तों पर वित्त पोषित किया गया था ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)

(क) से (ग) : यह वर्गीकरण करने के प्रयोजन से कि कम्पनियां घरानों से सम्बन्धित हैं अथवा समूहों से. वित्तीय संस्थाएं, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम (एम० आर० टी० पी०, एक्ट) के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों की एक सूची का प्रयोग करती हैं, जिसमें डालमिया समूह नामक कोई समूह नहीं है।

फिर भी, डालमियाओं के स्वामित्व वाले उपक्रमों की सावधि ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

विदेशी मुद्रा बाजार में पूंजी एकत्र करने वाली भारतीय कम्पनियों के सम्बन्ध में एक पृथक केन्द्रीय कृत संगठन

2551. **श्री बी वी देसाई :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा बाजार में प्रत्यक्ष रुप में पूंजी एकत्र करने वाली भारतीय कम्पनियों के सम्बन्ध में पृथक केन्द्रीयकृत संगठन बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की आशा है ;

(ग) क्या प्रस्तावित संगठन की कार्यप्रणाली पर विस्तार कर लिया गया है और यदि

हां, तो उन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना हैं ;

(घ) इस पृथक संगठन के क्या कारण हैं ;

(ड.) कम्पनियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और यह निर्णय किस सीमा तक उनकी मदद करेगा ;

(च) क्या कुछ भारतीय कन्पनियों ने विदेशी संस्थानों और बैंकों से पूंजी प्राप्त करने के लिए सरकार की अनुमति मांगी है ; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने कितने मामलों में अनुमति प्रदान की है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) : जी नहीं ।

(ख) से (ड.) : यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(च) और (छ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

मौसम पूर्वानुमान केन्द्रों की स्थापना

2552. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मौसम के पूर्वानुमान के लिए देश में 110 केन्द्रों की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में ऐसे केन्द्र किन स्थानों पर स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) देश के विभिन्न भागों में इन केन्द्रों के स्थान-निर्धारण की अभी जाँच की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रिटेन को सूती वस्त्रों की सप्लाई

2553. **श्री जनार्दन पुजारी :**

डा० बसंत कुमार पन्डित : क्या **वाणिज्य मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० बी० सी० ने अपने राष्ट्रीय प्रसारण में उस देश में मंगाए जा रहे भारतीय सूती वस्त्रों को इसकी ज्वलनशीलता के कारण स्त्रियों और बच्चों के लिए खतरनाक बताया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारी सरकार ने इस मामले पर ब्रिटेन की सरकार से बात चीत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग)

बी० बी० सी० ने भारत के ढीले सूती वस्त्रों के ज्वलनशीलता के बारे में एक रूपक

टेलिकास्ट किया था। हमारे उच्चायोग ने सम्बन्धित प्राधिकारियों को कड़े शब्दों में लिखा था। परिणाम स्वरूप बाद के कार्यक्रम में बी० बी० सी० ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य निकाला कि ये आशंकाएं सामान्यत: एशियाई और अन्य आयातित सूती वस्त्रों के साथ समान रूप से लागू होती है और केवल भारतीय सूती वस्त्रों के साथ ही नहीं, जैसा कि उनकी पहले वाली रिपोर्ट से मतलब निकलता था। भारत सरकार ब्रिटेन में सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ भी मामले को उपयुक्त रूप में उठाना हैं।

शुष्क पत्तनों की स्थापना के लिये प्रस्ताव

2554. **श्री चित्त बसु** : क्या वाणिज्य मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात बढ़ाने के लिए एक उपाय के रूप में पूरे देश में शुष्क पत्तनों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई विशेष कार्यवाही क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख)

सरकार शुष्क पत्तनों की स्थापना पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, दिल्ली, बंगलौर और अहमदाबाद में अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो स्थापित करने के बारे में सिद्धान्त रुप में निर्णय ले लिया गया है जिससे निर्यातकों को शुष्क पत्तन की सुविधायें उलब्ध हो जायेंगी और साथ ही उनको कंटेनरी करण के लाभ भी मिल जायेंगे जब तक इन तीन स्थानों पर पूर्व अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना नहीं हो जाती तब तक यह निश्चय किया गया है कि प्रायोगिक परियोजना आधार पर एक अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो बंगलौर कैंट में और दूसरी प्रगति मैदान साइडिंग, नई दिल्ली में स्थापित की जाये।

दिल्ली में पकड़ा गया विदेशी कपड़ा

2555. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या वित्त मंत्री : यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही मे विदेशी कपड़ा पकड़ा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है और यह कहां पर पकड़ा गया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस से सम्बद्ध व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सवाई सिह सिसोदिया) : (क) से (ग) सरकार को प्राप्त रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली में तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों ने दिसम्बर 1980 और जनवरी, 1981 के महीनों में दिल्ली स्थित विभिन्न परिसरों पर मारे छापों के दौरान लगभग 2.44 लाख रुपए मूल्य का विदेशी मूल्य का विदेशी कपड़ा पकड़ा। इन मामलों के सिलसिले में छ: व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

इन मामलों में ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत समुचित कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

वनस्पति निर्माताओं को चेतावनी

2556. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री : यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने वनस्पति यूनिटों तथा व्यापारियों को हाल में चेतावनी दी है कि यदि वे वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में सरकार का सहयोग नहीं करते तो सरकार उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी चेतावनी का ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या वनस्पति व्यापारियों ने वनस्पति निर्माण के लिए ज्यादा खाद्य तेल के आयात किए जाने के लिए दी गई रियायतों से पिछले कुछ दिनों में काफी मुनाफा कमाया है ;

(घ) यदि हां, तो 1 दिसम्बर, 1980 से 31 दिसम्बर 1980 और 1 जनवरी 1981 से 10 फरवरी, 1981 के दौरान इन व्यापारियों द्वारा राज्य-वार कितना मुनापा कमाये जाने की आशा है;

(ङ) प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) 1975 से 31 मार्च, 1977, अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1979 1 फरवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तथा 1 जनवरी, 1981 से 10 फरवरी 1981 की अवधि के दौरान विभिन्न खाद्य तेलों और वनस्पति घी के बाजार भाव क्या थे ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (ब्रजमोहन महन्ती) (क) से (ङ) चूंकि दिसम्बर 1980 की समाप्ति के करीब वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि का रुख दिखाई पड़ने लगा था, अतः सरकार ने वनस्पति उत्पादकों के साथ तुरन्त बातचीत शुरु कर दी, जिसके फलस्वरुप वनस्पति उद्योग 28 फरवरी, 1981 तक स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण का पालन करने के लिए सहमत हो गया। पिछले कुछ दिनों में वनस्पति उत्पादकों को वनस्पति के उत्पादन के लिए आयातित तेलो की अधिक मात्रा के आबंटन के रुप में कोई नई रियायतें या सुविधाएं नहीं दी गयी हैं। वास्तव में पहली जनवरी, 1981 से वनस्पति उत्पादन के लिए आयातित तेलों के उपयोग की अधिकतम सीमा, जो 95 प्रतिशत थी, को घटाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार उचित मूल्य पर तथा पर्याप्त मात्रा में वनस्पति उपलब्ध कराने के बारे में वनस्पति उत्पादकों के साथ अपनी बातचीत जारी रखे हुए है और स्थिति के अनुसार समय समय पर उचित कदम उठाती रहेगी।

(च) उल्लिखित अवधि के दौरान खाद्य तेलों और वनस्पति के औसत मूल्य संलग्न विवरण में दिये है।

विवरण

वनस्पति	मूंगफली का तेल	तिल का तेल	सरसों का तेल
रु०/प्रति 16.5 कि.ग्रा. के टीन का मूल्य	रु०/प्रति मीटरी टन	रु०/प्रति मीटरो टन	रु०/प्रति मीटरी टन

1	2	3	4	5
पहली जनवरी, 75 से मार्च, 77 तक	136.83	6539.83	7162.95	5888.00
पहली अप्रैल, 77 से 31 दिसम्बर, 79 तक	150.91	7831.82	7750.00	9263.48
पहली फरवरी, 80 से 31 दिसम्बर, 80 तक	178.36	10670.00	11750.00	12973.22
पहली जनवरी, 81 से 10 फरवरी, 81 तक	192.00	12875.00	13000.00	13000.00

श्री लंका के साथ ऋण समझौता

2557. **श्री राम प्यारे पनिका :**

श्री चिन्तामणि पाणि ग्रही : क्या वित्त मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्री लंका के बीच हाल ही में कोई ऋण समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की राशि और मुख्य शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

भारत सरकार और श्री लंका सरकार के बीच 6 जनवरी, 1981 को एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे । इस करार के अन्तर्गत श्री लंका को भारतीय मशीनें और उपस्कर खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है । यह ऋण पहली अक्टूबर 1983 से शुरू करके 25 अर्ध वार्षिक किस्तों में वापस अदा किया जाएगा और ऋण की बकाया राशि पर 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा ।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा स्थापित पर्यवेक्षण प्रयोगशाला द्वारा कोलापुर सोना क्षेत्रों का अध्ययन

2558. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या इस्पात और खान मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक राज्य में कोलार सोना क्षेत्रों के कार्यकरण के सम्बन्ध में 'छानबीन करने एवं अध्ययन करने के लिए भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के सहयोग से भाभा परमाणु अनुसंधन केन्द्र द्वारा एक पर्यवेक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामों से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख)

भारत गोल्ड माइन्स लि० ने खनन स्थलों पर और उनके आस पास होने वाले प्रायः भारी हानिकारक चट्टानी विस्फोटों से निकलने वाली ऊर्जा का आकलन करने हेतु चट्टानी विस्फोट के विकीर्ण केन्द्र के अंकन के लिए भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के सहयोग से एक भूकम्पमापी प्रयोगशाला स्थापित की है । चट्टानी विस्फोट संकेतों की गति विशेषताओं से सम्ब-

न्धित आंकड़े एकत्र किए गए हैं जो भूमिगत खदान स्थलों पर और उनके आस पास होने वाले भूकम्पनों के अध्ययन और उनके स्थायित्व के आकलन हेतु चट्टानी विस्फोटों के विकीर्ण केन्द्रों का पता लगाने और उन पर निगरानी रखने में लाभ- प्रद सिद्ध हुए हैं।

कोको बीन के आयात पर प्रतिबन्ध

2559. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सुपारी और कोको विकास परिषद ने कोको बीन के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (**श्री खुर्शीद आलम खान**) : (क) तथा (ख) :

भारतीय सुपारी तथा कोको विकास परिषद ने जनवरी, 1981 में हुई अपनी बैठक में यह विचार व्यक्त किया कि कोका की फलियों का कोई आयात नहीं किया जाना चाहिए। यह मद 16 जुलाई 1980 को भारतीय राज्य व्यापार निगम की मार्फत सरणी बद्ध की गई है। सरणीकरण अभिकरण ने अभी तक कोई आयात नहीं किया है ।

अमरेली राजकोट और भावनगर में बैंकों द्वारा गृह निर्माण ऋण

2560. **श्री नवीन रवाणी** :

क्या **वित्त मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अमरेली राजकोट और भावनगर जिलों में 1975 से 1977 तक, 1 अप्रैल 1977 से 31 दिसम्बर, 1979 तक तथा 1 फरवरी, 1980 तक की अवधि के दौरान गृह निर्माण आदि के लिए कितनी धन-राशि के ऋण मंजूर किए गए हैं और दिए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) :

आंकड़े सूचित करने की वर्तमान प्रणाली के अनुसार आवास वित्त के बारे में जिलावार सूचना उपलब्ध नहीं है। इन जिलों में कुल बकाया बैंक ऋण के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है—

(लाख रुपये)

निम्नलिखित वर्षों के अन्त की स्थिति के अनुसार

	जून, 1975	जून, 1977	जून, 1979
अमरेली	177.06	276.99	517.43
राजकोट	3125.80	3517.41	6313.52
भावनगर	2397.11	2609.72	4836.44

गुजरात राज्य अमरेली के लिए विमान सम्पर्क सेवा

2561. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व बडौदा राज्य शासन के काल में अमरेली में एक हवाई अड्डा बनाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या प्रयोजन था ;

(ग) क्या यह हवाई अड्डा अमरेली में विद्यमान है परन्तु काफी समय से वहां से कोई विमान सेवा नहीं चलती है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि अमरेली क्षेत्र के लोगों के निकटवर्ती भावनगर तथा राजकोट क्षेत्रों के सम्पर्क हैं; जहां पर हवाई अड्डे तथा विमान सेवाए हैं ।

(ङ) क्या यह भी सच है कि जिला अमरेली के त्वरित विकास तथा नियमित विमान सेवा के लिए भावनगर, राजकोट, अमरेली तथा अन्य निकटवर्ती स्थानों से मांग की जा रही है जिससे कि इन क्षेत्रों के लोगों को अमरेली से विमान सेवा सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके क्योंकि उनको देश के भिन्न-भिन्न भागों के लिए यात्रा हेतु विमान लेने के लिए भावनगर और राजकोट जाना पड़ता है; और

(च) यदि हां, तो अमरेली से विमान सम्पर्क सेवा आरम्भ करने के लिए उक्त मांग कब तक पूरी की जायेगी ?

पर्यटन और नागर वेमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) और (ख) अमरेली में गुजरात सरकार द्वारा अधिकृत एवं उन्हीं द्वारा संधारित एक हवाई पट्टी है । यह हवाई पट्टी छोटे विमानों द्वारा अच्छे मौसम में प्रयोग के लिए उपयुक्त है ।

(ग) अमरेली के लिए कोई विमान सेवा परिचालित नहीं की जा रही है ।

(घ) से (च) : अमरेली को विमान सेवा द्वारा जोड़ने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, परन्तु फिलहाल अमरेली को अनुसूचित विमान सेवाओं से जोड़ने की कोई योजना नहीं है ।

उड़ीसा परियोजना के लिए फ्रांस से ऋण

2562. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा परियोजना के लिये फ्रांस से ऋण हेतु भारत और फ्रांस ने हाल ही में एक वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) और (ख) : जी हां । भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच जनवरी, 1981 में 400 मिलियन फ्रेंच फ्रैंक के ऋण के लिये एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं । इस ऋण में से 200 मिलियन फ्रेंच फ्रैंक का ऋण सरकारी ऋण के अन्तर्गत और 200 मिलियन फ्रेंच फ्रैंक का ऋण बैंक साख के अन्तर्गत होगा ।

इस्पात संयंत्रों में कोकिंग कोयले के भण्डार

2563. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न इस्पात संयंत्रों में कोकिंग कोयले के भण्डार बहुत ही कम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) और (ख) जी, नहीं। सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों के फलस्वरूप हाल के हफ्तों में इस्पात कारखानों में कोककर कोयले की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। 1 मार्च, 1981 को इस्पात कारखानों में कोयले का कुल स्टाक 2,80,000 टन के लगभग था जबकि सुरक्षात्मक परिचालन के लिए वांछित न्यूनतम स्तर 3,50,000 टन है।

राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एजेंसियों को नकद राशि ऋण दिया जाना

2564. **श्री जगदीश टाईटलर** :

श्री मनमोहन दृढ़ : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत एजेंसियों को आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण के लिए रियायती दरों पर नकद राशि/ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस योजना को कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती)

(क) से (ग) : राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण के लिए नामित किए गए अभिकरणों को वाणिज्यक बैंकों से ब्याज की रियायती दर पर नकद ऋण सुविधाएं प्रदान करने का प्रश्न विचाराधीन है। इन सुविधाओं का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना है।

सोवियत संघ द्वारा कुद्रेमुख कंसेन्ट्रेट का खरीदा जाना

2565. **श्री बी० वी० देसाई** :

श्री जनार्दन पुजारी : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सोवियत संघ द्वारा 30 लाख टन कंसेट्रेट खरीदने की इच्छा व्यक्त किए जाने के फलस्वरूप कुद्रेमुख कंसेन्ट्रेट भी कुछ मात्रा के लिए तत्काल बाजार मिलने की सम्भावना बढ़ गयी है ;

(ख) : क्या यह भी सच है कि कैरीबीन द्वीपसमूह में पोर्ट आफ स्पेन द्वारा और 10 लाख टन कंसेन्ट्रेट की खरीद के लिए व्यवस्था किए जाने की सम्भावना हैं;

(ग) : क्या उनके मंत्रालय के एक उच्च प्रतिनिधि मंडल ने दिसम्बर, 1980 के दौरान उक्त द्वीपसमूह का दौरा किया है ;

(घ) : यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया था ; और

(ङ) : पोर्ट आफ स्पेन और सोवियत संघ दोनों ने अब तक कितना परिष्कृत कंसेंट्रेट खरीदा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)

(क) : भारत–सोवियत व्यापार योजना 1981 85 के अन्तर्गत सोवियत रुस को प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख टन कुद्रेमुख साद्रण की आपूर्ति के लिए पेशकश की गई थी लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भाड़ा अधिक होने के कारण रुस इस समय भारत से लौह अयस्क खरीदने की स्थिति में नहीं है।

(ख),(ग) और (घ) : ट्रीनिडाड और टोबेगो के प्रस्तावित पैलेट कारखाने के लिए जिसके वर्ष 1984 तक तैयार हो जाने की सम्भावना है, कुद्रेमुख सांद्रण की सप्लाई की सम्भावना का पता लगाने के लिए कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० के एक दो सदस्यीय शिष्ट मंडल ने नवम्बर, 1980 में उस देश का दौरा किया था। आशा है इसके फलस्वरुप, इस मामले में आगे और बातचीत करने के लिए उस देश का एक शिष्ट मण्डल वर्ष 1981 की तीसरी तिमाही में भारत का दौरा करेगा।

(ङ.) : प्रश्न नहीं उठता।

आयकर अधिकारियों द्वारा छापा मारा जाना

2566. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों में कर अपवंचित आय और धन का पता लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा कितने छापे मारे गए थे।

(ख) उन व्यक्तियों के नाम, पते, पदनाम और अन्य ब्यौरा क्या है जिन्होंने 25 लाख रुपए से अधिक की राशि के आयकर और धनकर का अप चन किया है ;

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ; और

(घ) क्या उनके विरुद्ध कोई अपराधिक मामले दायर किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)

(क) से (घ) महोदय, आयकर विभाग ने, छिपाई गई आय और धन का पता लगाने के प्रयोजन से 1 सितम्बर 1980 से 28 फरवरी 1981 तक की अवधि के दौरान लगभग 1842 तलाशियां लीं। इन तलाशियों के दौरान' प्रथम दृष्ट्या, लगभग 10.21 करोड़ रुपये की लेखा वाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई हैं। छिपाई गई आय–धन की मात्रा का पता, इन मामलों में कर-निर्धारण कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद ही लग सकता है। इन मामलों में जांच-पड़ताल चल रही है और उपयुक्त मामलों में कानून के अनुसार इस्तागासे की कार्यवाही की जायेगी।

गुजरात औद्योगिक वित्त निगम को प्लेनेटरी मिल परियोजना के लिए आशय पत्र जारी किया जाना

2567. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या **इस्पात और खान मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात औद्योगिक वित्त निगम में प्लेनेटरी मिल परियोजना के लिए आशय पत्र मांगा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना में किस प्रकार का उत्पादन किया जाएगा तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री : (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) गुजरात औद्योगिक वित्त निगम से प्लेनेटरी मिल लगाने के लिए आशय-पत्र की स्वीकृति हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ । लेकिन इस प्रकार का एक आवेदन मैसर्स गुजरात औद्योगिक पूंजी निवेश निगम लिमिटेड से प्राप्त हुआ था और उन्हें 17.2.1981 को एक आशय-पत्र जारी किया गया था ।

(ख) आशय पत्र निम्नलिखित उत्पादों के उत्पादन के लिए दिया गया है :-

उत्पादन	वार्षिक क्षमता (टन)
1. गर्म बेलित हाई कार्बन इस्पात की चादरें/स्ट्रिप्स	8,000
2. गर्म बेलित मिश्र इस्पात की चादरें/स्ट्रिप्स (बेदाग और ताप-रोधक को छोड़कर)	2,500
3. गर्म बेलित क्लेडिड बेदाग इस्पात की चादरें/स्ट्रिप्स	5,000
4. क्लेडिड निकल	1,000
5. निकल (अपने प्रयोग के लिए)	100

अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें रखी गई हैं :-

1. यह परियोजना सरकारी क्षेत्र की कम्पनी द्वारा कार्यान्वित की जाएगी ;
2. कम्पनी केवल उन्हीं श्रेणियों और ग्रेडों का उत्पादन करेगी जिनका इस समय आयात किया जा रहा हैं ; और
3. कम्पनी पूर्णतया अपना ध्यान क्लेडिड सामग्री के उत्पादन और विपणन पर केन्द्रित करेगी ।

आशा है परियोजना के चालू हो जाने पर आयात प्रतिस्थापन के द्वारा पहले पांच वर्षों में लग भग 100 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा की बचत होगी । लेकिन वास्तविक अनुमान कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो जाने के पश्चात ही लगाया जा सकता है ।

आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिये इस्पात की सप्लाई

2568. **के० ए० स्वामी :** क्या इस्पात और खान मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में निर्माण-कार्य के लिये

इस्पात की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही कर रही है ;

(ख) वर्ष 1980 में ही क्रमशः विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लि0 के स्टाकयार्डों द्वारा सप्लाई किये गये इस्पात की मात्रा क्या हैं ;

(ग) उपरोक्त दो स्टाकयार्डों को इस्पात के आवंटन में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम स्थित स्टाकयार्डों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिये इस्पात के आवंटन पर बल देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री : (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) वर्तमान वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की आवश्कताओं को पूरा करने लिए प्रतिवर्ष इस्पात सामग्री (निर्माण सामग्री भी शामिल है) की विभिन्न श्रेणियों की एक निर्दिष्ट मात्रा आवंटित की जाती है ।

(ख) अप्रैल, 1980 से जनवरी, 1981 की अवधि में सेल के स्टाकयार्डों द्वारा विजयवाड़ा और विशाखापत्तम में क्रमश : 7,710 टन और 42,814 टन इस्पात सामग्री सप्लाई की गई थी ।

(ग) स्टाकयार्डों को (विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम के स्टाकयार्ड भी शामिल हैं) इस्पात के प्रेषण, इस्पात की उपलब्धि तथा रेत द्वारा ढुलाई की कठिनाइयां होते हुए भी हुए भी सम्बन्धित स्टाकयार्डों द्वारा मांग की प्राथमिकता के अनुसार किए जाते हैं ।

(घ) समय-समय पर आने वाली ढुलाई की समस्याओं को दूर करने के लिए रेलवे के साथ सतत् सम्पर्क रखा जाता है ताकि इन स्टाकयार्डों को भेजी जाने वाली इस्पात की समग्र मात्रा में वृद्धि की जा सके ।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बंटाईदारों और दी गई भूमि के अलाटियों को ऋण

2569. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंक बटाईदारों और दी गई भूमि के अलाटियों को ऋण देते है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979-80 और 1980-81 में उन्हें कुल कितना ऋण दिया गया ;

(ग) ऐसे कितने उधार कर्ता हैं ; और

(घ) वर्ष 1981-82 के क्या लक्ष्य हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री : (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तथा (ग) 1979 के खरीफ कार्यक्रम में, राज्य में दर्ज किए गए कुल बंटाईदारों तथा समनुदेशितियों में से, 79255 बंटाईदारों/समनुदेशितियों के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्त

पोषण की व्यवस्था थी । दी गई वित्त सहायता निम्नलिखित है :—

	ऋणकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि
निहित भूमि के बंटाईदारों/समनुदेशी	32.720	93.32 लाख रुपए

1980 के फसल मौसमों के दौरान वित्त पोषित कि गए बंटाईदारों समनुदेशितियों के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

निहित भूमियों के निर्दिष्ट बंटाईदारों तथा समनुदेशितियों के वित्त पोषण के वास्ते प्रचालन स्तर पर बैंक तथा राज्य सरकार द्वारा तालमेल किया जा रहा है ।

(घ) 1981-82 के बारे में लक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं ।

औद्योगिक विकास

2570. **चित्त बसु** : **क्या वित्त मंत्री** : यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के लिए औद्योगिक विकास का लक्ष्य 8 प्रतिशत निर्धारित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिये जाने की आशा है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरमन) : (क), (ख) और (ग) : छटी पंचवर्षीय आयोजना अवधि के लिए औद्योगिक उत्पादन में प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत औसत विकास दर का लक्ष्य है । किन्तु आधार भूत ढांचे की समस्याओं और पिछले वर्ष के सूखे के प्रभाव के कारण 1980-81 के पुर्वार्ध में औद्योगिक उत्पादन में हानि होती रही । .980-81 के दौरान आधारभूत ढांचे के कार्य सम्पादन में सुधार करने लिए सरकार द्वारा संगठित प्रयत्न किये गये थे । इसके परिणाम स्वरुप विद्युत, कोयला और रेलवे क्षेत्रों आदि में स्पष्ट रुप से सुधार दिखाई दिया है । महत्व पूर्ण उद्योगों जैसे कि इस्पात, सीमेंट, परिवहन उपस्कर आदि में भी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धियां हुई हैं । 1980-81 को दूसरी और तीसरी तिमाहियों में औद्योगिक उत्पादन में क्रमश: 1.9 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । कुल मिलाकर समूचे वर्ष 1980-81 के दौरान विकास दर के लगभग 4.0 प्रतिशत रहने की आशा है ।

उच्च शक्ति प्राप्त पेंशन आयोग की नियुक्ति

2571. **श्री आर० के० महालगी** : **क्या वित्त मंत्री** : यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या सरकार को अगस्त, 1980 में संसद सदस्यों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें सरकार से एक उच्च शक्ति प्राप्त पेंशन आयोग की नियुक्ति की मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है, अथवा निकट भविष्य में करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां ?

(ख) अनुरोध पर सावधानी से विचार किया गया परन्तु इसे स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया।

भारतीय स्टेट बैंक में यन्त्रीकरण स्वचालित व्यवस्था

2572. **श्री निरेन घोष** : क्या वित्त मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय स्टेट बैंक में यन्त्रीकरण/स्वचालित-व्यवस्था (आटोमेशन) शुरू कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री : (**श्री मगनभाई बारोट**) : (क) और (ख)

इस समय और आगे यन्त्रीकरण/स्वचलन (आटोमेशन) प्रक्रिया शुरू करने का भारतीय स्टेट बैंक का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन भारतीय बैंकस एसोसिएशन (आई०बी०ए०) जो भारतीय स्टेट बैंक समेत सभी बैंकों के प्रबन्ध का प्रतिनिधित्व करता है, उसने कार्यकुशलता को और अधिक बढ़ाने के लिए, सभी बैंकों में यन्त्रीकरण/स्वचलन (आटोमेशन) प्रक्रिया का और अधिक गहन उपयोग करने का एक सामान्य मुद्दा उठाया है तथा वह मामला विवाचक मण्डल के विचाराधीन है।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर द्वारा गुप्त व्यापार (इन्टर नल ट्रेडिंग) व्यापार में सन्नहित होना

2573. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को पता लगा है कि मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को बिना बड़े पैमाने पर गुप्त व्यापार (इनटरनल ट्रेडिंग) में लगी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कम्पनी को अवैध गतिविधियों में किस हद तक सन्नहित पाया गया है और उस पर क्या कारंवाई की गई है ?

वित्त मंत्री : (**श्री आर० वेंकटरामन**) : (क) जी हां।

(ख) यह सवाल पैदा हो नहीं होता।

विशेष धारक बांड योजना

2574. **प्रो० मधु दन्डवते** : क्या वित्त मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीधे करों सम्बन्धी वांचू समिति ने अपना विचार व्यक्त किया है कि जो लोग कर कानूनों को तोड़ते हैं उनको समझाने बुझाने और रियायतें देने का ईमानदार कर-दाताओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है और कर कानून तथा कर लागु करने वाला तंत्र कमजोर होता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विशेष धारक बाँड योजना वांचू समिति के विचारों के विपरीत नहीं हैं तथा इससे करापवंचन को बढ़ावा नहीं मिलेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (**श्री सवाईसिंह सिसोदिया**): (क) प्रत्यक्ष कर जांच समिति

ने यह अभिमत व्यक्त किया था कि प्रकटीकरण योजनाओं का, कर दाता जनता में अनुपालन स्तर पर तथा प्रशासन के मनोबल पर हानिकर प्रभाव पड़ता है।

(ख) विशेष धारक बन्ध पत्र योजना कर प्रशासन से पूर्णतः मुक्त है और इसलिए उसका कर प्रशासन के मनोबल तथा प्रभावशालिता पर हानिकर प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है।

निवेश में कमी के कारण विकास दर में गिरावट

2575. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या **वित्त मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1980-81 का आम बजट पेश किए जाने के बाद, निवेश में काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) निवेश में कमी के कारण विकास दर में कितनी गिरावट हुई है ?

वित्त मंत्री : (श्री आर० वेंकटरमन) : (क) जी नहीं

इसके विपरीत अब तक औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश के ऐसे संकेतकों जैसे कि पूंजी निर्गमों के लिए स्वीकृतियों, सावधि उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और स्वीकृत ऋणों, पूंजीगत वस्तुओं और भारी विद्युत संयंत्रों के आयात के लिए जारी किये गये आयात लाइसेंसों और संयंत्र तथा मशीनरी के आयात के लिए पूंजीगत वस्तुओं सम्बन्ध (मुख्य) समिति द्वारा दिये गये अनुमोदनों की प्रवृत्तियों से प्रकट होना है कि चालू वर्ष में औद्योगिक पूंजीनिवेश में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। पूंजी बाजार में शेयर बाजारों में विद्यमान सामान्य भावना भी इस कथन की पुष्टि करती है तथापि 1979-80 का अपेक्षा 1980-81 में औद्योगिक पूंजी निवेश में हुए सुधार के सही परिमाण का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जबउपर्युक्त संकेतकों क सम्बन्ध में विस्तृत आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

चांदी का जब्त किया जाना

2576. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **वित्त मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री ने अहमदाबाद में 11 जनवरी 1981 को एक संवाददता सम्मेलन में घोषणा की थी कि 1979 की पूरी अवधि के दौरान जब्त की गई 1.23 करोड़ रूपये की कुल चांदी की तुलना में 1980 के पहले ग्यारह महीनों के दौरान नौ करोड़ रुपये की चांदी जब्त की गई थी ; ओर

(ख) यदि हां, तो तस्करी के कामों में हो रही अत्याधिक वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही के गई हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्यमन्त्री : (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां,

सीमा शुल्क अधिकारियों ने वर्ष1979 के दौरान लगभग 1.23 करोड़ रुपए मूल्य की

चाँदी के अभिग्रहण के मुकाबले वर्ष 1980 के पहले 11 महीनों में लगभग 9 करोड़ रुपए मूल्य की चाँदी पकड़ी।

(ख) भारत से चाँदी के तस्कर निर्यात को रोकने के लिए सीमा शुल्क विभाग के निर्वरक और आसूचना तंत्र को सुदृढ़ किया गया है।

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अध्याय IV ख के उपबंधों को चाँदी के भण्डारण लाने ले जाने और उसकी बिक्री के सम्बन्ध में विनियामक उपबन्ध हैं, 27 मार्च 1980 से भारत-नेपाल और भारत पाकिस्तान सीमाओं के साथ-साथ पचास किलोमीटर की पट्टी पर लागू किया गया था। ये उपबंध पश्चिमी समुद्र-तटीय और तमिलनाडु और पाण्डिचेरी समुद्र-तटीय 50 किलोमीटर पट्टी पर पहले ही से लागू थे।

आयकर के लिए छूट सीमा में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही

2577. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या वित्त मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न वर्गों के जीवन निर्वाह सूचकांक मे वृद्धि को देखते हुए प्रतिवर्ष 8,000 रु0 आयकर से छूट की वर्तमान की सीमा बहुत नीची हो गई है; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर सकारात्मक है तो सरकार का विचार समाज के निश्चित आय वर्गों की दिक्कतों को दूर करने के लिये आयकर की वर्तमान सीमा में वृद्धि करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख)

जिन पंजीकृत फर्मों तथा एक अथवा उससे अधिक सदस्यों वाले हिन्दू अविभाजित परिवारों की अलग से आय, छूट सीमा से ज्यादा है, उनसे भिन्न गैर-निगमित कर दाताओं के मामले में, वित्त विधेयक, 1981 में, आयकर की छूट सीमा को 12,000 रु० से बढ़ा कर 15,000 रु० करने की व्यवस्था है। विधेयक में आगे 30,000 रू0 तक की दर सूची की पुनः संरचना करने के साथ साथ 'शून्य' दर खन्ड को 8 000 रू0 से बढ़ाकर 15,000 रू0 करने की भी व्यवस्था है।

धन पूर्ति

2578. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या वित्त मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78 से 1981 तक देश में वास्तविक राष्ट्रीय जाय, धन-पूर्ति और कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) किस सीमा तक मूल्य वृद्धि धन पूर्ति में वृद्धि के कारण हुई है ;

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो सरकार देश में धन-पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्री : **(श्री आर० वेंकटरामन)** : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) धनापूर्ति की वृद्धि और कीमत स्तर में वृद्धि के बीच कोई पूर्णतः निश्चित सम्बन्ध नहीं है, हालांकि धन-पूर्ति में वृद्धि कीमत के सामान्य स्तर पर प्रभाव डालने

वाला एक तत्व होता है । इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि धन-पूर्ति के कारण कीमत में किस सीमा तक वृद्धि हुई है । अनुचित मौद्रिक विस्तार को रोकने के लिए सरकार कई उपाय करती रही है । इनमें ये उपाय शामिल है जैसे कि पुनर्वृति । पुनर्बट्टे के समायोजन में कड़ाई, बड़े उधारकर्ताओं की ऋण सीमाओं में कमी, उधार देने की दरों में वृद्धिकारी समायोजन और बैंकों की आरक्षित राशियों सम्बन्धी अपेक्षाओं का एक कड़ाई से पालन । सरकार स्थिति पर बहुत ध्यान से नजर रख रही और जब भी आवश्यकता होगी और भी उपाय किये जाएगे ।

विवरण

पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन

वर्ष	सफल राष्ट्रीय उत्पाद (1970-71 की कीमतों पर)	कुल मुद्रा साधन (एम 3)	थोक कीमत सूचक अंक (1970-71 100)
1977-78	8.4	18.4	0.3
1978-79	5.9	21.9	4.6
1979-80 —	4.5 1)	17.8	21.4
1980-81	6.5 2)	13.2 3)	15.4 4)

1. तुरन्त अनुमान
2. प्रत्याशित
3. 31 मार्च, 1980 की तुलना में 6 फरवरी 1981 को
4. 29 मार्च, 1980 की तुलना में 14 फरवरी, 1981 को
5, घटबढ़ बिन्दु प्रतिबिन्दु आधार है ।

सोवियत संघ को पैक किए हुए गुलाबों का निर्यात

2579. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का सोवियत संघ को पैक किए गए गुलाबों का निर्यात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) उन्हें सुरक्षित ढंग से भेजने को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) सोवियत संघ को गुलाबो का निर्यात वर्ष, 1981 के लिये सोवियत संघ के साथ हुई व्यापार योजना में शामिल नहीं है ।

सभी गांवों तक राशन प्रणाली का विस्तार करने का प्रस्ताव

2580. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी गांवों तक राशन प्रणाली का विस्तार करने और समूची जनसंख्या को एक व्यापक समाज कल्याण योजना के अन्तर्गत लाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री : (**श्री ब्रजमोहन महन्ती**) : (क) से (ग) :

जी नहीं । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूं, चावल, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी का तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं पहले से ही वितरित की जा रही हैं और यह प्रणाली ग्रामीण इलाकों में भी लागू है ।

राज्य व्यापार निगम के कार्यक्रम में सुधार

2581. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण में 1980-81 के दौरान कोई सुधार हुआ है;

(ख) क्या गत वर्ष इसके कार्य निष्पादन में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी;

(ग) यदि हां, तो किस क्षेत्र में; और

(घ) 1981-82 में यह प्रवृत्ति किस सीमा तक जारी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) : 1979-80 में 1529 करोड़ रु० के व्यवसाय की अपेक्षा 1981-81 में राज्य व्यापार निगम द्वारा 1600 करोड़ रु० का व्यवसाय प्राप्त किए जाने की संभावना है जो 1979-80 के व्यवसाय की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत अधिक है ।

(घ) इस रुख के वर्ष 1981-82 के दौरान भी जारी रहने की आशा है ।

कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के भुगतान में विलम्ब

2582. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अतिरिक्त मंहगाई भत्ते का भुगतान देय हो जाने के बावजूद इसका सरकारी कर्मचारियों को भुगतान किए जाने के लिए सरकार द्वारा आदेश जारी करने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बैंक आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में जैसे ही अतिरिक्त मंहगाई भत्तों का भुगतान उससे देय हो, पर स्वतः हो जाता है; और

(ग) सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के मामले में समान कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) से (ग) किसी विशेष महीने के उपभोक्ता सूचकांक जिस महीने से उनका संबंध होता है, उसके बाद के दूसरे महीने के मध्य में लेबर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त होते हैं। आंकड़े प्राप्त होने पर यह निर्धारण किया जाता है कि क्या सूचकांक के 12 महीने के औसत के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की एक किश्त विचार किए जाने योग्य हो गई है। यदि इस आधार पर कोई किश्त विचार किए जाने योग्य हो जाती है तो मामले पर निर्णय लेने के लिए कार्यवाही शुरू की जाती है। चूंकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की एक किश्त की अदायगी करने पर वर्तमान में राजकोष से लगभग 62 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च करना होता है, इसलिए सामान्य आर्थिक स्थिति पर ऐसी अदायगी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इसकी अदायगी के प्रश्न पर उच्चतर स्तर पर सावधानी-पूर्वक विचार करना होता है। बैंकों आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में कर्मचारियों को महगाई भत्ते की अदायगी उन क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में अपनाए गए मानदंडों के अनुसार की जाती है जिनका आमतौर पर निर्धारण सम्बद्ध क्षेत्रों में कर्मचारियों की यूनियनों के साथ किए गए समझौतों के अनुसार किया जाता है। इन मानदंडों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को की जाने वाली अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की अदायगी से कोई सम्बन्ध नहीं होता; क्योंकि उनको महगाई भत्ते की अदायगी तीसरे वेतन आयोग द्वारा सुझाई गई योजना के आधार पर की जाती है।

एक भारतीय नागरिक द्वारा पोलर स्टार डायमंड का खरीदा जाना

2583. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जेनेवा में 'पोलर स्टार डायमंड' 46 लाख डालर में बेचा गया था;

(ख) क्या यह सच है कि इसे एक भारतीय नागरिक ने खरीदा था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, "पोलर स्टार" के नाम से ज्ञात अंगूठी में जड़ा हुआ एक हीरा, 19/20-1 1 1980 को जेनेवा में नीलाम किया गया गया था।

(क) और (ग) इस हीरे के सम्बन्ध में सूचना मिली है कि इसे रत्नों के एक व्यापारी ने खरीदा है, जो कि लंका का निवासी बताया जाता है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू बोर्ड द्वारा तम्बाकू के निर्यात मूल्य में वृद्धि

2584. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तम्बाकू बोर्ड से तम्बाकू के न्यूनतम निर्यात-मूल्य में 15 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की है;

(ख) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने उक्त मूल्य को काफी घटा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) से (ग) 1981 की फसल के तम्बाकू की विभिन्न किस्मों के न्यूनतम निर्यात कीमतों में जितनी वृद्धि/कमी की जो सिफारिश तम्बाकू बोर्ड द्वारा की गई है और केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है उसका ब्यौरा निम्नलिखित है–

तम्बाकू की किस्म	ग्रेड	1980 की न्यूनतम निर्यात कीमतों की अपेक्षा 1981 की फसल की न्यूनतम निर्यात कीमतों में वर्तमान वृद्धि/कमी।	
		तम्बाकू बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश	केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित
विर्जीनिया एल क्योरेड	1 से एल वी वाई 2	157 प्रतिशत वृद्धि	57 प्रतिशत वृद्धि
	एल एम जी/ब्राडज स्टैप तथा स्टेमविट	10 प्रति. वृद्धि इसकी कीमत पत्तों के रूप में पी एल ग्रेड की कीमत के बराबर होनी चाहिए	10 प्रति. वृद्धि 5 प्रति. वृद्धि
	स्टेम तथा स्टेमविट	कुछ नहीं	10 प्रति. वृद्धि
	स्टेम तथा स्टेमविट्स को छोड़कर सभी निम्न ग्रेड		
सनक्योरड कंट्री (नेचुरल)	सभी ग्रेड	1980 तथा 1981 की फसलों की न्यूनतम निर्यात कीमतों में 10 प्रतिशत की कमी	कोई भी वृद्धि/कमी नहीं की गई है।

(घ) तम्बाकू बोर्ड की सिफारिशों पर पूरी तरह से विचार विमर्श करके तथा इस बात की आवश्यकता को सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारी कीमत प्रतियोगी रहे और साथ ही उपजकर्तासों को लाभकारी कीमतें मिलें, सरकार द्वारा न्यूनतम निर्यात कीमतें निर्धारित की गई है।

खली के निर्यात पर पाबन्दी

2585. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वाणिज्य मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि खली के अन्धाधुन्ध निर्यात के कारण विशेषकर मुर्गीपालन और डेयरी उद्योग के सामने गम्भीर कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है ;

विवरण

क्रमांक	मद का ब्यौरा	1977-78		1978-79		अप्रैल—79 जून—80	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
		मात्रा लाख मे० टन में (मूल्य लाख रुपये में)					
1.	मूंगफली निस्सारण	5.41	8885.74	5.38	74.09	5.15	6956.58
2.	सोयाबीन निस्सारण	0.15	256.31	0.49	802.89	0.31	579.93
3.	बिनौला निस्सारण	1.75	1781.11	1.54	1846.01	0.90	1103.12
4.	चावल की भूसी निस्सारण	3.23	1607.19	4.79	1961.57	4.33	2358.00
		10.54	12530.35	12.20	4684.56	10.69	10997.63

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इसके निर्यात की मात्रा और कीमत में वृद्धि हुई है;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार खली और अन्य वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री : (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) मूंगफली निस्सारण, बिनौला निस्सारण तथा चावल की भूसी के निस्सारण, तेल रहित निस्सारण की प्रमुख मदों के निर्यात की अनुमति उत्पादक, घरेलू आवश्यकताओं आदि जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सीमित सीमाओं की भी रट दी जा रही है, अतः जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह उचित नहीं बताया जाता।

(ख) तथा (ग) : 1977-78, 1978-79 तथा अप्रैल, 1979 से जनवरी 1980 के वर्षों में मूंगफली निस्सारणों, सोयाबीन निस्सारणों, बिनौला निस्सारणों तथा चावल की भूसी निस्सारणों के वास्तविक निर्यात की मात्रा तथा भूल्य अन्तर विवरण में दिए गए हैं।

(घ) गत मौसम वृद्धियों के निर्यात पर रोक लगे हैं। तेल रहित निस्सारणों की प्रमुख मदों का निर्यात सीमित सीमाओं के भीतर प्रतिबन्धित है। सभी वृद्धियों तथा प्रोटीन मदों के निर्यात पर पूर्णतः रोक लगाने को कोई प्राथमिकता नहीं है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार

2586. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात परियोजना के क्या प्रस्तावित विस्तार की योजना को छठी पंच-वर्षीय योजना में शामिल किया गया हैं :

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो निर्माण कार्य के कब तक आरम्भ किए जाने की आशा है ;

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)

(क) से (ग) छठी योजना में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन (ओवरसीज सर्विसेज) ने, जिसे कारखाने के लिए एक विकास योजना तैयार करने को कहा गया था, नवम्बर, 1980 में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। सेल इस समय इस रिपोर्ट पर गहराई से विचार कर रही है।

विदेशी मुद्रा कोष

2587. **श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 को देश के विदेशी मुद्रा कोष में कितनी धनराशि थी ;

(ख) मार्च, 1977 में, जब केन्द्र में जनता सरकार सत्ता में आई और वर्ष 1980 के शुरू में, जब वह सत्ता से हटी, तब देश के विदेशी मुद्रा कोष में कितनी कितनी धनराशि थी ;

(ग) क्या यह सच है कि आपने ठाई साल के शासन में इन्होंने कोष का लगभग सफाया कर दिया और देश को अब इसके प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है : और

(घ) यदि हां, तो कोष की स्थिति में पुन: सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर वेंकटरामन) : (क) देश के विदेशी मुद्रा भण्डार में 31 दिसम्बर, 1980 का (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) 4760,70 करोड़ रुपये की राशि थी ।

(ख) विदेशी मुद्रा भण्डार में (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) 25 मार्च, 1977 को 2806,30 करोड़ रुपए और 11 जनवरी, 1980 को 5398,05 करोड़ रुपए की राशि थी ।

(ग देश के व्यापार शेष में मार्च, 1977 के अन्त में 72 करोड़ रुपए का मुनाफा था 1977 से 1980 तक के वर्षों के दौरान देश का व्यापारिक घाटा 1977-78 में 621 करोड़ रुपए से बढ़कर 1979-80 में 2262 करोड़ रुपए का हो गया । वर्ष 1980-81 में इस घाटे के और बढ़ जाने की आशंका है । यह घाटा मुख्य रुप से कच्चे तेल और उसके उत्पादों की कीमतों के बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण आयात बिल में भारी वृद्धि हो जाने का परिणाम हैं क्योंकि इस अवधि में किए गए निर्यात में तदनुरूप वृद्धि नहीं हुई । व्यापारिक घाटे के लगातार होते रहने के प्रभाव अब महसूस हो रहे हैं और इसका परिणाम यह हुआ कि विदेशी मुद्रा भडार से निकासी करनी पड़ी है ।

(घ) सरकार विदेशी मुद्रा मण्डार पर पड़ने वाले दबाव को कम करने और भविष्य में उसकी वृद्धि के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए कई कदम उठा रही है, जिनमें ये शामिल हैं : (1) आधारभूत ढाँचे के कार्यचालन में सुधार करने, उत्पादन की रूकावटों को दूर करने, क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करने और आयात कम करने के लिए उत्पादन के आवश्यक क्षेत्रों में क्षमता का विस्तार करने के लिए विभिन्न उपाय; (2) (क) देश में तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन के काम में तेजी लाकर आयातित कच्चे तेल पर भारी निर्भरता कम करने, (ख) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करने, और (ग) निर्यात में वृद्धि करने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि देश अर्थव्यवस्था का विकास और आधुनिकीकरण करने के लिए आवश्यक आयात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए स्वयं अदायगी कर सके ।

रुपये का मूल्य

2588 **श्री आर. पी. गायकवाड़ क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी बाजार में क्रय करने की शक्ति के संघर्ष में रुपये का मूल्य हाल के बर्षों में काफी कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में रुपये का मूल्य दस वर्ष पूर्व के मूल्य की तुलना में कितना है ;

(ग) रुपये के मूल्य में गिरावट के क्या कारण ; और

(घ) इसकी खोई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख), रुपये की आन्तरिक क्रय शक्ति, जैसाकि उसे औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक 1960-100 के व्युत्क्रम में मापा गया है, दिसम्बर, 1970 के 53.76 पैसे से कम होकर दिसम्बर, 1980 में 24.51 पैसे रह गई है।

(ग) और (घ) : रुपये के मूल्य में कमी कीमतों में वृद्धि के समानार्थक है। कीमतों में वृद्धि के कारणों की आर्थिक समीक्षा, 1980-81 में चर्चा की गई है और इनसे तेल उत्पादों की ऊंची अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों, प्रशासित कीमतों में वृद्धिकारी समायोजन, सूखा पड़ने के कारण कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे कि दालों और तेलहन के उत्पादन में कमी और अर्द्ध प्रणाली में नकदी का अतिरेक शामिल हैं।

मुद्रास्फीति को रोकने और इस प्रकार रुपए के मूल्य में स्थिरता लाने को सरकार उच्च प्राथमिकता देती है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने तथा आधारभूत ढांचे की बाधाओं को दूर करने के लिए 1981-82 के बजट में अधिक महत्व दिया गया है। यह आशा की जाती है कि आर्थिक पुनरुद्धार जिसका प्रमाण 1980-81 के मध्य से मिल रहा है वह जारी रहेगा और इसकी गति में तेजी लाएगा। कीमतों की स्थिति पर इसका शमनकारी प्रभाव पड़ेगा।

बीमार एककों में अवरुद्ध बैंक ऋण

2589. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीमार औद्योगिक एककों में अवरुद्ध बैंक ऋणों की कुल राशि क्या है :

(ख) इसमें कितनी राशि ऐसे एककों में है जिन्होंने एक करोड़ अथवा अधिक राशि के ऋण ले रखे हैं और कितनी राशि लघु एककों में है ;

(ग) इसमें से कितनी राशि वसूल हो जाने की संभावना है ; और

(घ) क्या सरकार इन राशियों को तेजी से वसूल करने हेतु कोई विशेष कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)

(क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक के पास हाल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 31-12-79 के अन्त की स्थिति के मुताबिक उन, एककों को, जो रुग्ण एकक के रूप में पहचाने गए थे तथा सूचित किए गये थे, दिए गये अग्रिमों की बकाया राशि 1622.55 करोड़ रुपये थी। इनमें से उन रुग्ण एककों की ओर, जिनमें से प्रत्येक एक करोड़ रुपये तथा अधिक के बैंक ऋण का उपभोग कर रहे थे, बकाया राशि की कुल रकम 1158.48 करोड़ रुपये थी तथा रुग्ण लघु

औद्योगिक एककों की ओर बकाया राशि की कुल रकम 261.74 करोड़ रुपये थी ।

(ग) तथा (घ) : बैंक ब्याज की समय से अदायगी तथा ऋणों की वापसी अदायगी की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए हर सम्भव प्रयास करते हैं। न्यायोचित तथा व्यवहार्य मामलों में सहायता प्राप्त कम्पनियों से प्राप्त अनुरोधों की व्यापक रूप से जांच करने के बाद ऋणों की वापसी अदायगी का कार्यक्रम फिर से निर्धारित किया जाता है तथा किस्तों को स्थगित किया जाता है । लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करके, सावधिक निरीक्षणों की आवृत्ति को बढ़ाकर, व्यक्तिक्रमी प्रतिष्ठानों आदि के प्रवर्तकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ प्राय: बातचीत करके अतिदेय रकमों की वसूली करने के प्रयास किये जाते हैं । उचित मामलों में कानूनी उपाय भी किये जाते हैं ।

वनस्पति निर्माताओं के साथ चर्चा

2590 **श्री रामजी भाई रवानी :**

श्री पी. के. क्रोडियन :

श्री पी. एम. सईद :

श्री आर. एल. भाटिया :

श्री के. पी. सिंह देव :

श्री के. एम. मधुकर :

श्री भीकूराम जैन :

श्री गुफरान आजम :

श्री वीर भद्रसिंह :

श्री रामप्यारे पनिका :

श्री एल. एम. कृष्णन : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1.12.80 से 10.2.81 के दौरान वनस्पति एवं खाद्य तेलों के निर्माताओं और व्यापारियों के साथ इन वस्तुओं के उत्पादन, वितरण भंडार और मूल्यों के संबंध में बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उसके क्या परिणाम रहे ;

(घ) सरकार तथा व्यापारियों एवं निर्माताओं दोनों ने ही एक दूसरे को क्या आश्वासन दिये ;

(ङ) उन आश्वासनों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ;

(च) क्या वनस्पति निर्माता एवं व्यापारियों ने उपर्युक्त आश्वासन नहीं निभाया है ; और

(छ) यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती)

(क) से (छ) :

सरकार ने वनस्पति से संबंधित विभिन्न मसलों, विशेष रूप से मूल्यों के संबंध में हाल के सप्ताहों में वनस्पति उदपादकों के साथ कई बार बातचीत की है। इन चर्चाओं से परिणाम-स्वरूप, वनस्पति उद्योग ने 28 फरवरी, 1981 तक स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण का पालन करना और उत्पादन को उच्च-स्तर पर बनाए रखना स्वीकार किया। क्षेत्रों (फील्ड) से मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि वनस्पति उद्योग द्वारा इस समझौते का आमतौर पर पालन किया गया है। सरकार, उचित मूल्यों पर तथा पर्याप्त मात्रा में वनस्पति उपलब्ध कराने के बारे में वनस्पति उत्पादकों से अपनी बातचीत जारी रखे हुए है और स्थिति की मांग के अनुसार समय-समय पर इस प्रकार के उपयुक्त कदम उठाती रहेगी।

परियोजना निर्यात

2591, श्री कमलनाथ : क्या वाणिज्य मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गतवर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में परियोजना निर्यात के मूल्य में कमी हुई है अथवा वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि कमी हुई है तो इस कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान परियोजनाओं के निर्यात का कुल प्रत्याशित मूल्य कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) 1979 की तुलना में 1980 के दौरान प्राप्त की गई परियोजना संविदाओं के मूल्य में वृद्धि हुई है। जो रिपोर्टें मिली है उनके अनुसार 1980 के दौरान प्राप्त की गई सिविल निर्माण सम्बन्धी संविदाओं का कुल मूल्य 1558 करोड़ रूपया बैठता है। इसकी तुलना में 1979 में प्राप्त की गई संविदाओं का कुल मूल्य लगभग 500 कररोड़ रुपया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जैसा कि ऊपर (क) में है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये के मूल्य में उतार-चढ़ाव

2592. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार रुपये के मूल्य में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आए उतार-चढ़ाव का विवरण क्या है ?

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यदि रुपये के मूल्य में गिरावट आई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और ख : शायद सम्मानित सदस्य का आशय रुपये के विनिमय मूल्य से है। 25 सितम्बर, 1975 से रूपये के विनिमय मूल्य का निर्धारण करेंसियों की उपयुक्त रूप से भारित डाली (बास्केट) की मध्यवर्ती करेंसी के तौर पर पौंड

स्टलिंग की तुलना में होने वाली दैनिक घटबढ़ के सन्दर्भ में किया जाता है ! करेंसियों की इस डाली की सहायता से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर पौण्ड स्टलिंग की तुलना में रुपए का विनिमय मूल्य निर्धारित किया जाता है। अन्य अन्तर्राष्ट्रीय करेंसियों का रूपया मूल्य पौंड स्टलिंग की तुलना में उन करेंसियों के विनिमय मूल्य के आधार पर आंका जाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये का मूल्य रोजाना नीचे या ऊपर की ओर घटता-बढ़ता रहेगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़ी-बड़ी करेंसियों के मुकाबले में रूपये का विनिमय मूल्य संलग्न अनुबन्ध में दिखाया गया है। विवरण में दिखाए गए ब्यौरे से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों में जापानी येन और पौंड स्टलिंग को छोड़कर बड़ी-बड़ी करेंसियों के मुकाबले वास्तव में रूपये के मूल्य में वृद्धि हुई है।

विवरण

भारतीय रुपए और बड़ी-बड़ी करेंसियों के बीच विनिमय (मध्यमान) दरें

करेंसी का नाम	31-3-78 को दर	31-3-79 को दर	31-3-80 को दर	2-3-81 को दर
1. पौण्ड स्टर्लिंग 1 पौण्ड = रुपए	15.75	16.80	17.85	18.00
2. अमेरिकी डालर 1 डालर = रुपए	8.4552	8.1364	8.2467	8.2550
3. ड्यूशमार्क 1 ड्यूशमार्क = रुपए	4.2101	4.3506	4.2324	3.8377
4. स्विसफ्रांक 1 स्विसफ्रांक = रुपए	4.6256	4.7914	4.4653	4.1723
5. फ्रांसीसी फ्रांक 1 फ्रांसीसी फ्रांक = रुपए	1.8589	1.8938	1.8345	1.6302
6. जापानी येन 100 येन = रुपए	3.8368	3.8739	3.2946	3.9105
7. इतालवी लीरा 100 लीरा = रुपए	0.9950	0.9657	0.9196	0.7980
8. विशेष आहरण अधिकार 1 एस० डी० आर० = रुपए	10.4927	10.4498	10.3072	10.0501

भुवनेश्वर का दर्जा बढ़ाया जाना

2593. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य की राजधानी भुनेश्वर शहर का दर्जा बढ़ाकर ख- 2 श्रेणी में करने का अभ्यावेदन सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो यह घोषणा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं जब कि अन्य शहरों का दर्जा हाल ही में बढ़ा दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कुछ नगर, जिनकी जन संख्या 1971 की जनगणना के अनुसार श्रेणी 31-2 नगर के रूप में वर्गीकरण के लिए निर्धारत न्यूनतम से सीमान्तिक रूप से कम थी उनका दर्जा उनकी पश्च जनगणना जन संख्या अनुमानों के आधार पर, बढ़ा दिया गया था । भुवनेश्वर के मामले पर इसलिए विचार नहीं किया जा सका क्यों कि इसकी जनसंख्या में कमी सीमान्तिक कमी से अधिक थी ।

लौह अयस्क के निर्यात के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा भारतीय जहाजरानी निगम के साथ बातचीत

2594. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लौह अयस्क के निर्यात के लिए बातचीत हेतु भारतीय जहाजरानी निगम को खनिज तथा धातु व्यापार निगम के साथ सम्बद्ध करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा

(ख) जी हाँ । लौह अयस्क के परिवहन के लिये भारतीय जहाजों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऐसा विचार है कि जब भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम का प्रतिनिधि मन्डल वर्ष 1981-82 के दौरान सप्लाई हेतु संविदाओं को अन्तिम रूप देने के लिए जापान जाए तब शिपिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया के एक प्रतिनिधि को शामिल कर दिया जाये

जैपुर उड़ीसा में भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालय खोलना

2595. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के कोरापुट जिले के जैपुर में भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय मुख्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मन्त्री : (श्री मगन भाई बरोट) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग)

यह प्रश्न उपस्थित नही होता ।

मैसर्स धर्म पाल प्रेम चन्द एन्ड कम्पनी दिल्ली से बकाया उत्पाद शुल्क की वसूली

2596. **श्री धर्म दास शास्त्री :** क्या **वित्त मन्त्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स धर्मपाल प्रेम चन्द एन्ड कम्पनी दिल्ली-6 द्वारा वर्ष 1976–77, 1977-78, 1978–79 और 1979-80 में उत्पाद शुल्क की कितनी राशि देय थी;

(ख) प्रत्येक वर्ष में उपर्युक्त कम्पनी द्वारा उत्पाद शुल्क की कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) उत्पाद शुल्क की बकाया राशि की वसूल के लिए विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या यह सच है कि उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित खातों में कम्पनी पर अनियमितायें करने के आरोप हैं तथा विभाग द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) : पिछले चार वर्षों के दौरान मैसर्स धर्मपाल प्रेमचन्द एन्ड कम्पनी की तरफ उत्पादन शुल्क और उनसे वसूल किये गये उत्पादन शुल्क की रकम नीचे दी गई है :—

वर्ष	उत्पादन शुल्क की	
	बकाया रकम रू0	अदा की गई रकम रू0
1976-77	26,21,632.82	26,21,632.82
1977-78	32,59,940.37	32,59,940.37
1978-79	40,59,900.86	40,59,900.86
1979-80	1,18,87,522;32	1,01,03,763.99

(ग) और (घ) : 17,83,758.33 रू0 की रकम की वसूली के लिये पार्टी को एक मांग जारी की गई है, जो वर्ष 1979-80 के दौरान, खरीदारों को अन्तरित नहीं किये गये बट्टे की रकम पर उद्ग्रहणीय शुल्क की रकम है। मामले का न्यायनिर्णयन होना है। मामले के न्यायनिर्णयन के बाद, विभाग उक्त रकम की वसूली के लिए कार्यवाही करेगा।

भिलाई और दुर्गापुर संयंत्रों के सुधार के लिये भारत रुस समझौता

2597. **डा० बसंत कुमार पंडित :** क्या **इस्पात और खान मन्त्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों के सुधार के लिए और तकनीकी जानकारी देने पर सहमत हो गया है; और

(ख) क्या यह समझौता भुगतान अथवा वस्तु विनियम पद्धति पर किया गया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री : (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) :

भिलाई इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण करने तथा कारखाने में नई प्रौद्योगिकी और आधुनिकतम उपस्करों का इस्तेमाल करके इसकी एक वार्षिक उत्पादन क्षमता में वृध्दि करने के सोवियत संगठन ने हमारे अनुरोध पर एक तकनीकी-आर्थिक रिपोर्ट तैयार की थी जिसे बेसिक टेकनिकल एन्ड इकानामिक कन्सीं ड्रेसन का नाम दिया गया था। लेकिन इस्पात कारखानों मैं प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री की क्वालिटी में हुए परिवर्तनों को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि तकनीकी प्राचलों को निर्दिष्ट तथा निश्चित करने की दृष्टि से मेटल जिकलक एन्ड इंजीनियरिंग कन्सल्टेट्स इन्डिया लि0 (मेकन) सोवियत संगठन जिप्रोमेज के सहयोग से विस्तार से अध्ययन करे। मेकन द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने उसकी जांच होने तथा पूंजी निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने के पश्चात ही सोवियत पक्ष से इस विषय पर आगे बातचीत की जाएगी।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में सोवियत पक्ष के साथ न तो कोई करार है और न ही कोई प्रस्ताव है।

एक्सपोर्ट सबसिडी सिस्टम अण्डर फायर शीर्षक समाचार

2598. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 17 जनवरी 1981 के 'टाइम आफ इन्डिया' में प्रकाशित 'एक्सपोर्ट सबसिडी सिस्टम अन्डर फायर' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात सम्बन्धी राज सहायता के समग्र प्रश्न का पुनरीक्षण करने का है और यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री : (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) नकद मुआवजा की दरों की सरकार द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है और विभिन्न मदों सम्बन्धी दरों में जब भी आवश्यक होता है परिवर्तन किए जाते हैं।

चाय, पटसन, चीनी और चावल का निर्यात

2599. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलेंडर वर्ष 1980 के दौरान देश में कुल कितनी मात्रा के चाय, पटसन चीनी और चावल का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्यात की गई प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त वस्तुओं के निर्यात के आंकड़ों के निर्यात में वृध्दि अथवा गिरावट का पता चलता है; और

(घ) यदि उसमें गिरावट आई हैं, तो इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए है !

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख)

पंचाम वर्ष 1980 के दौरान निर्वातित चाय, पटसन, चीनी और चावल की मात्रा तथा मूल्य के अनन्तिम आंकड़े निम्नोक्त प्रकार है :-

	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु0)
चाय	224.49 मिलियन कि. ग्रा.	412.55
पटसन	40,757 गाठे (प्रत्येक 180 कि. ग्रा. की)	2,78
चीनी	64,000 में टन	26.05
चावल	4,54 लाख मे. टन	133.93

(ग) तथा (घ) यद्यपि चाय तथा चावल के निर्यातों में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है भी चीनी के निर्यातों में कमी आई हैं क्यों कि इसके निर्यात पर प्रतिवन्ध लगे हुए थे। जहां तक तो पटसन का सम्बन्ध है मात्रा की दृष्टि से इसमें वृद्धि हो रही है परन्तु कच्चे पटसन की विश्व व्यापी भरमार के कारण 1980 में अपेक्षाकृत कम मूल्य वसूली रही है।

कोका कोला निर्यात निगम को लाइसेन्स

2600. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कोका कोला निर्यात निगम को अपना कार्य वन्द करने के लिए 5 मई, 1978 तक का समय दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणिज्य मंत्रालय ने वर्ष 1977 में कोका कोला को तदर्थ आयात लाइसेन्स नहीं दिया; और

(ग) क्या कोका कोला को दिया जाने वाला वार्षिक लाइसेन्स 16 लाख रूपये के लिए था ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री : (**श्री खुर्शीद आलम खान**) : (क) 5 मई, 1978 तक की समय सीमा निगम पर इसकी विदेशी इक्विटी 40 प्रतिशत से अनधिक स्तर तक कम करने के प्रयोजनार्थ लागू थी। तथापि, निगम ने भारत में अपना प्रचालन समाप्त करने का निर्णय किया।

(ग) 1977 में उसके पक्ष में कोई तदर्थ आयात लाइसेन्स जारी नहीं किया गया क्योंकि निगम ने 1977 से उनके आवेदन पर अन्तिम निर्णय लिए जाने से पूर्व ही भारत कोका कोला सन्द्रणों का उत्पाद बन्द कर दिया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विशेषाधिकार के प्रश्न आदि के बारे में

प्रो. के. के. तिवारी (बकसर) : कल मैंने श्री ज्योतिर्मय बसु के विरुद्ध दिये गये अपने विशेषाधिकार के बारे में पूछताछ की थी···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है। (**व्यवधान**)

प्रो. के. के. तिवारी : और आपने संघ को आश्वासन दिया था···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को जानना चाहिये कि यह मेरे विचाराधीन है। (**व्यवधान**)

प्रो. के. के. तिवारी : मैंने आपको नोटिस दिया था, लेकिन समाचार पत्र में रिपोर्ट छपी है कि इसे अस्वीकार कर लिया गया है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिये। आप क्या चाहते हैं ? मैं कल कह चुका हूं कि यह मेरे विचाराधीन है। आप क्या चाहते हैं ? (**व्यवधान**)

आप क्या चाहते हैं (**व्यवधान**)

श्री अटलबिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय कल दिल्ली में शांत विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है···

अध्यक्ष महोदय : आप मोशन दीजिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने आपको संसद सदस्यों के मतों में वृद्धि करने के लिये लिखा है (**व्यवधान**)। मेरी तथा श्री वाजपेयी की पार्टी के सदस्यों ने इसका विरोध किया है और इसे चुनौती दी है। हम लोकसभा से सचिवालय सम्बन्धी सहायता चाहते हैं···(**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : यह पाखंड समाप्त होना चाहिये। यदि वह नहीं चाहते तो इन्हें लेने की जरूरत नहीं है। हमें इसकी जरूरत है और हम इसे लेंगे।

(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नांडीस (मुजफ्फरपुर) : मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं (**व्यवधान**) मैंने एक संक्षिप्त नोट भेजा था (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप कोई मोशन दीजिये।

श्री जार्ज फर्नांडीस : मैंने इस आर्थिक प्रशासनिक सेवा आयोग, जिसकी अब घोषणा हो चुकी है, के बारे में एक नोट भेजा था। सरकार के इस निर्णय से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा हुए हैं। हमें इसे कैसे उठाना चाहिये ? (**व्यवधान**) कृपया मेरी बात सुनिये (**व्यवधान**)। हम इसे कैसे और कहां उठायें ? सरकार प्रशासनिक ढांचे को पूर्णतः समाप्त करना चाहती है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय आप इसको इस द्वारा उठा रहे हैं। आपका इसमें है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसे सभा में कैसे उठाया जाये ? हम इस प्रश्न पर कैसे चर्चा करें (**व्यवधान**) कृपया देखिये। कुछ और पहलू भी हैं। सरकार ने एक निर्णय लिया है। एक यह है कि सरकार सिर्फ सूचना का भेद प्रकट कर रही है। यदि उन्होंने निर्णय लिया होता तो उन्हें यहां अपने और सभा को बताने का साहस होना चाहिए था। वे वैसा न कर सके (**व्यवधान**)। कुछ बातें हैं (**व्यवधान**)

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैंने सेना के उपकरणों के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिये हैं। **व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैंने इस बारे में सोमवार के लिए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अनुमति दी है। (**व्यवधान**)

———

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 की समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 2015/81]

मूल रसायन, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद बम्बई तथा सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोचीन के वर्ष 1979-80 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (खुर्शीद आलम खांन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) मूल रसायन, औषधि तथा प्रसाधन समाग्री निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) मूल रसायन, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 2016/81]

(2) (एक) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोचीन के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 1979-80 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2017/81]

सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी संमिति

कार्यवाही सारांश

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी (सीतापुर) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति
चौथा प्रतिवेदन

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभापटल पर रखती हूं।

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

विदेशी मुद्रा का घोटा

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"दिल्ली में चलाए जा रहे एक करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा के घोटाले, जिसका विस्तार हांगकांग और अमरीका तक है, के समाचार और इस मामले में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही"

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगाये गये सुराग और और प्राप्त आसूचना के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने, 23-2-1981 को एक कुख्यात छल साधक और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पहले नजरबन्द रखे गये श्री मानक चन्द जैन के पुत्र श्री सन्तोष कुमार जैन को पकड़ा और उनसे लगभग 47 हजार रुपये के बराबर की विदेशी मुद्रा पकड़ी गयी उसकी अनुवर्ती कार्य वाही के रुप में दिल्ली में बहुत से परिसरों की तलाशियां ली गई जिनमें लगभग 16000 रु० के बराबर की और विदेशी मुद्रा, 1.47 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा तथा कुछ अपराध आरोपणीय

दस्तावेज पकड़े गये। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक परिसर की तलाशी लेकर उसमें से कुछ निषिद्ध वस्तुएं भी पकड़ी जिसमें वेद्युत घड़ियां कैमरे आदि शामिल है। पांच व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिनके नाम हैं - श्री सन्तोष कुमार जैन, उनके भाई श्री सुरेश कुमार, उनके पिता श्री मानक चन्द जैन, श्री राम निवास शर्मा और श्री अशोक नारायण। श्री मानक चन्द जैन को चिकित्सा आधार पर जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन दूसरों को, 11-3-81 तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है।

बरामद दस्तावेजों में, इस समूह द्वारा किये गये लगभग। करोड़ रु0 की विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय के खाते शामिल है। इसके अतिरिक्त इन खातों से इस समूह द्वारा किये जा रहे निषिद्ध वस्तुओं के व्यापार का भी पता चलता है। इस समूह के दो सदस्यों ने हांग कांग के बैंकों में भी खाते खोल रखें हैं। पकड़े गये दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि रकमों को हांग कांग से संयुक्त राज्य अमरीका को अन्तरित किया गया है।

आगे जांच की जा रही है।

श्री राम सिंह यादव : मंत्री महोदय के उत्तर में वह ब्योरा नहीं है जो इस घोटाले के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। अनेक समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना से पता चलता है कि इस घोटाले से सम्बद्ध मुख्य व्यक्ति इस कार्य में पिछले तीन वर्षों से लगा था और आपात कालीन स्थिति के दौरान उसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन 19 महीनों तक नजरबन्द रखा गया (व्यवधान) यह आरोप लगाया गया है कि न केवल श्री मानक चन्द जैन, जिसका नाम मन्त्री महोदय ने बताया बल्कि उसके दो पुत्र तथा दो भारतीय मूल के कर्मचारी जो किसी विदेशी एयरलाईन्स में काम कर रहे थे, वे भी इस घोटाले से सम्बद्ध है और उनमें से एक फरार है महत्वपूर्ण बात यह है कि वे न केवल इस घोटाले में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय कर रहे हैं बल्कि विदेशी माल इलेक्ट्रानिक घड़ियों तथा अन्य आधुनिकतम कैमरों तथा अन्य आधुनिकतम कैमरों तथा अन्य महंगी वस्तुओं का व्यापार भी करते है। इतना ही नहीं, ये घोटाला करने वाले लोग बैंकों में नियमित रुप से लेखे रखते थे और हांगकांग के बैंकों की राशि यू0 एस0 ए0 के बैंकों को हस्तांतरित की गयी। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य में ऐसे घोटालों का निवारण करने के लिये तथा यह देखने के लिये कि भविष्य में इस प्रकार की समाज तथा राष्ट्र विरोधी घटनाये न हो, क्या कार्यवाही कर रहे है। तः मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस प्रकार की गति विधियों को कुचलने के लिये कार्यवाही करे और मैं इस बारे में उनका उत्तर चाहता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : माननीय सदस्य ने गति विधियों के बारे में विभिन्न पत्रों से जानकारी दी है। जो मेरे द्वारा दिये गये वक्तव्य से अधिक विस्तृत है। मैंन सभा में कहा था कि हम जांच कर रहे हैं और जब भी जांच पूरी होगी तो हम अधिक ब्योरा दे सकेंगे। हमें पता चला है कि इस घोटाले से अनेक व्यक्ति सम्बद्ध है और हमने उन सब को गिरफ्तार कर लिया है। केवल एक ही व्यक्ति श्री एम. सी जैन को स्वास्थ्य आधार पर जमानत पर छोड़ा गया है। अन्य सभी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि इस बारे क्या कार्यवाही की जायेगी। वास्तव में श्री मानक चन्द जैन विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द था। हमने नजरबन्द उसे बना लिया था। और वह लगभग दो वर्षों तक नजरबन्द रहा। उसके बाद वह रिहा किया गया। यदि जांच के लिये आवश्यक होगा तो हम अन्य लोगों के विरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय ; इसे स्वीकार नहीं किया गया

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो अपने उत्तर में बताया उसी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं होती रहती है और उनकी रिपोर्ट पेपरों में भी आती रहती है। अभी भी एक रिपोर्ट आयी 'उसकी तलाशी लेने से 4480 यू0 एस. डालर 190 पौंडज स्टेरलिंग 115 के निडियन डालर 35 बेल्जियन दिनार 1000 साउदी रियालज, 80 सिंगापुर डालर और 930 दिरहम बरामद हुये।'

मेरे कहने का मतलब, मान्यवर, यह है कि यह एक बहुत बड़ा गेंग है जो इतने देशों से सम्बन्ध स्थापित किये हुए है। इस तरह के प्रश्न यहां पहले भी आये है। मैं उनमें से एक उदाहरण दे रहा हूं —

'1976 से 1978 तक तीन वर्षों के दौरान एनफोर्समैंट डायरेक्टर ने सम्बन्धित पदों के कारण बताओ नोटिस जारी करके 16504 मामले दर्ज किये।

इसी अवधि के दौरान एनफोसमैंट डायरेक्टर ने 18286 मामलों में निर्णय दिये जिनमें वे मामले भी शामिल थे, जिनके बारे पहले वर्षों में कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे जिनके फलस्वरूप 37.15 लाख रूपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा 129.98 लाख रूपये की भारतीय मुद्रा जब्त की गयी और लगभग 745.85 लाख रूपये जुर्माने किये गये'।

इस तरह से मान्यवर आप देखते है कि इतना बड़ा रेकेट यह चलता रहता है और रोज ही सरकार के अधिकारी किसी को पकड़ लेते हैं और यह बात आ जाती है कि हमने एक रेकेट करने वाले गिरोह को पकड़ लिया पिछली बार बम्बई में एक गिरोह पकड़ गया था। इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यहां के कोई राजनयिक हिरासत में थे जिनके बारे में दैनिक पत्र में भी आया था और यहां जो प्रश्न आया था उससे भी स्पष्ट होता है ? क्या डी0 नारायण भी इसमें सम्मिलित थे जिनके बारे में उनके लड़के ने अदालत में भी कहा था कि उसके पिता विदेश सेवा में। क्या सरकार की जानकारी में यह है और है तो वे डिप्लोमेट कौन साहब हैं और उनसे अशोक नारायण का क्या सम्बन्ध है ? क्या इस आदमी के पास जो कि फारन एक्सचेन्ज के गिरोह में था और जो पकड़ा गया, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है ? क्या यह किसी इन्टरनेशनल एयर लाइन्स में अधिकारी है ? यह सब आपने साफ नहीं किया।

दूसरे में आप से यह जानना चाहता हूं कि जो डाकुमेंट्स पकड़े गये हैं, क्या उन डाकुमेंट्स में यहां की फर्मों के नाम है या नहीं जो कि इस तरह का फारन एक्सचेन्ज का, अवैध धन्धा

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

करती है ? क्या यह भी सही है कि ये डाकुमेंटस जो कि फेक बनाये गये थे वे इन्डिया में ही प्रिंट हुए थे और उनके द्वारा अमेरिका, हांगकांग और कई अन्य देशों से फारन एक्सचेन्ज का अवैध धन्धा चला करता था ? क्या ऐसी कोई जानकारी आपको मिली है, यदि मिली है तो वह क्या है ?

यह जो गैंग कार्य कर रहा है' जो कि रिजर्व बैंक को भी डार्क में रखे हुए है और जिसकी वजह से आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में साढ़े सात हजार करोड़ रूपये का घाटा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कदम लेने जा रहे है और अब तक क्या कदम लिये है ?

श्री आर. वेंकटरामन : दुर्भाग्यवश यह बात सच है कि इस घोटाले से अशोक नारायण नाम का एक और व्यक्ति भी सम्बद्ध था। हमारी जांच से पता चला है कि हमारे एक भूतपूर्व राजनयिक का पुत्र है। हम इस मामले की जांच कर रहे है। हम इस बात से बहुत दुखी हुये है, हम यह देखने के लिये यथा सम्भव प्रयत्न करेंगे कि इस सौदे की पूरी पूरी छानबीन हो और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के अन्तर्गत बड़ी से बड़ी सजा दी जाये। मैं इस सम्बन्ध में अधिक नही कहना चाहता हूं क्यों कि इससे जांच पर प्रभाव पड़ सकता है।

श्री राजेश कुमार सिंह : आपको कितने डाकुमेंट्स मिले हैं ? क्या उनमें फर्मों के नाम है या नहीं ? अगर है तो उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही कर रहे हैं ? यह एक करोड़ रुपये की रेकेटियरिंग का मामला है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं उसका जिक्र करुंगा। वह ब्रिटिश एयर वेज का कर्मचारी था।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : क्या आपने भूतपूर्व राजनयिक कहा ?

श्री आर० वेंकटरामन : वे सेवानिवृत हो चुके हैं। वे एक ऊंचे स्तर के राजनयिक नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने उसका स्पष्टीकरण कर दिया है।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, विदेशी मुद्रा हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आ दकरती है यह हम सब को मालूम है। इस तरह के रेकेट और ये घटनाएं जिनकी चर्चा आज हम यहां पर कर रहे हैं, कोई नई नहीं है। इस तरह की घटनाएं होती रहती है। जयपुर के ज्वैलर श्री विमल चन्द्र गोलचा के पास 10 लाख पकड़े गए थे, यह अखबारों में छपा था। इन्होंने इस तरह की विदेशी मुद्रा स्विस बैंक में जमा की गई थी इसी तरह से एक और खबर अखबार में छपी थी, पता नहीं उस और सरकार का ध्यान गया या नहीं, एयर इन्डिया बम्बई के रसोई घर में 12 लाख रूपए की विदेशी मुद्रा पाई गई थी। तो इस तरह के तीन उदाहरण तो आपके सामने हमने अभी दिए हैं और अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। इस तरह की घटनाएं यहां हो रही है जब कि विदेशी मुद्रा की स्थिति हमारे देश में संकट ग्रस्त है। विदेशी मुद्रा की भारी कमी है। अभी वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि 1300 करोड़ की विदेशी मुद्रा कम होने की आशंका है जो विदेशी मुद्रा निर्यातों से अर्जित की गई उसमें 6000 करोड़

रूपए में से उन पैट्रोलियम पदार्थों पर खर्च करनी पड़ती है जो हम बाहर से मंगाते है। इस तरह से तीन चौथाई राशि समाप्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में ये जो रेकेटियर है ये विदेशी मुद्रा का और अधिक संकट पैदा करना चाहते है और उनके बारे में सरकार बहुत लिबरल तरीके से कार्यवाही करती है। इसके लिए बहुत सख्त कार्यवाही की जरूरत है। आपने 19 महीने तक जेल में रखने के बाद जमानत पर छोड़ दिया। इसका क्या औचित्य है ? क्या उनका इलाज जेल में नहीं हो सकता था ? हम लोग जब जेल में सख्त बीमार होते हैं तो बाहर आना इतना आसान नहीं होता, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ यह व्यवहार होता है।

अध्यक्ष महोदय : उनको पकड़कर लाया जाता है, हम अपनी मर्जी से जाते है।

श्री रामावतार शास्त्री : ऐसे लोगों का आप शाही स्वागत कर रहे है। इस बात का क्या जस्टीफिकेशन है कि उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया है जबकि उनका इलाज जेल में कर सकते थे।

दूसरा सवाल मेरा यह है कि आपने यह जो बेयरर बांड के सम्बन्ध में कानून पेश किया है, पहले अध्यादेश निकाला और भी विधेयक पेश किया है जो अधिनियम बनने वाला है, तो कहीं ये रेकेटियर उसका गलत फायदा तो नहीं उठाएंगे। इस तरह के जो गिरोह है उन गिरोहों में काम करने वाले लोग, जिनके पास इस तरह की अर्जित की हुई विदेशी मुद्रा है उस मुद्रा को भी आप क्या बेयरार बांड में तबदील कर देगे ? अगर ऐसा होगा तो उनका पैसा जो गलत तरीके से कमाया हुआ है वह सफेद हो जाएगा और ये फिर उसे उद्योग धन्धों में लगाकर उससे काफी मुना कमफा लेंगे। तो इस तरह की आशंका मुझे है कि इस बेयरर बांड कानून से उनको मदद मिलेगी और उनका काला धन सफेद धन में बदल जाएगा। अन्डर इन्वायर्सिंग, ओवर इनवायर्सिंग के जरिए।

अध्यक्ष महोदय : पण्डित जी, यह सब तो अभी आगे आ जाएगा।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि बेकार बांडज की जो स्कीम निकाली गई है—

अध्यक्ष महोदय : वह आ रहा है और तब आप उस पर बोले।

श्री रामावतार शास्त्री : इसलिए में इस सवाल को उठा रहा हूं कि अगर इस तरह की बात का अंदेशा हो तो इसको आप रोके। अगर इस तरह के रेकेटीयर नहीं है तो इसके बारे में भी मैं सरकार के विचार जानना चाहूंगा।

रेकेट करने वाले लोगों के गिरोह बहुत हैं। जब से आपने शासन सम्भाला है ऐसे कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्यवाही की है आपने ट्रेड यूनियन वालों को पकड़ने के लिए तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना दिया है लेकिन क्या ऐसे लोगों को भी इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और अगर किया गया है तो उनकी तादाद कितनी है ? क्या इसका भी थोड़ा सा ब्यौरा आप हमें दे सकेंगे ?

श्री आर० वेंकटरामन : अध्यक्ष महोदय, मुझे विदेशी मुद्रा सम्बन्धी चिन्ता के लिये माननीय स्वास्थ्य का समर्थन प्राप्त करने की खुशी है। विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिये जो भी

कदम उठाऊगां उसके लिये मुझे श्री रामावतार शास्त्री से पूरा पूरा आश्वासन मिलेगा।

जहां सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का सम्बन्ध है इस बारे मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा 1980 वर्ष के दौरान हमने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत 5270 मामले दर्ज किये।

एक माननीय सदस्य : आपको इससे कितनी धन राशि प्राप्त हुई।

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक अपराधों से सम्बद्ध राशि का सम्बन्ध है, यह राशि 55, 27, 56, 980 रुपये की है। हमने 180 के दौरान 110 मामले अदालतों में दर्ज किये। मुझे सभा को यह सूचित करते हुये खुशी होती है कि हमने 81 मामलों में सजा दिलायी है और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत 59 व्यक्ति गिरफ्तार किये हैं अतः इन आंकड़ों के अनुसार शास्त्री जी कम से कम—

श्री रामावतार शास्त्री : कितने ?

श्री आर० वेंकटरामन : राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हुई गिरफ्तारियों के बारे मेरे पास कोई भी आंकड़े नहीं है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम तथा अन्य बातों से सम्बन्धित है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध इसके अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।

श्री आर० वेंकटरामन : अतः आरोप पुष्ठ नहीं होता। तीसरा प्रश्न जो श्री शास्त्री ने उटाया था यह है :— कि आप इन घोटाला करने वालों में से एक के प्रति इतने उदार तथा दयालु क्यों है और उसे जमानत पर क्यों छोड़ा गया ? यह हमारे हाथ में नहीं है। उसे सेशन जज ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर छोड़ा। (व्यवधान)। अ : बात यह है कि यह सरकार के विरुद्ध शिकायत वाली बात नहीं है।

श्री सुनील मैत्रा : (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) क्या सरकार ने जमानत का विरोध किया था ?

श्री आर० वेंकटरामन : इस समय मेरे पास कोई सूचना नहीं हैं। लेकिन मेरा विचार है कि हमने किसी की भी जमानत नहीं होने देते है। सरकार का हर मामले में ऐसा ही दृष्टि कोण है।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : कुछ मामले हो सकते है।

श्री आर० वेंकटरामन : आपके अतिरिक्त हम यह नहीं समझते कि यह हर मामले में जरूरी है और विशेषकर ऐसे मामलों में यह जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा चिकित्सा आधार पर किया गया है और हम इस मामले में सज कुछ नहीं बोल सकते हैं।

मुझे शास्त्री जी तथा श्री सुनील मैत्रा को सूचित करते हुये प्रसन्नता है कि जमानत का विरोध किया गया था। अतः स्थिति यह है कि मामले की जांच हो रही है, बहुत प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं और मुझे यकीन है कि सभा उस विभाग को जिसके इस बिशेष घोटाले को

उजागर करने में तत्परता से कार्यवाही की है। बधाई देने में मेरा साथ देगीयदि उन्हें संसद से आवश्यक शक्ति नहीं मिलेगी तो वे ऐसी परिस्थियों में दूभर तथा कठिन कार्य करने में समर्थ नहीं होंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : परिणाम क्या निकला। मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। इन्होंने किसी बात का पता लगाया है। यह समस्या का एक छोटा सा अंश है। छोटे मोटे लोग पकड़े गये है। उन्हें लोगों के बीच प्रदर्शित किया गया है और वे लोगों को यह तसल्ली देना चाहते है कि वे एक बड़ा काम कर रहें है। बात यह नहीं है।

आज के अनुकान के अनुसार शायद इस देश से प्रति वर्ष 2000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। इस वर्ष पहले मदन गोपाल कयैल समिति ने ऐसे ही काम करने वाले लोग बंगाल चेम्बर्स आफ कामर्स के एग्जेक्टिव आदि से साथ्य लिये थे और उन्होंने इसका अनुमान 240 करड़ रूपये लगाया।

मैं आपको आश्वसन दे सकता हूं कि भारतीय सहयोग से की गयी सभी विदेश परि-सम्पत्तियों खरीद निर्यात आयात व्यापार में बीजक बड़ी बड़ी हेराफेरियां हुई है खरीद और बिक्री के समय नकली आंकड़े भरे गये। हम अनुभव करते है कि प्रर्वतन निदेशालय को एक निट प्रभावी एकक के रुप में रखा गया है। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में मेरे भूतपूर्व सहयोगी श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी इस बारे में मेरी बात की पुष्टि करेंगे। कर्मचारियों ने शिकायत की कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में लोग नहीं मिलते। उन्हें विस्तार करने का अवसर नहीं मिलता। यह काम के लिये पूर्णतः आसमान है। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि यह बहुत निष्ठा-भावी है।

मैं सभा पटल पर रखे गये सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 16वे प्रतिवेदन में से उद्धरण दे रहा हूं। इसके 36 वे पृष्ठ पर कहा गया है :—

'जैसे कि विधि उपयोग ने सामाजिक तथा आर्थिक अपराधों की सुनवायी तथा सजा सम्बन्धी अपने 47 वे प्रतिवेदन में कहा :— इन अपराधों से सारे समाज का स्वास्थ्य तथा सम्पत्ति प्रभावित होती है, अतः इन्हें उस समय सख्ती से दबाया जाना चाहिये। जब कि जब देश सामाजिक तथा आर्थिक आयोजन की महान प्रक्रिया से गुजर रहा हो'। फिर इसमें कहा गया है···

'दुर्भाग्यवश पहले अध्यायों में उल्लेखित पटसन सम्बन्धी अपराधों के बारे में अनेक मामलों की छान बीन करने से समिति की यह धारणा बनी है कि नई शक्तियों से सम्पन्न विभागों ने न केवल हो गयी शक्तियों का उपयोग उचित और प्रभावशाली ढंग से नहीं किया बल्कि इसके विपरीत इस मामले में सांठ गांठ भी की है जिसके फलस्वरूप आर्थिक अपराधी विशेषकर पटसन व्यापार और उद्योग के अपराधी उनके लिये बनी कानूनी व्यवस्थाओं के होते हुये भी राज्य के आहते में व्यय करते आ रहे है। इस बारे में एक मामले अर्थात जे. के. उद्योग लिमिटेड के तथ्यों का जिक्र करना पर्याप्त होगा'।

भरत हरि सिंहानिया उनका मुखिया था जिसे 49, 03, 500/— रूपये की रात्रि का कम बीजक बनाने के लिये पकड़ा गया। यह कम राशि का एक बीजक था—एक मामला था

'प्रर्वतन निदेशालय के निदेशक सहित कुछ उच्चाधिकारियों तथा जे. के उद्योग से सम्बन्धित कुछ व्यक्तियों जो विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उल्लंघन के गम्भीर मामलों से सम्बद्ध थे, के बीच सांठ गांठ सम्बन्धी साक्ष्यों के बारे स्पष्ट सामग्री है। जून 1976 में प्रर्वतन निदेशक श्री एस. एस. जैन ने इस मामले की फिर से जांच और मामले की पुनः पूरी समीक्षा करने को कहा और उसके बाद नई घटनाये छटी श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी भी अवधि से अधिक विदेश में रहे उन्हें गिरफ्तार किया गया और इस बारे में सिफारिश की गई ।

मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस पर क्या कार्यवाही की गयी । मामले को फिर खोला जाये और भरत हरि सिंहानिया, रामेश्वर अग्रवाल एन. पी. पूरिया, आर. एल. रस्तोगी जे. के. उद्योग तथा गैंजिज मेनुफैक्चरिंग कम्पनी के विरुद्ध बिना देरी किये कार्यवाही की जाये ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा केन्द्रीय सर्तकता आयोग को सर्व श्री एस. एस. जैन तत्कालीन निदेशक (प्रर्वतन) टी. एन. कौल और ए. एन. बनर्जी के विरुद्ध भारतीय दन्ड सहित की धारा 218 के अधीन दन्डनीय अपराध करने का अपराधिक षड़यंत्र करने के कारण मुकदमा लाने के लिये कहा जाये ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को श्री एस. एस. जैन के विरुद्ध भरत हरि सिंहानिया को कानूनी दन्ड से बचाने के लिये भारतीय दन्ड सहित की धारा 218 के अन्त र्गत मुकदमा चलाने के लिये कहा जाये । उसका यह निष्कर्ष स्पष्टतः विधि के विरुद्ध है कि भारत हरि सिंहानिया 11.2 1971 से निदेशक नहीं रहे और विदेशी मुद्रा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिये उत्तरदायी नहीं है ।

हमने इसके बारे में स्पष्ट उल्लेख किये हैं यदि आप परिशिष्ट पृष्ठ 40 को देखेंगे तो आपको पता एलेगा कि ये लोग वस्तुतः देश वासियों को कैसे लूट रहे हैं । आप परिशिष्ट 1. का पृष्ठ 40 देखे जिसमें पटसन व्यापार में 1.10.67 से 30.9.77 के दौरान लोगों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामलों की स्थिति स्पष्ट की गयी है और ब्योरे दिये गये हैं । क्रम संख्या :— मैसर्स न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स, यह शांति प्रसाद जैन और साहू जैन ग्रुप हैं ।

अब आप बड़े मगर मच्छों की बात लीजिये । क्रम संख्या 4---मैसर्स वर्ड एन्ड कं लिमिटेड उस समय इसके अध्यक्ष देश के सबसे बड़े आर्थिक अपराधी श्री प्राण प्रसाद थे । वह कितनी बार पकड़ा गया है परन्तु उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? वह कैसे खुला घूमता फिरता है?

क्रम संख्या-5 मैसर्स पोर्ट ग्लोस्टर इन्डस्ट्रीज कलकत्ता बांगुर ग्रुप जो विश्व भर में पटसन को सबसे अमीर व्यापारी है और देश का सब से अमीर व्यक्ति है । उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

क्रम संख्या-6 मैसर्स जनरल इन्डस्ट्रीयल सोसाईटी लिमिटेड, श्री जी. डी. कोठारी, बिरलाओं का भानजा भतीजा । उसे हाथ नहीं लगाया जा सकता आप 60,000 रुपये या एक लाख रूपये के लिये व्यर्थ ही समय बर्बाद कर रहे हैं ।

क्रम संख्या 8- मैसर्स गिरधारी लाल माहेश्वरी ।

क्रम संख्या 9- पोर्ट क्लिनियम कम्पनी लिमिटेड बांगुर ग्रुप ।

क्रम संख्या 10- सिंहानिया एन्टरप्राइजिज कलकत्ता ।

क्रम संख्या 11- मैसर्स बिरला जूट मेनुफैक्चारिंग कम्पनी लिमिटेड ।

क्रम संख्या 12 - मैसर्स विक्टोरियाँ जुट कम्पनी लिमिटेड सर जोन डी. के. ब्राउन को ऐसोसिऐटिड चेम्बरी आफ कामर्स बंगाल चेम्बर्स आफ कामर्स का सभापति दो बार नियुक्त किया गया । वह भी केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड की सलाहकार समिति तथा स्टेट बैंक आफ इन्डिया एवं स्थानीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया की सलाहकार समिति के सदस्य थे । एक आर्थिक अपराधी को अपने अपराधों के बारे में निर्णय देने के लिये बिठाया जाता है । यह एक वर्ग चरित्र है ।

क्रम संख्या 13- मैसर्स इन्डिया जूट कम्पनी ।

क्रम संख्या 14- मैसर्स डेलता जूट मिलज कम्पनी लिमिटेड पोद्दार एन्ड कनोड़िया ग्रुप

क्रम संख्या 15 मैसर्स चेवियट मिलज कम्पनी लिमिटेड । यह भी पोद्दार और कनोरिया ग्रुप की कम्पनी है ।

क्रम संख्या 19- मैसर्स डलहौजी जूट कम्पनी लिमिटेड । इसमें भी श्री प्राण प्रसाद है ।

क्रम संख्या 20- मैसर्स एलेग्जेडर जूट मिल्ज लिमिटेड श्री सी. सेकले ।

क्रम संख्या 21- मैसर्स नार्थ ब्रुक जूट मिल्ज । इसमें भी श्री प्राण प्रसाद है । में एक सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं । इस व्यक्ति जिसने देश को लूटा है पकड़ने सजा देने और जेल में डालने के लिये क्या किया गया है ? जब सारा रस चूसा जा चुका बत हमने वर्ड एंड कम्पनी का राष्ट्रीय करण किय है । वह कंकाल लेकर खुश है ।

क्रम संख्या 26- मैसर्स बज बज जूट मिल्ज । यह भी शांति प्रसाद जैन ग्रुप की कम्पनी है

क्रम संख्या 28- मैसर्स के डोनियन जूट मिल्ज कम्पनी ।

क्रम संख्या 30- मैसर्स हेस्टिंगज मिल्ज लि० ।

क्रम संख्या 32- मैसर्स लुइस ड्रेफस एन्ड कम्पनी लिमिटेड श्री जोन लुइस विश्व का एक अन्तर्राष्ट्रीय घोटाले बाज व्यक्ति है । उसे कितनी बार पकड़ा गया उसे आप कभी भी जेल में नहीं डाल सकते ।

क्रम संख्या 34- मैसर्स टीटाधर जूट फैक्टरी कम्पनी लिमिटेड । इसमें भी सर जान डी. के. ब्राउन है ।

क्रम संख्या 38- मैसर्स जुगी लाल कमलापत उद्योग लिमिटेड । आप राशि देखिये जो 49, 38, 500 रूपए है । श्री वेंकटरामन आप लोगों को एक दिन बेवकूफ बना सकते हैं आप लोनों को दो दिन बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन आप उन्हें प्रति दिन बेवकूफ नहीं बना सकते । में पूछना चाहूंगा कि मशहूर बर्ड मामले का क्या बना जिसमें श्री प्राण प्रसाद द्वारा बैथल ग्रुप को 175 करोड़ रूपये की राशि पटसन के कम मूल्य के लिये ऐसे एक अधिकारी ने बीजक बनाया था जिसके कारण सीमा शुल्क कलेक्टर का तबादला किया गया। उसे नौकरी से निकाला

गया तथा अपमानित किया गया ? अर्ल माउन्ट बैटन इस देश में आये और मामला निपटा दिया गया और समाप्त कर दिया गया। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सचिन चौधरी वकील थे। उन्हें छुआ नही जा सकता।

बहुराष्ट्रियों के मामले में यदि हम अतारांकित प्रश्न संख्या 6277 को देखे तो पता चलेगा कि ग्रामो फोन कम्पनी लिमिटेड ब्रुक बॉड इन्डिया लिमिटेड और इन्डिया टोबेको कम्पनी जिनकी राजधानी तथा देश के सर्वोत्तम होटलों में बहुत शक्ति शाली लॉबी है और वे अपने काले धन अपने वित्तरकों बड़े बड़े धन देने वालों क पास रखते है। मैं पूछना चाहता हूं कि बहुराष्ट्रियों को बड़े पैमाने पर क्यों नहीं पकड़ा गया।

विदेशी एयरलाईन्ज सबीना का क्या बना ? कुछ दिन हुए उसका प्रबन्धक पकडा गया। आपने उसके साथ क्या किया ? जमानत मंजूर की। यदि आप श्री राम-अवतार शास्त्री पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करते हैं तो उनके सम्बन्धियों को पता तक भी नहीं चलेगा कि उन्हें कहां नजरबंद रखा गया है। मुझे बताया गया है कि आप भगवान् से डरने वाले पवित्र आदमी हैं। परन्तु क्या आप समझते हैं कि आप अपनी अन्तरात्मा के अनुसार चल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसका विश्वास नहीं कर सकते ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे अभी तक भगवान् का पता नहीं मिला है। मैं उनसे लुंगा।

हैंडर्सन मामले के बारे में कितनी बार उनके जहाजों का माल खोला गया और सोने की प्लेटें बरामद की गयीं। ईस्ट्रन विंग, ईस्ट्रन सडर चार अथवा पांच, वे सब पनप रहे हैं। मैं चार अथवा पांच अथवा छः जेलों में गया हूं। परन्तु मैंने अभी तक जेल में किसी अमीर आदमी को नहीं देखा है।

नेशनल ग्रिंडलेज बैंक, जहां वे सभी मापदंडों का उल्लंघन करके तथा आयकर का अपवचन करके गैरकानूनी तरीके से विदेशी मुद्रा जमा करते आ रहे हैं, के निदेशक बोर्ड के सभी सदस्य लंदन से आये और दिल्ली में नक्की करके सारा मामला समाप्त कर दिया गया।

हम जानते हैं कि पिछले चुनावों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये की कीमत कैसे अचानक बढ़ी। श्री वेंकटरमन, आप यहां नहीं थे। मैं आपके विभाग की बात कर रहा हूं। क्या वे अपना कर्त्तव्य निभा रहे हैं ? क्या उन्होंने कभी भी जांच की कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये की कीमत कैसे बढ़ी और वे देश कौन से है जो हमारे प्रजातंत्र को उलटने तथा देश के चुनावों को प्रभावित करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे ? हम इन देशों को जानते हैं; हम आपको उनके ब्यौरा दे सकते हैं। मैंने अभी हाल में अनुसंधान तथा विश्लेषण विंग (रा) तथा प्रधानमंत्री को कुछ ऐसी गम्भीर बातों के बारे में ब्यौरा दिया हे परन्तु अभी तक मुझे कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। क्या आप जानते हैं कि इस पक्ष के हम बहुत से सदस्य जेल में थे तो एक परिपत्र जारी किया गया था।

श्री आर० वेंकटरामन : हम में से भी बहुत से सदस्य जेल में थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके बंगले की खिड़की सुरक्षित होगी।

श्री वेंकटरमन अब चार वर्ष बीत चुके है। क्या आप सभा को विश्वास में लेते हुये उस परिपत्र की प्रति को सभा पटल पर रख सकते हैं—मुझे इसे सभा पटल पर रखने के लिये मजबूर न करें- जिसे प्रधानमंत्री के इस आदेश से भेजा गया था कि बड़े-बड़े व्यापार गृहों को विशेषकर वे जो निर्यात व्यापार करते हैं, यदि वे मूल्य से कम या अधिक का बीजक भी बनाते हैं और विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन भी करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाये और उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही न की जाये ? मेरे पास इस परिपत्र की यह प्रति है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि काट कीजिये, सभा को विश्वास में लेते हुए इसे सभा पटल पर रखें। यदि वह ऐसा नहीं करते तो मुझे इसे सभा पटल पर रखना पड़ेगा।

श्री आर०वेंकटरामन : सामान्य बजट पर बहुत होने वाली चर्चा का आभास हमें पहले ही मिल गया है। मेरे मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु ने उस विषय के बारे में एक भी बात नहीं कही जो हमारे सामने है

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक लाख के कारबार को नहीं छूता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह तो समूचे पर्वत का एक छोटा कंकड़ मात्र है। ये इस मामले में बहुत गहराई से गये हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : इन्होंने केवल एक बात कही है आप कुछ लोगों को हमेशा बेवकूफ बना सकते हैं, सब लोगों को कुछ समय के लिये बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन सब लोगों को हमेशा बेवकुफ नहीं बना सकते। यदि मेरा बस चले तो मैं बजाय कुछ और करने के, ज्योतिर्मय बसु को हमेशा के लिये बेवकूफ बनाना चाहता हूं।

इन्होंने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट से शादशः उद्धृण दिये हैं। मैंने भी इसे देखा है। माननीय सदस्य इस बात का पूरा ब्यौरा चाहते है कि इस विशेष प्रतिवेदन पर एक कार्यवाही की गयी है। वह प्रश्न पूछ सकते हैं···

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने यहां प्रश्न पूछा है। मैं अब भी पूछ रहा हूं। आपने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्षों तथा सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं भी यह कह सकता हूं कि इस बारे में मुझे नोटिस चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने कल रात तथा आज सुबह आपको नोटिस दिया है···

श्री आर ० वेंकटरामन : एक मंत्री सर्वज्ञ नहीं होता यद्यपि वह ऐसा प्रदर्शित करता है···

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने सोचा था कि आप सूर्य निकलने से पहले उठेंगे परन्तु आज मुझे गलती हुई है।

डा० सुब्रह्मण्यम : आपको प्रतिवेदन का पता लगाने के लिये नोटिस चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री एस० बी० जैन की पदोन्नति हो गई है।

श्री आर० वेंकटरामन : इस बारे में स्थिति यह है कि जब ये प्रतिवेदन आते हैं तो इनकी छानबीन करके कार्यवाही की जाती है। यदि इसके बारे में कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं उन विशेष प्रश्नों के बारे में उत्तर तैयार करूंगा और बताऊंगा कि क्या कार्यवाही की गई है···

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने तीन प्रश्न पूछे है।

अध्यक्ष महोदय : आप विशेष रूप से उनसे पूछ सकते हैं, आप उनको लिख सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अतः प्रश्न···

श्री आर० वेंकटरामन : अभी नहीं। आप इनके बारे में नोटिस दीजिये। आप या तो प्रश्न पूछिये या प्रश्नों की सूची दीजिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री वेंकटरामन आप इन्हें किसी कागज पर लिख लीजिए। साईक्लोस्टाईलिंग के लिये 5 रूपये लगेंगे और वितरित करने के लिये 20 रूपये और लगेंगे : मैं यह सखर्च कैसे कर सकता हूं ?··· (**व्यवधान**)

श्री वेकटरामन, मैं आप से एक बात समझने का अनुरोध करता हूं।

ये वही लोग हैं जिनके विरूद्ध समिति ने पूरी जानकारी की छानबीन करने के बाद तथा गहराई के साथ करने के बाद अभियोग चलाने की सिफारिश की है और उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही 1,2,3 की जाने की सिफारिश की गई है। हम यही चाहते हैं कि आप सभा में आयें, यदि अभी तैयार नहीं तो अगले सप्ताह···

अध्यक्ष महोदय : ये भी नहीं कहते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अगले सप्ताह आप सभा में आयें···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आश्वासन।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप आश्वासन दीजिए कि आपने क्या कार्यवाही की है क्योंकि मुझे पता चला है कि श्री एस० पी० को छूआ नहीं गया है और मुझे बताया गया है कि उन्हें तरक्की दे दी गई है अथवा सामान्य तरक्की दी जाने वाली है और उनका जीवन आनन्दमय है और पहले की तरह रिश्वत भी ले रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : अभी मुझे एक रिपोर्ट दी गयी है। यह सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट की प्रति है। इससे इनके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जायेंगे। अ इसके बावजूद भी यदि यह कुछ और स्पष्टीकरण चाहते हैं···

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं संतुष्ट नहीं हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह की गयी कार्यवाही रिपोर्ट पर की गयी कार्यवाही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : की गयी कार्यवाही पर प्रश्न (**व्यवधान**)। यदि मैं उससे संतुष्ट होता तो मैं आपको इन प्रश्नो के बारे में कष्ट नहीं देता। श्री वेंकटरामन, मैं आपसे नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि अब इस पर व्यक्तिगत रूप से स्वयं विचार करें अपने आपको संतुष्ट करें···

अध्यक्ष महोदय : हाँ, हाँ। श्री फैलीरो।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोआ) वित्त मंत्री महोदय ने अभी जो आंकड़े दिये हैं और

इस घटना तथा जयपुर जैसी अन्य घटनाओं के बारे में जो कुछ हमने अखबारों में पढ़ा है उनसे सिद्ध होता है कि 'कॉफीपोसा' के अधीन की गयी गिरफ्तारियों में वृद्धि हुई है और यह बहुत ही सराहनीय कार्य है।

अभी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों अथवा बड़े-बड़े लोगों तथा व्यापारियों के बारे में जो कुछ कहा गया है उसमें अधिक तथ्य नहीं हो सकता। परन्तु फिर भी क्या मैं कह सकता हूं कि इस देश में ऐसी धारणा बनी है जो अनेक वर्षों से बनी हुई है कि यद्यपि कानून अच्छा है, फिर भी इसका कार्यान्वयन दोषपूर्ण है, और इसमें अब सुधार हो रहा है। हम रिपोर्टों के आधार पर कह सकते हैं। परन्तु फिर भी यह धारणा बनी हुई है कि कार्यान्वयन दोषपूर्ण है क्योंकि राजस्व असूचना अथवा अन्य सम्बन्धित अधिकारी इस कानून का कार्यान्वयन प्रभावशाली ढंग से नहीं कर रहे हैं।

अब श्री शास्त्री ने कहा हैं और साइक्लोस्टाइलड उत्तर में कहा गया है कि इस मामले से सम्बन्ध मुख्य व्यक्ति को चिकित्सा के आधार पर जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जिस किसी भी व्यक्ति का हमारे विधी न्यायालयों से थोड़ा सा भी सम्बन्ध है, वह भी जानता हैं कि साधारणतः लोगों को रिहा कराने का कोई न कोई बहाना बनाया जाता हैं' जमानत मंजूर करने का विरोध करना एक बात है और दृढता और मन से इसका विरोध करना दूसरी बात है। प्रायः लोग जमानत पर छोड़े जाते हैं। मुझे तो विश्वास हैं और यदि मन्त्री और सरकार मुझे बतायें कि क्या यह विफरी का सही कारण था, तो में इस बात को बिना झिझक स्वीकार कर लूंगा मैं इस सभा को बत ऊंगा कि साधारणतः लोगों को बल्कि मुखियाओं को चिकित्सा के आधार पर जमानत पर रिहा किया जाता है। इस तरह वे बाहर आ जाते हैं, साक्षियों में हेर फेर करते हैं। और वे साक्षियों को सताते हैं जिसका परिणाम यह होता हैं कि अभियोग पक्ष कमजोर पड़ जाता है अथवा अभियोग अदालत में गिर जाता है यह एक महत्वपूर्ण पहलू है मुकद्मे तो चलाये जाते हैं और हम दिए जाते हैं। उनके गिरने का कारण उदाहरण के लिए यह भी होता है कि आप इतनी कम फीस अपने बकीलों को देते है कि जिससे आपको ऐसे वकील मिलते में जो दूसरे पक्षों के विधि विद्वानों के विरुद्ध मजबूती से मामले का बचाव नहीं कर सकते। अतः वित्त मन्त्री से यह अनुरोध है कि कॉफीफेसा के कार्यन्वयन कमीशनरी को हर पहलू से मजबूत बनाया जाए ताकि पहले तो प्रमुख अपराधियों बड़े, लोगों के विरूद्ध जांच की जाय और उनके विरुद्ध मुकदमे चलाए जांय जिन्हें सब देशवासी जानते हैं कि विदेशी मुद्रा विनिमियत का उल्लंघन करते हैं—लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कुछ नहीं किया जाता। जब आप जांच शुरू करसे हैं तो आपको यह भी देखना चाहिये कि यह सफलतापूर्वक पूरी हो और उस व्यक्ति को अच्छी तरह से सजा दिलाई जाय।

दूसरा प्रश्न जो उठाया गया हैं इसे मैं पूरा उठाना चाहता हूं वह यह है। **(व्यवधान)** किसी न किसी स्तर पर इसे कार्यान्वित करने की इच्छा नहीं हैं। मैं यह स्पष्ट रूप से कह रहा हूं यह जरूरी नहीं कि यह इच्छा राजनैतिक स्तर पर ही हो।

डा० सुब्रहमण्यम् स्वामी : तो फिर किस स्तर पर हैं ?

श्री एडूआर्डो फैलीरो : मैं इसे सब पहलुओं के साथ आपके सामने रख रहा हूं । जिस दूसरे पहलू का मैं जोरदार समर्थन करता हूं वह यह है कि इस देश में ऐसे बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जो विदेशी पार्टियों के साथ ठेके करते हैं । कम राशि के बीजक बनाए जाते हैं भारतीय पक्षों द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्य को ठेके में नहीं दिखाया जाता । विदेशी मुद्रा के रूप में दी गयी राशि के एक भाग को ठेके में नहीं दिखाया जाता । यह राशि साधारणत: स्विस बैंक नम्बर वाले खातों में जाती है । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस बात का पता लगाने का कोई उपाय है कि स्विस बैंक में किन-किन लोगों के नम्बर वाले खाते हैं और किन-किन भारतीयों के इस प्रकार के खाते है और क्या इस प्रकार की सूचना प्राप्त की जा सकती में ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह उन्हें मालूम है -

श्री एडूआर्डो फैलीरो : विदेशी मुद्रा के समुचे प्रश्न का एक दूसरा पहलु है । कुछ छोटे लोग हैं, पंजाब के लोग, केरल के लोग, गोआ तथा अन्य स्थानों के लोग जो विदेशों में जाते हैं और वे इस देश को अपना पैसा भेजना चाहते हैं, परन्तु इसके लिए दिया गया प्रोत्साहन पर्याप्त नही होता । मैं सरकार से पहले तो यय जानना चाहता हूं कि क्या वह कुछ और प्रोत्साहन दे रही है ताकि विदेश स्थित हमारे प्रवाली अपने पैसे को इधर भेजने के लिए प्रोत्साहित हो और उसे यहां जमा कर सकें ।

अभी हाल में लुधियाना जिले में एक सर्वेक्षण हुआ था जहाँ से बहुत से लोग प्रवासी के रूप में विदेश जाते हैं। इस सर्वेक्षण से पता चला है कि भेजे गए रूपयों का अधिकांश कम से कम 75 प्रतिशत से अधिक भाग इसी देश में भोजन और कपड़े पर खर्च होता है, 25 प्रतिशत से अधिक भाग घरेलू वस्तुओं के लिए खर्च होता है और दूसरी प्राथमिकता की मदें शादी जैसे समारोह होते है । यह 9.6 प्रतिशत बनता है ।

यह एक संगत प्रश्न है । मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं । भेजी गयी राशि का केवल एक छोटे से भाग, भेजी गयी राशि को केवल 6.1 प्रतिशत भाग का उपयोग कृषि उपकरण, औजार, बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाईयां खरीदने उत्पादनकारी कार्यों के लिए व्यय किया जाता है । क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि इस बात का ध्यान रखने के लिए वह क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है कि भेजी गयी राशि का उपयोग खपत को उन्मुखी व्यय के बजाय उत्पादनकारी मदों के लिए किए जाएं ताकि पूंजीनिवेश द्वारा पूंजी में तथा देश की सम्पत्ति में वृद्धि हो सके ।

श्री आर॰वेंकटरमन : माननीय सदस्य ने कहा है कि विभिन्न कानूनों को कार्यान्वित करने की इच्छा नहीं हैं । मुझें इस बात का खेद हैं कि उन्होंने इस प्रकार का अतिशयोक्तिपूर्ण वक्तव्य दिया है ।

किसी भी कानून के कार्यान्वित करने की इच्छा सत्तारूढ़ दल से पैदा होती है । यदि सरकार चाहे अथवा यदि पार्टी कानून को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करना चाहती है तो नौकरशाही हमेशा उसे कार्यान्वित करती है हमारे देश में यह अच्छी परम्परा है कि जो भी दल

सत्तारूढ़ नौकरशाही हो उसकी सेवा करती है।

प्रो. एन जी रंगा (गूंटूर): इस प्रकार की खुलमखुली प्रशंसा क्यों की जा रही है ? यह पार्टी वह नहीं है जो जिम्मेवार हो। यह जनता पार्टी है। हम इतने जिम्मेवार नहीं हैं।

श्री० आर० वेंकटरामन : आपने मेरी बात पूरी तरह से नहीं सुनी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इस बात को प्रो. रंगा को बतायें।

श्री० आर० वेंकटरामन : इसके लिए मैं जिम्मेवारी लूंगा। मैंने ऐसा भी कहा था। मैं कानूनों के कार्यान्वित के लिए पूरी जिम्मेवारी लूंगा और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अपराधों के प्रति कठोर रूख अपनाया जाये। मैं कह सकता हूं कि इस बारे में हमारा कार्य बुरा नहीं है। आप देखेंगे कि इस बार 1980 में हमने एक वर्ष के न्यायालयों में 110 शिकायतें दायर की जिनमें से 81 मामलों में दोष सिद्ध हुआ जो दण्ड का एक बहुत बड़ा रिकार्ड है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अतः मैं कहूंगा कि इच्छा का अभाव हम री ओर से नहीं है जो प्रयत्न की शिथिलता के लिए जिस्मेवार नहीं हैं। इसके विपरीत, मैं कहूंगा कि कर यह दुर्भाग्यवश है—और कर अपवंचक के बीच इतनी होड़ है कि हर एक दूसरे को किसी न किसी कमी का लाभ उठाकर या प्रकार का कोई कार्य करके मात देने के लिए प्रयत्नशील रहता है।

मैं माननीय सदस्य तथा सभा को आश्वासन देता हूं कि सरकार इस कानून को कार्यान्वित करने के लिए पूरी जिम्मेवारी लेगी। दूसरी बात वे यह जानना चाहते थे कि क्या ऐसे लोगों की संख्या का पता लग सकता है जिनके स्विटजरलैंड में 2 नम्बर के खाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पता लग सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। स्विटजरलैंड के कानूनों के अन्तर्गत आपको वह सूचना नहीं मिल सकती। सूचना सुरक्षित होती है और वह नहीं दी जाती। माननीय सदस्य जानते हैं कि भूतपूर्व सरकार ने कुछ सूचना मांगी थी, जो कि नहीं दी गयी।

तीसरा प्रश्न स्वदेशों से रुपये भेजने सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में है। अभी हाल में हमने विदेश स्थित भारतीयों द्वारा रुपये भेजने सम्बन्धी विनियमों में ढील दी है और एक सबसे बड़ा प्रोत्साहन हमने यह दिया है कि वे प्रौद्योगिकी के परिकृत किये बिना ही भारतीय उद्यमों में 40 प्रतिशत तक इक्विटी शेयर के रूप में पूंजी निवेश कर सकते हैं। हमने यह भी कहा है कि वे यहां डालर तथा विदेशी मुद्रा में लेके रख सकते हैं और इसे वापिस ले सकते हैं। हमने यहां रखी गई उनकी राशि की ब्याज में भी प्रोत्साहन दिया है। इन सब उपायों से काफी लाभ रहा है और आप 1980 में भेजी गई राशि को देखें तो पता चलेगा कि इससे भुगतान संतुलन की कठिन स्थिति से बचने में सहायता मिली है। 1980-81 के दौरान पिछले वर्ष की 2000 करोड़ रुपये की तुलना में विदेशों से आये धन में दुगुनी वृद्धि हुई है। अतः हर प्रकार के प्रत्यत्न किये जा रहे हैं और मुझे यह कहने की खुशी है कि इसके अच्छे परिणाम निकले हैं।

———

सभा का कार्य

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : श्रीमान आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार 9 मार्च 198! से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा ।

(1) 1981-82 के लिये सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा ।

(2) 1981-82 के लिये लेखानुदान की मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत करना ।

(3) आज की कार्यसूची से आगे ले जायी जाने वाली किसी भी मद पर विचार ।

(4) 1980-81 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान ।

(5) 1977-78 और 1978-79 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान ।

(6) 1981-82 के लिए अनुदान की मांगों (रेल) पर चर्चा तथा मतदान ।

(7) 1980-81 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा तथा मतदान ।

(8) 1977-78 और 1978-79 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (रेल) पर चर्चा तथा मतदान ।

(9) रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के बारे में संकल्प पर चर्चा ।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : मुझे दो बातों का पता है लेकिन मैं केवल एक ही का जिक्र करूंगा । मैं चाहता हूं कि कृषि मंत्री अगले सप्ताह के दौरान सितम्बर-अक्तूबर 1980 में वर्षों की कमी से महाराष्ट्र के 18 जिलों में खराब हुई खरीफ फसल के बारे में वक्तव्य दें । इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में नमी के कारण रबी की फसल भी खराब हुई है । खरीफ खाद्यान्नों, कपास, मूंगफली की फसलों का करोड़ों रुपए की क्षति हुई है । पेशावरी अनुमान के अनुसार लगभग 11,800 गांव प्रभावित हुये हैं ।

पीने के पानी की कमी अभी भी अनुभव की जा रही है । अभी तो गर्मी का मौसम भी आना है ।

राज्य सरकार ने 28.62 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग की है : 20 करोड़ रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत रोजगार राहत के लिये और 8.62 करोड़ पेय जल सप्लायी के लिये । इसके अतिरिक्त 33.80 लाख रुपये की मांग 31-3-1981 तक पशुओं के लिए चारा खरीदने हेतु मांगी गयी है ।

फरवरी 1981 के दूसरे सप्ताह में केन्द्रीय दल महाराष्ट्र के दौरे पर गया था । मेरी सूचना के अनुसार उक्त दल दौरे से संतुष्ट है । अतः मैं सरकार से अगले सप्ताह में मांगी गयी केन्द्रीय सहायता पर स्पष्ट वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई-उत्तर मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो आइटम्ज के बारे में बोलना चाहती हूं। पहला विषय तो यह है कि केन्द्रीय सरकार ने वनस्पति के बारे में प्रीवेन्शन आफ एडल्ट्रेशन एक्ट' का संशोधन करके वनस्पति मैन्युफैक्चर्स को 'विटामिन ए' उसमें बढ़ाने के लिए मजबूर किया था। लेकिन पिछले नवम्बर में उनको इससे एक्जैम्पट करने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है। इसके विरोध में सारे देश की कन्ज्यूमर-आर्गेनिजेशन्ज प्रोटेस्ट कर रही हैं। हमारे देश में सालाना चालीस हजार बच्चे विटामिन ए और मैलन्यूट्रीशन की वजह से अन्धे होते हैं या उनको नाइट-ब्लाइण्डनस हो जाती है। होना तो यह चाहिए था कि सरकार जो भी खाना मिलता है उसको ज्यादा से ज्यादा फोर्टिफाई करे, वैसे साल्ट में आयोडीन मिलाया जा सकता है, जैसा दूसरे देशों में होता है। लेकिन हमारी सरकार वाइटेमिन-न्यूट्रेटिव फूड बनाने के बदले जो मिलता है उसमें से ही वाइटेमिन निकालने की कोशिश कर रही है। मेरी प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में मैंने जो काल-एटेन्शन दिया है, उस पर अगले सप्ताह में बहस होनी चाहिए।

हमारी यह भी डिमाण्ड है कि ता० 12 को वनस्पति मैन्यूफैक्चर्स के साथ आपका जो डिस्कशन होने जा रहा है उसमें कन्ज्यूमर-रिप्रेजेन्टेटिव्ज को भी बुलाकर, उनको साथ लेकर प्राइस और दूसरी बातों के बारे में डिस्कशन करें।

मेरा दूसरा आइटम यह है कि दिल्ली में कोयले की कीमत चार बार बढ़ाई गई है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से 1972 में हाईकोर्ट में स्टेटमेंट दिया गया था कि रिटेलर्स और भारत-कोकिंग-कोल के बीच में इन्टरमीडियरीज की जरूरत नहीं है। लेकिन 1978 में उन लोगों ने एक एशोसिएशन बनाई और वहीं से उनको कमीशन देने की शुरुआत हुई। पहले 2 रुपये प्रति-मीट्रिक टन दिए जाते रहे, उसके बाद 4 फरवरी से 2 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दिए गये और उसके बाद फिर 17 रुपये से बढ़ाकर साढ़े-उन्नीस रुपये कर दिये गये हैं। उनकी पहले जो मरी हुई ऑर्गेनिजेशन थी, फिर से कोल-डीलर्स सिण्डिकेट' बनाकर उसमें कमीशन देने की कोशिश की है। इस तरह से कन्ज्युमर्स को लूटने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहती हूं कि इसके बारे इन्वेस्टीगेशन की जाय तथा इस पर पूरी तरह से डिक्शन होना चाहिए और जो सच्ची बात है उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहिए।

मेरे यही दो आइटम हैं, जिनके कन्ज्युमर्स को बहुत तकलीफ हो रही है, मैं चाहती हूं कि इन पर डिस्कशन होना चाहिए।

इति

तत्पश्चात लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म. प.
तक के लिए स्थगित हुई

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजकर पांच मिनट म. प. पर पुनः समवेत हुई
(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

ओ० के० ए० राजन (त्रिचूर): मैं संसदीय कार्य मन्त्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता

हूं कि पिछले तीन अथवा चार सप्ताहों से इस सभा में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की हड़ताल जो लगभग पिछले 100 दिनों से चल रही है, के बारे में वक्तव्य देने की मांग करते आ रहे हैं। आप इसके महत्व को जानते हैं। मैं इस महत्वपूर्ण हड़ताल जिससे देश की अर्थव्यवस्था को खतरा है पर बारे सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये को समझ नहीं सका। मैं यही बात कहना चाहत हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अगले सप्ताह के लिए दो विषयों की सूचना आपके पास लिखकर भेजी है ओर मैं उसको ही पढ़े देता हू।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी बातें पढ़ने जा रहे हैं -

ओ० रामावतार शास्त्री : जी हां। आप हमेशा ऐसा ही कहते हैं। इस लिए मैंने लिख दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : दो या तीन मिनट।

श्री रामावतार शास्त्री : केवल एक पृष्ठ इतना ही काफी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल एक ही पृष्ठ पढ़ने जा रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : दूसरे पृष्ठ की दो और पंक्तियाँ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से दिल्ली, बम्बई, पटना आदि बड़े शहरों में राशन, चीनी आदि नियमित रूप से नहीं मिल रहे हैं जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को आसमान छूते मूल्यों पर वस्तुयें खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अभी हाल में मैं पटना गया था जहाँ ज्ञात हुआ कि राशन की दुकानों से उपभोक्ताओं को गेंहू, चावल चीनी, ठीक समय पर सप्लाई नहीं की जाती। राशन के दुकानदारों की शिकायत है कि उन्हें सरकारी अन्न भन्डारों से समय पर और आवश्यकता के अनुसार गल्ला आदि नहीं दिया जाता। इस प्रकार की बात सरकारी अधिकारियों से भी सुनने को मिलती हैं। बहुत से स्थानों पर राशन के कार्ड भी नहीं दिए गए हैं। अतः दुकानदार सारी सामग्री चोर बाजार में बेच देते हैं। इस प्रकार की शिकायत मुझे पटना जिले के पालसलामी और चौक थानों के जल्ला क्षेत्र से मिली है। लगभग पचास हजार की आबादी में राशन कार्ड किसी को भी नहीं दिया गया है। कहने पर सम्बन्धित अधिकारी आश्वासन देकर छुट्टी पा लेते हैं। यह सिलसिला छः माह से चल रहा है। इस विषय पर बहस होनी चाहिए।

बिहार, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों से राजनीतिक हत्याओं के समाचार लगातार मिलते रहते हैं। विरोधियों का शारीरिक रूप से सफाया करना ऐसी हत्याओं का उद्देश्य है। बिहार बड़ी चोट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं पर की जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों समेत दर्जनों नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में भी अभी हाल में किसी भूतपूर्व एम. एल. ए. की हत्या की गई। आन्ध्र प्रदेश के किसी निर्दलीय विधायक को जान से मार दिया गया। अतः इस अतिआवश्यक विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। यह सिलसिला बहुत चल रहा है। मेरा तात्पर्य राजनैतिक हत्याओं से है जो अन्य हत्याओं से भिन्न है।

इति

श्री विजयकुमार यादव (नालन्दा) : अगले सप्ताह के कार्यक्रम में दो विषय जोड़े जाने

का मैं अनुरोध करता हूं । एल आई सी के कर्मचारियों के वेतनों में हुई कटौती पर बहस चल रही है । इस सम्बन्ध में जो अध्यादेश जारी किया गया था उसको देखते हुए पूरे देश के मजदूरों में यह आशंका है कि सरकार वेतन फ्रीज की नीति अख्त्यार करेगी । इसलिए अखिल भारतीय पैमाने पर वेतन नीति निर्धारित करने के सवाल को अगले सप्ताह को एजंडा में जोड़ा जाए ।

महिलाओं के लिए बहुत सी बातें कही जाती हैं । उनके उत्थान के लिए यह आवश्यक है है कि नौकरियों में उनके आरक्षण की व्यवस्था की जाए । इस विषय को भी अगले सप्ताह के एजंडे में रखा जाना चाहिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : इस सभा तथा सरकार का एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है । आपको स्मरण रहे कि हर सत्र में हम वेंद्यालिंगम रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव करते आये हैं और उसे कार्य सूची में शामिल करते आये है लेकिन इसे हमेशा आखिरी मद के रुप में आखिरी तिथि के लिये रखा गया है । जब समय आता हैं तो ये अडंगेवाज समय को बढ़ा लेते है और यह मामला एजेन्टे से बाहर हो जाता है । पिछली बार भी ऐसा ही हुआ । हम आधी रात तक बैठने को तैयार थे और कहा 'हम इस पर चर्चा करेगे' । मेरे विचार में पिछले सत्र के दौरान आप अध्यक्ष पीठ पर आसीन थे और आपको अच्छी तरह याद होगा कि उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि इसे अगले सत्र के लिये स्थगित किया जाये । अगला सत्र भी आ गया है मुझें इस प्रस्ताव के बारे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है । मैंने नियम 184 तथा 193 के अन्तर्गत नोटिस दिये हैं । मैं आशा करता हूं कि सरकार अपना प्रस्ताव लायेगी ।

सबसे गम्भीर बात यह हैं कि जैसा कि श्री कुलदीप नायर ने मुख पृष्ठ पर प्रकाशित एक लेख में कहा है कि सरकार श्री मोराजी देसाई, श्री कांति देसाई तथा गायत्री देवी जिनके बारे मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं उन्हें नही जानता (व्यवधान) पर मुकदमा चलाने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं । मैंने रिपोर्ट के उस भाग को नहीं देखा । उस रिपोर्ट के श्री मोरारजी देसाई सम्बन्धी भाग को ही मैंने देखा, हां, यह स्वाभाविक ही है क्योंकि उस पक्ष में गायत्री देवी का बचाव करने वाले कई लोग है मैं भी उनका साथ देने को तैयार हूं (व्यवधान) । हमें उसे देखना है । समय कम है । प्रश्न समय का है जो कम है । इसके लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये ताकि अच्छे परिणाम निकले (व्यवधान) । अतः आप उनकी रक्षा करे (व्यवधान) मैं उनमें से एक को बचाना चाहता हूं अर्थात श्री मोरारजी देसाई और श्री कांति देस ई को भी ।

मैं सरकार तथा सभा से इस चर्चा करने के लिये निवेदन करता हूं सत्र के अन्त पर नहीं, आखरी मद नहीं पहली मद के रूप में इस चर्चा होनी चाहिये ।

मैं जानता हूं कि श्री मोरारजी देसाई आज देश मेंबहुत लोकप्रिय ही गए हैं । (व्यवधान) यह सरकार इस बारे में बौखला रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वे अभी अभी ही लोकप्रिय हुये हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे अब बहुत लोकप्रिय हो गये हैं । हमें ऐसी ही आशा थी ।

प्रधान मंत्री का पद छोड़ने के बाद उनका व्यक्तित्व ओर ऊंचा हुआ है। वे बौखला गये हैं। इस प्रकार की बातें हम कैसे सह सकते हैं। फिर यह समाचार आया कि वे मुकदमा चलाना चाहते हैं। हमें कोई भी ऐसी बात नजर नहीं आती।

यदि वे उन पर मुकदमा चलाना चाहते है तो जल्दी चलायें। क्या उनके पास कोई सामग्री है, तो उसे इस सभा के सामने रखा जाये। श्री मोरारजी देसाई पूर्णतः निर्दोष हैं और इन लोगों के पास उन पर आरोप लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। अतः वे मामले को लटकाते आ रहे ह और इसे किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाते। मैं चाहता हूं कि इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाये। यदि वे अपने वाले दो सप्ताहों के अन्दर कुछ नहीं करते तो हमें उन्हें सहमत करने लिये कुछ गैर वादी विधि तरीके अपनाने पड़ेंगे। मेरे विचार में आप वैसा नहीं चाहेगे।

मुझे इन तीन प्रश्नों को उठाने की अनुमति हैं क्यों कि श्री महालगी ने उनमें से केवल एक ही प्रश्न उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल दो

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री महालगी ने केवल एक ही प्रश्न उठाया।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं केवल दो।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या यह हस्तांतरणीय नहीं हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं अब गुजरात समिति रिपोर्ट ली जायेगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अभी समाचार पत्रों के बारे में भी कुछ कहा जाना हैं

'इन्डियन एक्सप्रेस : एक अच्छा समाचार पत्र हैं। यह अच्छे काम करता हैं। मैं इसकी पूरी तरह से सराहना करता हूं (व्यवधान) एक ऐसा समाचार है कि उर्दु सम्बन्धी गुजरात समिति प्रतिवेदन को ताक में रख दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : यह एक पुरानी कहानी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह एक पुरानी कहानी है जो चल रही है। उस प्रतिवेदन में जनता शासन के दौरान हुई कुछ बातों सम्बन्धी आरोप भी हैं जो ठीक नहीं हैं। इनके अतिरिक्त अल्प संख्यकों मुस्लिम, हरिजनों, कमजोर वर्गों सम्बन्धी गोपाल सिंह पैनल की रिपोर्ट भी है, यह रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। श्री अन्सारी ने त्याग पत्र दिया अथवा उनका कार्य काल समाप्त हुआ और आपने इसे बढ़ाना उचित नही समझा। आपने किसी और की नियुक्ति की। एक सामानान्तर सस्था है। अतः सारा मामला भ्रमपूर्ण है और अल्प संख्यकों तो और भी अधिक भ्रम में है। इसके अतिरिक्त सोवियत पक्ष लेने वाली लावी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अराजकता पैदा की है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उर्दू का यह सारा मामला, गुजरात आयोग प्रतिवेदन गोपालसिंह आयोग प्रतिवेदन पर इस समय में शीघ्रतिशीघ्र चर्चा होनी चहिए।

श्री. चित्त बसु (बारसट) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने के लिए मेरे पास

दो प्रश्न हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि विधी न्यात और कम्पनी कार्य मंत्री ने इस सभा में घोषणा की थी कि देश के अन्दर चुनावों में सुधार करने सम्बन्धी कई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। आप यह भी जानते है कि हमारे देश में चुनाव पर धन-बल का प्रभाव अधिक बढ़ता जा रहा है। का प्रभाव अधिक रहता हैं अतः मैं चाहता हूँ कि सरकार एक ऐसा वक्तव्य दे कि वे कौन सी कठिनाईयां हैं जिनके कारण चुनाव सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे में किसी निश्चित निष्कर्षों पर नहीं पहुंचा जा सकता।

दूसरा प्रश्न और महत्वपूर्ण है जैसे कि आप सब जानते है अभी हाल में संयुक्त राज्य अमरीका की हिन्दमहासागर में सैनिक शक्ति में वृद्धि हुई है। समाचार पत्रों में ऐसी रिपोर्ट छपी है कि उन्होंने भारत तथा अन्य तटवर्ती राज्यों के विरुद्ध बी—52 को उपयोग करने सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से डाईगोगार्सिया का विस्तार करना शुरू कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की हिन्द महासागर में वृद्धि के कारण स्थिति बहुत गम्भीर है और डाईगो गार्सिया सम्बन्धी सरकार की स्थिति भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में हाल में हुए तटस्थ देशों के सम्मेलन में अपनाए गए रवैये से फीकी पड़ गयी हैं। अतः सभा भंग करती है कि इस बारे मैं एक वक्तव्य दिया जाए अथवा अगला सप्ताह के ऐजेन्डे में इस बारे मे कोई विषय शामिल किया जाए ताकि हम इस बारे में अपने विचार प्रकट कर सकें।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो विषयों पर सूचना दी थी। पहला विषय तो यह है कि कितना भी बड़ा दावा किया जाये, किन्तु बन्धुआ मजदूरों की समस्या का कोई निदान अभी तक नहीं निकला है। 25 फरवरी के अखबार में हरियाणा में बन्धुआ मजदूरों के सम्बन्ध में कुछ समाचार आये थे, लेकिन इतना ही नहीं, मैं बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाने के बांदा गांव की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जहां हरिजनों को बांदा गांव से हटाकर छिवाही मौजे में बसा देने के सरकार के आदेश को वहां की सामन्तवादी शक्तियों ने रोक रखा है और उनको अभी भी बन्धुआ बनाया हुआ है। उस आदेश का कार्यान्वियन अभी तक रोके रखा गया है। वहाँ मजदूरों और हरिजनों की संख्या लगभग 4 हजार के आसपास है।

दूसरा विषय, जिसके बारे में मैंने सूचना दी है, डाक-तार विभाग में काम करने वाले ई० डी०-एक्स्ट्रा-डिपार्टमेंटल-कर्मचारियों से सम्बन्धित है। ई० डी० कर्मचारी विभागीय कर्मचारियों के समान काम करते हैं, लेकिन यदि उन दोनों के वेतन और सुविधाओं की तुलना की जाये, तो आपको पता चलेगा कि उन ई. डी. कर्मचारियों की हालत कितनी दयनीय है। ई. डी. कर्मचारियों को प्रतिमास केवल 105 रुपये वेतन मिलता है, जबकि विभागीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 400 रुपये प्रतिमास है। इसके अलावा वर्दी, अवकाश, पेन्शन और महंगाई भत्ते की सुविधायें भी उपलब्ध हैं। दोनों कर्मचारियों के काम में समानता है, फिर भी ई. डी. कर्मचारियों के साथ इतना भेदभाव बरता जा रहा है। इसकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं चाहूंगा कि अगले सप्ताह सदन में इस पर बहस की जाये।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के कई जिलों में जांडिस रोग का प्रसार बहुत जोरों से हो रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में चार हजार लोग इससे

पीड़ित हैं। बिहार गवर्नमेंट की ओर से इस रोग की रोक-थाम की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। इस बात की छानबीन करने की आवश्यकता है कि इस रोग के फैलने का क्या कारण है और इसको रोकने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं। अगर समय पर उपचारात्मक पग न उठाये गये, तो इस रोग के एक महामारी के रूप में दूसरे इलाके में भी फैल जाने की आशका है। इस लिए मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह इस विषय पर बहस की जाये, या सरकार इस बारे में वक्तव्य दे कि इस रोग की रोग-थाम के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं।

बिहार और उत्तर प्रदेश में सैकड़ों चीनी मिलें हैं, जिनके मालिकों पर किसानों का गन्ने का करोड़ों रुपया बकाया है। कृषि मंत्री ने यहां बयान दिया था कि हम इस समस्या को हल कराने की कोशिश करेंगे। बहुत सी मिलें बन्द हो गई है, लेकिन अभी तक किसानों के बकाया का भुगतान नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह के कार्यक्रम में इस विषय को शामिल कर लिया जाये, ताकि इस बात के उपाय निकाले जायें कि किसानों के गन्ने की बकाया राशि का भुगतान कैसे कराया जाये और चीनी मिल-मालिकों पर जल्द-जल्द भुगतान करने के लिए दबाव डाला जाये।

श्री जार्ज फर्नांडीस (मुजफ्फरपुर) : काम्रेड राजन द्वारा सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में कही गयी बात का समर्थन करते हुये मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि वह इस बारे में कोई वक्तव्य दे अथवा किसी अन्य तरीके से हमें इस पर चर्चा करने का अवसर दें। मेरे विचार में इस मामले को इस ढंग से नहीं लटकाये रखा जाना चाहिये जिस ढंग से अभी तक इसे लटकाया गया है।

यह कहने के बाद मैं दो प्रश्न उठाना चाहूंगा। पहला प्रश्न सरकार द्वारा गठित आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग के बारे में है। पिछले 8 अथवा 10 दिनों से हम समाचार पत्रों में इस आशा के समाचार पढ़ते आये हैं कि सरकार इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; कहा जाता है कि यह विचाराधीन है, अब किसी ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री की सेवायें प्राप्त की जानी हैं; कुछ सेवानिवृत लोगों के लिये नौकरियां उपलब्ध की जा रही है आदि, आदि।

यह रहस्योद्घाटन लगभग आठ अथवा दस दिनों तक चलता रहा। मेरे विचार में यह कल शाम 6 बजे संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अथवा, मुझे पूरी तरह से याद नहीं, वित्त मंत्रालय में उपमंत्री, इनमें से किसी न किसी ने यह कागज प्रस्तुत किया जिसे हमारे संसदीय कागजों के साथ आज सुबह ही परिचालित किया गया जिससे हमें पता चलता है कि सरकार ने ऐसा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है कि जम्मू तथा कश्मीर के भूतपूर्व राज्यपाल एल के. झा की अध्यक्षता में कोई आयोग गठित कर दिया गया है जिसके सदस्य श्री तिरुमलाई तथा डा० हनुमंथ राव हैं। इसमें एक सचिव भी होगा और सरकार की स्वीकृति से आयोग अशंकालिक आधार पर सदस्यों को भी सहयोजित कर सकेगा और विशेषज्ञों तथा संस्थाओं की सहायता भी प्राप्त करेगा आदि, आदि। सरकार इस आयोग को आर्थिक प्रशासन, आर्थिक विकास आदि सम्बन्धी अन्य मामले भी भेजेगी, यद्यपि आयोग केवल सलाहकार निकाय ही रहेगा। सबसे पहले इस आयोग को चार मुद्दे रिपोर्ट के लिये भेजे गये। पहली बात तो यह है कि यदि आपका विचार इस प्रकार

के किसी आयोग का गठन करने का था तो इस प्रकार की कहानियों का रहस्योद्घाटन करने के बजाय आपको इस सभा में आकर यह कहना चाहिए था कि "सरकार यह कुछ करने जा रही है" क्योंकि मैं समझता हूं कि यह सरकार का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। सरकार कह सकती है कि यह एक साधारण सी बात है; कि श्री झा की कोई और नौकरी नहीं है; हमें श्रीनगर में एक नेहरू की जरूरत थी, अतः हम वहां एक नेहरू को तैनात करते हैं और हमने श्री झा को बाहर निकाला और हम उनके लिये कोई सुरक्षित स्थान चाहते थे; अतः हमने इस आयोग का गठन किया है; यह कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं है; यह सरकार का एक साधारण निर्णय है, अतः इसके लिए सभा में आना जरूरी नहीं था। अथवा, यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है झिसके द्वारा कुछ नई नीतियां शुरू की जा रही हैं, आप आर्थिक प्रशासन, आर्थिक सुधार आदि, आदि से संबंधित हैं। किसी भी बड़े नीति सम्बन्धी निर्णय का समाचार पत्रों में इस प्रकार रहस्योद्घाटन करना कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसी योजना है, श्री झा को नियुक्त किया जा रहा है आदि-आदि। अतः मैं चाहूंगा कि सरकार हमें बताये कि वास्तव में इस आयोग का क्या महत्व है।

दूसरे, आपने यह आयोग बना लिया है और वित्त मंत्री ने कुछ दिन पहले बजट प्रस्तुत कर दिया है और अब हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस आयोग के निदेश पदों को ध्यान में रखते हुंए मैं जानना चाहूंगा कि क्या बजट प्रस्तावों को अगले एक वर्ष के लिए अंतिम रूप दिया गया है अथवा इनमें संशोधन किया जायेगा क्योंकि निदेश पदों में यह भी शामिल है—

(1) "कर प्रशासन, इसे युक्तिसंगत बनाना तथा इसका सुधार करना;

(2) बचत स्तर ऊंचा करने के लिये गैर कर उपायों को उपयोग में लाना।"

हमने काले धन के लिये बांड शुरू किये हैं जो मेरे विचार में एक गैर कर उपाय है और ऐसे मामलों में वित्त मंत्री की प्रवीणता का प्रतीक है। हमने इसके बारे में कुछ उस दिन भी सुना था। क्या बचत बढ़ाने के लिये इस प्रकार के कुछ और गैर-कर उपाय किये जायेंगे? दो अन्य प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या इस बजट पर गम्भीरतापूर्वक चर्चा की जा सकती है। आपने पंचवर्षीय योजना भी प्रस्तुत कर दी है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे स्वीकार कर लिया है। क्या यह सुपर-योजना आयोग है अथवा योजना आयोग की सहायक है? क्या इस प्रशासन सुधार आयोग के गठन से योजना पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? हम जानना चाहेंगे कि योजना तथा योजना आयोग का क्या होगा?

इस आयोग के गठन से एक और प्रश्न उठता है। प्रतीत होता है कि यह आयोग केबिनेट सचिवालय के अधीन रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप या तो इस बात को मानें कि श्री झा के लिये आराम की नौकरी उपलब्ध करना अनियमित बात है या आप मेरी इस बात को मानें कि यह सरकार का नीति संबंधी एक बड़ा निर्णय है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह मात्र आराम की नौकरी है। मैं समझता हूं कि यह एक गम्भीर मामला है। अतः मैं आपको तथा आपके द्वारा संसदीय कार्य मंत्री को बताना चाहता हूं कि यह एक ऐसा गम्भीर मामला है कि इस

पर शीघ्र चर्चा की जाये और सभा के अन्य कार्यों पर बाद में चर्चा की जा सकती है। हमें इस मामले पर चर्चा करनी चाहिये।

वित्त मंत्री यहां बैठे हैं। ये ही मुख्यत: बजट से सम्बन्धित हैं। इन्हीं के बजट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक आयोग है जो केबिनेट सचिवालय के अधीन है और सीधे प्रधान मंत्री को रिपोर्ट करता है। क्या यह सुपर केबिनेट बन रही है? क्या अब भी इसे वही शक्तियां दी जा रही हैं जो इसे 1974, 1975 तथा 1976 में दी गयी थी और इसके परिणाम क्या निकले. यह हम जानते हैं? हम वास्तव में कहां जा रहे हैं? अत: मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री को इस मामले को शीघ्र हाथ में लेना चाहिये और इसे अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करना चाहिये।

मेरा अन्तिम प्रश्न अल्पसंख्यक आयोग के बारे में है। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने दे दिया है। उन्हें त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया। इस बात को सभी जानते हैं, फिर भी गृहमंत्री यहां और हर जगह वक्तव्य देते जाते हैं कि "नहीं, नहीं, त्यागपत्र के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया। उनकी कार्यवाही समाप्त हो गई थी।" हम जानते हैं कि उनकी कार्यविधि समाप्त नहीं हुई। चेयरमैन के नाते उनकी कार्यविधि तीन वर्ष की थी। श्री अंसारी को त्यागपत्र क्यों देना? उन्होंने किस प्रकार की रिपोर्ट दी जिससे यह सरकार नाराज हुई? अल्पसंख्यक आयोग के वे निर्णय कौन से थे जिससे यह सरकार नाराज हुई और जिनके कारण श्री अंसारी पर त्यागपत्र देने के लिए दबाव डाला गया? अल्पसंख्यक आयोग ने अनेक रिपोर्टें दी है। मैं नहीं जानता कि सरकार ने उनमें से कितनी पढ़ीं लेकिन हम निश्चय ही उन रिपोर्टों के बारे में चिंतित हैं और हम उन पर चर्चा करना चाहते हैं।

मुझे आशा है कि संसदीय कार्यमत्री इन दो प्रश्नों और कामरेड राजन द्वारा उठाये गये प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेंगे और उन्हें अगले सप्ताह चर्चा के लिए कार्यसूची में शामिल करेंगे।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, शिक्षा मंहगी होती जा रही है, गरीब को शिक्षा सुलभ नहीं है। बार-बार आश्वासन देने के बावजूद एजूकेशन सिस्टम में कोई सुधार नहीं हो रहा है। बेरोजगारों की पलटन बढ़ती जा रही है। ऐसी शिक्षा जो कि सस्ती न हो, जो कि गरीबों को सुलभ न हो, जो कि रोजगार देने वाली न हो और जिसका इंडियन कलर से कोई वास्ता न हो ऐसी शिक्षा में सुधार लाने के लिए अगले सप्ताह यहां पर विचार होना चाहिए।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि आज किसानों की समस्यायें बराबर उलझती जा रही हैं, उनकी समस्यायें बढ़ रही हैं। उनके सामने खाद बिजली और पानी की समस्यायें है जिनपर कोई और नहीं हो रहा है। पिछली बार भी एक बहुत बड़ी किसान रैली हुई थी और अभी अभी आज भी जनता (एस) के राजनारायण जी के नेतृत्व में किसान रैली हुई है। वहां पर राजनारायण जी, इस संसद के दो माननीय सदस्य श्री मनीराम बागडी एवं चौधरी मुल्तान सिंह तथा भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव, जोकि हजारों किसानों के साथ संसद की तरफ

अपनी बात कहने के लिए आ रहे थे, उनकी गिरफ्तार कर लिया गया है। हजारों की संख्या में पुलिस लगी है। दसियों हजार किसान जो कि संसद की तरफ बढ़ रहे हैं उनको पुलिस गाड़ियों में बन्द करके जेल की तरफ भेज रही हैं। किसान एक तरफ आयें तो उनको फ्री रेलें मिलें लेकिन जो हमारे किसान ट्रैक्टर्स पर आ रहे थे उनको चारों तरफ से रोक दिया गया और आगे बढ़ने नहीं दिया गया। हर चौकी पर उनको रोक दिया गया है। ऐसी दशा में किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा ? एक तरफ तो किसानों के नेताओं को बन्द किया जाए, उनको क्रश किया जाए और दूसरी तरफ नकली किसान रैली को सरकारी सहायता दी जाए यह ऐसी समस्यायें है जितपर मैं कहूंगा कि अगले सप्ताह तुरन्त चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान) इस सदन के दो माननीय सदस्य और किसानों के माने हुए नेता, श्री राजनाराण जी की गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण है (व्यवधान) आप हंस रहे हैं, आपकी तो नकली रैली हुई थी, आपके लोग रस गुल्ला खाने वाले, मुर्गा खाने वाले और रेलों में लूट मचाने वाले लोग थे। आप इन अनुशासित किसानों को भी देखिए जोकि अपने खर्चे से यहां पर आए हैं। वे फटे हाल तो जरूर हैं, जो माताये बहनें आई हुई हैं उनके तन पर मैले कपड़े जरूर हैं हर यह किसानों की असली रैली है। तुम्हारी रैली नकली थी। यह रैली किसानों का सही नेतृत्व करती है। (व्यवधान) आप फटे हाल किसानों पर हंस रहे है। (व्यवधान) मेरा अनुरोध हैं कि इसको प्रोसीडिंग्ज में आना चाहिए और अगले सप्ताह किसानों की समस्याओं पर इस सदन में चर्चा होनी चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : दो माननीय संसद सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में स्थिति क्या हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नही दे रहा हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : मैं भी गिरफ्तारी देने के लिए आऊंगा। मैं इस सदन से वाक आउट करता हूं और अपनी गिरफ्तारी देने के लिए जा रहा हूं।

(श्री जयपाल सिंह कश्यप सदन छोड़कर चले गए)

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं क्योंकि उन्होंने मूल्यवान सुझाव दिये है। कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार को कुछ प्रश्नों पर वक्तव्य देने के लिये कहा है। मैंने आपकी बात नोट कर ली है। मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा और जिन प्रश्नों को जरूर समझूंगा उन्हें कार्य मंत्रणा समिति के नोटिस में लाऊंगा। मैं आपके अन्य प्रश्नों की सूचना सम्बन्धित मंत्रालयों को भेजूंगा।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1980-81

रेल मन्त्री श्री केदार पांडे : मै वर्ष 1980-81 के बजट (रेल) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल) 1977-78

रेलमन्त्री श्री केदार पांडे : मैं वर्ष 1977-78 के बजट (रेल) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल) 1978-79

रेलमन्त्री श्री केदार पांडे : मैं वर्ष 1978-79 के बजट (रेल) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और जीनन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा संविधिक संकल्प तथा जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेगी जिसके लिये 4 घन्टे नियत किये गये है। 3 घन्टे 15 मिनट बीत चुके है और अब केवल 45 मिनट रहते हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीस : (मुजफ्फरपुर) मंत्री यदि जरुरी हो, तो समय बढ़ाने को तैयार है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। प्रस्तावक को उत्तर देने दीजिये। मैंने उन्हें उत्तर देने के लिये बुलाया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उनके उत्तर का समय इसके लिये निश्चित समय पर निर्भर करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : समय पूरा हो चुका है।

श्री इन्द्रजोत गुप्त : कृपया इसके बारे में कठोरता न बरतें। आखिरकार विधेयक तो पास होगा ही।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपकी अनुमति से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं कम ही बोलता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कभी नहीं बोलते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम इस विधेयक को श्रम जीवी वर्ग पर एक प्रहार समझते है। अतः हम इसका विरोध हर चरण में करना चाहते है। अतः हम हर खंड और हर चरण पर मताविभाजन के लिये कहेंगे। हमें इस बारे में गलत धारणा नहीं होनी चाहिये। विधेयक अपना समय लेगा। अतः इस बारे में अनावश्यक रुप से उत्तेजित नहीं होना चाहिये।

वित्त मंत्री : (श्री आर० वेंकटरामन) : हमारा अनुरोध केवल यह है कि विधेयक को आज ही पारित किया जाये। हम 6 बजे के बाद भी बैठने को तैयार है।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (ओ० पी० वेंकटसुब्ब्या) : आप भी कार्य मंत्रणा समिति में उपस्थित थे। श्री ज्योतिर्मय बसु भी उपस्थित थे। हमने इस विधेयक के लिये केवल इसी कारण 4 घन्टे निश्चित किये है क्योंकि प्रतिस्थापन चरण पर कम से कम दो अथवा तीन घन्टे लग चुके हैं। अतः यह अनुभव किया गया कि इसके लिये 4 घन्टे काफी होंगे क्योंकि प्रतिस्थापन चरण पर भी इस पर चर्चा हो चुकी है। मैं श्री ज्योतिर्मय बसु, जो कम बोलते हैं, से अपील करुंगा कि जो निर्णय कार्य मंत्रणा समिति में लिया गया उसकी यहां अवहेलना न की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस पर आगे चर्चा नहीं होगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं कार्य मंत्रणा समिति में यह सुझाव दूंगा कि आप भविष्य में टेप रिकार्डर रखे। मैं समिति में यह बताता रहा कि इस विधेयक पर बहुत अधिक समय लगेगा और यह कि इस विधेयक को चार घन्टों में पास नहीं किया जा सकता।

श्री आर० वेंकटरामन : आप सब को आज शाम का खाना मैं खिलाऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम देर तक नहीं बैठेंगे।

कल मैं अपना उत्तर शुरु कर ही रहा था और मैंने केवल इतनी ही बात कहीं थी कि मन्त्री महोदय ने अपना सारा मामला इस अकांक्षनीय अनुमान के आधार पर बनाया है कि उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ठीक ढंग से यह समझने में अक्षम है कि न्यायालय के सामने आश्वासन देते समय महान्यायवादी के कहने का क्या तात्पर्य था। वित्त मन्त्री महोदय चाहते हैं कि सभा इस बात पर विश्वास करे कि सरकार ही इतनी समझदार है जो इसे समझती है और यह कि महान्यायवादी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वह बोनस देने के लिये तैयार है, वह यही कहने को तैयार थे कि वह न्यायालय के निर्णय का पालन करेंगे। माननीय न्यायधीशों ने बाद में दिये गये स्पष्टीकरण में कहा जैसे कि मैंने पढ़ा है और यहां उद्धृत किया है कि जो कुछ वे समझे महान्यायवादी ने यही कहा है कि सरकार निर्णय के उसी भाग को कार्यान्वित करेगी, किसी और को नहीं जो बोनस के भुगतान से सम्बन्धित है।

यह अवमान याचिका न्यायालय में निर्णयाधीन है। इसकी सुनवायी 17 मार्च को होगी और फिर हम देखते हैं कि क्या होता हैं। उसके बाद मैंने सभा की अनुमति से उस वास्तविक आदेश की प्रमाणित प्रति सभा पटल पर रखी जो न्यायालय ने 10 नवम्बर, 80 को दिया था और जब मैंने इसे सभा पटल पर रखा तो वित्त मन्त्री ने कहा कि इस आदेश पर कोर्ट मास्टर के हस्ताक्षर है जो एक तरह से कोर्ट का हैड क्लर्क होता है और इस तरह यह न्यायालय का का वैद्य आदेश नहीं है। मुझे इस प्रकार के तर्क पर आश्चर्य हुआ। अतः मैंन उच्चतम न्यायालय के नियमों को देखा। उच्चतम न्यायालय के नियम इस बारे में बहुत स्पष्ट है। उच्चतम न्यायलय के नियमों में कहा गया है :--

'मुख्य न्यायाधीश द्वारा कोई सामान्य अथवा विशेष आदेश नहीं दिया जाता तो न्यायालय की मोहर किसी भी याचिका, नियम, आदेश सम्मन अथवा किसी अन्य कागज पर नहीं लगाई जायेगी परन्तु रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार की लिखित आज्ञा से ऐसा किया जा सकेगा। रजिस्ट्रार अथवा डिप्टी रजिस्ट्रार अथवा एसिस्टेट रजिस्ट्रार की लिखित आज्ञा के बिना न्यायालय द्वारा जारी किसी भी प्रमाणित प्रति पर न्यायालय की मोहर नही लगाई जायेगी।'

यहां जो प्रमाणित प्रति मैंने सभा पटल पर रखी है आप स्वयं देख सकते हैं कि उसमें हस्ताक्षर श्री के० के० सेहगल एसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में है इस प्रमाणित प्रति पर उनके हस्ताक्षर हैं और मोहर है। अतः में यह नहीं समझ सका कि भारत सरकार के वित्त मंत्री इस तर्क का सहारा कैसे ले सकते है कि यह न्यायालय का सही आदेश नहीं है क्यों कि इस पर किसी रजिस्ट्रार अथवा न्यायालय के किसी जूनियर अधिकारी के हस्ताक्षर है।

जैसा कि मैंने बताया है, यह आदेश एकदम स्पष्ट है। अन्यथा न्यायालय के यह लिखने का क्या उद्देश्य था, यथा :

> "इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22-11-78 को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें निम्नलिखित निर्देश दिया गया है।
>
> 'परन्तु यदि याचिकाकार अपील में हार जाता है तो उसे बोनस की राशि का भुगतान करना पड़ेगा और उसके साथ-साथ तिथि से बोनस देय होता है उस दिन से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा, और यह अपील-कर्त्ता को लागू करना होगा।"

यही वह आदेश है। क्योंकि यह एक अनिवार्य शर्त है इसलिए अपीलकर्त्ता को यह कार्यान्वित करना होगा। यह उच्चतम न्यायालय के नियमानुसार उचित ढंग से प्रमाणित की गई प्रमाणित प्रतिलिपि है। मेरे विचार से तो अब सरकार इस मामले में धराशायी हो गई है। परन्तु दुर्भाग्य से, इस बात पर हम अब यहाँ इस सदन में निर्णय नहीं ले सकते हैं। इस पर तो किसी अन्य जगह पर ही निर्णय लेना होगा। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इसके साथ-साथ, मैं यह नहीं जानता कि इसे न्यायालय के विरुद्ध कहा जाए या कुछ और जो कि वे चोरी-छुपे इस अध्यादेश को ले आए हैं और उन्होंने मेरी बात का उत्तर भी नहीं दिया है। मैं उस बारे में सरकार के विचार सुनना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय के उस स्पष्ट मत पर आपके क्या विचार हैं जिसे मैं कई बार उद्धृत कर चुका हूं कि जीवन बीमा अधिनियम जो कि एक सामान्य अधिनियम है उस औद्योगिक विवाद अधिनियम का स्थान नहीं ले सकता या उसका विकल्प नहीं बन सकता, जो कि नियोक्ता और कर्मचारियों के मध्य औद्योगिक सम्बन्धों को शासित करने वाला एक विशिष्ट अधिनियम है। आपकी कार्यवाही का यह मतलब है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम का इससे और औद्योगिक सम्बन्धों से कोई सम्बन्ध नहीं है या जीवन बीमा निगम में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के मध्य विवादों को औद्योगिक विवाद अधिनियम द्वारा शासित नहीं किया जायेगा अपितु जीवन बीमा निगम अधिनियम द्वारा शासित किया जायेगा। जो कुछ उच्चतम न्यायालय ने कहा है उसके होते हुए यह बिल्कुल ही गलत है। मुझे यह कहते हुए यहां दुःख हो रहा है कि प्रश्न यह नहीं है कि उनके बोनस या महंगाई भत्ते से कितने रुपए कम किए जा रहे हैं, उसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है।

यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम को इसी ढंग से दूर रखा जायेगा या नकारा जायेगा तो औद्योगिक सम्बन्धों में क्या बच रह जायेगा, उन संवैधानिक प्रावधानों का क्या होगा, जिनके अधीन इस देश के नागरिक को सामूहिक सौदेबाजी हेतु स्वयं को श्रमिक-संघों या संघों के रूप में संगठित होने का अधिकार मिला हुआ है। इस ढंग से आप उस अधिकार को छीन लेना चाहता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप तो भिड़ के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर चेतावनी देता हूं।

दूसरे उन्होंने मेरी इस बात का भी उत्तर नहीं दिया है कि वे सरकारी कर्मचारियों के वेतनों और भत्तों में, उन लोगों के वेतनों और भत्तों को जो कि उनके कथनानुसार संघ सरकार

की सेवा में हैं, संविधान के अनुच्छेद 360 का सहारा लिए बिना, कैसे कम कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय संकट की उद्घोषणा का प्रावधान है, जिसे यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझें तो लागू कर सकता है। मन्त्री महोदय जब इसका अन्तिम रूप से उत्तर देंगे तो···

श्री आर० वेंकटरामन : मैं वैसा ही करूंगा।

इन्द्रजीत गुप्त : यदि आप वैसा एक प्रशासनिक आदेश द्वारा कर सकते हैं तो कृपया सदन को यह विस्तार से बताइये कि इस अनुच्छेद 360 का क्या अर्थ और उद्देश्य या प्रयोजन है। क्या संविधान के उन निर्माताओं के मन में भी यही सब कुछ था, जिन्होंने इस संविधान का प्रारूप तैयार किया था ? क्या संविधान में अनुच्छेद 360 को विशेष प्रयोजन अर्थात वित्तीय संकट के प्रावधानों के लिए नहीं रखा गया है :

> 360 (4) (ख) "उस कालावधि में, जिसमें कि इस अनुच्छेद के अधीन निकाली गई उद्घोषणा प्रवर्तन में है, उच्चतम न्यायालय और न्यायालयों के न्यायाधीशों के सहित, संघ के कार्यों के सम्बन्ध में, सेवा करने वाले व्यक्तियों के सब या किसी वर्ग के वेतनों और भत्तों में कमी के लिए निदेश निकालने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होगा।"

स्वाभाविक है कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारी भी इसके अधीन आते हैं। इस अनुच्छेद का समग्ररूपेण का क्या प्रयोजन है ? संविधान में यह अनुच्छेद दिया गया है। अब यदि आप यह कहते हैं कि आप वैसा ही केवल मात्र प्रशासनिक आदेश द्वारा कर सकते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप तब तक ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि आप अनुच्छेद 360 का सहारा न लें जिसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा की बात की गई है। आप केवल वित्तीय आपातकाल के अर्थ में ही वेतनों और भत्तों को कम करने का आदेश दे सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने क्या उत्तर दिया है ? उन्होंने इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है। यह तो एक ऐसा मामला है जिसका फैसला न्यायालय में भी हो सकता है आया आप अनुच्छेद 360 का उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं। स्वाभाविक है कि जिस प्रकार का उत्तर हमने कल सुना था उसे सुनकर यहां कोई भी संतुष्ट नहीं है। हम यह सुनने की प्रतीक्षा में हैं कि इतने दिन तक इस पर चुप्पी साधने के बाद आज यहां लाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। यह फैसला तो न्यायालय ही करेगा कि आया न्यायालय की अवज्ञा की गई है या नहीं और जब अवज्ञा याचिका पर सुनवाई होगी तो हमें पता चलेगा।

जीवन बीमा निगम के वित्तीय कार्यान्वयन के बारे में उन्होंने कुछ विचार व्यक्त किये हैं और उनका यह कहना है कि केवल जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के बोनस और मंहगाई भत्ते को घटाकर ही जीवन बीमा निगम का वित्तीय स्वास्थ्य लौटाया जा सकता है। मेरे विचार से यही उनके कहने का अर्थ है।

मैं दो बातें कहना चाहता हूं। कल श्री वेंकटरामन ने कहा है कि :

"मैं वेतनों का तुलनात्मक विवरण दूंगा। कोई भी व्यक्ति जीवन बीमा निगम में

प्रवेश के समय 1567/- रुपये वेतन पाता है।"

इससे सदन—प्रेस या जनता अथवा कोई भी व्यक्ति क्या समझेगा ? इसका यह अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जब उसको प्रथम बार भर्ती किया जाता है—प्रवेश स्तर का अंग्रेजी में अर्थ है कि जब वह पहली बार नौकरी पर आता है—श्री वेंकटरामन के अनुसार जीवन बीमा निगम मे प्रवेश स्तर है जीवन बीमा निगम का एक तृतीय-श्रेणी कर्मचारी···

श्री आर० वेंकटरामन : मैं कुल व्यय की बात कर रहा था। मैं यह बता रहा था कि तृतीय श्रेणी के लोगों को अधिक मिलता है। मेरा कहना था कि प्रथम श्रेणी के लोगों को अधिक वेतन मिलता है। इसमें प्रथम-श्रेणी का जिक्र किया गया है···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह केवल प्रथम श्रेणी से ही सम्बद्ध है, वह तो एकदम असंगत बात है।

श्री आर० वेंकटरामन : यह ठीक है। यह संगत हो न हो परन्तु मेरे शब्दों का गलत उद्धरण मत दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने अब इसे स्पष्ट कर दिया है। आपने यही तो कहा था। मैंने इसे पढ़कर सुना दिया है। ऐसे यह कोई कैसे समझ सकता है कि आप कहना क्या चाहते हैं···

"प्रवेश के समय एक व्यक्ति को 1567/- रुपये मिलते हैं।"

अब आप कहते हैं कि आप अधिकारियों का उल्लेख कर रहे हैं···(व्यवधान)

श्री आर० वेंमटरामन : यह तो तुलना है··· (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ···(व्यवधान) कर्मचारी—तृतीय श्रेणी के कर्मचारी प्रथम श्रेणी के अधिकारी नहीं होते।

श्री आर० वेंकटरामन : यदि आप उनकी तुलना भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से यह कहकर करने लगे कि मैंने ऐसा कहा है तो क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी तृतीय श्रेणी के स्तर का हो जायेगा ?

श्री सुनील मंत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : आपके कहने का यह अर्थ था कि एक आई ए एस अधिकारी को श्रेणी 3 के स्तर से कम वेतन मिलता है। आपने बिल्कुल यही तो कहा था।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : क्या आपने यह देखा है कि एयर इन्डिया के स्त्री नरिदास ने एक वर्ष में वाउचरों ? बिलों के द्वारा कितना वेतन और भत्ते प्राप्त किए ? (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ भी है, अभिलेखार्थ यह स्पष्ट कर देना कहीं अच्छा है कि जीवन बीमा निगम में प्रवेश के समय किसी व्यक्ति को अर्थात, तृतीय श्रेणी स्तर पर जब वह प्रथमतः सेवा में पदार्पण करता है तो उसे कितना वेतन मिलता है। हमें इतना पता चलना चाहिये। प्रत्यक्ष भर्ती तो तृतीय श्रेणी के सहायकों की ही होती है। आशुलिपिकों वरिष्ठ सहायकों और अधीक्षकों के सभी अन्य पद पदोन्नति के पद हैं वे तृतीय श्रेणी के सहायक के रूप में प्रवेश करते हैं और जब वे सहायक के रूप में प्रवेश करते हैं तब उन्हें इस प्रकार वेतन मिलता हैं मूल वेतन

175 रूपये, मंहगाई भत्ता 388.50 रूपये मकान किराया भत्ता 20 रूपये और नगर प्रति पूर्ति भत्ता बड़े नगरों में 20 रुपये और कुल मिलाकर हुए 611.50 रुपये इस अध्यादेश और विधेयक से जो कर्मचारी प्रभावित होगे उस वर्ग के प्रवेश के समय ये भत्ते होंगे। अत: इस बारे में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिये कि उन्हें बहुत ही अधिक वेतन मिल रहा है।

श्री आर० वेंकटरामन : यह कितना बनता हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह 611.50 रुपये बनता है। यदि आपका यह कहना हैं कि यह कुछ अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मिलने वाले वेतन से अधिक तो यह ठीक हो सकता है।

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे यही कहना है। स्तर की तुलना करने पर चाहे श्रेणी 1 स्तर हो या श्रेणी 3 स्तर जो कुछ भी हो, स्तर से स्तर तक जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों से अधिक मिल रहा है। यही मेरा कहना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अत: उनका स्तर घटाना चाहिये। उन्हें अधिक कैसे मिलता था ? क्या उन्होंने चोरी की या डकैती डाली ? वे उतना ही पाते हैं, जितना उन्हें समझौतों द्वारा बातचीत करने के बाद के इकरार नामों द्वारा मिलता है जिसमें आपकी सरकार और जीवन बीमा निगम पार्टी थे। आप कह सकते है 'हमने गलती की' तो अब उसका दन्ड कर्मचारी क्यों भुगते ? यदि आप इस प्रकार का सामूहिक इकरारनामों करके गलती करते तो वह तुम्हारी गलती थी। अब उसके लिए उनकों क्यों दन्डित करते है ? मेरी तो समझ में आता नहीं है।

उन्होंने दूसरी बात यह कहीं में फिर उनके कल के भाषण से उद्धरण देता हूं

> "1959 में प्रति बीमा पालिसी प्रशासन का खर्च 12.45 रुपये आता था। 1969-70 में यह 23.57 रुपये हो गया तथा 1978-79 में प्रति पालिसी खर्च 43.30 रुपये तक पहुंच गया। आप अब भली भांति देख सकते है कि किस तरह से प्रशासन व्यय बढ़ा है। में इस बात को फिर दोहराता हूं कि प्रशासन के लागत व्यय में वृद्धि हुई हैं।"

कल उन्होंने यही बात कही थी। उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया था वह इतनी साफ नहीं थी क्यों कि प्रशासन व्यय का अर्थ है प्रशासन की कुल लागत। यह वृद्धि कर्मचारियों की प्राप्तियों के परिणाम स्वरूप नहीं हुई है। प्रशासन की कुल लागत में बहुत सी चीजें आती है।

तथापि मुझे आंकलन का एक सही और सुनिश्चित मार्ग ढूढ़ने की चिन्ता थी। उदाहणार्थ 1000 रुपये की एक पालिसी में उस पर होने वाले व्यय का पता लगाया जाए। जीवन बीमा निगम के सभी वर्गों के कर्मचारियों के वेतन की तुलना में 100 रुपए की बीमा थी राशि पर सेवा व्यय कितना होगा। इसे एक अवधि विशेष में इसकी तुलना करके देखा जाये। हमें क्या पता चलता है। 1957 में सभी वर्गों के कर्यचारियों का वेतन व्यय 12.12 करोड़ रुपये था और कुल चालू व्यवसाय 1375 करोड़ रुपये का था। इससे पता चलता है कि 1000 रुपये की पालिसी की 1957 में लागत 5.58 रुपये की और इसी प्रकार मैंने गणना करके देखा है कि 1974-75 में यह घटकर 7.93 रुपये हो गयी थी और 1979-80

में यह 6.24 रूपये तक पहुंच गई। जीवन बीमा निगम के सभी वर्गों के कर्मचारियों के वेतन को देखते हुए 1000 रूपये की राशि के बीमें का यह सेवा व्यय है।

इससे आप यह कैसे मान सकते हैं कि क्योंकि वेतन ऊंचे है इसलिए सेवा व्यय भी बढ़ा हुआ होगा। यह बढ़ नहीं रहा है। यह तो घटा है और उनको इसका कुछ लाभांश देने के बजाय एक ऐसे तरीके से और एक ऐसे साधन से जिसे मैं पहले ही अत्याधिक भयानक और बेहूदा कह चुका हूं, एकतरफा तरीके से वे उनके वेतनों में कटौती का मामला तैयार कर रहे हैं।

मेरे विचार से श्री वेंकटरामन जीवन बीमा निगम द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका।

"योग--क्षेम" के बारे में जानते होंगे। इस पत्र में उन्होंने कुछ कहा है जिसे में उद्धृत कर रहा हूं यह सब कुछ जीवन बीमा निगम कह रहा है, कर्मचारी नहीं;

"हमारे सभी आलोचकों ने हमारी कड़ी आलोचना नही की है।"

उदाहरण स्वरूप 'इकानामिक सीन में ही देखिए। मेरे विचार से आप इकानोमिक सीन के बारे में जानते होगे। इकोनौमिक सीन टाटा उद्योग समूह का प्रकाशन है वे उद्योगों के परामर्श दाता भी है और वे लोग सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में भी नही हैं। वे दिन-और रात सरकारी क्षेत्र के विरूद्ध अभियान चलाते है। टाटा का केन्द्र इकोनोमिक सीन' नामक पत्रिका में इस प्रकार लिखा है;

> "जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि कुल व्यय की तुलना में इसके प्रबन्ध व्यय का अनुपात जो 1973-74 में 48 प्रतिशत या घटकर 1977-78 में 39 प्रतिशत हो गया है। वास्तव में इन वर्षो में पालिसी धारकों की दी गई राशि को छोड़कर इसके कुल खर्चे में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है फल स्वरूप जीवनबीमा निधि में इसके शुद्ध वार्षिक अंश दान में वर्ष दर वर्ष सराहनीय वृद्धि हुई है तथा पिछले पांच वर्षों में यह राशि जो 1973-74 में 345.75 करोड़ रूपये भी बढ़कर 1977-78 में 547.82 करोड़ रूपये हो गई अर्थात इसमें 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई यह किसी दृष्टि से कम उपलब्धि नहीं है। दुर्भाग्यवश प्रतीत होता हैं कि जीवन बीमा निगम के प्रबन्ध तथा कर्मचारी कार्य कुशलता के आलोचकों ने इस महत्व पूर्ण विकास पर एक दम ध्यान नहीं दिया है। आखिर-कार सारा काम एक दिन में तो नहीं हो जाता।"

एक सर्वोच्च एकाधिकार गृह द्वारा प्रकाशित पत्रिका का यह कथन है जो सरकारी क्षेत्र का विरोध करने के लिए प्रसिद्ध है। वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं इस किस्म की नकली अर्थ व्यवस्था तथा वित्तीय तर्कों से कुछ समय के लिए दूर रहना अच्छा समझता हूं क्योंकि उनसे कुछ होने वाला नहीं है क्षेत्र के और हमने सभी अन्य सरकारी। उपक्रमों तथा सरकारी विभागो की इस बात का पता लगाने के लिए जांच करनी है कि क्या आपने कहीं ऐसा किया है। क्योंकि आपके सरकारो विभागों में प्रशासन लागत बहुत अधिक बढ़ गयी हैं ओर क्या आपने एकतरफा कार्यकारी आदेश द्वारा अपने

अधिकारियों या अपने कर्मचारियों की परिलब्धियों को कम करने का निर्णय लिया है ? क्या आपने अपने सरकारी विभागों की प्रशासनिक लागत को कम करने के नाम पर कहीं यह किया हैं क्या आप यह कह सकते हैं मैं कहता हूं कि आप इसे उस समय तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप अनुच्छेद 360 का सहारा नहीं लेते और देश में वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा नहीं करते। आप खुले रूप से आयात स्थिति की घोषणा किए बिना वित्तीय आयात स्थिति की कार्यवाही करने का प्रयास कर रहे हैं। यही आप कर रहे हैं। आयात स्थिति के अन्य उपबंधों के मामलों में भी अन्य बहुत सी बातें की जा रही है।

इसलिए मैं महसूस करता हूं कि सरकार ने जो किया हैं उसके लिए दिए गये स्वष्टीकरण से सभा बिल्कुल भी सन्तुष्ट नहीं हो सकती है। आप कोई भी चीज पास कर सकते हैं। वह दूसरी बात है इस सभा को एक दम समाप्त ही क्यों नहीं कर देते यदि आप हमारी बात सुनने का कष्ट नहीं करना चाहते।

इसलिए मैं एक बार फिर सरकार से अपील करता हूँ। मैं एक दृष्टिकोण से अपील कर रहा हूं। आप इस उलझन में मत पड़िए। यदि आप कर्मचारियों की इस श्रेणी को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत नहीं रखना चाहते तो औद्योगिक विवाद अधिनियम को संसोधित करने वाला विधेयक लाइये और विशिष्ट रूप से यह कहिए कि यह विधेयक, इस विधेयक के उपलब्ध जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : न्यायालय का विधान से यही अर्थ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निसन्देह, न्यायावय का विधान से यही अर्थ है। इसे कीजिए आप ऐसा क्यों नहीं करते ? आप यह बहाना क्यों बना रहे हैं ? उसके बाद धीरे-धीरे आप एक अनुसूची रख सकते हैं ; जैसे अन्य अधिनियमों में अनुसूचियां हैं, आप औद्योगिक विवाद अधिनियम की अनुसूची रख सकते हैं, और कर्मचारियों की अधिकांधिक श्रेणियों को उस अनुसूची में हर वर्ष या वर्ष में कई बार यह कहते हुए कि उन्हें औद्योगिक बिवाद अधिनियम से बाहर निकाला जाना है, शामिल करना जारी रख सकते हैं। हर सूरत में इसे किजिए और आप औद्योगिक सम्बन्धों को इस सारे ढांचे को तोड़ने के जिम्मेवार होगे जो औद्योगिक विवाद अधिनियम की मदद से इस देश में बनाया जाना है।

इसलिए इसे मत कीजिए। अभी भी समय है। इसे वापिस ले लिजिए। यही सब कुछ मैं कहना चाहता हूं। निसन्देह जहां तक इस अध्यादेश और विधेयक का सम्बन्ध है हम इनका पूरी शक्ति से विरोध करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सांविधिक संकल्प को सभा में मतदान हेतु रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी 1981 को प्रख्यापित जीवन बीमा निगम (संसोधन) अध्यादेश 1981 (1981 का अध्यादेश सं० 3) का निरनुमोदन करती हैं"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

मत—विभाजन संख्या-3

पक्ष में

आचार्य, बसूदेव	अग्रवाल, सतीश
वर्मन, पलाश	बसु, चित्त
विश्वास, अजय	बसु' ज्योतिर्मय
चौधरी, त्रिदिव	दंडवते, प्रो० मधु
दास, रेणुपद	गुप्त, इन्द्रजीत
मन्नान मोल्लाह,	जाटिया, सत्यनारायण
मधुकर, श्री कमला मिश्र	मैत्रा सुनील
मंडल, धनिकलाल	मसुदल हुसैन, सैयद
महालगी, आर० के०	मुखर्जी, श्रीमती गीता
पंडित, डा० वसन्त कुमार	पाठक, आन्नद
राजन, के० ए०	राय प्रधान, अमर
साहा, अजित कुमार	वर्मा, रीतलाल प्रसाद
यादव, विजय कुमार	जायनल अबेदिन,

विपक्ष में

मत विभाजन संख्या-3

अहमद, श्री मोहम्मद असरार	अल्लूरी, श्री सुभाषचन्द्र बोस
आनन्द सिंह, श्री	आंकनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अराकल, श्री जेवियर	बागुन सुम्बरुई, श्री
बन्सी लाल, श्री	बारोत, श्री मगनभाई
भारद्वाज, श्री परसराम	भाटिया, श्री रघुनन्दल लाल
भोले, आर. आर.	चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल	चव्हाण, श्री एस. बी.
चिगंयाग कोनयक, श्री	डेनिस, श्री एन.
देव, श्री सन्तोष मोहन	दन्डपाणि, श्री सी. टी.
डूंगर सिंह, श्री	ईरा अनबारासु, श्री
गहलोत, श्री अशोक	जाफर शरीफ, श्री सी. के
जैन, श्री भीकू राम	जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर रहमान, श्री	कलानिधि डा. ए.

कौल, श्रमती शीला
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मुत्तेमवार, श्री विलास
नायर, श्री बी. के.
नन्दी येल्लैया, श्री
निहाल सिंह, श्री
उरांव, श्री कार्तिक
पाणिग्रही, श्री चिंतामणि
पटेल, श्रीमोहन भाई
पाटिल, श्री ए. टी.
पाटिल, चन्द्रभान आठरे
फुलवारिया, विरदाराम
रंगा, प्रो. एन. जी.
राव, एम. नागेश्वर
राउत, भोला
रावत, हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी, के. ब्रह्मानन्द
रेड्डी, एम. राम गोपाल
रेड्डी, पी दामोदर
सेठी, पी. सी.
शक्यवार, नाथूराम
शंकरानन्द, बी.
शर्मा, कालीचरण
*शास्त्री, रामावतार
सिंगारावाडीवेल, एस.
सिंह, वीरभद्र
सुखाड़िया, मोहनलाल
तैयब हुसेन,

कृष्णदत्तर, श्री
* मण्डल, सनत कुमार
मुरूमैयन, श्री एस.
नागरत्नम, श्री टी.
नामग्याल, श्री पी.
नेताम, श्री अरविन्द
ओडेदरा, श्री मालदेव जी एम.
पांडे, श्री केदार
पारधी, श्री केशवभव
पटेल, श्री शान्तुभाई
पाटिल, श्री बाला साहिब विखे
पाटिल, वीरेन्द्र
कादरी, एस. टी.
राव, जगन्नाथ
राठौर, उत्तम
रवाणी, नवीन
रेड्डी, जी. नरसिम्हा
रेड्डी, के. विजय भास्कर
रेड्डी, पी. वेंकट
साहू, शिवप्रसाद
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शमन्ना, टी. आर.
शर्मा, चिरन्जी लाल
शास्त्री, धर्मदास
शिव शंकर, पी.
सिंह, सी. पी. एन.
सिंहा, श्रीमती रामदुलारी
सूर्यवन्शी, नरसिंह
तिवारी प्रो. के. के.

* गलती से विपक्ष में मतदान किया

थोरट, भाऊसाहिब	तिवारी, नारायण दत्त
वेंकटरामन, आर.	वेंकटसुब्बया, पी.
वर्मा, श्रीमती ऊषा	बाघ डा. प्रताप
यादव, रामसिंह	याजदानी, डा. गोलम

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार हैं :

पक्ष में—27

विपक्ष में—91

संकल्प अस्वीकृत हुआ

उपाध्याक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव मतदान के लिये रखूं, कुछ संशोधन निपटाये जाने हैं। एक संशोधन श्री सोमनाथ चटर्जी का है वह यहां पर नहीं है···

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल विचार करने का प्रस्ताव है और सदस्य पहले बोल चुके हैं।

श्री रामवतार शास्त्री : मैं अपने तर्क पेश करना चाहता हूं कि विधेयक को जनमत जानने के लिए क्यों परिचालित किया जाए। मुझे कम से कम 5 मिनट का समय दीजिए। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी केवल विचार करने का प्रस्ताव है।···श्री वसु, उन्हें बता दीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी हां, श्रीमान···मैंने उनको 4 मिनट के समय के लिए राजी कर लिया है।

उपाध्याक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को उस पर 30 जून, 1981 तक जनमत जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।'

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान किया :

पक्ष में : सर्व श्री मौहम्मद इस्माइल, ए. के. बालन, सुबोध सेन, सनत कुमार मण्डल और रामावतार शास्त्री।

विपक्ष में : सर्वश्री बाबूलाल सोलंकी, मुन्दर, शर्मा, चित्तुरी सुब्बा राव चौधरी, एच. एन. नन्जे गौडा, उदय सिंह राव गायकवाड़, हरिनाथ मिश्र, तारिक अनवर, और एन. सेलवा राजु।

मत-विभाजन संख्या नं० 4

पक्ष में

आचार्य, बसुदेव	अग्रवाल सतीश
बालानन्दन, ई०	विश्वास, अभय
बसु, ज्योतिर्मय	दंडवते प्रो० मधु
दास, रेणुपद	गुप्त, इन्द्रजीत
हन्नान मोल्लाह	जाटिया, सत्यनारायण
मधुकर, कमला मिश्र	माडल सनत कुमार
मसुदल हुसैन, सैयद	महालगी, आर० के०
मोहम्मद इस्माइल	मुखर्जी, श्रीमती गीता
पंडित, डा० बसन्त कुमार	पाठक, आनन्द
राजन, के० ए०	राय प्रधान, अमर
साहा, अजित कुमार	शास्त्री, रामावतार
वर्मा, रीतलाल प्रसाद	यादव, विजय कुमार
जायनल अबेनिन	मैत्रा, सुनील

विपक्ष में

अहमद, मोहम्मद असरार	अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस
आनन्द सिंह	अंकिनीडू प्रसाद राव, पी०
अराकल, जेवियर	बागुन सुम्बरुई
बन्सी लाल	बारोत, मगनभाई
भारद्वाज, परसराम	भाटिया, रघुनन्दन लाल
भोले, आर० आर०	चक्रधारी सिंह
चन्द्राकर, चन्दूलाल	चह्वाण, एस० बी०
चिरंयाग कोनयक	डेनिस, एन०
देव, संतोष मोहन	दंडपाणि, सी० टी०
डूंगर सिंह	ईरा अनबारासु
गायकवाड़, उदयसिंह राव	गहलोत, अशोक
गौडा, एच० एन० नन्जे	जाफर शरीफ, सी० के०
जैन, भीकू राम	जैन, वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान	कलानिधि, डा० ए०

कौल, श्रीमती शीला
कुसुम कृष्णै मूर्ति
मिश्र, नित्यानन्द
मुत्तेमवार, विलास
दायर, बी० के०
नन्दी येल्लैया
निहाल सिंह
उरांव, कार्तिक
पाणिग्रही, चिन्तामणि
पटेल, मोहन भाई
पाटिल, बालासाहिब विखे
पाटिल, वीरेन्द्र
कादरी, एस० टी०
राव, जगन्नाथ
राठौर, उत्तम
रवाणी, नवीन
रेड्डी, जी० नरसिम्हा
रेड्डी, के० विजय भास्कर
रेड्डी, पी० वेंकट
साहू, शिव प्रसाद
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, बी०
शर्मा, काली चरण
शास्त्री, धर्मदास
सिंगारावाडीवेल, एस०
सिंह, वीरभद्र
सोलंकी, बाबू लाल
स्वामीनाथन, आर० वी०
तैयब हुसैन
थोरट, भाउसाहिब
वेंकटरामन, आर०

कृष्ण दत्तर
मिश्र, हरिनाथ
मुसगैयन, एस०
नागरत्न, टी०
नामग्याल, पी०
नेताम, अरविन्द
आंडेदरा, मालदेवजी एम०
पांडे केदार
पारधी, केशवराव
पटेल, शान्तु भाई
पाटिल, चन्द्रभान आठरे
फुलवारिया, विरदा राम
रंगा प्रो० एन० जी०
राव एम० नागेश्वर
राउत, भोला
रावत, हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द
रेड्डी एम० राम गोपाल
रेड्डी, टी० दामोदर
सेठी, पी० सी०
शक्यवार, नाथूराम
शर्मा, चिरंजी लाल
शर्मा, सुन्दर
शिव शंकर, पी०
सिंह, सी० पी० एन०
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सूर्यवन्शी, नरसिंह
तारिक अनवर
तिवारी, प्रो० के० के०
तिवारी, नारायण दत्त
वेंकटसुब्बया, पी०

वर्मा, श्रीमती उषा	वाघ, डा० प्रताप
यादव, रामसिंह	याजदानी, डा० गोलम
पाटिल, ए० टी०	

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है:

पक्ष में, 26

विपक्ष में, 95

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न है :

"कि विधेयक को उस पर 13 जुलाई, 1981 तक जनमत जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

मत विभाजन संख्या : 5.

पक्ष में

आचार्य, बसुदेव	अग्रवाल, सतीश
बालानन्दन, ई०	बर्मन, पलाश
बसु, चित्त	विश्वास, अजय
चौधरी, त्रिदिव	दंडवते, प्रो० मधु
दास, रेणुपद	गुप्त, इन्द्रजीत
हन्नान मोल्लाह	जाटिया, सत्यनारायण
मधुकर: कमला मिश्र	मंत्रा, सुनील
मंडल, धनिक लाल	मंडल, सनत कुमार
मसुदल हुसैन, सैयद	महालगी, आर० के०
मोहम्मद इस्माइल	मुखर्जी श्रीमती गीता
पंडित, डा० बसन्त कुमार	पाठक: आनन्द
राजन, के० ए०	राय प्रधान, अमर
साहा, अजित कुमार	शास्त्री, रामावतार
वर्मा, रीतलाल प्रसाद	यादव, विजय कुमार
जायनल अबेदिन	बसु, ज्योतिर्मय

विपक्ष में

अहमद, मोहम्मद असरार	अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में : सर्वश्री त्रिदिब चौधरी, ए० के०, बालन और सुबोध सेन।

आनन्द सिंह
अराकल, जेवियर
बन्शी लाल
भारतद्वाज, परसराम
भोले, आर० आर०
चन्द्राकर, चन्दूलाल
चव्हाण, श्री एस० बी०
डेनिस, श्री एन०
दंडपाणि, श्री सी० टी०
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
कौल, श्रीमती शीला
मिश्र , श्री नित्यानन्द
पटेल, श्री मोहन भाई
पाटिल श्री ए० टी०
पाटिल, चन्द्रभान आठरे
कादरी, एस० टी०
रेड्डी, एम० राम गोपाल
रेड्डी, टी० दामोदर
सेठी, पी० सी०
सुखाड़िया, मोहन लाल
सूर्यवन्शी, नर सिंह
तैयाब हुसैन,
थोरट, भाउसाहिब
डूंगर सिंह
गायकवाड़, उदयसिंह राव
गोड़ा, एच० एन० बल्के
मुत्तेमवार, विलास
नायर, बी० के०
नन्दी येल्लेया, श्री

अंकिनीडू प्रसाद, राव पी०
बागुन सुम्बसई
बारोत, मगनभाई
भाटिया, रघुनन्दन लाल
चक्रधारी सिंह
याजदानी, डा० गोलम
चिगंयाग कोनयक, श्री
देव, श्री सन्तोष मोहन
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जैन श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
मिश्र, श्री हरिनाथ
मुरुगैयन, श्री एस०
पटेल, श्री शान्तु भाई
पाटिल, श्री बाला साहिब विखे
पाटिल, वीरेन्द्र
रेड्डी, के० विजय भास्कर
रेड्डी, पी० वेंकट
साहू, शिव प्रसाद
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
स्वामीनाथन, आर० वी०
तारिक अनवर,
तिवारी, प्रो० के० के०
तिवारी नारायण दत्त
ईरा अनबारासु, श्री
गहलोत, अशोक
कृष्ण दत्तर
नागरत्नम, श्री टी०
नामग्याल, श्री पी०
नेताम, अरविन्द

ओडेदरा, मालदेव जी इम०	उराव, कार्तिक
पांडे, केदार	पाणिग्रही, चिन्तामणि
पारधी, केशब राव	रंगा, प्रो० एन० जी०
राव, जगन्नाथ	राव, एम० नागेश्वर
राठौर, उत्तम	राउत, भोला
रवाणी, नवीन	रावत, हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी, जी० नर सिन्हा	रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द
शवयवार, नाथूराम	शंकरानन्द, बी०
शर्मा चिरंजी लाल	शर्मा काली चरण
शर्मा, सुन्दर	शास्त्री, धर्म दास
शिव शंकर, पी०	सिंगारावाडीकेल, एस०
सिंह, वीरेन्द्र	सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोलंकी, बाबू लाल	वेंकटरामन, आर०
वेंकटसुब्बया, पी०	वर्मा, श्रीमती ऊषा
वाघ, डा० प्रताप	यादव, राम सिंह
कुसुम कृष्ण मूर्ति	

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में—30

विपक्ष में—95

(प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ)

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री मान मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। चूंकि मशीन खराब है अतः विधेयक पर विचार स्थगित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को गलत मानता हूँ। अब मैं विचार करने का प्रस्ताव के सभा में मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

> "कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 156 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में : श्री ए० के० बालन

विपक्ष में : सर्व श्री बिसुरी सुब्बाराव चौधरी, एन० सेतबाराजू और डा० ए० कलानिधि

मत विभाजन संख्या—6

पक्ष में

अहमद, मोहम्मद असरार
आनन्द सिंह
अराकल, जेवियर
बन्सी लाल
भारद्वाज, परस राम
भोले, आर० आर०
चव्हाण, एस० बी०
डेनिस, एन०
दन्डपाणि, सी० टी०
ईरा अनबारासु
गहलोत, अशोक
जाफर शरीफ, सी० के०
जैन, निहाल सिंह
जमीलु रहमान
कृष्ण दत्तर
मिश्र, हरिनाथ
मुत्तेमवार, बिलास
नायर, बी० के०
नन्दी येल्लेया
आडेदरा, मालदेवजी एम०
पांडे, केदार
पारधी, केशव राव
पटेल, शान्तु भाई
पाटिल, बालासाहिव विखे
पाटिल, वीरेन्द्र
कादरी, एस० टी०
राव, जगन्नाथ
राठौर, उत्तम
अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस
अकिनीडू प्रसाद राव, पी०
बागुव सुम्बरुई
बारोत, मगनभाई
भाटिया, रघुनन्दन लाल
चन्द्राकर, चन्दू लाल
चिगंयाग, कोनयक
देव, सन्तोष मोहन
डूंगर सिंह
गायकवाड़, उदय सिंह राव
गोडा, एच० एन० नन्जे
जैन, भीकू राम
जैन, वृद्धि चन्द्र
कौल, श्रीमती शीला
कुसुम कृष्ण मूर्ति
मिश्र, नित्यानन्द
नागरत्नम, श्री टी०
नामग्याल, पी०
नेताम, अरविन्द
उराव, कार्तिक
पाणिग्रही, चिन्तामणि
पटेल, मोहन भाई
पाटिल, ए० टी०
पाटिल, चन्द्रभान आठरे
फुलवारिया, विरदा राम
रंगा, प्रो० एन० जी०
राव, एम० नागेश्वर
राउत, भोला

रवाणी, नवीन
रेड्डी, जी० नरसिम्हा
रेड्डी, के० विजय भास्कर
रेड्डी, पी० वेंकट
साहू, शिव प्रसाद
शक्तावत, प्रो० निर्मल कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, काली चरण
शिव शंकर, श्री पी०
सिंह, वीरभद्र
सोलंकी बाबू लाल
सूर्यवन्शी, नर सिंह
तारिक अनवर
तिवारी, प्रो० के० के०
तिवारी, नारायण दत्त
वेंकटसुब्बया, पी०
वाघ, डा० प्रताप
याजदानी, डा० गोलम
शास्त्री, धर्मदास

रावत, हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी ब्रह्मानन्द
रेड्डी, एम० राम गोपाल
रेड्डी, टी० दामोदर
सेठी, पी० सी०
शक्यवार, नाथूराम
शर्मा, चिरंजी लाल
शर्मा, सुन्दर
सिंगारावाडीकेल, एस०
सिन्हा, श्रीमती रामदुलार
सुखड़िया, मोहन लाल
स्वामीनाथन, आर० वी०
तैयब हुसैन
थोरट, भाउसाहिब
वेंकटरामन, आर०
वर्मा, श्रीमती ऊषा
यादव, राम सिंह
चक्रधारी सिंह, श्री
सिंह, सी० पी० एन०

मत विभाजन संख्या—6

विपक्ष में

आचार्य, वसुदेव
बालन ए० के०
बसु, चित्त
बसु, ज्योतिर्मय
दन्डवते, प्रो० मधु
गुप्त, इन्द्रजीत
कलानिधि, डा० ए०
मंडल, धनिक लाल
महालगी, आर० के०
मुखर्जी, श्रीमती गीता

अग्रवाल, सतीश
बालानन्दन, श्री ई०
विश्वास, अ जय
चौधरी, विदिव
दास, रेणुपद
जाटिया, सत्यनारायण
मैत्रा, सुनील
मसुदल हुसैन, सैयद
मोहम्मद इस्माइल
* मुरूगेयन, श्री एस०

* गलती से विपक्ष में मतदान किया

पंडित, डा० बसन्त कुमार	पाठक, आनन्द
राजन, के० ए०	राय प्रधान, अमर
शास्त्री, रामावतार	वर्मा, रीतलाल प्रसाद
यादव, विजय कुमार	जायनल अबेदिन
हन्नान मोम्लाह, श्री	साहा, अजित कुमार

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में—94

विपक्ष में—30

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खन्डवार बिचार करेगे । कुछ संशोधन है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी । वह यहाँ नहीं है । श्री राजन

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ, 2—

पंक्ति 9 के पश्चात निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाए—

"परन्तु ऐसे निबन्धन और शर्तें 31 जनवरी, 1981 से पूर्व विद्यमान निबन्धनों ओर शर्तों की तुलना में कर्मचारियों और अभिकर्ताओं के अनुकूल नहीं होगी ।"

पृष्ठ, 2—

पंक्ति 12 से 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(2क) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय डिक्री या आदेश के अध्यधीन और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि या किसी अन्य करार, परिनिर्धारण, पंचाट या अन्य लिखित के उपबन्धों के अध्यधीन होंगे ।"

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) मैं प्रस्ताब करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 12 से 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(2क) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी सभी नियम किसी न्यायालय अधिकरण या अन्य प्रधिकरण के किसी निर्णय, डिग्री या आदेश के अधीन और औद्योगिक विभाग अधिनियम, 1947 के या उस समय लागू किसी करार, पंचाट या अन्य लिखित समझौतों के अधीन होंगे ।" (13)

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में : सर्वश्री चितुरी सुब्बाराव चौधरी, एन० सेलवा राजू तथा एस० मुरुगैमन

विपक्ष में : सर्वश्री सनत कुमार मंडल, कमला मिश्र मधुकर तथा पलाश बर्मन ।

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 36 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाये—

'(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्न लिखित धारा प्रतिस्थापिय की जायेगी अर्थात :—

"(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में अधिक से अधिक दस दिन की अवधि के भीतर या सदन के आगामी सत्र के प्रारम्भ से उक्त अवधि के भीतर सभापटल पर रखे जायेगे और यदि प्रत्येक सदन में सम्बन्धित सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और सम्बन्धित सदन के उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के तीन चौथाई से अन्यून बहुमत से उप का उनका अनुमोदन नहीं किया जाता, वे मह हो जायेंगे और उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा।" (14)

श्री सुनील मैंगा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, —

पंक्ति 9 के पश्चात निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाय —

"परन्तु ऐसे निबंधन और शर्तें कर्मचारियों और अभिकर्ताओं के विद्यरान अधिकारों और या प्रसुविधाओं पर प्रभाव नहीं डालेंगी जो उन्हें 31 जनवरी, 1981 से पूर्व उपलब्ध थीं।' (16)

पृष्ठ 2—

पंक्ति 15 से ६6 के स्थान पर निम्नलिखि प्रस्थापित किया जाए —

"(2क) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपवन्धों के अमुरूप होंगे और किसी न्यायालय के किसी निर्णय डिक्री या आदेश के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधी या किसी करार, परिनिर्धारण, पंचाट या अन्य लिखित की अवहेलना नहीं करेंगे।"

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मैं खन्ड के सभी संशोधनों को एक साथ रखूं। तो क्या आप सहमत होंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : नहीं श्री मान।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल सुझाव दे रहा हूं। श्री राजन।

श्री के० ए० राजन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन संख्या 8 इस प्रकार है :

"परन्तु ऐसे निबंधन और शर्तें 31 जनबरी, 1981 से पूर्व विद्यमान निबन्धनों और शर्तों की तुलना में कर्मचारियों और अभिकर्ताओं के अननुकूल नहीं होंगी।"

अधिनियम में इस विशेष संशोधन के बारे में प्रारम्भिक तथा दूसरे चरण में, संवैधानिक तथा कानूनी दृष्टि से विभिन्न प्रश्न उठाए गए।

महोदय यह विधेयक ऐसी स्थिति में लाया गया है कि यह औद्योगिक सम्बन्धों को नष्ट

विधेयक पुरः स्थगित

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 324, 325 का संशोधन आदि)

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (अबोलाबाद) : श्रीमानजी, इस विधेयक से सम्बद्ध कुछ वित्तीय पेचीदगियां हैं। पहले हमारे कार्यालय को इनके बारे में मालूम नहीं हुआ था। अब उन्होंने इसका पता लगा लिया है। मैंने पहले ही भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मांग ली है।

मैं संविधान के और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति चाहता है :

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी० नवसिम्हा रेड्डी : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 171 का संशोधन)

श्री ईरा अनबासु (चिंगल पट्टु) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ईरा अनबारासु : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

नेत्रहीन व्यक्ति (रोजगार) विधेयक

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार दिलाने तथा आनुषंगिक या तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार दिलाने तथा आनुषंगिक या तत्संसक्त विषय

का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक

डा० बसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० बसंत कुमार पंडित : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसामान्यीकरण विधेयक

डा० बसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में शिक्षा को सर्वसामान्य बनाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० बसंत कुमार पंडित : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

देशी मछुआ नाव संरक्षण विधेयक-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री आर० के० महालगी द्वारा 19 दिसम्बर, 1980 को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी अर्थात,

"कि देशी मछुआ नावों का मोटर बोटों तथा ट्रालरों की प्रतिस्पर्धा से संरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : श्रीमान जी, उस विधेयक के लिए केवल दो घन्टे का समय दिया गया था जबकि अन्य विधेयक भी चर्चा हेतु लम्बित पड़े हैं। अतः मेरा सुझाव है कि और समय देने की बजाय मन्त्री उत्तर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु पहले ही उठ खड़े हुए हैं। श्री बसु आप अन्तिम वक्ता होंगे।

[श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए]

श्री चित्त बसु : (बारासाट) : श्रीमान जी, पिछली बार मैं देशी मछुओं के समक्ष आने वाली कठिनाईयों की चर्चा कर रहा था। मैं समझता हूं आपको यह मालुम ही होगा कि देश में लगभग 15 लाख स्वनियोजित देशी नाव मछुए हैं जो कि देश के समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य में लगे हुए हैं। 1972 में लगाये गये एक अन्य अनुमान के अनुसार, इन देशी नाव मछुओं के पास लगभग 2 लाख के करीब कराफ्ट हैं और सम्पूर्ण देश में पकड़ी जाने वाली मछली का 25 प्रतिशत भाग इन्हीं के द्वार पकड़ा जाता है। इससे सम्पूर्ण देश को मछली के निर्यात से प्राप्त होने वाली लगभग 80 प्रतिशत विदेशी-मुद्रा प्राप्त होती है। यह आंकड़े में केवल इसलिए उद्धृत कर रहा हूं कि देशी नाव मछुओं के महत्व को प्रकाश में लाया जा सके क्योंकि इससे देश को मछली के निर्यात से प्राप्त होने वाली विदेशी-मुद्रा का 80 प्रतिशत भाग इन्हीं से प्राप्त होता है। इसलिए उनके हितों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, उनका संरक्षण किया जाना चाहिए और जो विधान या विधेयक हमारे समक्ष विचारार्थ हैं, उसका उद्देश्य भी हमारे देश के इन स्वनियोजित मछुओं के हितों की सुरक्षा करना है।

श्रीमान जी, उनके समक्ष कुछ समस्यायें हैं। हम उन्हें गिन सकते हैं। देशी नाव मछुओं के समक्ष आने वाली सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि ट्रालरों या मशीनों नावों ने इनके काफी क्षेत्र में घुसपैठ शुरू कर दी है। वे निरन्तर उनके क्षेत्र में घुस कर मछली पकड़ते रहते हैं।

श्रीमान जी, ट्रालरों या मशीनी नावों द्वारा वहां की मछली का बड़ा भाग पकड़ लिया जाता है और इन ट्रालरों या मशीनी नावों के मालिक अमीर लोग ही होते हैं अर्थात् वे लोग जो ट्रालरों या मशीनी नावों का उपयोग करके तटवर्ती क्षेत्र की अधिकांश मछली पकड़ लेते हैं। कुछ ऐसे प्रक्रियायें हैं जिनके माध्यम से ट्रालर तथा मशीनी नावें कार्य करती हैं। प्रायः इनमें लकड़ी की कंड़ियों या हार्ड-बोर्ड या इन जैसी किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता है और उनके साथ वे लोग समुद्र का पूर्ण तट क्षेत्र खोज लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि मछली के अण्डे तथा झल्ली नष्ट हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तकनीकी भाषा में इसे 'बच्चा मछलियों को मारना' कहा जा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, ट्रालरों, मशीनी नौकाओं द्वारा मछलियों के झुण्ड किनारो से दूर हट जाते हैं। क्योंकि वहां आवाज, गदलापन तथा तेल का धुआं आदि होता है। इन ट्रालरों तथा मशीनी नौकाओं की घुसपेठ के कारण मछलियां बहुत अधिक दूर भाग जाती हैं।

आपको मालूम ही है कि ट्रालरों के लिए झींगा मछलियां काफी मूल्यवान होती है। मैं विदेश व्यापार में झींगा मछलियों के महत्व को दर्शाने के लिये केवल एक दो आंकड़े उद्धृत करना

चाहता हूं। वर्ष 1978 में झींगा मछली के निर्यात से हमारे देश ने 179·06 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की जबकि उस वर्ष कुल 212 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात किया गया। अतः झींगा मछलियों में ट्रालरों तथा मशीनी नौका चालकों को काफी अधिक मूल्य मिलता है। इसलिए यह समुद्र-तट के काफी निकट पैदा होती है। इसलिए अधिकाधिक झींगा मछलियों को पकड़ने के लिए, ट्रालर तथा मशीनी नावें समुद्र-तट के निकट घूमती रहती हैं और स्वाभाविक है कि देशी मछुए या परम्परागत मछुए, जिन्हें पहले काफी मात्रा में झींगा मछली पकड़ने को मिलती थी, इससे काफी पैसा कमा सकते थे। परन्तु अब इन ट्रालरों तथा मशीनी नौकाओ के कारण वे बहुत कम मछली पकड़ पा रहे हैं। अन्ततः अनेक परम्परागत मछुए जो कि इस व्यवसाय में लगे हुये थे, बेकार हो गये हैं।

अन्य कठिनाईयां भी हैं। ट्रालरों से मछुओं के जाल भी कट जाते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि गत 5 वर्षों के दौरान लगभग 7 करोड़ रुपए के मूल्य के जालों को क्षति पहुचायी है। इस प्रकार से आप देशी मछुओं की कठिनाईयों को समझ सकते हैं। वे मछली पकड़ने के लिए गहरे समुद्र में नहीं जा सकते। उन्हें केवल तटवर्ती क्षेत्रों पर ही सीमित रहना पड़ता है। तटवर्ती क्षेत्रों में ट्रालरों तथा मशीनी नावों द्वारा घुसपैठ की जा रही है, जिससे वे बेकार हो गये हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुये कि यह देशी-नाव मछुए देश की कुल निर्यात आमदनी का लगभग 84% भाग अर्जित करते हैं।

वे अब ऐसी स्थिति में आ गये हैं कि बेकार हो गये हैं अथवा वे अपने परम्परागत धन्धे से बाहर जा रहे हैं। देश के मछुआरों की दशा के बारे में योजना आयोग ने एक अध्ययन किया था। 1974 में उन्होंने एक प्रतिवेदन तैयार किया और सिफारिशें कीं। प्रतिवेदन के अनुसार इस विषय पर उनकी यह सिफारिश थी कि परम्परागत मछुआरों को एक सुरक्षित क्षेत्र की आवश्यकता है! मुझे खुशी है कि सरकार ने इस प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शक सिद्धान्त लागू किये हैं और उन मार्गदर्शक सिद्धान्तो को अब सांविधिक समर्थन की आवश्यकता है।

मैं इस तथ्य के कारण कि विधेयक में मार्गदर्शक सिद्धान्त दिये गये हैं, श्री मालगी का समर्थन करता हूं—योजना आयोग द्वारा किये गये उस अध्ययन के आधार पर जिसमें देश के मछुआरों के लिए संरक्षित क्षेत्र की अनुशसा की गई थी, सरकार ने ये मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किये : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, अब इन सिफारिशों को सांविधिक समर्थन की आवश्यकता है। सांविधिक समर्थन के बिना, केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले से ही तैयार मार्गदर्शन सिद्धान्त प्रभावी नहीं रहेंगे। अतः इस विधेयक का प्रयोजन है इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों को समर्थन प्रदान करना। इस विधेयक से मैंने यही समझा है, सरकार द्वारा स्वीकार किये गये इस विधेयक के मुख्य सिद्धान्त से यही तो समझा है। इस विधेयक की आत्मा, भावना को न स्वीकार करना ही सरकार के सामने एक बाधा है, अतः मैं सरकार तथा विभिन्न वर्गों से आए इस सदन के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस देश के मछुआरों के हितों की रक्षा करें और उनको सबका समर्थन मिलना भी चाहिये।

मैं विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य महोदय को केवल एक ही सुझाव दूंगा कि वह विधे-

यक में ट्रालर (जालपोत), देसी नावों तथा मशीनी नावों को मिलाकर मछली पकड़ने वाले जहाजों के पंजीकरण का भी प्रावधान करें। इसलिए यदि पंजीकरण की प्रणाली चालू हो जायेगी तो भारत सरकार और राज्य सरकारों यह जानने की स्थिति में आ जायेंगी कि उन कार्यरत मत्स्य नौकाओं, मशीनी नौकाओं तथा देशी नौकाओं की वास्तविक संख्या क्या है जिनको लाइसेन्स दिया गया है। कुछ न कुछ तो नियन्त्रण होना ही चाहिये और यदि पंजीकरण की ऐसी कोई प्रणाली लागू कर दी जाए तो नियन्त्रण रखा भी जा सकता है। उन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के साथ-साथ जो कि स्वयं विधेयक में रखे गये हैं विधेयक प्रस्तुत करने वाले को मेरा यह सुझाव है कि वे एक ऐसा उपबन्ध भी इसमें जोड़ दें जिससे कि भावी मार्गदर्शन के लिए और कार्यवाही करने के लिए उन जहाजों का, नौकाओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाए। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : अब मन्त्री महोदय बोलेंगे। यह काफी हद तक मन्त्री महोदय पर निर्भर करता है। उन्हें अपनी बात अच्छी तरह से कह लेने दें।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) ; मैं आरम्भ में ही, इस विधेयक को लाने के लिए श्री महालगी महोदय के प्रति आभार प्रकट कर देता हूं, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कुछ विचार दिए हैं।

सभापति महोदय : पहले वाक्य से ही यह पता चल जाता है कि मन्त्री महोदय का दिमाग कहां काम कर रहा है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : इस ओर तथा उस ओर के सदस्यों ने चर्चा में भाग लेकर बड़े ही मूल्यवान सुझाव दिए हैं, विशेषकर परम्परागत मछुआरों के बारे में जो कि दुर्भाग्य से हमारे समाज का सर्वाधिक कमजोर वर्ग है और जो कि बड़ी ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि समुद्री मछली के मामले में हमारा मछली उत्पादन जो 1951 में 5.34 लाख टन था बढ़कर आज 15 लाख टन तक हो गया है। हमारे मछली निर्यात का मूल्य भी, जो 1951 में 3 करोड़ रुपये था बढ़कर गतवर्ष 250 करोड़ रुपये हो गया। कहां 3 करोड़ रुपये हैं और कहां 250 करोड़ रुपये ? देश के भीतर 9 करोड़ टन मछली के उत्पादन को मिलाकर, 20 करोड़ टन के अपने कुल मछली उत्पादन से हमारा स्थान इस उद्योग में विश्व में सातवां पड़ता है। देश की कुल निर्यात आय में, हमारा समुद्री मछली निर्यात लगभग 5 प्रतिशत पड़ता है।

यद्यपि इस विधेयक को लाने वाले माननीय सदस्य इसको बड़ी ही शुभ नियत से लाये हैं, फिर भी इसमें कुछ कमियां रह गई हैं। इस सरल से कारण को लेकर यह सम्पूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाया है कि हमारी जल-सीमा के पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र हमारी देशी नौकाओं के लिए और 5 से 10 कि० मी० तक मशीनी नौकाओं के लिए छोड़ दिया जाना चाहिये, परन्तु 10 से 20 कि0 मी० तक की सीमा के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : उसके लिए एक संशोधन लाया गया है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : 20 कि० मी० से आगे ट्रावलर्स मछली पकड़ सकते हैं।

यही तो उन्होंने अपने विधेयक में कहा है। हमारा इरादा यह है कि हमारी परम्परागत नावों को न केवल 5 कि० मी० तक ही मछली पकड़ने की अनुमति होनी चाहिये बल्कि जहाँ तक, जितनी दूर तक उनकी इच्छा हो बिना किसी बन्धन के वे मछली पकड़ सकें।

सभापति महोदय : उन्हें एक निश्चित दूरी तक ही जाकर जीवित वापिस आ जाना चाहिये।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : निस्सन्देह वे वापस आ जायेंगे। वापिस आने के लिए ही तो वे जायेंगे। जहाँ तक मशीनी नावों का सम्बन्ध है उन्हें 5 कि० मी की दूरी के क्षेत्र में मछली नहीं पकड़नी चाहिये। परन्तु वे 5 कि० मी० से आगे किसी भी दूरी तक जा सकती हैं। हम उन पर भी किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं लगा सकते हैं। वे 15 या 20 कि० मी० तक अथवा जहां तक जाना चाहें जा सकते हैं। 10 कि० मी० से आगे हमारे भारतीय ट्रावलर्स मछलियां पकड़ सकते हैं। 20 कि० मी० से आगे विदेशी ट्रावलर्स मछलियां पकड़ सकते हैं, यही हमारा विचार है।

भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी, जिसने इस प्रश्न पर विचार किया और जैसा कि मैंने अभी-अभी बताया है उन पंक्तियों पर एक आदर्श विधेयक तैयार किया। उस आदर्श विधेयक को सभी समुद्र-तटीय प्रदेशों को भेजा गया था। इस आदर्श विधेयक के आधार पर केरल और गोवा ने पहले से ही विधि तैयार कर ली हैं। उड़ीसा ने प्रारूप विधेयक तैयार करके हमारे पास भेजा था और हमने उसे स्वीकृत करके वापिस भेज दिया है। इसलिए वह भी बहुत शीघ्र कानून बन जायेगा। हम अन्य समुद्र तटीय प्रदेशों से भी, हमारे द्वारा भेजे गए आदर्श विधेयक के आधार पर कानून बनाने का अनुरोध कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आदर्श विधेयक को राज्यों को कब भेजा गया था ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : एक वर्ष पूर्व, 1980 में।

श्री आर के महालगी : यह ठीक नहीं है, कृपया फिर से पता लगाइये।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : इसमें सुधार किया जा सकता है। फिर भी हमने उस आदर्श-विधेयक को सभी समुद्र-तटीय राज्यों को भेज दिया है।

सभापति महोदय : जहाँ तक वर्ष की बात है आप शतप्रतिशत सही हैं।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : वह कोई बड़ी बात नहीं है।

हमारे पास एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र है जिसे संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 12 नौटिकल मिलों से अर्थात 22 कि० मी० से बढ़ाकर 200 नौटिकल मीलों से या 360 कि० मी० करके परिभाषित किया है यह क्षेत्र एकमात्र रूप में स्वयं हमारे देश के लिए आरक्षित कर दिया गया है। हमारे पास विशाल स्रोत हैं। समुद्र-सम्पदा का हमने उचित ढंग से उपयोग नहीं किया है। हमने इसका सही ढंग से दोहन नहीं किया है। हमने अपने सभी स्रोतों का दोहन नहीं किया है। जैसा कि मैंने बताया है हमारे ट्रावलर्स 10 कि० मी० से आगे जा सकते हैं। अनेकों लोग मछली पकड़ने के लिए विदेशी ट्रावलरों को उपयोग में लाते हैं। हमने उन्हें 20 कि० मी० आगे से मछली पकड़ने की अनुमति दे रखी है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या विदेशों के ट्रावलर्स हमारे समुद्र में मछली पकड़ रहे हैं ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : भारतीयों द्वारा काम में लाये जा रहे विदेशी ट्रावलर हमारे समुद्र में मछली पकड़ते हैं।

श्री आर० के० महालगी : जो तेइवनी जहाज भारतीय समुद्र में आते हैं उनके बारे में क्या कहना है ? सरकार ने इस क्या कार्यवाही की हैं ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : अभी हमारे पास ऐसा कोई अधिनियम नही है जिससे हम अपनी समुद्री सीमाओं में अवैध घुसपैठ करने वालों को दण्डित कर सकें। अब हमने एक विधेयक तैयार किया है। इसे मन्त्रीमण्डल ने भी स्वीकृति दे दी है और इसे शीघ्र ही सदन में पुरःस्थापित किया जायेगा। इसे अधिनियम का रूप दिया जायेगा, जिससे हम चोरी-छिपे हमारी सीमा में घुसपैठ करने वाले विदेशी ट्रावलर्स को दण्डित कर सकेंगे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उनको दण्डित करने के लिए क्या अभी हमारे पास कोई कानून नहीं है ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : उन विदेशियों को दण्डित करने के लिए हमारे पास कोई उचित कानून नहीं है जो हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। अभी तक हमारे पास उनको जब्त करने का कोई कानून नहीं है। वर्तमान स्थिति यही है।

सभापति महोदय : यदि मछली पकड़ना आपके बसकी बात नहीं है तो क्या आप विदेशी मशीनी मत्स्य नौकाओं को भी नहीं पकड़ सकते हैं ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : हमने बहुत सी ऐसी नौकाएं पकड़ी हैं। उदाहरणस्वरूप हमने बहुत-सी नौकाएं तूतीकोरिन में और विजाग में भी पकड़ी है। हम उनको यहां लाये हैं और मछलियां जब्त कर लीं।

सभापति महोदय : क्या उन पर नियमित रूप से अभियोग चलाया है ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : उन पर अभियोग चलाने के लिए हमारे पास कोई अधिनियम नहीं है। हम तो पकड़ी गई मछलियों को ही जब्त करते है और नावों को छोड़ देते हैं। उसके लिए हमारे पास कोई उचित अधिनियम नहीं है। अब हम एक ऐसा विधेयक ला रहे हैं जो कि उन्हें दण्डित करने की शक्ति सरकार को प्रदान करेगा।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : यदि कोई विदेशी ट्रालर हमारे क्षेत्र में मछली पकड़ता है तो हमारे मन्त्री महोदय ने बताया है कि उसे दण्डित करने का अभी हमारे पास कोई कानून नहीं है। हम उन्हें चोरी के मामले में नहीं पकड़ सकते हैं ?

सभापति महोदय : विधि मन्त्री महोदय और उनके मन्त्रालय को चाहिए कि इस विषय पर एक वृहत विधेयक लाएं और उसको पारित कराएं।

श्री आर० के० महालगी : 1977 में 200 मील का एक मात्र आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया था।

श्री आर० बी० स्वामीनाथन : उस क्षेत्र में आकर वे अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारे विभाग ने उस पर विचार किया है और विधि विभाग ने भी इस विचार किया है।

सभापति महोदय : यह उनके चातुर्य और हमारी निष्क्रियता का सूचक है।

श्री आर० बी० स्वामीनाथन : अब हम उनका पीछा कर रहे हैं।

श्री आर० के० महालगी : जनवरी मास में हमारी सरकार के एक जहाज को लंका के एक जहाज ने डुबा दिया था।

श्री आर० बी० स्वामीनाथन : वह तो अलग बात हैं। लंका की नौसेना का एक जहाज हमारी सीमा में घुस आया था, जिसे पकड़ लिया गया था। परन्तु वह भिन्न पहलू है और अतिक्रमण का प्रश्न एक दम से भिन्न हैं।

अत: हम अपने गरीब मछुआरों के कल्याण में गहरी अभिरुचि रखते हैं। हमारे पास 1.2 लाख देसी नावें हैं। हमारे छः लाख लोग इन देसी नावों पर निर्भर करते हैं। यदि आप विस्तार में जाएं तो मछली पकड़ने का 62 प्रतिशत काम परम्परागत मछुआरे करते हैं। मशीनी नावों से तो केवल 37 प्रतिशत मछली पकड़ी जाती है जबकि हमारे पास हजारों मशीनी नावें हैं। मछली पकड़ने का 1 प्रतिशत काम भारतीय ट्रालर करते हैं।

यह स्थिति है। हमें अपने परम्परागत मछिआरों की रक्षा करनी चाहिए जो इस धंधे को बहुत लम्बे समय से कर रहे हैं। वे हमारा संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। हमें उन्हें अधिक प्रोत्साहन और मछली पकड़ने के लिये बेहतर सुविधायें अवश्य प्रदान करनी चाहिए।

सभापति महोदय : हमारे जालपोतों में क्या परेशानी है ? क्या वे कारगार नहीं हैं ? तथा वे व्यक्ति कुशल नहीं हैं जो ऊपर कार्य कर रहे है ?

श्री आर० बी० स्वामीनाथन : हमारे पास लगभग 70 व 75 जालपोत हैं। थाईलैंड तथा ताइवान जैसे छोटे देशों में प्रत्येक के पास 4000 जालपोत हैं। जापान के पास 7000 जालपोत हैं। इस सम्बन्ध में हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। हमने उन्हें 10 किलोमीटर से आगे मछली पकड़ने की अनुमति दी हुई है।

श्री महालगी ने अपने विधेयक में एक और कमी छोड़ दी है। उन्होने दंड के बारे में किसी बात का उल्लेख नहीं किया है। यदि कोई उल्लंघन करता है तो उन्होंने उससे निपटने का कार्य सरकार पर छोड़ दिया क।

सभापति महोदय : परन्तु आप विदेशी जालपोतों को दंड नहीं दे रहे हो !

श्री आर० बी० स्वामीनाथन : यह क्या है ? आप इसे समझे नहीं हो ? जब आप पीठासीन होते है तो आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं उन विदेशी जालपोतों की बात कर रहा हूं जो हमारे क्षेत्र में अनधिकार मछली का शिकार कर रहे हैं। ये हमारे देश की नौकायें है और यदि वे कानून का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें दंड मिलेगा। वास्तव में, केरल तथा अन्य राज्यों में आदर्श विधेयक हैं जिनमें दंड निर्धारित है। आपको हमारी देशी नौकाओं तथा पंजीकृत नौकाओं को विदेशी जालपोतों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। मैं यह कह रहा था कि हमारे पास उन

विदेशी जालपोतों को दण्ड देने की कोई व्यवस्था नहीं है जो कानून का उल्लंघन करते हैं। जहां तक हमारे देशी पोतों तथा पंजीकृत पोतों का सम्बन्ध है, हमने उसके विषय में दण्ड की व्यवस्था की हुई हैं। यदि कोई पन्जीकृत नौका 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर आ जाती है तो उस पर जुर्माना किया जा सकता है केरल और गोवा अधिनियम के अन्तर्गत 5 किलोमीटर के क्षेत्र में सिवाय हमारे परम्परागत मछुआरों के अन्य कोई मछली नहीं पकड़ सकता है। वास्तव में हम इस प्रश्न पर विचार करने के लिए मछली पालन के प्रभारी मन्त्रियों की एक बैठक बुला रहे हैं। इसके अलावा 'मेरीन सन्ट्रल बोर्ड आफ फिसरीज' नामक एक बोर्ड भी है जिसके सभी राज्यों के मंत्री और कुछ सांसद सदस्य हैं। हम उस बोर्ड की शीघ्र ही एक बैठक बुला रहे हैं। चूंकि यह खाद्य एवं आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत इसलिए हम मछली पकड़ने के इस विषय पर विशेष ध्यान देते हैं।

प्रधानमन्त्री की इस बात में रुचि है कि इस विषय पर हमारा एक और कानून होना चाहिए। हम विधि मन्त्रालय से मन्त्रणा कर रहे हैं और शीघ्र ही एक कानून बनाया जाएगा।

सभापति महोदय : आपका वचन पर्याप्त है।

श्री आर. वी. स्वामीनाथन : जो सुझाव सदस्य महोदय ने दिए हैं उन्हें उस विधेयक में शामिल किया जाएगा जो शीघ्र ही लाया जाएगा। अतः मेरा श्री महालगी से अनुरोध है कि वह अपना विधेयक वापस ले लें।

***श्री आर. के. महालगी (ठाठो)** : सभापति महोदय मेरे विधेयक पर जिन सदस्यों और मन्त्री महोदय ने चर्चा में भाग लिया है उनका मैं आभारी हूं। इस चर्चा में सर्वश्री फैलीरो, मधु दंडवते, प्रो. रंगा, बापू साहिब, परूलेकर, नायर, अराक्कल, पासवन चित्त बसु ने भाग लिया और समाज के एक कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए अनेक सुझाव दिए। मछली पालने के धंधे पर तीन करोड़ मछुआरे तथा उनके आश्रित व्यक्ति निर्भर करते हैं; दस राज्यों में तटीय पट्टियां हैं। हमारा समुद्र तट 6,500 किलोमीटर लम्बा है तथा देशी मछुआरों की समस्या विस्तृत क्षेत्रों तथा बहुत सारे लोगों से सम्बन्धित है।

यह विधेयक इसलिए पेश किया गया था कि मछुआरों का आर्थिक उत्थान सुनिश्चित किया जा सके : इस पर चर्चा से यह बात प्रकट हुई कि सभी दलगत मतभेद समाप्त हो गए थे और मछुआरों की समस्याओं के बारे में सारी सभा ने चिन्ता व्यक्त की। सभी सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की कि मेरे सुझावों के अनुसार तुरन्त एक कानून बनाया जाए। सरकार ने कुछ निर्णय लिए थे परन्तु वे उन्हें क्रियान्वित नहीं कर सके और इसीलिए मैंने अपना विधेयक पेश किया। विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार का ध्यान मछुआरों की समस्याओं की ओर विशेष रूप से दिलाया गया और ये आश्वासन दिए गए हैं कि शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी। मुझे खुशी है कि सरकार ने आश्वासन दिया है।

इस विधेयक में कुछ कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। मैं इस विषय में तर्क नहीं करना चाहता कि वास्तव में वे कमियां हैं या नहीं। श्री परूलेकर ने कुछ नई बातें कही

*मराठी भाषा में दिए गए भाषण के के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

और कुछ उपायों का सुझाव दिया है। यदि सरकार यहां पर कही गई सभी बातों को ध्यान में रखकर विधेयक लाती है तो यह स्वागत योग्य बात होगी। विधेयक इसी सत्र के दौरान लाया जाना चाहिए। यदि यह सम्भव नहीं हो तो इसे अगले सत्र में पेश किया जाए।

मन्त्री महोदय से आज एक बात सुनी है कि विदेशी ट्रालर हमारे जल-क्षेत्र में आ जाते हैं परन्तु उनसे निपटने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है कि स्वतन्त्रता के तीस वर्षों के बाद भी हम ऐसा कानून बनाने में असफल रहे हैं। विदेशी ट्रालर हमारे जल-क्षेत्र में घुस आते हैं और मौज के साथ भ्रमण करके वापस चले जाते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने उनसे निपटने के लिए कानून बनाने का इरादा भी व्यक्त किया है।

चूंकि सरकार ने इस सम्बन्ध में एक विधेयक पुरः स्थापित करने का आश्वासन दिया है इसलिए मैं अपने विधेयक को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

श्री आर. वी. स्वामीनाथन : श्रीमान, जहां तक जल-क्षेत्र का सम्बन्ध है 22 किलोमीटर तक तटवर्ती राज्यों का सम्बन्ध है। इसके बारे में कोई कानून बनाने का कार्य केन्द्र का नहीं है। राज्य कानून पारित कर सकते हैं। हम अपने मछुआरों की रक्षा करने के लिए सही विधेयक लाने के लिए राज्यों को केवल सुझाव दे सकते हैं। 22 किलोमीटर तक के क्षेत्र उनके नियन्त्रण में है। 22 किलोमीटर के आगे के क्षेत्र से भारत सरकार का सम्बन्ध है। इसलिए मछली पकड़ने को विनियमित करने के लिए 22 किलोमीटर से आगे के क्षेत्र के बारे में हम कानून बना सकते हैं। 22 किलोमीटर तक राज्यों का क्षेत्राधिकार है। इसलिए हमने मछुआरों की रक्षा करने के लिए कानून बनाने हेतु एक आदर्श विधेयक भेजा है और हम राज्यों के मछली पालन के प्रभारी मन्त्रिओं तथा केन्द्रीय मछली पालन बोर्ड की एक बैठक बुला करके अनुवर्ती कार्यवाही कर रहे हैं। इसलिए हम यह मामला राज्य सरकारों पर छोड़ रहे हैं।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों को चलाने वाले लोग भी सही व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से आपकी बात सुनेंगे तथा कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्होंने विधेयक को वापस लेने की अनुमति मांगी है।

सभापति महोदय : मैं इससे अवगत हूं और मैं आवश्यक कार्यवाही कर रहा हूं।

श्री वी. के. नायर : यंत्रीकृत नौकाओं को डीजल की राजसहायता प्राप्त के बारे में क्या आश्वासन है?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : विधेयक का प्रस्तावक विधेयक को वापस लेना चाहता है।

श्री आर. वी. स्वामीनाथन : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं और मैं पहले वक्तव्य को सुधारना भी चाहता हूं। यद्यपि हमारे पास कुछ अधिनियमों के अन्तर्गत विदेशी ट्रालरों को दन्ड देने के लिए कानून है, फिर भी विदेशी ट्रालरों को जब्त करने का हमारे पास कोई कानून नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री आर. के. महालगी : इसलिए मेरा शब्द आघात सही था।

सभापति महोदय : कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें जेल में रखना, कुछ महीने उन्हें खिलाना अत्याधिक प्रभावी दंड होगा। (व्यवधान) अब मैं संशोधनों पर कार्यवाही करूंगा।

श्री बापू साहिब परुलेकर ने एक संशोधन प्रस्तुत किया था। वह सभा में नहीं हैं। मैं उनके संशोधन को सभा में मत-विभाजन के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : श्री आर. के. महालगी विधेयक वापस लेना चाहते हैं।

श्री आर. के. महालगी : मैं देशी मछुआ नावों का मोटर बोटों तथा ट्रालरों की प्रतिस्पर्धा से संरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देशी मछुआ नावों का मोटर बोटों तथा ट्रालरों की प्रतिस्पर्धा से संरक्षण का उपबंध करने वाले बिधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री आर. के. महालगी : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 15 का संशोधन आदि)—जारी

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

हमारे संविधान के लागू होने तथा 1950 में हमारे गणतन्त्र के अस्तित्व में आने से हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसकी पृष्ठ भूमि में इस विधेयक का प्रश्न उठा है।

उस समय हमारे संविधान में हमारे सामाजिक ढांचे की सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठ-भूमि पर विचार किया गया था जो पिछले हजारों वर्षों से हमें उत्तराधिकार में मिलती आई थी। उस समय जन्म पर आधारित कोई जाति नहीं थी। जिसे हम सतयुग, कलयुग और ब्रह्म-युग कहते हैं उस समय जन्म पर आधारित कोई जाति नहीं थी। उस समय पेशे पर आधारित किसी का जन्म नहीं माना जाताथा। अत: उस समय जिस किसी ने जो को काम किया, उसके जन्म का लिहाज किए बिना, हमारे समाज ने उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में माना या वर्गी-कृत किया।

वेदों में, विशेषकर महाभारत में, कुछ उपनिषदों में और इन सबसे ऊपर हरिवंश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। वहां स्पष्ट रूप से कहा गया है।

पुत्रां गृत्समदस्यापि शुनकां यस्य शौनका:
ब्राह्मः क्षत्रियाश्चैवं वैश्या शूद्रास्तथैव च ।

अर्थात् गृहस्थ के अनेक वंशज थे । उनमें से एक मुनक था, उसके वंशज शौनक कहलाए तथा वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र थे ।

एते त्वांगिरसः तुत्रा जाता वैशेवभार्गवे,
ब्राह्मण: क्षत्रिया वैश्यस्तयो: तुत्रा: सहस्रश: ।

भृगु राज वंश के लोग भार्गव कहलाए । उनके अंगीरस के वंशज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे । परन्तु फिर भी धनी और निर्धन के बीच और शासितों के बीच समाज में विभाजन नहीं हुआ था । जैसा कि आप जानते हैं, एक वनश्लोक के आधार पर वाल्मीकि तथा महाभारत में कई श्लोकों में जब श्री कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों को भीष्म पितामह बताते है :

न वै राज्यं न राजसीत्ता च दण्डयोन दांडिकः,
धमेणैव प्रजा: सर्वा: रक्षन्तिस्म :परस्परम् ।

वहां न तो कोई शासक था और न कोई शासित. न ही कोई राज्य सत्ता का बल था । लोग स्वभावत: एक-दूसरे से सहयोग तथा एक-दूसरे की सहायता करते थे ।

अत: उस समय, समाज धनी और निर्धन में विभाजित नहीं था बल्कि लोगों के कर्त्तव्यों तथा अधिकारों के आधार पर विभाजित था । उन्होंने इस प्रकार वर्गीकरण किया हुआ था ।

ऐसे हजारों उदारण हैं । उदाहरणार्थ, हम वेद व्यास को जानते हैं, जो भगवान व्यास के नाम से प्रसिद्ध हैं । उनकी माँ शुद्र थी । वे एक महान विद्वान, वेदों के संकलनकर्ता, ब्रह्मसूत्र वेदांत तथा पुराणों के लेखक बने । उन्हें न केवल ब्राह्मण की संज्ञा दी गई अपितु ब्रह्मस्त भी कहा गया । छन्दोग्य उपनिषद् में जो महाकाव्य नहीं है केवल सूत्र थे । वहां बताया गया है कि सत्यकाम गौतम के पास गए थे । गौतम ने उससे पूछा कि उनके पिता का नाम क्या है । बालक ने उत्तर दिया कि वह नहीं जानता । वह वापस अपनी मां ज्वाला के पास चला गया और पिता का नाम पूछा— मां ज्वाला ने उसे बताया, "अपनी जवानी में मैं अनेक युवकों, अनेक पुरुषों के साथ रही थी । मुझे पक्का पता नही है कि उनमें से किससे तुम्हारा जन्म हुआ । अत: मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकती कि तुम्हारा पिता कौन है । इसलिए तुम जाओ और अपने गुरू गौतम को बताओ कि तुम्हारी माता का नाम ज्बाला है और इसलिए तुम्हारा गोत्र ज्वाला से जावल होगा ।" पुत्र ने जाकर गौतम को इन्हीं शब्दों में यही कहानी बता दी । यदि इस युग का कोई शिक्षक होता तो वह उस बालक को कक्षा से बहर निकाल देता या देती । परन्तु गौतम ने उससे कहा, "तुम्हें ब्राह्मण होना चाहिए क्योंकि तुमने यह सत्य बात बताई है ।" अत: उन्होंने उसे शिक्षा दी और सत्यकाम एक महान ब्राह्मण ऋषि बने जिनकी ऋचाएं ऋग्वेद में मिलती हैं ।

ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी । परन्तु जब समाज धनी और निर्धन के बीच बंट गया, समाज में वर्ग विभाजन हो गया, तो थोड़े से लोग पश्चिमी लोगों का और दूसरों के श्रम का फल

का शोषण करने के लिए शीर्ष स्थान पर उभरे। उस सामाजिक ढाँचे के अनुसार, उस आर्थिक ढाँचे के अनुसार, एक नए सामाजिक ढाँचे का जन्म हुआ, एक नए दार्शनिक उच्च ढाँचे का जन्म हुआ और तब जन्म के आधार पर जाति-प्रथा उभरी जो हमारे समाज के लिए हानिकारक रही है।

महोदय, मैं इस समस्या के सभी पहलुओं पर चर्चा नहीं करूंगा। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसके विरूद्ध है, प्रत्येक व्यक्ति इस प्रणाली की आलोचना कर रहा है, फिर भी हम देखते है कि यह प्रथा फल-फूल रही है यह इस हद तक फल-फूल रही है कि यह जातिगत पिछड़ापन अब केवल गांवों तक सम्बन्धित नहीं रहा। पूंजीवादी प्रणाली, इस पूंजी वादी व्यवस्था को बचाने की आवश्यकता के कारण यह जाति प्रथा या राजनीतिक जोवन दिल्ली से राज्यों की राजधानियों तक वहां से जिला मुख्यालयों तक, और फिर वहां से गांवों में पहुंचता है। देश जाति प्रणाली पर विभाजित है यह स्थिति का दुखात्मक पक्ष है।

स्थिति के इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, हमारे सविधान निर्माताओं वे उस समय सोचा था कि इस वर्ग प्रणाली की कठोरता को किस प्रकार कम किया जाए, समाज को कम असह्य प्रणाली की ओर धीरे धीरे कैसे बढ़ाया जाए। संविधान निर्माता इस प्रणाली की मूल जड़ों तक नहीं पहुंचे, जो आर्थिक असमानता और वर्ग शोषण है। इसी लिए मैं कहता हूं कि उन्होंन प्रणाली में किंचित परिवर्तन करने का प्रयत्न किया। यह एक हिचकिचाता हुआ और कदाचित अपने दिल से उठाया गया एक कदम था, परन्तु फिर भी सही दिशा में उठाया गया था।

अत: संविधान के अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था की गयी :

> "इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खन्ड (2) की किसी बात से राज्य की सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए किन्ही नागरिक वर्गो की उन्नति के लिए या अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने में बाधा न होगी।"

संविधान में ऐसा उसबन्ध है तथा इसके परिणामी परिवर्तन अनुच्छेद 335 में किए गए और फिर संविधान के अनुच्छेद 340 में किये गए। यह तभी से लागू हो गया था और हम देखते हैं कि अभी भी शैक्षिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन हमारे समाज में अनुसूचित जन जातियों और गैर-अनुसूचित जन जातियों के लोगों के प्रति छूआछूत का अभिशाप और पिछड़ेपन की स्थितियां किसी भी सीमा या मात्रा में कम या समाप्त नहीं हुंई हैं।

हम जानते है कि भारत को इस प्रकार विभाजित किया गया, एक मूल भारतीय— जिन्हें अंग्रेजों ने जन जाति कहा तथा दूसरे वे मूल भारतीय जिन्हें वेदों ने आक्रामक आर्यों तथा आर्यों से कहीं अधिक उन्नत अधिक सभ्य घोषित किया था।

मोहन जोदड़ो भारत की संस्कृति और भौतिक विकास का सबूत है तथा ब्लूचिस्तान के निकट हजारों वर्ष पुराने स्तूप खुदाई मे निकले हैं जो अब पाकिस्तान का एक भाग है। उस

समय आर्यों के भारत में आने तथा उनके यहां पर बसने से पुर्व का भारत उनसे बहुत ज्यादा विकसित तथा उन्नत था। आर्यों ने स्वयं को मूल भारतीयों से अलग रखने की चेष्टा की थी।

अगस्तय के शिष्य विश्वरथ के नेतृत्व में एक अन्य जनजाति विकसित हुई। जब अम्बरीष ने विश्वरथ को कैद किया तो एक अन्य जनजाति विकसित हुई। विश्वरथ ने निर्णय लिया कि आर्यो और मूल भारतीयों जो गैर आर्य कहलाते थे, के बीच परस्पर मिलाप तथा परस्पर विवाह होने चाहिए। अत: उसने स्वयं विवाह किया। इस कारण वश आर्यों के एक वर्ग ने उसकी निन्दा की। परन्तु वह अपने निर्णय पर दृढ़ रहा और इसलिए वह बाद में विश्व रथ नहीं अपितु केवल विश्वमित्र कहलाया और उसके वंशज बाद में विश्व मित्र के नाम से जान गए। अत: हमारे इतिहास की प्रारम्भिक अवस्था में इस धारा पर संघष हुआ कि आपस में रक्त का मिलाप होना चाहिए और न केवल उस समय प्रचलित विभिन्न वर्णों के बीच ही नहीं अपितु विभिन नस्लों, विभिन्न रंगों के लोगों के बीच वैवाहिक सम्बन्ध भी होने चाहिए।

मैंने वेद व्यास का उदाहरण दिया है। परन्तु ऐसे सैंकड़ों उदाहरण हैं। गुरू वशिष्ट स्वयं एक वेश्या के पुत्र के रुप में जाने जाते हैं।

वेश्या पुत्रो वशिष्ठ

हम यह कई स्थानों पर देखते हैं क्योंकि उस समय किसी व्यक्ति का स्थान उसके जन्म पर नहीं, अपितु उसकी योग्यता, विद्वता, पेशे और गुणों पर आधारित था। ये बातें उस समय थी। परन्तु मेरा बिचार है कि इन प्रावधानों के अधिनियमित होने और संविधान के लागू होने के बाद ऐसा लगता है कि इस दिशा में हुई प्रगति नगण्य है, अन्तर जातीय विवाह की दिशा में तो बिलकुल ही प्रगति नहीं हुई है, हालांकि यह सच है कि हममें से जो भारत में निबास कर रहे हैं शुद्ध आर्य रक्त से बनी नहीं है। विश्व मित्र के नेतृत्व में पनपी प्रवृत्ति के कारण हम मिश्रित रक्त के हैं। उस अर्थ में हम कलमी हैं, हम मिश्रित रक्त के मिश्रित उदगम के हैं। फिर भी इन लोगों और जो मूल भारतीय जन जातियों के रुप में जाने जाते हैं उन लोगों के बीच विवाह और वैवाहिक सम्बन्ध बहुत कम है, प्राय: नगण्य है।

इसी प्रकार हमारे समाज का एक वर्ग जिसने गुलाम प्रणाली और बाद में सामन्ती प्रणाली अधीनता स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने इसके विरुद्ध विद्रोह किया, शुद्र के रूप में जाने गए। समाज ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों में विभाजित हो गया, और जिन्होंने अधीनता, गुलामी स्वीकार नहीं की, वे शुद्र कहलाए। इसके एक महत्व पूर्ण भाग को दुसाध्य माना गया अर्थात जिन पर नियंत्रण करना बहुत कठिन हो, क्योंकि वे अनियंत्रित थे, आज कल वे दुसाध के रुप मे जाने जाते हैं जो अनुसूचित जातियों के एक महत्व पूर्ण वर्ग है।

अत: वे जो वास्तव में भूमि को जोतने वाले थे, उनमें से अधिकांश को शूद्र माना गया और बाद में उन्हें अछूत बना दिया गया, ऐसा प्रारम्भ में नहीं था मैं नहीं जानता कि संसार के किसी भी भाग में, लिखित इतिहास में ऐसी बात है जैसो कि हमारे यहां है। पहले भूमि वीरान होती थी, वहां कोई आबादी नहीं होती थी, कोई गांव या कस्बा नहीं था; लोग इधर से उधर आते

जाते थे;वे फल, जड़ पत्तों आदि तथा मछली और मांस पर भी जीवित रहते थे, ऐसी सामाजिक व्यवस्था में तो अनेक लोग भुखमरी के कारण मर गए। उस समय एक व्यक्ति था जिसने सर्व प्रथम भूमि को कुछ भाग को समतल बनाया, फिर उसने कुछ बीज बोए और कुछ अनाज उगाया वह पहला किसान था। वह पतला आदमी था जिसने भूमि को जोता, जिसने सर्व प्रथम अनाज का उत्पादन किया था उसका नाम पृथु था। इसी लिए यह संसार उसके नाम के कारण पृथ्वी के रूप में जाना जाने लगा। यह मेरी व्याख्या विशद रूप से हरिवंश महाभारत में दी गई है। उस समय श्रम वर्जित कर्म नहीं था, अपितु श्रम एक प्रतिष्ठा का मामला था। जैसा कि मैंने कहा कि विश्व का नाम पृथ्वी प्रथम किसान पृथु के नाम पर पड़ा। बाद में, जब गुलाम समाज उभरा, जब सामन्ती प्रणाली उभरी, जब शोषक उभरे तब उस स्थिति में उन्होंने निर्णय किया कि जो परिश्रम करते हैं उन्हें अछूत माना जाए, जो अनाज पैदा करते हैं उन्हें अनाज छूने न दिया जाए। वे भूमि जोत सकते हैं, तब वे अछूत नही है वे पौधे लगा सकते है तब वे अछूत नहीं हैं; वे फसल काट सकते हैं तब भी वे अछूत नहीं है; वे उसकी गहाराई कर सकते हैं फिर भी अन्न प्रदूषित नहीं होता है। परन्तु जब खाने का समय आता हैं तो उन्हें दूर रखा जाना चाहिए। यह जातिगत शोषण का क्रूरतम रुप है, उसका अत्यधिक भयंकर रूप है। यह केवल सामाजिक बात ही नहीं अपितु वर्ग की बात भी है जिसके द्वारा सम्पत्ति के खाद्यान्न के वास्तविक उत्पादन कर्ता, अन्नदाता का आर्थिक शोषण किया जाता है। अत: यह वर्ग प्रणाली जाति प्रणाली के रूप में एक अधि रचना बन गई, जिसके स्वयं को सामाजिक व्यवस्था में स्थायी बना लिया है। यह उन कारणों में से एक कारण है जिनके कारण भारत जैसा बड़ा देश बड़ा देश से मेरी अभिप्राय है कि जब पाकिस्तान भी इसका एक भाग था-बाहर के छोटे मोटे आक्रमणों से अपना बचाव नहीं कर सका। जब मैं बालक था और जब मैंने भारत का इतिहास पढ़ा तो, मैं हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई विजेता एक लाख या दो लाख आदमियों की सेना लेकर आए और दिल्ली में किसी सम्राट या राजा को हरा सके और पूरा भारत उसके सामने दन्डवत प्रणाम करे। देश के दूसरे लोग क्या कर रहे थे। एक राणा प्रताप और फिर शिवाजी कभी लड़े थे, किन्तु शेष समाज क्या कर रहा था ? इसका उत्तर इस घातक जाति प्रथा में ही है जिसमें यह निर्धारित किया गया कि जो श्रम करते हैं, जिनकी भुजाओं में बल है, जो कटाई के औजार का और श्रम के अन्य साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें तलवार उठाने का अधिकार नहीं है उन्हें देश के रक्षा करने का अधिकार नहीं है और उन्हें देश या समाज की रक्षा से कोई वास्ता नहीं है। उन्हें सामाजिक और नैतिक रूप से घृणित माना गया था उन्हें अलग रखा गया और देश की रक्षा का भार कुछ हाथों में सौंप दिया गया। उनमें से कुछ ने स्वयं को अमरसिंह, कुमारसिंह, शिवाजी और अन्यों के रुप में उत्कृष्ट बनाया तथा शेष ने विजेताओं या हमलावरों के सामने हथियार डाल दिए।

अत: यह हमारी सामाजिक व्यवस्था पर अभिशाप है जो हजारों वर्षों से चलता आ रहा है हमारा संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक विभाजन को छुए बिना हिचकते हुए कुछ व्यवस्था की गई है और इसलिए इसका वह परिणाम नहीं निकला जो हम लोगों में से अधिकांश और अनेक लोग चाहते थे।

अतः मैं यहां कहना चाहता हूं। मैं वैयक्तिक रुप से जानता हूं कि जब तक भूमि सम्बन्ध ऐसी ही बना कायम रहेगा जैसा कि वह आज है जब तक भूमि में, भूमि की अर्जित आय में हिस्सा बना रहेगा. जब तक परम्परागत पुश्तैनी भूमि बनी रहेगी, तब तक जाति प्रथा निश्चित ही बनी रहेगी, यह समाप्त नहीं होगी। क्योंकि आज भी हम यह देखते हैं कि आज कल मेडिकल छात्रों तथा इंजीनियरी छात्रों के पास जनेऊ नहीं है वे एक दशक से भी अधिक समय से बिना जनेऊ के है, फिर भी जब कोई संकट आता है तो वे जनेऊ के नाम पर अन्य लोगों पर चाकू और भालों से हमला करते हैं। जब मैंने उनसे पूछा, तुम्हारा जनेऊ कहां है ?" उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा "वह नहीं है।" अतः यह आधुनिक जाति प्रथा है जो दिल्ली से चलती हैं दलों के नेता प्रधान मन्त्री भूतपूर्व प्रधान मन्त्री भावी प्रधान मन्त्री का जातिगत चरित्र इस गांव से उस गाँव तक गूंजता रहता है। मैं किसी एक व्यक्ति के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। जाति प्रथा अब दिल्ली से गांवों में स्थानान्तरित हो गई है। यह नई वास्तविकता तथा दुर्भाग्य पूर्ण वास्तविकता है। ऐसी स्थिति में यह विधेयक लाया गया है। महोदय यह विधेयक समस्या के सभी पहलुओं से सम्बन्धित नहीं है। इस विधेयक का क्षेत्र जिसका मैंने प्रस्ताव किया हैं, बहुत सीमित है परन्तु इसमें इसी दिशा में एक और संशोधन करने की चेष्टा की गई है।

अनुच्छेद 15 (4) में कहा गया है :

> "इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खन्ड (2) की किसी बात से राज्य की सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने में बाधा न होगी।"

यहां मैं और आर्थिक रूप से भी जोड़ना चाहता हूं।

हमारे समाज में हमारे देश में हाल ही में इस विषय पर गम्भीर विवाद हुआ था- क्या जाति के आधार पर आरक्षण हो सकता है, क्या जाति या आर्थिक आधार पर वरीयता दी जानी चाहिए। अथवा यह दोनों या एक आधार पर होना चाहिये। यही रूकावट थी जिसने पिछले कई वर्षों से हमारे समाज और राजनीतिक जीवन को गम्भीर रुप से विभाजित किया विशेषकर उत्तरी भारत को अधिकाँश भागों में। परन्तु जैसी कि मैंने कहा यह दोनों में से एक या नहीं से काम नहीं चलेगा क्योंकि वर्ग विभाजन स्वयं वर्ग शोषण पर ऐतिहासिक रुप में आधारित हैं। यह जाति अभि रचना का मूल कारण तथा आधार हैं।

अतः महोदय, जहां सामाजिक और शिक्षात्मक लिखा है वहां मैं और आर्थिक रूप से भी जोड़ना चाहता हूं। महोदय लोगों को विशेष प्रोत्साहन देने और आरक्षण देने के लिए सामाजिक और शिक्षात्मक पिछड़ेपन का मान दन्ड वर्तमान समय में विद्यमान कहना चाहिए परन्तु आर्थिक रूप से पिछड़ापन भी इनमें एक मान दन्ड के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अतः इसे सामाजिक, शिक्षात्मक और आर्थिक होना चाहिए। में आशा करता हूं कि सभा के सदस्य इस विधेयक पर चर्चा करते समय इस बात पर भी विचार करेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जहां अनुच्छेद 15 में अनुसूचित जातियों और अनु-

पर जो वेदान्त की बातें कहीं है, वे तो आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि आप बड़े पडित हैं। मैं इसका हार्दिक समर्थन करता हूं।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) सभापति महोदय,...

सभापति महोदय : मेरे विचार से, इस विधेयक पर वे सदस्य ही बोलने के अधिकारी हैं जो विवाहित हैं या जो सन्तान वाले हैं।

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, फिर आपने श्री अटलबिहारी जी को बोलने की अनुमति क्यों दी थी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं तो केवल एक वाक्य बोलकर बैठ गया था।

सभापति महोदय : यदि मैं आपकी स्थिति में होता तो मैं कुछ भी नहीं बोला होता। अब मन्त्री महोदय आप कृपया अपनी बात जारी रखिये।

श्री पी शिवशंकर : महोदय, इस विधेयक में भारतीय संविधान के तीन अनुच्छेदों को संशोधित करने की बात उठाई है। पहला अनुच्छेद 15 (4) है।

आपको याद होगा कि अनुच्छेद 15 (4) संविधान के प्रथम संशोधन के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था। चम्पाकम, डोराइराजन मुकदमे में यह मामला मद्रास उच्च न्यायालय के समुख आया था और बाद में उच्चतम न्यायालय ने सरकार के उस फैसले को नामंजूर कर दिया था, जिसके अधीन उसने पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया था। उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 46 में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित-जातियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सुनिश्चित प्रावधान है और इस निदेशक सिद्धान्त के आधार पर ही सरकारी आदेश जारी किया गया था। परन्तु उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने यह अनुभव किया कि निदेशक सिद्धान्त न्यायसंगत नहीं है और उन्हें विधि-न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता और इसलिए प्रावधान न होने के कारण सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया। इसी कठिनाई पर काबू पाने के लिए संविधान प्रथम संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15 (4) जोड़ा गया। इस संशोधन को प्रस्तुत करने वाले डा० अम्बेडकर ने, जिन्हें इतिहास में हमारा एक सर्वोत्तम संविधान-विशेषज्ञ माना जाता है, इस पर यह मत व्यक्त किया था कि यह संशोधन इसलिए लाया जा रहा है कि उन वर्गों के हितों की सुरक्षा की जा सके, जो समाज के बोझ से दबे रहे हैं। इसी धारणा के आधार पर उन्होंने सामाजिक और शैक्षाणक रूप से पिछड़े वर्गों के सिद्धान्त पर जोर दिया था। निस्सन्देह यह सच है कि आरम्भ में केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में ही सोचा गया था। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से अब यह सुनिश्चित हो गया है, विशेषकर, बालाजी के नाम से जाने वाले मुकद्मे, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने 1962 के अन्त में फैसला दिया था कि वर्ग निर्धारण में जाति भी एक संगत कारक है।

भारतीय समाज का एक जो सुनिश्चित तथ्य है, वह है जाति को मान्यता देना। इस तथ्य के रहते भी कि हमारे नेता समय-समय पर जाति-विहीन समाज के मामले को उठाते रहे

हैं, दुर्भाग्य से अभी हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, यदि मैं अपनी बात कहूं तो मैं तो एकदम से वर्ग-हीन और जाति-विहीन समाज दोनों के हक में हूं। परन्तु इस आदर्श को प्राप्त करना अभी बाकी है। कभी-कभी हमें ऐसी स्थिति का भी सामना करना पड़ता है जब हमें ऐसे मामलों में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है और जैसे कि आज स्थिति है हमें जाति और उसके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

महोदय, मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूं कि जैसा कि कल भी यहां बिल्कुल ठीक कहा गया था कि देश के मुश्किल से नौ राज्यों में ही वर्गों के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर गणना पूरी हो सकी है। निस्सन्देह, समय-समय पर विभिन्न अदालतों ने इसे कसौटी पर कसा है और इस तथ्य के होते हुए भी कि इस विशिष्ट खण्ड को प्रथम संशोधन द्वारा ही जोड़ दिया गया था, अभी भी ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पिछड़े वर्गों की गणना ही नहीं हुई है और जिन राज्यों में पिछड़े वर्गों की गणना हुई है, वहां भी यह अभी हाल ही में की गई है।

अतः, मुझे अब इस बात की अधिक चिन्ता है कि इस संशोधन से, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की हालत में सुधार लाने के उद्देश्य में लाया गया था, वांछनीय उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं।

अब आर्थिक पिछड़ेपन की संकल्पना को जोड़ा जा रहा है। महोदय, जैसा कि मैं कह चुका हूं अभी तक हम उस आदर्श अवस्था में नहीं पहुंचे हैं और यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि समाज एक विशेष अवस्था में पहुंच जाए और सम्भवतः तभी कोई ऐसी बात सोच सकता है और मेरा यह दृढ़ मत है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में भी सबसे पहले आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाना चाहिये ताकि इन वर्गों में भी वास्तव में गरीब लोगों को लाभ हो न कि केवल उन लोगों को ही सभी लाभ प्राप्त होते रहें जो सम्पन्न हैं और निचले तबके के लोगों को लाभ न हो। शायद यह प्रथम चरण होगा। जैसा कि मैंने कहा, कि यह विशेष अनुच्छेद मेरे विचार से आरम्भ में अनुच्छेद 46 के रूप में था और मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि इस संशोधन के बिना भी न्यायालय अनुच्छेद 46 में निहित सिद्धान्त का समर्थन कर सकते थे क्योंकि इसी उद्देश्य को ही संविधान निर्माता प्राप्त करना चाहते थे। परन्तु चूंकि एक बार उसे अवैध घोषित कर दिया गया था, आवश्यक रूप से यह संशोधन लाया गया था जैसा कि मैंने कहा है, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं 14 तथा 15 अगस्त, 1947 को अर्द्ध रात्रि को पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिये गये भाषण का एक विशेष अंश सभा को याद दिलाऊंगा। संविधान सभा को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा था कि बहुत पहले हमने भाग्य की बात सोची थी और अब उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है जो राष्ट्र के प्रति हम लोगों ने किये थे। लोगों की दशा सुधारने के लिए समय-समय पर प्रतिज्ञायें की गई और एक सामाजिक न्याय की प्रतिज्ञा है। कमजोर वर्गों की हालत में सुधार लाने के लिये सामाजिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करना आवश्यक संविधान की प्रस्तावना के अनुसार एक मुख्य उद्देश्य है। यही उद्देश्य अनुच्छेद 15 (4) को पुरःस्थापित करके प्राप्त किया जाना है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण जब यह संशोधन लाया गया है तो मैं इस बात को

कामना करूंगा कि कम से कम जो लोग वास्तव में सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको उचित लाभ मिलने चाहिए। समाज में यह भावना आ जाने पर किये लाभ समाज के इस वर्ग के लिये प्रायः पर्याप्त हैं जो शताब्दियों से गरीबी गंदगी और भुखमरी के भार से दबा रहा है तो शायद तब रेखा खींचने के बारे में सोचा जा सकता है अर्थात जैसा कि मैंने कहा, इस वर्ग को ही दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जहां सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में आर्थिक स्थिति को मानदण्ड बनाया सकता है।

उसके बाद, कोई व्यक्ति बाद की अवस्था में पिछड़ेपन के अन्य सिद्धान्तों के बारे में सोच सकता है परन्तु यह समय उसके बारे में सोचने का नहीं है।

मेरी अपनी राय यह है कि जैसा कि इस समय संविधान विद्यमान है,। यदि हम इस खण्ड में उल्लिखित हितों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए हैं तो अन्य प्रावधानों की व्यवस्था करके आप वास्तव में समाज के हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं ऐसा करने से उलझन पैदा होगी और उस समाज में अशांति पैदा होगी जो इस संशोधन को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। समाज का यही वर्ग एक बड़ा वर्ग है और यदि आप मुझे करने की अनुमति दें। तो यह जनसंख्या का 60 से 65 प्रतिशत तक है ' जब तक हम इन लोगों की स्थिति मे सुधार नहीं करेंगे' तब तक मैं नहीं समझता कि केवल आर्थिक पिछड़ पन के सिद्धान्त को लागू करना ठीक होगा इससे उलझनें पैदा होंगी और समाज के इस विशाल वर्ग में और अधिक असंतोष पैदा होगा।

जब कि मैं मानता हूं कि कोई धारणा आदर्श हो सकती है परन्तु इस आदर्श धारणा की जांच विद्यमान परिस्थितयों में करनी होगी। मैं सभा से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह समय नहीं है कि हम इस अवस्था में इस सिद्धान्त-पर विचार करें, इसको आदर्श सिद्धान्त के रूप में समझा जा सकता है और दृष्टिकोण से मैं विधेयक के प्रस्ताव से प्रस्तावित संशोधन पर विचार करने और इसे वापिस लेने के लिए अनुरोध करूंगा।

श्रीमान अनुच्छेद 15 के खण्ड 4 का बाद भाग जो संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाना है। उसके अनुसार अन्तर जातीय वैवाहिक सम्बन्धों के अथवा उनसे होने वाले बच्चों का मामला भी बहुत व्यापक है।अन्तरजातीय वैवाहिक सम्बन्धों तथा उनसे होने वाले बच्चों का सिद्धान्त बहुत व्यापक है। अन्तर जातीय विवाह एक ही धर्म में विश्वास रखने वाले दो विभिन्न सम्प्रदाओं के के बीच भी हो सकते। मान लीजिए, दो जातियों में जो पहले ही उच्च जातियां हैं शादियां होती हैं तो अगर हम इस चीज को इन लोगों के लाभ के लिए अनुच्छेद 15 के उप अनुच्छेद के अन्तर्गत लाने की कोशिश करेंगे तो मुझे खेद है कि इसका बहुत अधिक व्यापक अर्थ होगा।

कुछ समय के लिए यदि हम यह भी मान लें कि यह संशोधन उच्च जाति के किसी व्यक्ति की अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के साथ शादी तक समिति है, तो इस अवस्था में मैं यह नहीं जानता कि यदि अनुसूचित जाति का कोई आदमी किसी अन्य जाति की लड़की से शादी करता है तो इस सिद्धान्त को लागू करने की आवश्यकता हैं क्यों कि वह व्यक्ति स्वयं और उसके बच्चे स्वतः ही अनुसूचित जाति के सदस्यों के रूप में माने जायेंगे और उनकी देखभाल जो वर्तमान उपबन्ध है, वे करेंगे।

परन्तु कठिनाई तो तब पैदा होती है जब आदमी तो ऊंची जाति का हो और लड़की अनुसूचित जाति की हो। यदि इस संशोधन का उद्देश्य इस प्रकार के मामलों में मदद करना है तो हम इस मामले में न्याय नहीं कर पायेंगे क्यों कि हमारा समाज पुरूष प्रधान है। इस तथ्य के बावजूद मैं प्रोफैसर साहब का बड़ा आदर करता हूं...

प्रो० मधु दण्डवते : परन्तु सरकार उस तरह से नहीं ..

श्री पी० शिव शंकर : मैं उस समाज के बारे में कह रहा हूं। सरकार को कल आने वाले समाज के लाभ के लिए कार्य करना है। मैं उस समाज की बात कर रहा हूं जो आज है। इस दृष्टि-कोण से यदि कोई व्यक्ति पहले ही लाभान्वित है तो केवल इस कारण कि उनसे अनुसूचित जाति की किसी लड़की से शादी कर ली है लाभ दिलाने की बात बड़ी प्रश्न चिन्ह होगी यह भी एक बड़ा प्रश्न चिह्न होगा कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का सिद्धान्त कहां लागू किया जाये। और संभव है कि वह व्यक्ति समृद्ध हो और सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से अधिक सम्पन्न हो आखिरकार, जब हम उस व्यक्ति या उसके परिवार के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर विचार करते हैं तो केवल इस बात से कि उसने एक अनुसूचित जाति की लड़की से शादी कर ली है वह व्यक्ति सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं हो जायेगा। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि वर्तमान अवस्था में इस संशोधन को स्वीकार करना ठीक नहीं लेगा। मैं नहीं कह सकता, हो सकता है कि जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि समाज के दृष्टिकोण तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जो इस समय देश में हो रहे है वे ऐसा मोड़ ले सकते हैं कि जहां पर हमारे लिए अन्य सामाजिक तथा आर्थिक विचारधाराओं को लागू करना आवश्यक हो जाता है। शायद ऐसे समय पर कोई व्यक्ति यह संशोधन ला सकता है। परन्तु मैं निवेदन करता हूं कि ऐसा संशोधन करने का यह उपयुक्त समय नहीं है।

उन्हीं आधारों पर मैं अनुच्छेद 335 के संशोधन का विरोध करूंगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसी सदस्य के साथ शादी तथा ऐसी शादियों से होने वाले बच्चों का सिद्धान्त भी लागू किया जाना है। जैसा कि मैं कह चुका हूं; केवल इस बात से कि एक अनुसूचित जाति की लड़की से शादी कर ली है तो उसका अर्थ यह नहीं हो जाता है कि वह संविधान के विभिन्न उपबंधों में उपबंधित लाभों के प्राप्त करने वाला व्यक्ति बन जाता है हालांकि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का, जैसा भी मामला हो, हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि निसन्देह हमारा समाज जाति पर आधारित समाज हैं। कानून में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके अन्तर्गत आज वह केवल शादी हो जाने से व्यक्ति अपनी जाति को दूसरी जाति में बदल ले। आज एक व्यक्ति अपनी जाति बरकरार रखता है यद्यपि उसने अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की महिला से शादी कर ली हो। यदि स्थिति ऐसी है तो मैं यह नहीं समझ सकता कि हम रोजगार के अवसरों के सम्बन्ध में अनुच्छेद 335 को कैसे ला सकते हैं।

अन्तिम, बात सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की गिनती करने के संबन्ध में है। माननीय सदस्य इस बात से अवगत है कि अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की गिनती करने के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति है। यह कार्यवाही कुछ समय पहले 1955 में की गई थी जब काका कलेलकर आयोग

नियुक्त किया गया था। उस आयोग के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया था कि मामला राज्यों पर छोड़ देना चाहिए ताकि राज्य स्वयं इस पर कार्यवाही कर सकें। सभा इस बात से अवगत है कि कुछ राज्यों ने आयोग नियुक्त नहीं किये।

उन आयोगों ने उन राज्यों में सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की समस्याओं की जांच की। उन्होंने सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में एक विशेष वर्ग की गिनती करने के लिए मापदन्ड के ब्यौरे की जांच की। अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य आंकड़े प्राप्त करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि किस विशेष वर्ग को सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जा सकेगा जैसा कि मैंने कहा मेरे राज्य अर्थात आंध्रप्रदेश में भी इस मामले का समाधान 1970 में किया जा सका था क्योंकि प्रत्येक राज्य में मुझे सभा के ध्यान में यह बात अवश्य लानी चाहिए। अर्थात जहां पर भी सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची बनाई गई थी, उसकी न्यायालय द्वारा कठोर जांच की गई थी; और केवल अभी हाल में ही न्यायालयों ने लाभ उठाने शुरू कर दिये हैं। जहां तक केन्द्र का संबंध है, केन्द्र ने इस प्रकार की कोई गिनती अभी तक नहीं की है, हां, पिछली सरकार ने मंडल आयोग नियुक्त किया था और उसने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1980 में दे दी है। इस रिपोर्ट की केन्द्र सरकार जांच कर रही है।

अतः जहां तक केन्द्रीय सेवाओं का सम्बन्ध है, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे कोई वर्ग नहीं हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16 के अधीन रोजगार के समान अवसर देने की व्यवस्था का लाभ दिया गया है। इस किस्म का कोई नहीं है। किन्तु कुछ राज्यों में, जैसा कि कल यह सही कहा गया था कि 9 राज्यों में सामाजिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्गों की गणना की गई है, उन्हें शिक्षा संस्थानों में स्थानों के आरक्षण का काम दिया जा रहा है अथवा इन वर्गों के बच्चों के लिए कुछ छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं या सेवाओं में उन्हें कुछ आरक्षण दिया जा रहा है।

अतः जैसा मैंने कहा कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सिद्धांत को फिर से वापस लाने के बारे में मैं कहूंगा कि अनुच्छेद 340 इस अर्थ में निष्क्रिय है कि इसे बिलकुल भी लागू नहीं किया गया है। अभी तक सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की कोई गणना नहीं की गई है। यदि ऐसी स्थिति है तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सिद्धांत को फिर से इसमें जाने का अर्थ है पिछड़े वर्गों की गणना करना।

मैं नहीं जानता कि क्या इसमें एक चौथाई शताब्दी अथवा अधिक समय करेगा या इसे केवल लागू किया जाएगा। मैं इसका यही अर्थ लूंगा। अन्य दो अनुच्छेदों के सन्दर्भ में मैंने जो तर्क दिया है वही तर्क अर्थात आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सिद्धांत को लाने के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है और इससे उस समाज के एक बड़े भाग की भावना को चोट पहुंचाना है जिसे भारत के समाज ने एक ऐसे समाज के रूप में मान्यता दी है जो सदियों से पीड़ित रहा है।

अतः संविधान के उस उपबंध के नाते जिसमें हमारे संविधान के निर्माताओं ने बहुत

विचार-विमर्श करने के बाद यह व्यवस्था की है कि इन लोगों को जो पीड़ित रहे हैं, कुछ प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सम्भवतः किसी उपयुक्त समय पर इन प्रश्नों को लिया जा सकता है और मेरा निवेदन है कि इस अवस्था में इन संशोधनों पर विचार करना एक अपरिपक्व रुख अपनाना होगा और मुझे विश्वास है कि मैंने भी स्पष्टीकरण देने का प्रयत्न किया है उसे ध्यान में रखते हुए विधेयक के प्रस्तावक कृपया इसे वापस लेने का विचार करें।

ये जीवन की वास्तविकताएं हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। भावनात्मक समस्याओं का समाधान एक भिन्न रूप में किया जाना है। केवल भावनात्मक दृष्टिकोण से ही हम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। हमारा सम्बन्ध वास्तविक समस्याओं से है। माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि इस बात को ठंडे दिमाग से सोचें और विधेयक को वापस लें। मैं उनका आभारी हूंगा यदि वह इस विधेयक को वापस ले ताकि हम इन पहलुओं पर बाद में तब विचार कर सकें जब समाज में थोड़ी और जागृति आ जाए।

सभापति महोदय : श्री योगेन्द्र झा, क्या आप उत्तर देना चाहेंगे ?

श्री योगेन्द्र झा : मुझे यह जान कर असंतोष हुआ है कि माननीय मंत्री का अधिकांश भाषण लक्ष्य से परे रहा है। उन्होंने उन्हीं बातों के आधार पर उत्तर दिया है जिन पर देश में काफी समय से स्थल वाद-विवाद रहा है। प्रश्न यह है कि क्या मापदण्ड सामाजिक, शैक्षणिक होना चाहिए या आर्थिक होना चाहिए। यहां प्रश्न यह है कि इनमें कौन-सा होना चाहिए बल्कि प्रश्न यह है कि इनके साथ और यह भी मापदण्ड होना चाहिए। मुझे भय है कि उन्होंने इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया है यद्यपि इस मुद्दे पर वे आये थे। सम्भवतः वे इससे डर गये।

हाल ही में गत दो वर्षों के दौरान बिहार में श्री कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान के अन्तर्गत यथा परिभाषित रूप में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए एक विधेयक लाने का प्रयत्न किया था। मैंने व्यक्तिगत रूप से तथा हमने एक दल के रूप में और मैं समझता हूं कि राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया था। किन्तु विरोध उन लोगों से हुआ जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं और उन वर्गों में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। उनकी शिकायत यह थी कि तथाकथित पिछड़े वर्गों में ऊपरी वर्गों का न केवल प्रभुत्व ही है किन्तु वे इसका अधिकांश हिस्सा ले रहे हैं (व्यवधान)। अतः राज्य सरकार को एक मापदण्ड तय करना पड़ा, फिर यह सभा में सर्व सम्मति से इस प्रकार पारित हुआ, कि वे लोग जिनके परिवार की आय 500 रुपये तथा इससे अधिक है, इस श्रेणी में नहीं आयेंगे। तथा-कथित उन पिछड़े वर्गों में जो बिहार में 125 से अधिक हैं तथा जिनकी संख्या उपबन्धों के अनुसार गणना करने मन्त्री महोदय ने अनुसूची—2 में 89 और अनुसूची 1 में लगभग 13 बतायी हैं।

यह निश्चय किया गया कि 26 प्रतिशत आरक्षण में से जो उन लोगों के लिए हैं जिनकी मासिक आय कृषि, व्यापार नौकरी तथा किसी भी अन्य स्त्रोत से 500 रुपये से कम है, 3 प्रतिशत महिलाओं के लिए, 3 प्रतिशत तथाकथित गैर-पिछड़े वर्गों के लिए, 12 प्रतिशत उन लोगों के लिए जो पिछड़े वर्गों की अनुसूची 1 में आते हैं तथा 8 प्रतिशत उन लोगों के लिए जो पिछड़े वर्गों की अनुसूची 2 में आते हैं, आरक्षण निश्चित किया गया इनमें लगभग 30 वर्ग वे हैं

दूसरों की अपेक्षा कुछ कम पिछड़े हैं। किन्तु इनमें वे सभी आते हैं जिनकी मासिक आय 500 रुपये की सीमा में हैं।

इस प्रकार इनके लिए यह व्यवस्था की गई और ईसे सर्वसम्मति से पास किया गया। मुझे न केवल व्यक्तिगत रूप से इस का बाहर से समर्थन करना पड़ा किन्तु इस बारे में मुझे मुझे किताबें और पर्चे भी लिखने पड़े और लोगों के साथ साथ इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी और उस समय लोगों के बीच जाना पड़ा जब बहुत से लोगों को उनके बीच जाने का साहस नहीं करते थे।

अतः मेरा कहना यह है कि इससे फिर यथापूर्व स्थिति के सिद्धान्त को उसी तरह एक स्थायी रूप देने की बात हो रही है जैसा कि जातिवाद को एक स्थायी रूप दिया स्थायी रूप दिया गया है।

मेरी यह अपील है तथा विवाह सम्बन्धी खण्ड से मैं यह पुरःस्थापित करना चाहता हूं कि हमारी सामाजिक पद्धति समाज में गतिशील है और इससे यहां गतिशीलता आये। यह एक नयी बात नहीं है।

जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ी है वह जानते हैं कि किस प्रकार चार वर्ण 2500 वर्गों में अन्तरित हुए। उसमें यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी ब्राह्मण की लड़की की किसी क्षत्रीय के साथ शादी होती है तो उनकी संतति पाँचवे वर्ग की होगी।

यदि किसी ब्राह्मण की लड़की की किसी वैश्य के साथ शादी होती है तो उनकी संतति छठे वर्ग की होगी। यदि उसकी शादी किसी भद्र से होती है तो उनकी संतति सातवें वर्ग की होगी। यदि किसी क्षत्रीय की लड़की की किसी ब्राह्मण से शादी होती है तो उनकी संतति आठवें वर्ग की होगी, इत्यादि।

इस प्रकार अब 25000 वर्ग हो गए है। जब अंग्रेजों ने पहली बार देश का अवलोकन किया तो उन्होंने क्या देखा ? आखिर 2600 वर्ग कैसे बने ? अनुसूचित जातियों में ही एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति का छूआ पानी लेने के लिए तैयार नहीं है। यही वास्तविकता है।

हम जिन्दगी भर इसके विरुद्ध लडाई लड़ते रहे हैं। मन्त्री महोदय को यह मालूम न हो। 1940 में मुझे बिरादरी से बिना भोजन किए बाहर किया गया क्योंकि मैंने अपने पंडित को तीन वर्ष का समय दिया था जबकि 6 महीने के समय की बात थी। गाँधी जी के सत्याग्रह शिविर में जो लोग थे वे भी धार्मिक कृत्य करते थे। जब बिरादरी से बाहर किए जाने की बात शुरू हुई तो उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि उन्होंने भोजन किया था।

अतः लाठी उठानी पड़ी और मुझे व्यक्तिगत सत्याग्रही हुए बिना बिरादरी से बाहर घोषित किया गया क्योंकि में उस समय भी साम्यवादी था। अतः समाज का सामना करना होता है और जहां कहीं निहित स्वार्थ हो उसका विरोध किया जाना है। ये अधिकांश जातियाँ इसे स्थाई रूप दे रही है और ये इन चीजों पर एकाधिकार कर रहे हैं। अतः प्रश्न किसी विकल्प

का नहीं है किन्तु प्रश्न इनके साथ साथ आर्थिक दृष्टि से वर्गों के लिए भी व्यवस्था करने का है। मापदण्ड भी यही होना चाहिए।

बिहार का अनुभव हमें जो है उससे यह मालूम हुआ है हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं। यह मालूम होना चाहिए कि मन्त्रि महोदय के दल ने इस आरक्षण के विरुद्ध दूसरे तरीके से लाभउठाया है, उन्होंने तथाकथित उच्च वर्गों के लोगों को इस आरक्षण के विरुद्ध संगठित किया है। स्थिति का यह दुखद पक्ष है। इसमें बारे में अभी महोदय को जानकारी होगी।

अतः मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि यह विधेयक गलत समय पर लाया गया है। 1950 के बाद के अपने अनुभव के आधार पर हमने जो कुछ भी हासिल करना चाहा है इसे बनाये रखने के लिए तथा इस सम्बन्ध में गति तेज करने के लिए और इसे नया प्रोत्साहन देने के लिए तथा हमारी सामाजिक व्यवस्था में कुछ गतिशीलता लाने के लिए मैंने इस विधेयक को पेश करने प्रस्ताव किया है।

श्री मूल चन्द डागा ने एक संशोधन पेश किया है। मैं समझ सकता हूं कि मंत्री के लिए सरकारी तौर पर इस प्रकार के किसी संशोधन को स्वीकार करना आसान है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह उस संशोधन को स्वीकार करें। मैं व्यक्तिगत रूप से उस संशोधन को स्वीकार करता हूं और मैं समझता हूं कि ऐसा कोई कारण है जिससे मैं अपना विधेयक वापस लूं।

सभापति महोदय : श्री डागा, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : मैं एक वर्गरहित समाज चाहता हूं किन्तु जिस प्रकार विधिमंत्री ने जबाव दिया है, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : क्या सभ उन्हें अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

माननीय सदस्य : हाँ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री योगेन्द्र झा को···वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

श्री योगेन्द्र झा : जी नहीं, मैंने अपना विधेयक वापस लेने की अनुमति नहीं मांगी है। मैंने कहा है कि मैं श्री डागा के संशोधक को स्वीकार करता हूं किन्तु उन्हें उसे वापस ले लिया हैं। मैंने अपना विधेयक वापस लेने की अनुमति नहीं मांगी है।

सभापति महोदय : अब मैं इस प्रस्ताव को सभा के विचार के लिए रखूंगा। यह संविधान (सशोधन) विधेयक है अतः इस पर मतदान होना है। दीर्घाएं खाली कराई जायें। अब दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है :

कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 7

पक्ष में

दंडवते, प्रोस मधु
कृष्ण, दत्तर श्री
गलती से पक्ष में मतदान किया
वाजपेयी, अटलबिहारी

विपक्ष में

मत-विभाजन संख्या 7

अहमद, मोहम्मद असरार
बरवा, बनवारी लाल
बालेश्वर राम, श्री
बंसी लाल, श्री
भगत, एच० के० एल०
भाई, डा० कृपासिन्धु
चव्हाण, एस० बी०
दाभी, अजीत सिंह
डागा, मूलचन्द
दलबीर सिंह, श्री
डेनिस, एन०
डोगरा, गिरधारी लाल
गहलोत, अशोक
गिरराज सिंह, श्री
गोंडा, एच० एन० अन्जे
* झा, भोगेन्द्र
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
कर्मा, लक्ष्मण
कुलनदईवेल, डा० वी०
मल्लिकार्जुन, श्री
मणि, के० बी० एस०
महंती, ब्रजमोहन
मुरुगेयन, एस०
मुलेमवार, विलास
नागरत्तनम, टी०
नायकर, डी० के०
नायकर, बी० के०
पांडे, केदार
पांडे, कृष्ण चन्द्र
पारधी, केशवराव
पाटिल, एस० टी०
पाटिल, शंकरराव
पुजारी जनार्दन
प्रसन्न कुमार, एस० एन०
रामामूर्ति, के०
रंगा, प्रो० एन० जी०
राव, एम० एस० संजीवी

* गलती से विपक्ष में मतदान किया

राठौर, उत्तम	रेड्डी, के० ओबुल
रेड्डी, पी० वेंकट	साठे, बसन्त
शर्मा, नवल किशोर	शिवशंकर पी०
सिन्हा श्रीमति रामदुलारी	तिवारी प्रो० के० के०
थुंगोन, पी० के०	वेंकटरामन, आर०
वेंकटसुब्ब्या, पी०	वर्मा, रघुनाथसिंह
बर्मा' श्रीमतिउषा	यादव, रामसिंह

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 3

विपक्ष में : 52

प्रस्ताव समस्त सदस्य संख्या के बहुत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुत से पारित नहीं हुआ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

श्री उत्तम राठौर (हिंगोजी) : अगली मद आरम्भ करने से पहले क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं। आज चार विधेयक लिये जा रहे हैं। श्री महालगी को दो घंटे दिये गए किन्तु उन्होंने 2 घंटे 45 मिनट लिए हैं। अब मेरा निवेदन यह है कि प्रो० दण्डवते को आधा घण्टा दिया जाये और मुझे केवल पांच मिनट दिये जायें।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए दो घण्टे नियत किये गये हैं।

नेत्रहीन व्यक्ति (रोजगार) विधेयक

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार दिलाने तथा आनुसंगिक या तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, यह बड़ा शुभ है कि मैं इस विधेयक को वर्ष 1981 में जिसे समस्त विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया है, विचारार्थ पेश कर रहा हूं।

महोदय, समस्त विश्व की आज तस्वीर यह है कि सारे संसार में 300 लाख ऐसे लोग हैं जो नेत्रहीन हैं। हमें यह जानकर बड़ा धक्का एवं आश्चर्य होगा कि इन 300 लाख नेत्रहीनों में से 100 लाख भारत में हैं। यह संख्या मिश्र के बाद भारत में सबसे बड़ी है। हमारे देश में नेत्रहीनों की यह स्थिति है।

अतः मैं सभा के विचारार्थ यह विधेयक रखना चाहता हूं जिसके द्वारा अपंग व्यक्तियों,

जैसे देश में नेत्रहीन व्यक्तियों को कुछ अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है और मुझे जरा भी सन्देह नहीं है कि सरकार को नेत्रहीन व्यक्तियों से पूरी सहानुभूति है। पहले ही कुछ वार्ता हो चुकी है और नेशनल फेडरेशन आफ ब्लान्इड के प्रतिनिधियों से जिस भाव से बातचीत हुई है, उसमे मुझे विश्वास है कि सम्बन्धित मंत्री महोदय को विधेयक को, जिसमें सभा के समक्ष पहले ही रख चुका हूं, स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

जहां तक देश के 100 लाख नेत्रहीन व्यक्तियों का संबंध है, यद्यपि उनके आस-पास अन्धकार है परन्तु मैं नहीं चाहता कि रोजगार के अवसरों के मामले में उनके जीवन में अंधकार हो।

अपंग व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह मैडीकल और मनोवैज्ञानिक अनुभव रहा है कि यदि वे किसी एक माननीय योग्यता की दृष्टि से अपंग होते हैं तो उनकी अन्य माननीय योग्यताएं कुशाग्र और उज्ज्वल हो जाती है।

मैं केवल एक मिशाल दूंगा। यह मिशाल विश्व प्रसिद्ध संगीतकार और पियानोवादक लुडविग वेथोवान की है। वे 32 वर्ष के विश्व प्रसिद्ध संगीतकार ये।

पियानो बजाते समय अचानक ही वे बहरे हो गए। परन्तु बहरेपन ने उनकी स्मरण-शक्ति को मलिन नहीं किया बल्कि इसके विपरीत उनकी स्मरणशक्ति और तेज हो गई और उन्होने गीतों को याद रखा।

32 वर्ष की आयु में पूर्णतया बहरा हो जाने के पश्चात् उन्होंने विश्व की सर्वोत्कृष्ट 'सिम्फनी' की रचना की। इससे स्पष्ट होता है कि जब एक व्यक्ति किसी एक मानवीय योग्यता को खो बैठता है तो अन्य योग्यताए सजीव उज्ज्वल और गहन हो उठती हैं और यह बात नेत्र-हीन व्यक्तियों के साथ होती है।

रेलबे में जिन नेत्र हीन व्यक्तियों से मिला हूं उससे मेरा यह अनुभव रहा है कि यदि उनके आस पास पूर्ण अन्धकार है कि तो भी उन्हें जो काम सौपा जाता है उसे अत्यधिक योग्यता और पूर्ण उत्तरदायित्व से पूरा करते हैं। मैं आपकी अनुमति से यहां केवल एक उदाहरण देता हूं। कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर एक नेत्रहीन व्यक्ति उदघोषक है। यात्रियों ने सुझाव पेटिका में यह लिखकर डाला कि वह कलकत्ता स्टेशन पर सर्वोत्तम उदघोषक है। इससे पता चलता हैं कि एक व्यक्ति नेत्रहीन हो सकता है, उसके आस पास अन्धकार हो सकता है परन्तु अन्य ऐसी कई योग्यताएं है जो उनमें पूर्णतया विकसित हो जाती है ताकि वह कुछ बेहतर अवसर प्राप्त कर सके।

हम उस युग में रह रहे है जिसमें हम जानते हैं कि कुछ अपंग व्यक्ति भी हैं इनमें से कुछ जहां शारीरिक दृष्टि से अपंग है तो कुछ सामाजिक दृष्टि से हम चाहते हैं कि ये सभी सामाजिक और शारीरिक दृष्टि से अपंग व्यक्ति वे समाज के कार्यो में कुशलता से भाग ले सके। वे अपनी मानवीय शख्सीयत के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त कर सके। और इसी श्रेष्ठ दृष्टि कोण से मैंन इस विधेयक को आपके समक्ष रखा है।

इस विधेयक में देश में नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए कुछ परिभाषाएं दी गई है। 'नेत्रहीन' एक बहुत अस्पष्ट शब्द है। अत: अपने विधेयक में मैंने मेडिकल वैज्ञानिको और समाज शास्त्रियों की सहायता से हमने उन नेत्रहीन व्यक्तियों की एक सही परिभाषा देने का प्रयास किया है जिनके लिए रोजगार में अधिमान्य अवसर, रोजगार में तीन प्रतिशत आरक्षण किया जाएगा। सम्बद्ध उपबन्ध में लिखा है।

"नेत्रहीन व्यक्ति से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित मानकों के अनुसार नेत्रहीन हैं;

(1) पूर्णतया नेत्र ज्योति हीन, अथवा

(2) बेहतर आंख में दृष्टि सक्ष्या (उसे ठीक करने के लिए लगाए गए चश्मे के साथ) 20/200 या 6/60 (स्नेलेन) मे अधिक न हो, अथवा

(3) दृष्टि का कोण बेहतर आंख में 20 • या कम अन्तरिम हो"

मैडिकल शब्दावली में यह नेत्र हीन व्यक्ति की परिभाषा है और ऐसे व्यक्ति को रोजगार अवसरों में प्राथमिकता मिलेगी।

जब यह विधेयक अधिनियम का रुप ले लेगा तो इसे क्रियान्वित करना होगा। अत: यह अत्यन्त आवश्यक है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक नेत्रहीन व्यक्ति को रोजगार मिले हमें एक कार्य प्रणाली का निर्माण करना होना।

अत: इस विधेयक विशेष में हमने समुचित सरकार द्वारा एक अधिकारी मुख्य अधिकारी की नियुक्ति का उपबन्ध किया है। इन अधिकारियों की नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा की जाएगी। वे पजी रण अधिकरण अधिकारी होंगे। पंजीकरण अधिकारी नेत्रहीन व्यक्तियों की सूची, विभिन्न परीक्षणों के आधार पर, जिनका मैंने उल्लेख किया है, बनाएंगे। मैंने विचारार्थ जो विधेयक रखा है उससे स्पष्ट हो जाता है कि उन लोगों के लिए तीन प्रतिशत रोजगार आरक्षित किए जाएंगे। प्राय: यह होता है कि जब आप कोई प्रतिशत निर्धारित करते हैं तो कुछ ऐसी नियुक्तियां होती हैं, जिन्हे अग्रनीत करना होता है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मेरे विधेयक में यह व्यवस्था है कि रिक्तियों को अग्रनीत करने वाली बात चार वर्षों तक जारी रहेगी और जहां तक अग्रनीत की जाने वाली रिक्तियों के योग का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय नेत्रहीन महा संघ (नेशनल फेडरेशन आफ बलाइन्ड मेन) के सहयोग और परामर्श से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जहां तक अग्रनीत प्रक्रिया के सम्बन्ध है, आरक्षित और अनारक्षित रिक्तियां दोनों को मिलाकर 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। वे यह आग्रह नहीं कर रहे कि 50 प्रतिशत अग्रनीत रिक्तियां केवल आरक्षित नहीं होनी चाहिए। उनके अनुसार आरक्षित और अनारक्षित जितनी रिक्तियां होगी उनमें से अधिकतम 50 प्रतिशत उन व्यक्तियों को प्रदान की जाए जो अग्रनीत प्रक्रिया के माध्यम से आए और विधेयक में यह व्यवस्था पहले ही कर दी गई है।

इन सब बातों के निर्धारण से यह प्रश्न उठता है कि विभिन्न विधेयकों अथवा इस अधि

नियम क उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने वाला को० सा प्राधिकारी होगा या कौन सा संगठन होगा। अतः इस विधेयक में एक विशेषज्ञ निकाय का सुझाव दिया गया है ओर यह विशेषज्ञ निकाय जिसे विशेषज्ञ बोर्ड कहा जाएगा, यह जांच करने का प्रयत्न करेगा कि क्या नेत्रहीन व्यक्ति आधुनिक सहायक उपकरणों से कार्य कर सकते हैं। जहां तक नेत्रहीन व्यक्तियों का सम्बन्ध है, यह सौभाग्य की बात हैं कि वेज्ञानिक और प्रोद्योगिक विकास के इस युग में हमारे पास ऐसे कई सहायक उपकरण है जिसकी सहायता से एक नेत्रहीन कुशलता से काम कर सकता है। भौतिकी का विद्यार्थी रहने के नाते में एक उदाहरण देता हूं। नेत्रहीन व्यक्ति जग आगे दिशा में चल रहे होते है। तो हो सकता है सामने दरवाजा आ जाए, उनके सामने खिड़की आ जाए या कोई ठोस रुकावट। वे कैसे पता लगाते है कि रास्ते में रुकावट है? वे पराश्रव्य (अल्ट्रा सोनिक) उपकरण के माध्यम से पता लगाएंगे। यदि रास्ते में कोई रुकावट या बाधा है तो, वह संकेत वापस उछलेगा और इस प्रकार वापस आए संकेत के कारण पराश्रव्य आवृति में भिन्नता आएगी जिसका पता इयर फोन की सहायता से लग सकेगा। ये इयर फोन अन्धे व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और आवृति में परिवर्तन नेत्र हीन व्यक्ति और बाधा के मध्य दूरी से सम्बन्धित हैं। चूंकि आवृति परिवर्तन बाधा से दूरी के अनुपात में होता हैं। इससे उनके लिए मार्ग में आने वाली बाधा की दूरी की गणना करना और अनुमान लगाना सम्भव हो जाता है। उन्हे इस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उनके लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें होती है। वे देख नही सकते इसी लिए दृश्य साधन उनके किसी लाभ के नहीं हैं। परन्तु कई प्रकार के उपकरण है जिनकी सहायता से वे लिख और पढ़ सकते हैं। उन्हें इस प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। कुछ परीक्षणों के माध्यम से वे प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं।

इसके लिए कुछ मैकेनिकल उपकरणों की सहायता से वे अन्य कोई कार्य करना चाहते हैं तो विशेषज्ञ मन्डल इस बात की जांच करेगा कि क्या उनको उपलब्ध कराए गए उपकरणों का प्रभाव पूर्ण ढंग से उपयोग हो रहा है और नेत्रहीन व्यक्ति कुशलता के उचित स्तर को बनाए हुए हैं। अतः इस प्रकार विशेषज्ञ मन्डल की कार्य प्रणाली और निर्माण से हम एक तरफ तो नेत्रहीन व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर अवसर प्रदान करना और दूसरी ओर कार्य कुशलता के स्तर को बनाए रखना सुनिश्चित कर सकेंगे।

विशेषज्ञ मन्डल कि ये कार्य होंगे और हमने पहले ही विधेयक में इसका उपबन्ध कर दिया हैं।

तब इस सम्बन्ध में कुछ समय के लिये लिये विवाद उठ सकते हैं। नियोजक कौन समझा जायेगा? वह कौन सी एजेन्सियां होगी जो उन्हें रोजगार देगी? केन्द्रीय सरकार हो सकती है, ये राज्य सरकारे हो सकती है। सरकारी क्षेत्र के एकक भी हो सकते हैं। उदयोग व्यापार और विजनेस भी रोजगार दे सकते हैं। शिक्षण संस्थाए भी हो सकती है। विभिन्न प्रकार के स्थान है जहां रोजगार दिया जा सकता हैं। अन्य व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये नियोक्ता कौन होगा? जो व्यक्तियों को रोजगार देता है, विधेयक में उसे नियोक्ता कहा गया है और इस नियोक्ता का यह कर्त्तव्य होगा कि अन्धे व्यक्तियों को 3 प्रतिशत तक नौकरियों दे।

यदि इस सम्बन्ध में कोई विवाद पैदा होता है तो वह विवाद सम्बन्धी अधिकारी को भेजा जायेगा। जिसकी नियुक्त सरकार द्वारा की जायेगी। मुझे विश्वास है कि उस अधिकरण की सहायता से हमारे लिये उन विवादों को आहति तौर पुर सुवभानों की सम्भव हो जायेगा।

इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर सलाहकार परिषदों के गठन की व्यवस्था है। अधि नियम भी है। और उसमें अनेक उपबन्ध भी है। इसमें किये यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अधिनियम का उपबन्धों का प्रभावी रुप से कार्यान्वयन हो और इसके लिये मैंने विभिन्न स्तरों पर सलाहकार समितियों के गठन करने की व्यवस्था कर दी हैं। अन्धे व्यक्तियों को अवसर प्रदान करने में प्राथमिकता दी ज येगी, यह सुनिश्चित करना सम्भव है। जितने भी कानून बनेगे वह उनको उपबन्धों को लागू करने में सक्षम होंगे।

इतना सब होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है क्योंकि नौकरियों के अवसर हमारे ऐसे विकास शील देश में सीमित ही है यद्यपि इस सम्बन्ध में काननू न बन चुका है। इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के पश्चात भी यह हो सकता है कि कुछ अपंग व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर प्राप्त न हो अथवा अवसरों के मामलों में प्राथमिकता न दी जाये। ऐसे मामलों के लिये मैंने विधेयक में हा व्यवस्था कर दी है ऐसे मामलों में उन अन्धे व्यक्तियों को जिनका नाम रजिस्टर में दर्ज है, प्रति माह 300 रूपये का भत्ता दिया जायेगा। यह भत्ता उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसे अन्धा स्वीकार किया जा चुका है—जिसे पंचोकृत प्राधिकरण ने अन्धा स्वीकार भी लिया हो और उसका नाम रजिस्टर में दज कर लिया गया हो, किन्तु जो व्यक्ति अन्धा स्वीकार कर लिया गया हो, और जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया हो किन्तु कानून के आधार पर नौकरी न मिली हो, तो उसे प्रति माह 300 रूपये का भत्ता दिया जाना चाहिये। इस प्रारूप में भी यही उपबन्ध किया गया है। इस पृष्ठ भूमि में मुझे यह कतई सन्देह नहीं है कि अपंगी के इस वर्ष में अन्धें व्यक्तियों को नौकरी के अवसरों में प्राथमिकता दी जायेगी। दुर्भाग्य से जब अपनी अन्धे लोगों ने सरकार के सामने समाचार प्रस्तुत की तो आरम्भ में संघर्ष का वातावरण बन गया। किन्तु शायद गाँधी के इस देश में आना आदमी के कष्टों से उस व्यक्ति की आत्मा भी जागृत हो जाती है जो उन्हें लाठियों से मारता है। एक बार तो अन्धे व्यक्तियों के जलूस पर, जब वे ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिये जा रहे थे, लाठियाँ बरसाई गई, अगली बार उन्हे पता चला कि गांधी के इस देश में कष्ट सहने से सत्ता धारियों के वर्क के दिल भी पसीज जाते हैं और उन्होंने संघर्ष के वातावरण को सहयोग के वातावरण में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने संघर्ष के वातावरण में बात चीत की। मुझे पता चला हैं कि किसी प्रकार का समझौता भी हो गया हैं। समझौते के सम्बन्ध में आया कार्य हो चुका हैं कुछ प्रयास किये जा चुके हैं। किन्तु अभी काफी कुछ करना शेष हैं। पन्डित जी ने रोबर्ट फ्रास्ट के शब्दों में कहा था कि सोने से पहले मीलों दूर जाना हैं। उन्हे भी अपना ध्येय प्राप्त करने से पहले काफी प्रयास करना होगा अन्धे व्यक्तियों को भी यही करना होगा।

विधि मन्त्री महोदय को ही लीजिये। जब वह किसी अन्य विधेयक पर बोल रहे थे, मुझे उनको उद्धृत करने की अनुमति दीजिये। उन्हें 14 अगस्त की रात की याद और 15 अगस्त की आरम्भ की याद आ गई थी जब पंडित नेहरू ने गरिमामयी ऐतिहासिक निकाय संविधान सभा में

में भाषण दिया था। उन्होंने अर्द्ध-रात्रि के उस क्षण में गूंजने हुई शब्दों में कहा था 'विश्व जब निद्रामग्न है, भारत नव-जीवन और स्वतन्त्रता में जायेगा।" इतिहास में कभी-कभी ऐसा क्षण आता है जब हम पुरातन से नवोन्मेश की ओर जाते हैं, जब एक युग का अन्त होता है और राष्ट्र की चिर-दमित आत्मा को वाणी मिल जाती है।

मुझे विश्वास है कि आप यह सुनिश्चित करेंगे कि इस देश में शारीरिक और सामाजिक रूप से अपंग व्यक्तियों को नौकरी के अवसरों में प्राथमिकता मिलेंगी ताकि उन्हें भी अपने परिश्रम का फल मिल सके। वास्तव में 14 अगस्त, 1947 की अर्द्ध-रात्रि को कहे गए पंडित नेहरू के गूंजते हुए ये शब्द सत्य हो जायेंगे और वह इस बात का अनुभव करेंगे कि निर्याति से उनकी भेंट हो गई है।

मुझे आशा है कि विधि मंत्री महोदय तथा सदन इस विधेयक को सर्व-सम्मति रे स्वीकार करेंगे।

श्री पी० शिवशंकर : श्रम मंत्री का इससे सम्बन्ध है।

प्रो० मधु दंडवते : जिस मंत्री महोदय का भी इस विधेयक से सम्बन्ध हो, वह इस पर ध्यान दे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि अन्धे व्यक्तियों के लिए रोजगार तथा उससे सम्बद्ध अथवा अनुषंगी बातों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> (1) "कि विधेक पर 30 जून, 1981 तक राय जाननने के लिये उसे परिचालित किया जाये।"

सदस्यों की गिरफ्तारी

सभापति महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि लोक सभा के अध्यक्ष के नाम पुलिस के उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली से दिनांक 6 मार्च, 1981 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है—

> "मुझे आपको सादर सूचित करना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देना मैंने अपना कर्त्तव्य समझा है कि श्री मनीराम बागड़ी, चौधरी मुल्तान सिंह और श्री जयपाल सिंह कश्यप, लोक सभा के माननीय सदस्यों को, जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रख्यापित निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए स्वयं को गिरफ्तार कराया, मामला एफ० आई० आर० संख्या 102 पुलिस थाना, पार्लियामेंट स्ट्रीट में 6-3-81 को लगभग मध्यान्ह पश्चात 2.45 बजे राजपथ/रफी मार्ग चौराहे पर हिरासत में लिया जाये।

इस समय उन्हें डाक्टर अम्बेडकर स्टेडियम, दिल्ली गेट, दिल्ली में रखा जा रहा है और शीघ्र ही उन्हें महानगरीय मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।"

नेत्रहीन व्यक्ति (रोजगार) विधेयक : जारी

श्री मूलचन्द डागो (पाली) : मैं श्री मधुदन्डवते जी को इस विलांग वर्ष में इस प्रकार के बिल को लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं एज का उन्होंने इसमें जिक्र नहीं किया। वह क्या होगी ?

सदन की भावनायें जो आपने बात कही है उसके साथ हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारा एक कल्याणकारी राज्य है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उनकी घोषणा के अनुसार इन लोगों को कौकरियाँ दी गई हैं ? मुझे याद हैं 1977 में यह घोषणा की गई थी कि हर एक विभाग में एक अन्धे को नौकरी दी जाएगी। योजना मन्त्री बैठे हुए हैं। वह हमें आंकड़े दें कि किस विभाग में कितने ऐसे लोगों को नौकरियां दी गई हैं ? मैं समझता हूं कि उनके लिए इसके बारे में कोई आँकड़ा देना असम्भव होगा। कई बार प्रधानमन्त्री जी ने अपने भाषणों में विभिन्न विभागों को इनको नौकरियां देने के लिए कहा है। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय जब उत्तर देंगे तो बताएँगे कि किस विभाग में कितने ऐसे लोगों को नौकरियाँ दी गई हैं।

विभिन्न राज्य सरकारो से भी यह कहा गया था कि कुछ प्रतिशत नौकरियाँ वे इन लोगों के लिए सुरक्षित करें। मैं नहीं समझा किसी भी राज्य सरकार ने इस प्रतिशत को पूरा किया है। सोलह राज्य और यूनियन टैरटरीज से कहा गया कि वे आर्डर इशू करें और उन्होंने शायद किए भी हैं। राजस्थान के अन्य दो प्रतिशत, जम्बू कश्मीर में तीन प्रतिशत, दिल्ली में तीन प्रतिशत, चन्डीगढ़ में तीन प्रतिशत, हरियाणा में तीन प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में तीन प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में दो प्रतिशत, पश्चमी बंगाल में दो प्रतिशत, गुजरात में चार प्रतिशत, कर्नाटक में दो प्रतिशत, पांडीचेरी में दो प्रातशत स्थान इनके लिए सुरक्षित करने को कहा गया।

और प्रधान मन्त्री का आर्डर है केन्द्रीय सरकार के लिए। बातें करने में हम सबसे आगे हैं, कोई स्टेट पीछे नहीं रहेगी। लेकिन काम क्या होगा भगवान जाने। कई मन्त्री गण यहां बैठे हुए हैं वह अपने सीने पर हाथ रखकर कहें कि कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दी ? आर्डर निकल गया कि एक अंधे आदमी को नौकरी में लिया जाय। मैं इस एक्ट को क्यों जनपत के लिए प्रचालित करना चाहता हूं उसके कारण बताऊंगा। मैं नहीं कह सकता कि आपके आंकड़े सही हैं। लेकिन इनके जो रजिस्टर में आंकड़े हैं वह बता रहे हैं, मैंने जो 1 करोड़ बताए वह आँकड़े ठीक हैं या नहीं मैं नही जानता, लेकिन रजिस्टर में यह आंकड़े मैं जो आपको दे रहा हूं। इस वर्ष विक्लांग वर्ष है। 1977 में 49,856 विक्लांग लोग थे उनमें अंधें थे 3031 जिनके नाम आपके यहाँ रजिस्टर में हैं। 1978 में 58,325 और ब्लाइन्ड इनों थे

3,893। 1979 मे 64,73ध और अंधे थे 40,43। 1980 मैं 72,034 और ब्लाइन्ड थे 5,025।

अब परसेन्टेज बताया है ब्लाइंड लोगों का। 1978 में 17.5 परसेन्ट, 1979 में 14.1 परसेन्ट, 1980 में 12.6 परसेन्ट। यह जो आंकड़े हैं इनके आधार पर आप बताओ कितने अंधों का आपने भांग दिया। योजना विभाग में आज कितने लोग बेकार हैं इनके आंकड़े अलग हैं। 10 करोड़ से ज्यादा पढ़े-लिखे बेकार हैं, उनकी गम्भीर समस्या है। मुझे डर है कि अगर हमने इतने लोगों को काम नहीं दिया तो कहीं संविधान न टूट जाय और नक्सलवादी एक्टिविटीज न पढ़ने लगें। राजस्थान में एक करोड़ 50 लाख आदमी अकाल से पीड़ित हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, और हमारे साथी श्री नवल किशोर शर्मा जी कह रहे हैं सब इन्तजाम हो रहा है, भगवान आपका भला करेगा। यह इनका आशीर्वाद है। मैं कहता हूं आशीर्वाद से काम नहीं बनेगा।...

सभापति महोदय : मुझे आशा है कि आप अपना भाषण अगली बार जारी रखेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हां, महोदय।

सभापति : श्री मल्लिआर्जुन।

सभा के देर तक बैठने के बारे में

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सभापति महोदय, मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह सोमवार से लेकर गुरुवार तक 6 बजे के पश्चात भी कार्य वाही करने के लिये बैठे।

श्री अटल विहारी बाजपेयी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा आयोजित बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था ?

श्री मल्लिकार्जुन : आज शाम को विपक्षी नेताओं शैर औपचारिक बैठक में इसका उल्लेख किया गया हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इसका उल्लेख एक बात हैं। प्रश्द यह हैं कि क्या विपक्ष उपस्थित था। मैं उस बैठक में उपस्थित नहीं था। क्या विपक्षी नेता प्रस्ताव से सहमत थे ?

श्री मल्लिकार्जुन : हां, वह सहमत थे। अन्तत. इस पर कार्यमन्त्रणा सम्बन्धी समिति में निर्णय किया जायेगा। यह सोमवार से गुरूवार तक के लिए हैं, सारे अधिवेशन के लिए नहीं।

श्री अटल विहारी बाजपेयी : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कार्यमन्त्रण सम्बन्धी समिति की सोमवार को बैठक बुलाई जाये। हम लंच में बैटक कर उसमें निर्णय ले सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : यदि माननीय सदस्य यही चाहते हैं तो अलग बात हैं। वरन: इसे सदन द्वारा स्वीकृत किया जा सकता हैं।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : मुझें यह बात समझ में नहीं आती कि कार्यमन्त्रणा समिति की क्यों उपेक्षा की जा रही है। आपका उसमें भी बहुमत है। हम आपके साथ हमेशा सहयोग करने के तैयार हैं। समिति का एक बैठक बुलाई जाये।

श्री मल्लिकार्जुन : दो दिन बेकार चले जाने के कारण हमें कार्य वाही पूरी करनी है। इस सम्बन्ध में सदन से यह अनुरोध किया जा रहा है कि वह सोमवार से लेकर गुरुवार तक छः बजे के बाद भी बैठे।

प्रो० मधु दन्डवते : श्री वाजपेयी ने बड़ा ही रचनात्मक प्रस्ताव रखा है। सोमवार लंच के दौरान माननीय अध्यक्ष कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक बुलाई और उसमें हम उस पर औपचारिक रुप से निर्णय ले।

सभापति महोदय : कार्य मन्त्रणा सम्बन्धी समिति की सोमवार दोपहर पश्चात बैठक की जाये।

सभा 9 मार्च 1981 कों 11 बखे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थागित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 9 मार्च, 1981/18 फाल्गुन 1902 (शक) को 11 बजें तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक—आर० आर० गुप्ता प्रैस, 472, पं० रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-110006 में मुद्रित।